उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – जनवरी-मार्च, 2017 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 1 – 160)

जनवरी-मार्च, 2017 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
अविनाश शुक्ला

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपठित लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की उपधारा 3 और 4] –चिकित्सा साक्ष्य में मृतका के शव पर क्षतियां तथा रक्तस्राव पाया जाना जिसके कारण आघात से मृत्यु होना प्रकट है तथा न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में मृतका के साथ मैथुन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है तथा अंतिम बार देखे जाने के पारिस्थितिक साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थन मिला हो और अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध साबित हुआ हो तो अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायसंगत है ।

राजस्थान राज्य बनाम **प्रह्लाद कमारू मीना** 89

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (156) – (194) क्रमशः

पृष्ठ संख्या 1 – 160 (2017) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान भवन

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री विनोद कुमार आर्य,
संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री असलम खान और पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2017 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................... द्वारा मुद्रित ।

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी-मार्च, 2017

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
केदार तुरहा **बनाम** बिहार राज्य और अन्य	45
कृष्णा पुनीत राम धोबी और अन्य **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	17
गोपाल सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	80
चंद्रावती देवी **बनाम** बिहार राज्य	30
रमेश बीजाल मारवाड़ा **बनाम** गुजरात राज्य	1
राजस्थान राज्य **बनाम** प्रह्लाद कमारू मीना	89
राज्य **बनाम** मनोहरण	68
शिवनाथ राम राजवर **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)	25
शिव सुन्दर भारती **बनाम** बिहार राज्य और अन्य	62
संजीव कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	133
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** ज्ञानचंद	125
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** होत्तम राम	145

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	156 – 194

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 173(2) और धारा 190(1)(ख) – मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान – जहां इत्तिला देने वाले द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नौ व्यक्तियों के नाम वर्णित हों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट या आरोप पत्र में केवल सात व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हों, वहां मजिस्ट्रेट को केवल सात व्यक्तियों के विरुद्ध ही संज्ञान लेने के पूर्व इत्तिला देने वाले को संज्ञान के संबंध में सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे मजिस्ट्रेट आगे अन्वेषण करने या शेष दो व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही बंद करने का आदेश दे सके और न्याय का कोई दुरुपयोग न हो ।

केदार तुरहा बनाम **बिहार राज्य और अन्य** 45

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300 [सपठित लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की उपधारा 3 और 4] – चिकित्सा साक्ष्य में मृतका के शव पर क्षतियां तथा रक्तस्राव पाया जाना जिसके कारण आघात से मृत्यु होना प्रकट है तथा न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में मृतका के साथ मैथुन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है तथा अंतिम बार देखे जाने के पारिस्थितिक साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थन मिला हो और अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध साबित हुआ हो तो अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायसंगत है ।

राजस्थान राज्य बनाम **प्रहलाद कमारू मीना** 89

– धारा 300 [सपठित लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की उपधारा 3 और 4 तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अप्राप्तवय बच्ची की हत्या और शीलभंग किया जाना – पारिस्थितिक साक्ष्य –

पृष्ठ संख्या

अंतिम बार देखा जाना – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसने अप्राप्तवय बच्ची का शीलभंग किया और उसके पश्चात् उसकी हत्या कर दी – यदि अभियुक्त और मृतका को अंतिम बार एक साथ देख जाने के बारे में दो साक्षियों के कथनों से यह सिद्ध हुआ कि अभियुक्त और मृतका के कुटुंब के सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध रहे और मृतका अभियुक्त को मामा कहती थी और उपरोक्त घनिष्ठ संबंध की वजह से चाकलेट लेने के लिए वह अभियुक्त के साथ चली गई और अगले दिन मृत पाई गई तो अभियुक्त मृतका के शीलभंग और हत्या किए जाने का दोषी है ।

राजस्थान राज्य बनाम **प्रह्लाद कमारू मीना** 89

– धारा 302 – हत्या – दंड – दंड का उपान्तरण – घटना के समय अभियुक्त-छात्र की आयु 22 वर्ष थी और मामला-पूर्व सुनियोजित नहीं था – जहां अभियुक्त-छात्र ने परीक्षा में बैठने से विरत होने पर हताश और क्रोधित होकर क्षतियां कारित कीं वहां पर अभियुक्त-छात्र द्वारा सलाखों के पीछे 5 वर्ष से अधिक समय तक पहले ही दंड भोग लिया गया है, इसलिए पहले भोगी गई सजा को मूल दंड से घटाया जाना उचित है ।

गोपाल सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 80

– धारा 302 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 और लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की उपधारा 3 और 4] – मृत्यु दंड – आठ वर्ष की अप्राप्तवय बच्ची के साथ कामवासना के आशय से बलात्संग किया जाना और पत्थर से उसके सिर को कुचलकर वीभत्स रूप से हत्या किया जाना – यह मामला विरल से विरलतम मामले के प्रवर्ग में आता है अतः मृत्यु दंड के अधिनिर्णय की पुष्टि किया जाना उचित है ।

राजस्थान राज्य बनाम **प्रह्लाद कमारू मीना** 89

पृष्ठ संख्या

– धारा 304ख और 498क – जहां मामले में फंदा लगाकर लटकने या गला घोंटने को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और मृतका की माता यह साबित नहीं कर सकी है कि उसकी पुत्री के साथ दहेज की मांग के संबंध में कोई क्रूरता बरती गई, वहां पर अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

कृष्णा पुनीत राम धोबी और अन्य बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 17

– धारा 304ख और 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – दहेज मृत्यु और क्रूरता – चिकित्सा साक्ष्य – मृतका – पत्नी से दहेज के संबंध में अभियुक्त पति और ससुरालवालों द्वारा विवाह के सात वर्ष के भीतर दुर्व्यवहार किए जाने का अभिकथन किया जाना जिसके परिणामस्वरूप मृतका की अस्वाभिक मृत्यु होने का अभिकथन किया जाना – मृतका के गर्दन पर कोई बंध का चिन्ह नहीं पाया जाना – यदि डाक्टर द्वारा किए गए शव-परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कोई निश्चायक कारण नहीं पाया जाता तो अभियुक्तों की दोषसिद्धि न्यायसंगत नहीं है ।

कृष्णा पुनीत राम धोबी और अन्य बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 17

– धारा 307 – हत्या का प्रयत्न – आशय – सबूत – यह अभिकथन किया जाना कि परिवादी ने अभियुक्त-छात्र की विद्यालय की उपस्थिति को उपान्तरित करने से इनकार कर दिया, फलस्वरूप छात्र द्वारा परिवादी के वक्ष और पेट पर खंजर से कई घाव किए गए – यदि अभियुक्त-छात्र द्वारा विद्यालय की उपस्थिति के संबंध में परिवादी को क्षतियां पहुंचाई गईं, क्षतियों को चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है तो क्षतियां कारित करके हत्या किए जाने का प्रयत्न किया गया है तो अभियुक्त-छात्र की दोषसिद्धि उचित है ।

गोपाल सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 80

पृष्ठ संख्या

— धारा 363 — अप्राप्तवय बालिका का व्यपहरण — अप्राप्तवय बालिका की सहमति — संरक्षक की सहमति के बिना अप्राप्तवय बालिका को उसकी संरक्षकता से परे ले जाना या फुसलाकर ले जाना — विहित अपराध कारित होना — यदि अभिलेख पर यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने एक अप्राप्तवय बालिका को उसके संरक्षक की सहमति के बिना उसकी संरक्षकता से परे ले जाता है या फुसलाकर ले जाता है तो भले ही अप्राप्तवय बालिका ने सहमति दी हो, वह विहित अपराध कारित करता है जिसके लिए वह दंडादिष्ट होगा ।

रमेश बीजाल मारवाड़ा बनाम **गुजरात राज्य** 1

— धारा 376 — अप्राप्तवय बालिका के साथ बलात्संग — अप्राप्तवय बालिका की सहमति होना या उसके द्वारा विरोध नहीं किया जाना — अभियुक्त द्वारा विहित अपराध कारित करना — यदि अभिलेख पर यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने अप्राप्तवय बालिका की सहमति से उसके साथ संभोग किया है तो भी वह बलात्संग की कोटि में आएगा क्योंकि ऐसे मामले में अप्राप्तवय बालिका की सहमति का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है — अभियुक्त बलात्संग का अपराध करने के लिए दंडादिष्ट होगा ।

रमेश बीजाल मारवाड़ा बनाम **गुजरात राज्य** 1

— धारा 376 [सपठित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii)] — अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा जबरन मैथुन किया जाना — मामले में अभियुक्त का दोषसिद्ध न हो पाना और उसको दोषमुक्त किया जाना — डाक्टरों द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षण में मैथुन साबित न होना — अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

शिवनाथ राम राजवर बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)** 25

— धारा 498क और 306 — क्रूरता — आत्महत्या का

पृष्ठ संख्या

दुष्प्रेरण – यदि साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त या उसके नातेदारों द्वारा मृतका के साथ क्रूरता नहीं बरती गई और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल हुआ है कि अभियुक्त ने आत्महत्या करने के लिए मृतका को दुष्प्रेरित किया और मृतका को मानसिक या शारीरिक क्रूरता पहुंचाई तो अभियुक्त की दोषमुक्ति न्यायसंगत है ।

हिमाचल प्रदेश बनाम **ज्ञानचंद** 125

– धारा 504 – अपमानित करने के आशय से गाली देना – गाली के शब्दों का शिकायत या लिखित पत्र में उल्लेख नहीं करना – वस्तुतः गाली के लिए प्रयुक्त शब्दों को साबित नहीं करना – अभिकथित अपराध के लिए अवयव का अभाव होना – यदि अभिकथित अपराध के अवयवों को अभिलेख पर साबित नहीं किया जाता है तो ऐसे अपराध के लिए पारित कोई भी आदेश और उन कार्यवाहियों को, जिनके दौरान ऐसा आदेश पारित किया गया, कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वे विधि में दूषित होते हैं ।

शिव सुन्दर भारती बनाम **बिहार राज्य और अन्य** 62

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2)

– धारा 7 और 13 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145] – अवैध परितोषण – अभियुक्त को जाल बिछा कर अवैध परितोषण लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाना – शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य परीक्षा में अवैध परितोषण की मांग किए जाने और उसको प्राप्त किए जाने के आरोप की पुष्टि किया जाना किन्तु चार वर्ष पश्चात् प्रतिपरीक्षा में पूर्व कथन के विपरीत कथन किया जाना जिस कारणवश अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया – यदि प्रतिपरीक्षा में विलंब के बावजूद अभियोजन की ओर से पेश अन्य साक्ष्य न्यायालय के

पृष्ठ संख्या

विवेक में कोई ऐसा विश्वास उत्पन्न नहीं करते जिसके आधार पर न्यायालय समय के दूरस्थ बिंदु पर दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में मध्यक्षेप करने के लिए प्रेरित हो तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित नहीं है ।

राज्य बनाम **मनोहरण** 68

– धारा 7 और 13 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145] – अवैध परितोषण – अभियुक्त को जाल बिछा कर अवैध परितोषण लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाना – शिकायत दर्ज कराए जाने की तारीख के संबंध में अभियोजन के पक्षकथन में असंगतताएं – साधारणतया दोषमुक्ति के आदेश में मध्यक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा को उसकी दोषमुक्ति से बल मिलता है – दोषमुक्ति के निर्णय में मध्यक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए विवशकारी और सारभूत कारण मौजूद हों ।

राज्य बनाम **मनोहरण** 68

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 15 – अभियुक्त के कब्जे में अफीम का भूसा पाया जाना – यदि मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को सहबद्ध नहीं किया गया है और इस बारे में संदेह प्रकट हो कि क्या वाद संपत्ति जिसे न्यायालय में पेश किया गया था, वही थी जिसे अभियुक्त से बरामद किया गया था तथा मालखाने से न्यायालय में वाद संपत्ति को कौन लाया था और किसके द्वारा इसे वापस लिया गया कोई उल्लेख न हो तो अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

संजीव कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 133

पृष्ठ संख्या

– धारा 15 – अफीम का भूसा पाया जाना – जहां अभियुक्त को पकड़े जाने और मामले में बरामदगी और मोहबंद की कार्यवाहियां संदेहपूर्ण हो तो ऐसी कार्यवाहियां अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रतिकूलता को दर्शाती हैं और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

संजीव कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 133

– उपधारा 20(ख)(ii)(ग), 22(ग), 42(1) और 42(2) – तस्करी के लिए गांजा का अवैध कब्जे में होना – जहां मामले में बिना वारंट या प्राधिकरण के तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई हो और छापामार अधिकारी द्वारा इत्तिलाकर्ता से प्राप्त सूचना लिखित में अभिलिखित की जानी चाहिए और उसे निकटस्थ वरिष्ठ अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, वहां उपरोक्त कार्यवाही नहीं किए जाने पर आज्ञापक कानूनी उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित नहीं है ।

चंद्रावती देवी बनाम **बिहार राज्य** 30

– उपधारा 20(ख)(ii)(ग), 22(ग), 52क और 57 – तस्करी के लिए कब्जे में अवैध गांजा पाया जाना – मजिस्ट्रेट के समक्ष मुड्डेमल पेश नहीं किया जाना – यदि छापामार दल द्वारा अभिगृहीत की गईं वस्तुएं मालखाने में लाकर रखी गईं और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया न अभिगृहीत सामग्री को विनष्ट करने के बारे में कोई सूचना दी गई और न मालखाना रजिस्ट्रर पेश किया गया तो अधिनियम के कानूनी उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है, उनके अननुपालन से अभियोजन पक्षकथन दूषित है ।

चंद्रावती देवी बनाम **बिहार राज्य** 30

– धारा 20(ख)(iii)(ग) – चरस का अवैध कब्जा – सबूत – अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर चरस की तलाशी और उसे अभिग्रहण करते समय किसी स्वतंत्र साक्षी

पृष्ठ संख्या

को सहबद्ध नहीं किया जाना – पुलिस दल द्वारा 15-20 मिनट के अन्दर आर्ट गैलरी के पास अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना जहां पर कई पर्यटकों का मौजूद होना गिरफ्तारी के स्थान के बारे में एकांत स्थान होना नहीं कहा गया है जहां पर कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बुलाया जा सकता – यदि मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा एक पुलिस कांस्टेबल अधिकारी के सिवाय पुलिस दल के किसी अन्य सदस्य की परीक्षा नहीं की गई और इस बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और साक्षियों के कथनों में बहुत बड़े विभेद हैं तो अभियोजन पक्षकथन अत्यधिक संदेहपूर्ण हो जाता है, इसलिए अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **होत्तम राम** 145

रमेश बीजाल मारवाड़ा

बनाम

गुजरात राज्य

तारीख 26 अप्रैल, 2016

न्यायमूर्ति राजेश एच. शुक्ला

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 363 – अप्राप्तवय बालिका का व्यपहरण – अप्राप्तवय बालिका की सहमति – संरक्षक की सहमति के बिना अप्राप्तवय बालिका को उसकी संरक्षकता से परे ले जाना या फुसलाकर ले जाना – विहित अपराध कारित होना – यदि अभिलेख पर यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने एक अप्राप्तवय बालिका को उसके संरक्षक की सहमति के बिना उसकी संरक्षकता से परे ले जाता है या फुसलाकर ले जाता है तो भले ही अप्राप्तवय बालिका ने सहमति दी हो, वह विहित अपराध कारित करता है जिसके लिए वह दंडादिष्ट होगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376 – अप्राप्तवय बालिका के साथ बलात्संग – अप्राप्तवय बालिका की सहमति होना या उसके द्वारा विरोध नहीं किया जाना – अभियुक्त द्वारा विहित अपराध कारित करना – यदि अभिलेख पर यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने अप्राप्तवय बालिका की सहमति से उसके साथ संभोग किया है तो भी वह बलात्संग की कोटि में आएगा क्योंकि ऐसे मामले में अप्राप्तवय बालिका की सहमति का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है – अभियुक्त बलात्संग का अपराध करने के लिए दंडादिष्ट होगा ।

वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता-पिता ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि तारीख 3 मार्च, 2010 को रात्रि का भोजन करने के पश्चात् वह अपने कुटुम्ब के साथ, जिसमें पीड़ित सम्मिलित है, अपने घर में सो रहा था । तथापि, तारीख 7 मार्च, 2010 को शिकायतकर्ता अपना कार्य करने के लिए गया था जहां उसे प्रातःकाल में दूरभाष से यह सूचना प्राप्त हुई कि परिवादी की पीड़ित-पुत्री घर में नहीं मिल रही है और इसलिए अभियुक्त

के घर पर पूछताछ की गई थी, जो उसका पड़ोसी है और उसे यह सूचित किया गया कि अभियुक्त प्रातःकाल में ही घर छोड़ गया था, यह कथन करते हुए कि वह श्रमिक कार्य करने के लिए बाहर जा रहा है । इसलिए, शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 और 366 के अधीन अपराधों के लिए कांडला पुलिस थाना में 2010 की सी. आर. संख्या-I/8 की रिपोर्ट दर्ज कराई । पीड़ित के मिलने के पश्चात् भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 जोड़ने के लिए भी रिपोर्ट की गई । अन्वेषण समाप्ति के पश्चात् अभिकथित अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया और क्योंकि अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय थे इसलिए इसे सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया । इसके पश्चात्, निचले न्यायालय ने विचारण किया और अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया । अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात्, निचले न्यायालय ने अभियुक्त का कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया । विद्वान् सहायक लोक अभियोजक के साथ ही प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की सुनवाई करने के पश्चात्, सेशन न्यायाधीश ने इसमें उपर्युक्त कथित दोषसिद्धि अभिलिखित करते हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया । इससे व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की गई । न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – जैसा कि अभिलेख पर की सामग्रियों और साक्ष्यों से प्रकट होता है पीड़ित प्रदर्श-10 के परिसाक्ष्य प्रदर्श-29 पर सूक्ष्मता से संवीक्षा किया जाना अपेक्षित है क्योंकि उसने स्पष्टतः यह कथन किया है कि वह अभियुक्त को 2 वर्षों से जानती थी । वस्तुतः, तरीका, जिसमें घटना घटित हुई है, उससे विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली द्वारा किए गए इस निवेदन का कि उनके बीच प्रेम प्रसंग था, समर्थन मिलता है । पीड़ित ने अपने परिसाक्ष्य प्रदर्श-29 में यह कथन किया है कि उसने एक टेलीफोन काल प्राप्त की और उसके बाद वह अभियुक्त के साथ चली गई और वह एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहे । इसलिए, साक्षी (पीड़ित) के आचरण को उल्लिखित करते समय उसकी सहमति या स्वेच्छा के पहलू पर विचार किया जाना अपेक्षित है । तथापि, मूल प्रश्न यह है कि क्या पीड़ित अप्राप्तवय थी या नहीं क्योंकि सहमति सुसंगत नहीं होती है, यदि पीड़ित एक अप्राप्तवय थी इसलिए, तथ्यों और चिकित्सीय साक्ष्य के प्ररूप में साक्ष्य

की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए, यद्यपि क्षति के कोई चिह्न नहीं थे और पीड़ित का अभियुक्त के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना अभिकथित है इसलिए, पीड़ित की सहमति, जो एक अवयस्क है, सुसंगत नहीं है । जैसा कि उपर्युक्त कथित किया जा चुका है, जब प्रधानाचार्य, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया है, द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर में अभिलिखित पीड़ित की आयु के बारे में कोई विनिर्दिष्ट साक्ष्य है और जब एक विनिर्दिष्ट साक्ष्य है तो इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, मात्र इस कारण से कि कुछ विवाद्यक उनके बारे में उद्भूत किया गया है जिन्होंने जन्म-तिथि का प्रमाणपत्र दिया है और माता इस बारे में स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसने विनिर्दिष्टतः कोई कथन नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 19, स्कूल के प्रधानाचार्य की परीक्षा प्रदर्श-54 को प्रस्तुत किया है, जिन्होंने अभिलेख, जो समुचित स्रोत से प्राप्त हुआ है, के आधार पर कथन किया है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, मात्र इस कारण से कि पीड़ित की आयु के बारे में कुछ दलीलें उद्भूत की गई हैं । पुनः संदेह उद्भूत करने वाली प्रत्येक ऐसी दलील, कारण सहित संदेह उद्भूत नहीं करती हैं । प्रतिरक्षा पक्ष को अस्थि विकास परीक्षण के बारे में पुनः अवसर उपलब्ध था जिसका उन्होंने प्रयोग नहीं किया और इसलिए, विद्वान् सहायक लोक अभियोजक द्वारा यह सही ही निवेदन किया गया है कि पीड़ित की आयु के बारे में ऐसी दलील उद्भूत करने के लिए अब बहुत ही विलम्ब हो गया है । यह निवेदन कि पीड़ित स्वेच्छापूर्वक अभियुक्त के साथ गई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है । यह निवेदन भी किया कि वह विवेक की आयु प्राप्त कर चुकी है, भी भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 और 366 के अधीन अपराध के लिए कानूनी उपबंधों के प्रकाश में भ्रांतिपूर्ण है, जिस पर, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं में विचार किया गया है और निर्वचन किया गया है । वस्तुतः, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 के उपबंध, स्पष्टतः यह उपबंधित करते हैं कि अपराध कारित होता है यदि एक अप्राप्तवय को उससे विवाह करने का वचन इत्यादि देते हुए, उसके संरक्षक की सहमति के बिना विधिपूर्ण अभिरक्षा से ले जाता है या ले जाने को उत्प्रेरित करता है । (पैरा 11, 12 और 13)

इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के अधीन अपराध के प्रयोजन के लिए, साक्ष्य तथा पीड़ित और अभियुक्त के आचरण का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होता है जो सम्पूर्ण परिस्थितियों से प्रकट

होता है । न्यायालय को अभिलेख पर के सम्पूर्ण अभिलेख और साक्ष्य की सूक्ष्म संवीक्षा किया जाना अपेक्षित होता है । इसके अतिरिक्त, साक्ष्य की संवीक्षा करते समय न्यायालय को इस साक्ष्य पर भी विचार और मूल्यांकन करना होता है कि किस तरीके से अपराध किया गया है या घटना घटित होने में विश्वास पैदा होता है और क्या यह दी गई परिस्थितियों में युवा मानव के आचरण से सही तौर पर तार्किक प्रतीत होता है । सहमति के बारे में, सुनिश्चित मत अपनाने के लिए कोई सटीक फार्मूला नहीं हो सकता है कि क्या यह स्वतंत्र सहमति है या नहीं । इस प्रकार, सहमति के लिए यह अपेक्षित होता है जिसे विधिक और विधिमान्य होना कह सकते हैं क्योंकि अप्राप्तवय सहमति देने के लिए सक्षम नहीं होता है क्योंकि यह प्रत्याशा नहीं की जाती है कि अप्राप्तवय परिपक्व होता है और कार्य के परिणामों के बारे में समझता है । इसलिए, जब एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि पीड़ित एक अप्राप्तवय है तो दोषसिद्धि अभिलिखित करने वाले निर्णय और आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है और सहमति का पहलू मुश्किल से ही सुसंगत होता है । विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली द्वारा किए गए निवेदन का एक अन्य तथ्य अभियुक्त की आयु से संबंधित है और दंडादेश का पहलू भी विचार किए जाने योग्य है । तथापि, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि न्यायालय, विशेष और पर्याप्त कारणों से कम से कम दंडादेश अधिनिर्णीत कर सकते हैं । विशेष और पर्याप्त कारणों में न्यायालय सामग्रियों और साक्ष्यों पर तथा ऐसे कारकों, जैसे पीड़ित की आयु और अभियुक्त की आयु पर भी कि क्या वे जीवन में व्यवस्थित हैं और अन्य सुसंगत परिस्थितियों पर भी विचार कर सकते हैं । मामले के तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त चर्चा की गई है, में अपराध के प्रयोजन के लिए सहमति सुसंगत नहीं हो सकती है । इसलिए, वर्तमान अपील, दोषसिद्धि जैसा कि यह है, कायम रखते हुए, दंडादेश के उपांतर/न्यून करने की सीमा तक ही मंजूर किए जाने योग्य है । इसलिए, दंडादेश के उपांतरण के बारे में, वैकल्पिक निवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को समाज पर अपराध का प्रभाव और आनुपातिक दंड के बीच संतुलन कायम रखना होता है । इन दंड परिणामों को न्यायानुमत ठहराते हुए, ऐसे दंडादेश के पीछे कई दार्शनिक विचार हैं । दार्शनिक/विधिशास्त्रीय न्यायोचित्यता, प्रतिकारक, अयोग्य, विनिर्दिष्ट निवारक, साधारण निवारक, पुनःप्रतिष्ठा या पुनःस्थापन प्रकृति के हो सकते हैं । उनमें से किसी में भी ताल-मेल हो सकता है, जो दंड नीति का उद्देश्य हो सकता है इसलिए न्यायालय दंडादेश में आनुपातिक सिद्धांत को लागू करता है । (पैरा 17, 18, 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2016] (2016) 1 एस. सी. सी. 698 =
2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6029 :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **मुन्ना** उर्फ **शम्भुनाथ** ; 6

[2015] (2015) 7 एस. सी. सी. 359 =
ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 853 :
सतीश कुमार जयन्ती लाल डागर बनाम **गुजरात राज्य** ; 23

[2015] (2015) 7 एस. सी. सी. 272 =
ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 838 :
मोहम्मद अली उर्फ **गुड्डू** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 23

[2014] (2014) 6 एस. सी. सी. 466 =
ए. आई. आर. 2014 एस. सी. (सप्ली.) 1839 :
नरिन्दर सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 20

[2004] (2004) 8 एस. सी. सी. 307 =
ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 15 :
एरो ट्रेडर्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम **रविन्दर कुमार सूरी** ; 21

[2003] (2003) 4 एस. सी. सी. 46 =
ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639 :
उदय बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 15

[1994] (1994) 2 एस. सी. सी. 220 =
1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 510 :
धनन्जय चटर्जी उर्फ **धाना** बनाम **पश्चिम बंगाल राज्य** ; 22

[1973] (1973) 2 एस. सी. सी. 413 =
ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2313 :
थाकोर लाल डी. वैदगामा बनाम **गुजरात राज्य** । 13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 180.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आशीष एम. दागली, विद्वान् अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री हंसा पुनानी, सहायक लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति राजेश एच. शुक्ला – वर्तमान अपील, अपर सेशन न्यायाधीश, गांधीग्राम, कच्छ द्वारा 2010 की सेशन वाद सं. 29 में तारीख 27 दिसम्बर, 2011 को पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री के प्रतिनिर्देशित है, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त पर दंडादेश, जैसा कि आक्षेपित निर्णय और आदेश में सविस्तार कथित है, अधिरोपित करते हुए, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 और 376 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि अभिलिखित की थी ।

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य निम्नलिखित हैं –

2.1 शिकायतकर्ता-पिता ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि तारीख 3 मार्च, 2010 को रात्रि का भोजन करने के पश्चात् वह अपने कुटुम्ब के साथ, जिसमें पीड़ित सम्मिलित है, अपने घर में सो रहा था । तथापि, तारीख 7 मार्च, 2010 को शिकायतकर्ता अपना कार्य करने के लिए गया था जहां उसे प्रातःकाल में दूरभाष से यह सूचना प्राप्त हुई कि परिवादी की पीड़ित-पुत्री घर में नहीं मिल रही है और इसलिए अभियुक्त के घर पर पूछताछ की गई थी, जो उसका पड़ोसी है और उसे यह सूचित किया गया कि अभियुक्त प्रातःकाल में ही घर छोड़ गया था, यह कथन करते हुए कि वह श्रमिक कार्य करने के लिए बाहर जा रहा है । इसलिए, शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 और 366 के अधीन अपराधों के लिए कांडला पुलिस थाना में 2010 की सी. आर. संख्या-I/8 की रिपोर्ट दर्ज कराई । पीड़ित के मिलने के पश्चात् भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 जोड़ने के लिए भी रिपोर्ट की गई ।

2.2 अन्वेषण समाप्ति के पश्चात् अभिकथित अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया और क्योंकि अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय थे इसलिए इसे सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया ।

2.3 इसके पश्चात्, निचले न्यायालय ने विचारण किया और अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया ।

2.4 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात्, निचले न्यायालय ने अभियुक्त का कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया ।

2.5 विद्वान् सहायक लोक अभियोजक के साथ ही प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की सुनवाई करने के पश्चात्, सेशन न्यायाधीश ने इसमें उपर्युक्त कथित दोषसिद्धि अभिलिखित करते हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया ।

3. यही निर्णय और आदेश है जिसे अपील के ज्ञापन में कथित आधारों पर चुनौती दी गई है ।

4. अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता श्री आशीष एम. दागली और प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान् सहायक लोक अभियोजक सुश्री हंसा पुनानी को सुना ।

5. विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली ने पीड़ित अभि. सा. 10 के परिसाक्ष्य प्रदर्श 29 को निर्दिष्ट किया और यह निवेदन किया कि वह अभियुक्त को जानती थी और उसने यह कहा है कि वह स्वेच्छापूर्वक अभियुक्त के साथ गई थी । विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली ने न्यायालय द्वारा उल्लिखित साक्षी (पीड़ित) के आचरण को भी निर्दिष्ट किया । उन्होंने यह निवेदन किया कि जैसा कि पीड़ित के परिसाक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे जहां उसे शोर मचाने या सहायता मांगने के लिए पर्याप्त अवसर था और उसने अपनी सहमति से ऐसी कोई सहायता कभी भी नहीं मांगी । विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली ने यह भी निवेदन किया कि जैसा कि परिसाक्ष्य में कथित है, वस्तुतः उन्होंने मंदिर में विवाह कर लिया था और इसलिए इससे उसकी सहमति के बारे में सुझाव मिलता है ।

6. यह भी निवेदन किया कि यद्यपि पीड़ित का अवयस्क होना कथित है तथापि, अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे पीड़ित की आयु साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली ने यह निवेदन किया कि यदि पीड़ित की आयु से विनिर्दिष्टतः यह साबित नहीं होता है कि वह अवयस्क थी, इसलिए, संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए । उन्होंने शिकायकर्ता-पिता के परिसाक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य को भी निर्दिष्ट किया । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि पीड़ित की आयु सुसंगत होती है और अभियोजन पक्ष ने स्कूल के प्रधानाचार्य, अभि. सा. 19 की परीक्षा, प्रदर्श-54 की है । उन्होंने यह निवेदन किया कि अन्वेषण के दौरान कागजात या साक्ष्य एकत्रित नहीं किए गए थे और इसके पश्चात् इस साक्षी की परीक्षा की गई जो मूल रजिस्टर लेकर आया और जिसके उद्धरण प्रदर्श-55 पर प्रस्तुत किए । उसने प्रदर्श-55 को मुख्यतः निर्दिष्ट

किया जो अभि. सा. 19 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर के उद्धरण प्रदर्श-54 के साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र है । उसने यह निवेदन किया कि यद्यपि पीड़ित का नाम उल्लिखित है और उसकी जन्म-तिथि 1 जून, 1994 के रूप में अभिलिखित है । यह स्पष्ट नहीं है कि किसने यह तारीख लिखवाई थी । उसने यह निवेदन किया कि तत्पश्चात् उसे इस स्कूल में दाखिला दिया गया था और इसलिए, उस अभिलेख के आधार पर इस रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी और प्रदर्श-55 पर स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र दर्ज किया गया था । विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली ने बलपूर्वक यह निवेदन किया कि यदि जन्म-तिथि के बारे में स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में प्रविष्टि से संबंधित कोई विनिर्दिष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो मात्र इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना ही पर्याप्त नहीं होगा । उन्होंने अपने निवेदनों के संबंध में, **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **मुन्ना** उर्फ **शम्भुनाथ**[1] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी निर्दिष्ट किया ।

7. विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली ने यह भी निवेदन किया कि किसी भी दशा में, पीड़ित अभि. सा. 10 के परिसाक्ष्य प्रदर्श-29 और अभि. सा. 12 के परिसाक्ष्य के प्ररूप में चिकित्सीय साक्ष्य प्रदर्श-34 जिसने चिकित्साधिकारी, जनरल हास्पिटल, भुज के रूप में प्रमाणपत्र प्रदर्श-35 दिया है, से यह दर्शित नहीं होता है कि अस्थि विकास परीक्षण नहीं किया गया है । इसी प्रकार, उन्होंने, डा. मकवाना, अभि. सा. 13 के परिसाक्ष्य प्रदर्श-37 को निर्दिष्ट किया है और यह निवेदन किया है कि प्रतिपरीक्षा में चिकित्सक ने यह स्वीकार किया है कि पीड़ित के शरीर पर क्षति के कोई निशान नहीं पाए गए हैं और उन्होंने अपने प्रमाणपत्र प्रदर्श-40 में यह कथन किया है कि हाल ही में सहवास होने के कोई संकेत नहीं थे । इसलिए, विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली ने यह निवेदन किया कि पीड़ित के परिसाक्ष्य पर उसकी सहमति सुनिश्चित करने के लिए उसके आचरण के बारे में विचार किया जाना चाहिए । उन्होंने यह निवेदन किया कि यह प्रकट होता है कि वह स्वेच्छा से गई थी और यद्यपि उसके पास पर्याप्त अवसर था, फिर भी उसने कोई चिल्लाहट या शोर नहीं मचाया न ही अपने सहायकों से कोई सहायता मांगी क्योंकि उसकी सहमति थी । इसलिए, उन्होंने यह निवेदन किया कि मात्र आयु से संबंधित पहलू पर, जिस पर विचार किया जाना अपेक्षित है, यह युक्तियुक्त संदेह के परे पुनः सिद्ध नहीं होता है क्योंकि माता-पिता पीड़ित की आयु के बारे में विनिर्दिष्ट नहीं हैं और

---

[1] (2016) 1 एस. सी. सी. 698 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6029.

विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र, जैसा कि उपर्युक्त कथित है, में जन्म-तिथि अभिलिखित करने के बारे में नहीं कहा जा सकता है । विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली ने यह निवेदन किया कि किसी दशा में, उसने विवेक की आयु प्राप्त कर ली है और इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पृष्ठभूमि में विचार करते हुए, यद्यपि दोषसिद्धि कायम रखी जाती है फिर भी अपीलार्थी की युवा आयु पर विचार करते हुए, दंडादेश को उपांतरित या कम किया जा सकता है ।

8. विद्वान् सहायक लोक अभियोजक सुश्री पुनानी ने कागजातों को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि पीड़ित अभि. सा. 10 के परिसाक्ष्य प्रदर्श-29 से यद्यपि यह सुझाव मिलता है कि वह स्वेच्छा से साथ गई थी या उसका कोई विरोध दर्शित नहीं होता है फिर भी यह तथ्य शेष रह जाता है कि वह अप्राप्तवय थी । इसलिए, विद्वान् सहायक लोक अभियोजक सुश्री पुनानी ने यह निवेदन किया कि यह सुस्थिर है कि अप्राप्तवय की सहमति सुसंगत नहीं होती है क्योंकि अप्राप्तवय सक्षम नहीं होता है न ही उससे यह प्रत्याशा की जाती है कि वह ऐसे कृत्य के परिणामों के बारे में परिपक्वता और समझ रखता है । इसलिए, उन्होंने यह निवेदन किया कि जब एक बार यह पाया जाता है और सिद्ध हो जाता है कि पीड़ित अप्राप्तवय है तो दोषसिद्धि और दंडादेश न्यायोचित होता है और उसे कायम रखना अपेक्षित होता है । उन्होंने यह निवेदन भी किया कि यद्यपि यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने पीड़ित की आयु को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया इसलिए, उस पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों और साक्ष्यों के आधार पर विचार किया जाना अपेक्षित है । उन्होंने यह निवेदन किया कि वस्तुतः अभियोजन पक्ष ने विद्यालय के प्रधानाचार्य अभि. सा. 19 की परीक्षा प्रदर्श पी-54 की है जो विद्यालय का मूल रजिस्टर लेकर आए थे जिसमें बच्चों के दाखिले के बारे में जन्म-तिथि के साथ प्रविष्टि की गई थी । उन्होंने इंगित तौर पर प्रदर्श-55 को निर्दिष्ट किया जो स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र है और पीड़ित की जन्म-तिथि अभिलिखित करने वाले रजिस्टर को उद्धृत किया जिसमें उसकी जन्म-तिथि 1 जून, 1994 अभिलिखित थी ।

9. विद्वान् सहायक लोक अभियोजक सुश्री पुनानी ने निवेदन किया कि क्योंकि मूल रजिस्टर, समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया है जिसमें सामग्रियों और साक्ष्यों के आधार पर पीड़ित की जन्म-तिथि के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है । विद्वान् सहायक

लोक अभियोजक सुश्री पुनानी ने यह निवेदन किया कि मात्र कुछ संदेह उद्भूत करने से ही जिन्होंने जन्म-तिथि के बारे में सूचना दी है न तो यहां और न ही वहां और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष पीड़ित की आयु को सिद्ध करने में असफल रहा है जबकि प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है और जन्म-तिथि अभिलिखित करने वाले विद्यालय की मूल रजिस्टर भी प्रस्तुत किया गया है । विद्वान् सहायक लोक अभियोजक सुश्री पुनानी ने यह निवेदन किया कि यदि कोई संदेह होता है तो प्रतिरक्षा पक्ष आक्षेप उद्भूत कर सकता है और वस्तुतः अस्थि विकास परीक्षण कराने के लिए कह सकता है जिसे प्रतिस्थापित नहीं किया गया है । इसलिए, उन्होंने यह निवेदन किया कि ऐसी शिकायत उद्भूत करने में अब बहुत ही विलम्ब हो गया है । इसलिए, उन्होंने यह निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है और दोषसिद्ध और दंडादेश अभिलिखित करने वाले आक्षेपित निर्णय और आदेश न्यायोचित और समुचित हैं ।

10. इन विरोधी निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या वर्तमान अपील कायम रखे जाने के लिए विचारणीय है ।

11. जैसा कि अभिलेख पर की सामग्रियों और साक्ष्यों से प्रकट होता है पीड़ित प्रदर्श-10 के परिसाक्ष्य प्रदर्श-29 पर सूक्ष्मता से संवीक्षा किया जाना अपेक्षित है क्योंकि उसने स्पष्टतः यह कथन किया है कि वह अभियुक्त को 2 वर्षों से जानती थी । वस्तुतः, तरीका, जिसमें घटना घटित हुई है, उससे विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली द्वारा किए गए इस निवेदन का कि उनके बीच प्रेम प्रसंग था, समर्थन मिलता है । पीड़ित ने अपने परिसाक्ष्य प्रदर्श-29 में यह कथन किया है कि उसने एक टेलीफोन काल प्राप्त की और उसके बाद वह अभियुक्त के साथ चली गई और वह एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहे । इसलिए, साक्षी (पीड़ित) के आचरण को उल्लिखित करते समय उसकी सहमति या स्वेच्छा के पहलू पर विचार किया जाना अपेक्षित है । तथापि, मूल प्रश्न यह है कि क्या पीड़ित अप्राप्तवय थी या नहीं क्योंकि सहमति सुसंगत नहीं होती है, यदि पीड़ित एक अप्राप्तवय थी ।

12. इसलिए, तथ्यों और चिकित्सीय साक्ष्य के प्ररूप में साक्ष्य की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए, यद्यपि क्षति के कोई चिह्न नहीं थे और

पीड़ित का अभियुक्त के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना अभिकथित है इसलिए, पीड़ित की सहमति, जो एक अवयस्क है, सुसंगत नहीं है । जैसा कि उपर्युक्त कथित किया जा चुका है, जब प्रधानाचार्य, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया है, द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर में अभिलिखित पीड़ित की आयु के बारे में कोई विनिर्दिष्ट साक्ष्य है और जब एक विनिर्दिष्ट साक्ष्य है तो इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, मात्र इस कारण से कि कुछ विवाद्यक उनके बारे में उद्भूत किया गया है जिन्होंने जन्म-तिथि का प्रमाणपत्र दिया है और माता इस बारे में स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसने विनिर्दिष्टतः कोई कथन नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 19, स्कूल के प्रधानाचार्य की परीक्षा प्रदर्श-54 को प्रस्तुत किया है, जिन्होंने अभिलेख, जो समुचित स्रोत से प्राप्त हुआ है, के आधार पर कथन किया है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, मात्र इस कारण से कि पीड़ित की आयु के बारे में कुछ दलीलें उद्भूत की गई हैं । पुनः संदेह उद्भूत करने वाली प्रत्येक ऐसी दलील, कारण सहित संदेह उद्भूत नहीं करती हैं । प्रतिरक्षा पक्ष को अस्थि विकास परीक्षण के बारे में पुनः अवसर उपलब्ध था जिसका उन्होंने प्रयोग नहीं किया और इसलिए, विद्वान् सहायक लोक अभियोजक द्वारा यह सही ही निवेदन किया गया है कि पीड़ित की आयु के बारे में ऐसी दलील उद्भूत करने के लिए अब बहुत ही विलम्ब हो गया है ।

13. यह निवेदन कि पीड़ित स्वेच्छापूर्वक अभियुक्त के साथ गई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है । यह निवेदन भी किया कि वह विवेक की आयु प्राप्त कर चुकी है, भी भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 और 366 के अधीन अपराध के लिए कानूनी उपबंधों के प्रकाश में भ्रांतिपूर्ण है, जिस पर, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं में विचार किया गया है और निर्वचन किया गया है । वस्तुतः, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 के उपबंध, स्पष्टतः यह उपबंधित करते हैं कि अपराध कारित होता है यदि एक अप्राप्तवय को उससे विवाह करने का वचन इत्यादि देते हुए, उसके संरक्षक की सहमति के बिना विधिपूर्ण अभिरक्षा से ले जाता है या ले जाने को उत्प्रेरित करता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **थाकोर लाल डी. वैदगामा** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 361 के उपबंध को

[1] (1973) 2 एस. सी. सी. 413 = ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2313.

निर्दिष्ट करते हुए, निम्नलिखित मत व्यक्त किया :–

"उद्धृत मामले के संदर्भ में, कुछ इंग्लिश विनिश्चय हुए हैं जिनमें यह कथन किया गया है कि लड़की की ओर से तत्परता बरतने का किसी व्यक्ति को प्रश्नगत अपराध का दोषी होने से उसे अभिरक्षा से बाहर ले जाने का लाभ नहीं उठा सकता है और यह कि यदि लड़की के प्रति नैतिक बल द्वारा इच्छा प्रकट करते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा उसे ले जाया जाता है तो अपराध कारित होगा जब तक कि उसे ले जाना पूर्णतया स्वैच्छिक नहीं है । पूर्ववर्ती वचन या विश्वास द्वारा उत्प्रेरण को कुछ इंग्लिश विनिश्चयों में, संविधि की रिष्टि के भीतर मामला लाने के लिए पर्याप्त अभिनिर्धारित किया गया है ।"

14. न्यायालय द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया है कि :–

"शब्द 'फुसलाकर ले जाना' से यह प्रतीत होता है कि यह अन्यों में आशा या इच्छा उद्‌भूत करते हुए, उत्प्रेरण या प्रलोभन का विचार अन्तर्वलित है ।"

15. इसलिए, मूल प्रश्न यह है कि क्या पीड़ित द्वारा सहमति दी गई थी और वह अप्राप्तवय नहीं थी जिस पर विचार किया जाना अपेक्षित है । उस प्रयोजन के लिए, न्यायालय को शब्द 'सहमति' पर विचार करना होता है जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में विचार किया गया है । इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि बिना किसी धमकी या दबाव के स्वतंत्र और स्वैच्छिक सहमति होनी चाहिए ।

16. जोविट्स डिक्शनरी ऑन इंग्लिश ला में सहमति को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है :–

"सहमति, तीन चीजों से तात्पर्यित है, भौतिक शक्ति, मानसिक शक्ति और उनका स्वतंत्र और गंभीर उपयोग । अतएव, यदि सहमति अभित्रास, बल, मध्यस्थ आरोपण, प्रवंचना, अनुमान या असम्यक् प्रभाव द्वारा प्राप्त किया गया है तो इसे बहकावे के रूप में माना जाएगा और इसे जानबूझकर और स्वतंत्र विवेक का कृत्य के रूप में नहीं माना जाएगा ।"

[1] (2003) 4 एस. सी. सी. 46 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639.

17. इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के अधीन अपराध के प्रयोजन के लिए, साक्ष्य तथा पीड़ित और अभियुक्त के आचरण का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होता है जो सम्पूर्ण परिस्थितियों से प्रकट होता है । न्यायालय को अभिलेख पर के सम्पूर्ण अभिलेख और साक्ष्य की सूक्ष्म संवीक्षा किया जाना अपेक्षित होता है । इसके अतिरिक्त, साक्ष्य की संवीक्षा करते समय न्यायालय को इस साक्ष्य पर भी विचार और मूल्यांकन करना होता है कि किस तरीके से अपराध किया गया है या घटना घटित होने में विश्वास पैदा होता है और क्या यह दी गई परिस्थितियों में युवा मानव के आचरण से सही तौर पर तार्किक प्रतीत होता है । सहमति के बारे में, सुनिश्चित मत अपनाने के लिए कोई सटीक फार्मूला नहीं हो सकता है कि क्या यह स्वतंत्र सहमति है या नहीं । इस प्रकार, सहमति के लिए यह अपेक्षित होता है जिसे विधिक और विधिमान्य होना कह सकते हैं क्योंकि अप्राप्तवय सहमति देने के लिए सक्षम नहीं होता है क्योंकि यह प्रत्याशा नहीं की जाती है कि अप्राप्तवय परिपक्व होता है और कार्य के परिणामों के बारे में समझता है ।

18. इसलिए, जब एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि पीड़ित एक अप्राप्तवय है तो दोषसिद्धि अभिलिखित करने वाले निर्णय और आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है और सहमति का पहलू मुश्किल से ही सुसंगत होता है ।

19. विद्वान् अधिवक्ता श्री दागली द्वारा किए गए निवेदन का एक अन्य तथ्य अभियुक्त की आयु से संबंधित है और दंडादेश का पहलू भी विचार किए जाने योग्य है । तथापि, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि न्यायालय, विशेष और पर्याप्त कारणों से कम से कम दंडादेश अधिनिर्णीत कर सकते हैं । विशेष और पर्याप्त कारणों में न्यायालय सामग्रियों और साक्ष्यों पर तथा ऐसे कारकों, जैसे पीड़ित की आयु और अभियुक्त की आयु पर भी कि क्या वे जीवन में व्यवस्थित हैं और अन्य सुसंगत परिस्थितियों पर भी विचार कर सकते हैं । मामले के तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त चर्चा की गई है, में अपराध के प्रयोजन के लिए सहमति सुसंगत नहीं हो सकती है । इसलिए, वर्तमान अपील, दोषसिद्धि जैसा कि यह है, कायम रखते हुए, दंडादेश के उपांतर/न्यून करने की सीमा तक ही मंजूर किए जाने योग्य है ।

20. इसलिए, दंडादेश के उपांतरण के बारे में, वैकल्पिक निवेदन पर

विचार करते समय, न्यायालय को समाज पर अपराध का प्रभाव और आनुपातिक दंड के बीच संतुलन कायम रखना होता है । इन दंड परिणामों को न्यायानुमत ठहराते हुए, ऐसे दंडादेश के पीछे कई दार्शनिक विचार हैं । दार्शनिक/विधिशास्त्रीय न्यायोचित्यता, प्रतिकारक, अयोग्य, विनिर्दिष्ट निवारक, साधारण निवारक, पुनःप्रतिष्ठा या पुनःस्थापन प्रकृति के हो सकते हैं । उनमें से किसी में भी ताल-मेल हो सकता है, जो दंड नीति का उद्देश्य हो सकता है इसलिए न्यायालय दंडादेश में आनुपातिक सिद्धांत को लागू करता है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नरिन्दर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले के निर्णय में लाभदायक निर्देश किया है । निर्णय में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :–

> "जबकि विभिन्न देशों में कानूनी या अन्यथा दंड देने के लिए मार्गदर्शक उपबंधित हैं, जो विनिर्दिष्ट दंडादेश अधिनिर्णीत करने के लिए न्यायाधीशों के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं, किन्तु भारत में आज की तारीख तक ऐसी कोई दंडादेश नीति नहीं है ।"

21. तथापि, जैसा कि उपर्युक्त कथित है, दंडादेश में आनुपातिक का सिद्धांत अन्तर्वलित होता है जहां यह तथ्यों और परिस्थितियों पर न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है । पुनः विवेकाधिकार से तात्पर्य न्यायिक विवेकाधिकार होता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एरो ट्रेडर्स (प्रा.) लिमिटेड** बनाम **रविन्दर कुमार सूरी**[2] वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "6. .... ब्लैक्स ला डिक्शनरी के अनुसार, 'न्यायिक विवेकाधिकार' का अभिप्राय न्यायाधीश या न्यायालय द्वारा निर्णय में प्रयोग किया जाने वाला आधार कि परिस्थितियों के अधीन और विधि के नियमों और सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन द्वारा क्या ऋजु है, न्यायालय का कार्य करने या नहीं करने की शक्ति है जब मुकदमेबाज अधिकारपूर्वक कार्य करने की मांग करने का हकदार नहीं होता है । शब्द 'विवेकाधिकार' आवश्यक रूप से न्यायिक प्रकृति के कार्य की ओर संकेत करते हैं और विवेकाधिकार के संदर्भ में प्रयोग न्यायिक तौर पर किया जाता है, इसमें कठोरता के नियम का अभाव विवक्षित

[1] (2014) 6 एस. सी. सी. 466 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. (सप्ली.) 1839.
[2] (2004) 8 एस. सी. सी. 307 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 15.

होता है और इसमें निर्णय के वस्तुतः प्रयोग और तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है जो आवश्यक रूप से ठीक, ऋजु और न्यायोचित अवधारण करते हैं ....।"

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **धनन्जय चटर्जी** उर्फ **धाना** बनाम **पश्चिम बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में व्यक्त की गई मताभिव्यक्तियों के प्रति भी लाभदायक निर्देश कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :–

"14. नवीनतम वर्षों में बढ़ते अपराध की दर विशिष्टतया महिलाओं के विरुद्ध हिंसक अपराध हुए हैं जो न्यायालयों द्वारा दांडिक दंडादेश से संबंधित विषय रहे हैं । आजकल अत्यधिक मतभेद स्वीकृत हैं कुछ अपराधियों को अत्यधिक कठोर दंडादेश दिया जाता है जबकि कुछ अपराधियों को आवश्यक रूप से समान अपराध के लिए घोरतः विभिन्न दंडादेश दिए गए हैं और आश्चर्यजनक तौर पर बड़ी संख्या में बिना दंड के रह गए हैं तद्द्वारा अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्ततोगत्वा व्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर होने से न्याय प्रभावित होता है । निस्संदेह, दंडादेश अधिरोपित करने के बारे में, कोई सार्वभौमिक फार्मूला अधिकथित करना संभव नहीं है किन्तु दंडादेश का उद्देश्य यह देखना होना चाहिए कि अपराध, बिना दंड के नहीं रह जाए और अपराध के पीड़ित के साथ ही समाज को यह संतुष्टि हो जाए कि उसके साथ न्याय किया गया है । विनिर्दिष्ट विधान के अभाव में, दंडादेशों को अधिरोपित करते समय, न्यायाधीशों को विभिन्न कारकों पर विचार करना चाहिए और सभी कारकों पर विचार करने के पश्चात् तथा सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा दंडादेश अधिरोपित करना चाहिए जिसे वह समुचित समझते हैं । गंभीर कारकों की अवहेलना नहीं की जा सकती है और इसी प्रकार, न्यूनीकरण की परिस्थितियों को भी विचार में लेना चाहिए ।

15. हमारी राय में, दिए गए मामले में, दंड का माप, अपराध की नृःशंसता, अपराधियों के आचरण और पीड़ित की प्रतिरक्षाहीन और असंरक्षित दशा पर निर्भर होना चाहिए । समुचित दंडादेश उस तरीके से अधिरोपित करना चाहिए जिसमें अपराधियों के विरुद्ध न्याय पाने

---

[1] (1994) 2 एस. सी. सी. 220 = 1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 510.

के लिए न्यायालय से समाज की मांग होती है । न्याय की यह मांग होती है कि न्यायालयों को अपराध के लिए ऐसा उपयुक्त दंडादेश अधिरोपित करना चाहिए ताकि न्यायालयों में अपराध की लोक घृणा उपदर्शित हो । न्यायालयों को समुचित दंड अधिरोपित करने पर विचार करते समय न केवल अपराधियों के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए अपितु, अपराध के पीड़ित के अधिकारों और बड़े पैमाने पर समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए ।"

23. एक उपयोगी निर्देश, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतीश कुमार जयन्ती लाल डागर** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले के साथ ही **मोहम्मद अली** उर्फ **गुड्डू** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में दिए गए निर्णय के प्रति कर सकते हैं ।

24. इसलिए, वर्तमान अपील, भागतः मंजूर की जाती है । भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि अभिलिखित करने वाले आक्षेपित निर्णय और आदेश, तद्द्वारा कायम रखे जाते हैं, जैसा कि यह है । तथापि, आक्षेपित निर्णय के अनुसार, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त पर अधिरोपित दंडादेश 7 वर्ष के कठोर कारावास के बजाय 5 वर्ष के कठोर कारावास में उपांतरित किए जाते हैं । दोनों पूर्वोक्त दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । अपीलार्थी जमानत पर है और अतएव उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और उसे आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर जेल प्राधिकारी के समक्ष अभ्यर्पण करने का निर्देश दिया जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

क.

---

[1] (2015) 7 एस. सी. सी. 359 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 853.

[2] (2015) 7 एस. सी. सी. 272 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 838.

कृष्णा पुनीत राम धोबी और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 13 जुलाई, 2016

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति पी. साम कोसाय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख और 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – दहेज मृत्यु और क्रूरता – चिकित्सा साक्ष्य – मृतका – पत्नी से दहेज के संबंध में अभियुक्त पति और ससुरालवालों द्वारा विवाह के सात वर्ष के भीतर दुर्व्यवहार किए जाने का अभिकथन किया जाना जिसके परिणामस्वरूप मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु होने का अभिकथन किया जाना – मृतका के गर्दन पर कोई बंध का चिह्न नहीं पाया जाना – यदि डाक्टर द्वारा किए गए शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कोई निश्चायक कारण नहीं पाया जाता तो अभियुक्तों की दोषसिद्धि न्यायसंगत नहीं है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 304ख और 498क – जहां मामले में फंदा लगाकर लटकने या गला घोंटने को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और मृतका की माता यह साबित नहीं कर सकी है कि उसकी पुत्री के साथ दहेज की मांग के संबंध में कोई क्रूरता बरती गई, वहां पर अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

स्वीकृत तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका - ललिता बाई का अभियुक्त-कृष्णा के साथ विवाह हुआ था । अभियुक्तों के विरुद्ध यह अभिकथन किए गए हैं कि वे पर्याप्त दहेज न लाने के कारण मृतका से दुर्व्यवहार किया करते थे और उससे क्रूरता बरते जाने तथा उसका उत्पीड़न किए जाने के कारण उसकी तारीख 29 अक्तूबर, 1998 को लगभग 5.00 बजे अपराह्न अर्थात् अपने विवाह के सात वर्ष के भीतर फांसी के फंदे में लटकर अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी और इस प्रकार अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध किया था । विचारण न्यायालय ने सभी तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया । इसलिए, यह अपील फाइल की गई है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक मृत्यु हो सकती है परंतु निश्चित तौर पर यह फांसी के फंदा के कारण नहीं हो सकती क्योंकि कोई बंध का चिह्न नहीं था । यदि यह गला घोंटने का मामला था तब यह हत्या को कोटि में आएगा और ऐसे में यह अपरिहार्य है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना अपेक्षित है कि किसने हत्या की । पूरे कुटुंब को दहेज की मांग के आधार पर फंसाया नहीं जा सकता है । मात्र यह अभिकथन कि जिसे अभिलेख पर साबित किया गया है जो यह है कि मंगनी समारोह के समय पर कुछ मांग की गई थी वह भी केवल पुनीत राम द्वारा । अन्य अभियुक्त द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी । स्वीकृततः यह मांग आधा तोला सोना एक टीवी और चारपाई को मुहैया कराने से संबंधित थी, जो पूरी नहीं हुई । इसके बावजूद बिना किसी विरोध के विवाह संपन्न हुआ था । इसलिए मुख्य प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है, यह है कि क्या मृतका को विवाह के पश्चात् दहेज न लाने के कारण किसी क्रूरता के अध्यधीन रहीं है ? इस बारे में मृतका के माता-पिता के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं है जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । वास्तव में मृतका के पिता ने यह कथन किया है कि उसकी पुत्री तीन बार घर पर आई थी जबकि अन्य साक्षियों ने यह कथन किया है कि वह केवल एक बार घर पर आई थी । मृतका की माता ने यह भी कथन किया है कि उसकी पुत्री उनके घर पर केवल एक बार आई थी । यह एक बहुत बड़ा विभेद है । माता के कथन से भी यह साबित नहीं होता है कि उसकी पुत्री दहेज की मांग के संबंध में अपने पति या किसी अन्य नातेदार द्वारा बरती गई क्रूरता या परेशानी के अध्यधीन नहीं थी । अन्य के कथन में क्रूरता का कोई विनिर्दिष्ट कथन नहीं है । स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट छह मास पश्चात् क्यों दर्ज की गई थी, कुछ साक्षी जिनकी न्यायालय में परीक्षा की गई, उन्हें अन्वेषण में सहबद्ध भी नहीं किया गया था । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वृत्तांत डाक्टर का है जिससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित नहीं हुआ कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई । शव परीक्षण रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है वह निम्न प्रकार है – "हमारी यह राय है कि मृतका का श्वासावरोध है जो शरीर के हवा मार्ग के कसाव का कारण है और ऐसी अवधि 22-26 घंटे के भीतर है ।" श्वासावरोध से केवल यह अभिप्रेत है कि मृत्यु फेफड़ों में कम हवा जाने के कारण हुई थी । डाक्टर ने स्पष्ट रूप से यह भी राय दी है कि क्या ऐसा गला घोंटने या

फंदे पर लटकने के कारण था और यदि यह फंदे पर लटकने से हुआ था तो क्या फंदे पर लटकना आत्मघाती या मानवघाती था । फंदे पर लटकने की बात को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि गर्दन पर बंद का कोई चिह्न नहीं था । गला घोंटने के संबंध में भी कोई स्पष्ट कटे होने का साक्ष्य नहीं है । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका या तो दहेज के मांग के संबंध में क्रूरता बरते जाने के अध्यधीन थी या उसकी अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त किया जाए । (पैरा 10, 11, 12 और 14)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील सं. 81.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री आर. के. तिवारी

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री मधु निशा सिंह, सूचीबद्ध लायर

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने दिया ।

मु. न्या. गुप्ता – यह अपील 1999 के सेशन विचारण सं. 85 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2001 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा फाइल की गई है जिसके द्वारा उन्होंने दंड संहिता (जिसे संक्षेप में "भा. द. सं." कहा गया है) की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए सभी तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भोगने के लिए उन्हें दंडादिष्ट किया गया ।

2. स्वीकृत तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका - ललिता बाई का अभियुक्त-कृष्णा के साथ विवाह हुआ था । अभियुक्तों के विरुद्ध यह अभिकथन किए गए हैं कि वे पर्याप्त दहेज न लाने के कारण मृतका से दुर्व्यवहार किया करते थे और उससे क्रूरता बरते जाने तथा उसका उत्पीड़न किए जाने के कारण उसकी तारीख 29 अक्तूबर, 1998 को लगभग 5.00 बजे अपराह्न अर्थात् अपने विवाह के सात वर्ष के भीतर फांसी के फंदे में लटककर अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी और इस प्रकार अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध किया था । विचारण न्यायालय ने सभी तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया ।

इसलिए, यह अपील फाइल की गई है ।

3. यह विवाद नहीं किया गया है कि मृतका की विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु हुई थी । इस अपील के निपटारे के लिए मुख्य सुसंगत विवाद्यक इस प्रकार हैं कि क्या उससे दहेज की कोई मांग की गई थी और क्या मृतका दहेज न लाने के कारण क्रूरता और उत्पीड़न के अध्यधीन थी तथा अंततः क्या मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी । इस मामले में मृतका की मृत्यु तारीख 29 अक्तूबर, 1998 को हुई थी । परंतु रिपोर्ट (प्रदर्श पी/9) तारीख 29 मार्च, 1999 को छह मास पश्चात् पुलिस के समक्ष दर्ज की गई थी ।

4. अभि. सा. 1 सुखी लाल मृतका का पिता है । उसने यह कथन किया कि मृतका का विवाह उसकी मृत्यु के सात मास पूर्व हुआ था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त पुनीत राम, अभियुक्त-कृष्णा का पिता है, उसने विवाह के समय पर आधा तोला सोना एक टीवी और चारपाई आदि की मांग की थी । जब ऐसी मांग की गई थी तब अलाग राम नत्थू, संसाई, शगुन, अवधराम और रमाधर मौजूद थे । उसने यह भी कथन किया कि क्योंकि उसके पिता अस्वस्थ थे, इसलिए वह पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रबंध नहीं कर सके परंतु उन्होंने दहेज में अन्य सामान दिया था । उसने यह भी कथन किया कि उसने अभियुक्त-पुनीत राम से यह कहा था कि वह दिल्ली में किसी कंपनी में कार्य करता है और वह कुछ पैसा प्राप्त करने के पश्चात् बाकी दहेज का सामान दे पाएगा । उसने यह भी कथन किया कि जब कभी मृतका अपने पैतृक घर पर पहुंचा करती थी तो वह यह कहा करती थी कि उसकी सास, ससुर, पति और अन्य कुटुम्ब के सदस्य पर्याप्त दहेज न ले जाने के कारण उसको सताया करते हैं । उसने यह कथन किया है कि अपनी पुत्री को उसके ससुराल में छोड़ने के पश्चात् वह दो-तीन दिन के बाद दिल्ली चला गया था । जब वह दिल्ली से अपने गांव कापिसड़ा वापस पहुंचा तब उसने यह कथन किया कि उसकी माता रमाबाई द्वारा कुछ बातें बताई गई थीं और उसके कथन का कुछ भाग सुना सुनाया था जो साक्ष्य समय ग्राह्य है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि घटना घटने के दो तीन मास पश्चात् पुलिस द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया था । फलदान (इंगेजमेंट सेरेमनी) के समय पर दहेज के बारे में बातचीत हुई थी । कुछ बातचीत विवाह के समय पर ही हुई थी । उसने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त पुनीत राम की पुत्री का विवाह उसके पुत्री के विवाह के एक दिन पूर्व हुआ था । उसने यह भी

स्वीकार किया कि अभियुक्त पुनीतराम फलदान (इंगेजमेंट सेरेमनी) के समय पर अकेला नहीं था और महिलाओं और बच्चों के अतिरिक्त उसके गांव के 10-12 से अधिक व्यक्ति मौजूद थे । इंगेजमेंट सेरेमनी ग्राम कापिसड़ा में हुई थी । जब इस साक्षी के समक्ष विनिर्दिष्ट प्रश्न रखा गया कि क्या विवाह के समय पर दहेज के बारे में बातचीत हुई थी, उसने यह उत्तर दिया कि यह बातचीत फलदान के समय पर हुई थी । उसने यह भी कथन किया कि विवाह के पश्चात् उसकी पुत्री तीन बार अपने पैतृक घर पर आई थी । उसने यह भी कथन किया कि पहली बार वह 10-15 दिन रुकी और अगले दो अवसरों पर वह अलग-अलग 15 दिन तक रुकी थी । पहले दो बार उसकी पुत्री ने किसी भी दुर्व्यवहार के बारे में कोई शिकायत नहीं की । परंतु जब वह तीसरी बार आई तो उसने कहा कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान किया करते हैं । उस समय केवल उसके कुटुंब के सदस्य मौजूद थे । उसने इस तथ्य के बारे में पुलिस या पंचायत को कोई सूचना नहीं दी थी । उसने इस बारे में कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की । उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि जब वह पिछली बार अपनी पुत्री को लाने के लिए गया तब उसकी पुत्री तीन मास तक उसके वहां रुकी थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका दामाद कृष्णा उसकी पुत्री को घर पर लाया था और कृष्णा उसके मकान पर पांच दिन रुका । इसके पश्चात् कृष्णा अपने घर को वापस लौट गया । 15 दिन के पश्चात् उसने अपनी पुत्री को उसके ससुराल वाले घर में भेजा । तब उसने यह भी कथन किया कि वह दिल्ली चला गया था और इसलिए उसने अपनी पुत्री को उसके ससुराल के मकान में भेजा था । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री ने यह कथन किया था कि वह जल्दी ही उसे वापस बुला ले । उसके अनुसार उसकी पुत्री अपने वैवाहिक गृह में नहीं जाना चाहती ।

5. अभि. सा. 2 अलागराम ने यह कथन किया कि फलदान (इंगेजमेंट सेरेमनी) के समय पर अभियुक्त-कृष्णा के पिता पुनीत राम सुखी लाल अभि. सा. 1 के मकान पर ग्राम छिन्न पर आया था । उसने आधा तोला सोना, एक टीवी और चारपाई आदि की मांग की थी । उस समय कई व्यक्ति मौजूद थे और मंगनी तय हुई थी । तथापि, सुखीलाल विवाह के समय पर पूर्वोक्त सामान मुहैया नहीं करा सका । उसके अनुसार सुखीलाल उसकी पुत्री को घर लाया और उसकी पुत्री 8 से 15 दिन घर पर रुकी और उसकी पुत्री अपने ससुराल के मकान पर वापस लौट गई और सुखीलाल दिल्ली चला गया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि

उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई । उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इसलिए उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है ।

6. संसाई (अभि. सा. 3) का वृत्तांत वैसा ही है कि आधा तोला सोना टीवी और चारपाई की मांग अभियुक्त पुनीत राम द्वारा की गई थी । ये वस्तुएं नहीं दी गईं थीं परंतु विवाह संपन्न हो गया था । इस साक्षी के अनुसार विवाह के पश्चात् मृतका केवल एक बार घर पर पहुंची और उसके पिता ने किसी भी दुर्व्यवहार के बारे में उसे कभी भी नहीं बताया । उसने यह कथन भी किया था कि वह व्यक्ति जो मृतका की बीमारी के बारे में सूचित करने के लिए ग्राम कापिसड़ा से पहुंचा था, यह कथन किया था कि मृतका को अत्यधिक बुखार है । और यह घटना बृहस्पतिवार को घटी थी और घटना की सूचना अगले दिन अर्थात् शुक्रवार को दी गई थी । इसके पश्चात् कुछ महिलाएं ग्राम कापिसड़ा गईं थीं । जब महिलाएं ग्राम कापिसड़ा से वापस लौटीं तब उसने बताया कि मृतका के शव को पुलिस ले गई थी । इस साक्षी के कथन को पुलिस द्वारा कहीं भी अभिलिखित नहीं किया गया था और अन्वेषण के दौरान उससे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था । वह अन्वेषण में सहबद्ध नहीं था । इसके पश्चात् इस साक्षी ने यह कथन किया कि पुलिस ने उसे पुलिस थाने पर बुलाया था और उससे कतिपय अन्वेषण के संबंध में पूछा गया था । उसने यह भी कथन किया कि वह घटना के तारीख के तीन मास पश्चात् पुलिस थाने पर गया ।

7. दाउ राम (अभि. सा 4) मृतक के शव के अभिग्रहण का साक्षी है । उसके अनुसार उस समय जब शव को कब्जे में लिया गया था तब कपड़े हटाए गए थे परंतु शव पर क्षति का कोई चिह्न नहीं था । नाक से कोई रक्त या झाग आता हुआ नहीं देखा गया । शव को पलटने पर भी कोई क्षति का चिह्न नहीं देखा गया ।

8. बहत्रीन बाई (अभि. सा. 11) मृतका की माता है । उसके अनुसार विवाह से पूर्व मंगनी समारोह किया गया था । उस समय अभियुक्त पुनीतराम अपने अन्य नातेदारों के साथ आया था और आधा तोला सोना, एक टीवी, चारपाई आदि के बारे में बातचीत हुई थी जो दिए जाने की पेशकश की गई थी । उसके अनुसार विवाह के समय पर कुछ वस्तुएं दी गईं थीं और उसकी पुत्री अपने वैवाहिक गृह गई थी । रथ यात्रा के समय पर उसका पति अपनी पुत्री को घर पर लाने के लिए गया था । मुख्य

कारण यह था कि उसके ससुर अस्वस्थ थे । पुत्री ने यह बताया कि उसके ससुराल वाले आधा तोला सोना, टीवी और चारपाई आदि की बातचीत किया करते थे और कुछ नहीं । इस साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया गया था । उसने यह कथन किया कि उसे इस बात का पता नहीं कि उसकी पुत्री को उसके ससुराल वालों द्वारा कैसे रखा गया और कैसे उसका रख-रखाव कर रहे थे । इसके पश्चात् उसने यह कथन किया कि उसकी पुत्री ने उसे यह बताया कि उसके ससुराल वाले दहेज के संबंध में उसे परेशान किया करते थे । उसने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि जब तक वह और उसका पति दिल्ली से वापस नहीं लौटे तब तक उसकी पुत्री का अंतिम दाह-संस्कार नहीं किया गया । उसने यह भी स्वीकार किया है कि इस बात के सिवाय कि वह कोई दहेज नहीं लाई, उसकी पुत्री ने अपनी ससुराल वालों के बारे में कोई शिकायत नहीं की । उसने यह भी स्वीकार किया कि उनके समाज में कोई दहेज की मांग नहीं की जाती है परंतु माता-पिता अपनी वित्तीय हैसियत के अनुसार अपनी-अपनी पुत्रियों को उपहार देते हैं । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था ।

9. डा. जे. आर. दृटलहरे (अभि. सा. 6) ने एक महिला चिकित्सा अधिकारी के साथ मृतका का शव परीक्षण किया गया था । अधोहनु के दोनों ओर दो खरोंचों को छोड़कर मृतका के शव पर कोई क्षति नहीं देखी गई थी । डाक्टर की यह राय है कि मृत्यु श्वासावरोध के कारण हुई थी जो मानवघाती या आत्मघाती है । ऐसी कोई राय भी नहीं दी गई है कि यह मृत्यु गला घोंटने या फांसी का फंदा लगाकर नहीं हुई थी । यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण होगा कि डाक्टर ने मृतका के कंठ या गर्दन पर कोई बंध का चिह्न नहीं पाया था । उसने यह कथन किया कि उसने खरोंचों के नीचे निशान नहीं लगाया है ।

10. मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक मृत्यु हो सकती है परंतु निश्चित तौर पर यह फांसी के फंदे के कारण नहीं हो सकती क्योंकि कोई बंध का चिह्न नहीं था । यदि यह गला घोंटने का मामला था तब यह हत्या की कोटि में आएगा और ऐसे में यह अपरिहार्य है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना अपेक्षित है कि किसने हत्या की । पूरे कुटुंब को दहेज की मांग के आधार पर फंसाया नहीं जा सकता है । मात्र यह अभिकथन कि जिसे अभिलेख पर साबित किया गया है जो यह है कि मंगनी समारोह के समय पर कुछ मांग की गई थी वह भी केवल पुनीत राम द्वारा । अन्य

अभियुक्त द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी । स्वीकृततः यह मांग आधा तोला सोना एक टीवी और चारपाई को मुहैया कराने से संबंधित थी, जो पूरी नहीं हुई । इसके बावजूद बिना किसी विरोध के विवाह संपन्न हुआ था । इसलिए मुख्य प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है यह है कि क्या मृतका विवाह के पश्चात् उसे दहेज न लेने के कारण किसी क्रूरता के अध्यधीन रही है । इस बारे में मृतका के माता-पिता के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं है जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । वास्तव में मृतका के पिता ने यह कथन किया है कि उसकी पुत्री तीन बार घर पर आई थी जबकि अन्य साक्षियों ने यह कथन किया है कि वह केवल एक बार घर पर आई थी । मृतका की माता ने यह भी कथन किया है कि उसकी पुत्री उनके घर पर केवल एक बार आई थी । यह एक बहुत बड़ा विभेद है । माता के कथन से भी यह साबित नहीं होता है कि उसकी पुत्री दहेज की मांग के संबंध में अपने पति या किसी अन्य नातेदार द्वारा बरती गई क्रूरता या परेशानी के अध्यधीन नहीं थी । अन्य के कथन में क्रूरता का कोई विनिर्दिष्ट कथन नहीं है ।

11. स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट छह मास पश्चात् क्यों दर्ज की गई थी, कुछ साक्षी जिनकी न्यायालय में परीक्षा की गई, उन्हें अन्वेषण में सहबद्ध भी नहीं किया गया था ।

12. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वृत्तांत डाक्टर का है जिससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित नहीं हुआ कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई । शव परीक्षण रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है वह निम्न प्रकार है :–

> "हमारी यह राय है कि मृतका का श्वासावरोध है जो शरीर के वायु मार्ग के कसाव के कारण हुआ और इसकी अवधि 22-26 घंटे के भीतर है ।"

13. श्वासावरोध से केवल यह अभिप्रेत है कि मृत्यु फेफड़ों में कम हवा जाने के कारण हुई थी । डाक्टर ने स्पष्ट रूप से यह भी राय दी है कि क्या ऐसा गला घोंटने या फंदे पर लटकने के कारण था और यदि यह फंदे पर लटकने से हुआ था तो क्या फंदे पर लटकना आत्मघाती या मानवघाती था । फंदे पर लटकने की बात को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि गर्दन पर बंध का कोई चिह्न नहीं था । गला घोंटने के संबंध में भी कोई स्पष्ट कटे होने का साक्ष्य नहीं है ।

14. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका या तो दहेज के मांग के संबंध में क्रूरता बरते जाने के अध्यधीन थी या उसकी अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त किया जाए ।

15. तद्नुसार, अपील मंजूर की जाती है और 1999 के सेशन विचारण सं. 85 में विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2001 को पारित किए गए निर्णय को अपास्त किया जाता है । अभियुक्त/अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । वे पहले ही जमानत पर हैं । उन्हें अभ्यर्पण करने की जरूरत नहीं है और उनके जमानत और बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

(2017) 1 दा. नि. प. 25 **छत्तीसगढ़**

शिवनाथ राम राजवर

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

तारीख 22 अगस्त, 2016

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 [सपठित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii)] – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा जबरन मैथुन किया जाना – मामले में अभियुक्त का दोषसिद्ध न हो पाना और उसको दोषमुक्त किया जाना – डाक्टरों द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षण में मैथुन साबित न होना – अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

यह अपील विशेष दांडिक मामला सं. 40/94 में विशेष न्यायाधीश,

अंबिकापुर द्वारा तारीख 17 नवंबर, 1994 को पारित दोषसिद्ध और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे संक्षिप्त में "अधिनियम, 1989" कहा गया है) की धारा 3(1)(xii) के अधीन दोषसिद्ध किया है और क्रमशः उसे 7 वर्ष का कठोर कारावास और 6 मास का कठोर कारावास भोगने के लिए दण्डादिष्ट किया । निर्णय से व्यथित होकर अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में न्यायालय के अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित हो गया है कि घटना के स्थान से अर्थात् सड़क के साथ लगी झाड़ियों के पीछे लगभग 60-70 कदम दूर, महिला मजदूर कार्य कर रही थी और वे घटना को देखने के बाद अभियोक्त्री के पति के शोर मचाने के बाद तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गई थी । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा लैंगिक संभोग कारित किए जाने के पूर्व अभियोक्त्री ने शोर मचाया होता तो पड़ोस वाले खेत में कार्य कर रही महिला मजदूर अभियोक्त्री को बचाने के लिए निश्चित रूप से तुरन्त पहुंच गई होती । इसके अलावा, अभियोक्त्री ने स्वयं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लिखित किया है कि अपीलार्थी उसको झाड़ियों के पीछे लेकर गया और आलिंगन किया । अभियोक्त्री को गले लगाते हुए अपीलार्थी का संपूर्ण कृत्य झाड़ियों के पीछे ले जाकर किया गया है और मैथुन क्रिया करने का समुचित समय लिया गया होगा जहां तक अभियोक्त्री के शोर मचाने का संबंध है और महिला मजदूरों से सहायता चाही किन्तु उसने स्वयं को बचाने की कोई सहायता नहीं की थी । अभियोक्त्री द्वारा यह भी स्वीकृत किया गया है कि अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखती है । उपरोक्त चर्चा से, स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री पक्षकार से सहमत थी और वह घटना की तारीख अर्थात् 7 सितम्बर, 1993 को 16 वर्ष की आयु से अधिक हो गई, अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन या अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन दोनों में से अपीलार्थी द्वारा अपराध किया जाना साबित नहीं हुआ है । परिणाम पूर्व, अपील मंजूर की जाती है । भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन या अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश इसके द्वारा अपास्त किए जाते हैं । वह जमानत पर है ।

दंडादेश के निलंबन के समय पर पूर्व में दिए गए प्रतिभूति और व्यक्तिगत बांड दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क की धारा के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए छह मास की अवधि के लिए संचालन शेष रहेगा । (पैरा 7, 8, 9 और 10)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1995 की एकलपीठ दांडिक अपील सं. 82.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री रेनू कोचर

प्रत्यर्थी की ओर से श्री ओम पी. साहू

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा – यह अपील विशेष दांडिक मामला सं. 40/94 में विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा तारीख 17 नवंबर, 1994 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे संक्षिप्त में "अधिनियम, 1989" कहा गया है) की धारा 3(1)(xii) के अधीन दोषसिद्ध किया है और क्रमशः उसे 7 वर्ष का कठोर कारावास और 6 मास का कठोर कारावास भोगने के लिए दण्डादिष्ट किया ।

2. संक्षिप्त में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभियोक्त्री, आयु लगभग 20 वर्ष तारीख 7 सितम्बर, 1993 को लगभग 11.00 बजे गांव नवापारा से किसी दूसरे गांव में जीविका अर्जन के लिए जा रही थी । जब वह जारहीगुतरा के नजदीक पहुंची तो अपीलार्थी झाड़ियों के पीछे से आया; अभियोक्त्री को आलिंगन किया; उसे झाड़ियों के पीछे ले गया; और जब अभियोक्त्री ने शोर मचाने का प्रयत्न किया तो उसने उसका गला घोंटते हुए धमकी दी और तत्पश्चात् अपीलार्थी ने बलपूर्वक मैथुन किया । मैथुन करने के दौरान, अभियोक्त्री का पति आया और अपीलार्थी पर चिल्लाया जिस पर अपीलार्थी ने भागने का प्रयत्न किया और इसके पश्चात् घटना-स्थल से भागते हुए, अभियोक्त्री के पति ने उसको पकड़ने का प्रयत्न किया, तथापि, अपीलार्थी ने आपराधिक तौर से उसे धमकाया और वहां से भागने में सफल रहा । घटना की सूचना सरपंच को दी गई, तथापि, उसी दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मात्र 10 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन होने पर तारीख 8 सितम्बर, 1993 को प्रातः लगभग

9.30 बजे दर्ज की गई थी ।

3. साक्षियों के अभिकथनों को अभिलिखित करने और महिला डाक्टर से चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, आरोप पत्र उपरोक्त कथित अपराधों के लिए फाइल की गई और अपीलार्थी को विचारण के लिए भेजा ।

4. विचारण के दौरान अकेले उदय राम की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा कराई, तथापि, उससे उसकी शत्रुता हो गई और उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया ।

5. अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) ने अपनी परीक्षा में यह स्वीकृत किया कि अन्य महिलाएं मजदूर लगभग 60-70 कदम की दूरी पर खेत में मिलकर कार्य कर रही थीं । उसने यह भी स्वीकृत किया कि उसका पति जब घटना की जगह पहुंचा तो अपीलार्थी मैथुन कर रहा था । राजू (अभि. सा. 3) जो अभियोक्त्री का पति है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा और उसने अपीलार्थी को मैथुन करते देखा, उसने शोर मचाया और दूसरी महिला मजदूर जो खेत में कार्य कर रही थी शोर सुनकर वहां पहुंची ।

6. चिकित्सा अधिकारी डा. (श्रीमती) सुषमा सिन्हा (अभि. सा. 6) जिसने अभियोक्त्री की परीक्षा की थी, उसने अभियोक्त्री के शरीर के किसी भाग पर कोई क्षति नहीं पाई । उसका यह मत है कि अभियोक्त्री को मैथुन कराने की आदत थी और वह कोई निश्चित राय मैथुन के बारे में नहीं दे सकी ।

7. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि घटना के स्थान से अर्थात् सड़क के साथ लगी झाड़ियों के पीछे लगभग 60-70 कदम दूर, महिला मजदूर कार्य कर रही थीं और वे घटना को देखने के बाद अभियोक्त्री के पति के शोर मचाने के बाद तुरन्त घटना-स्थल पर पहुंच गई थी । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा लैंगिक संभोग कारित किए जाने के पूर्व अभियोक्त्री ने शोर मचाया होता तो पड़ोस वाले खेत में कार्य कर रही महिला मजदूर अभियोक्त्री को बचाने के लिए निश्चित रूप से तुरन्त पहुंच गई होती । इसके अलावा, अभियोक्त्री ने स्वयं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लिखित किया है कि अपीलार्थी उसको झाड़ियों के पीछे लेकर गया और आलिंगन किया ।

8. अभियोक्त्री को गले लगाते हुए अपीलार्थी का संपूर्ण कृत्य झाड़ियों के पीछे ले जाकर किया गया है और मैथुन क्रिया करने का समुचित समय लिया गया होगा जहां तक अभियोक्त्री के शोर मचाने का संबंध है और महिला मजदूरों से सहायता चाही किन्तु उसने स्वयं को बचाने की कोई सहायता नहीं की थी । अभियोक्त्री द्वारा यह भी स्वीकृत किया गया है कि अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखती है ।

9. उपरोक्त चर्चा से, स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री पक्षकार से सहमत थी और वह घटना की तारीख अर्थात् 7 सितम्बर, 1993 को 16 वर्ष की आयु से अधिक हो गई, अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन या अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन दोनों में से अपीलार्थी द्वारा अपराध किया जाना साबित नहीं हुआ है ।

10. परिणाम पूर्व, अपील मंजूर की जाती है । भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन या अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश इसके द्वारा अपास्त किए जाते हैं । वह जमानत पर है । दंडादेश के निलंबन के समय पर पूर्व में दिए गए प्रतिभूति और व्यक्तिगत बांड दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए छह मास की अवधि के लिए संचालन शेष रहेगा । अपीलार्थी उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि वह निदेश दे ।

अपील मंजूर की गई ।

मही./आर्य

चंद्रावती देवी

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 8 अप्रैल, 2016

न्यायमूर्ति गोपाल प्रसाद

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – उपधारा 20(ख)(ii)(ग), 22(ग), 52क और 57 – तस्करी के लिए कब्जे में अवैध गांजा पाया जाना – मजिस्ट्रेट के समक्ष मुड्डेमल पेश नहीं किया जाना – यदि छापामार दल द्वारा अभिगृहीत की गईं वस्तुएं मालखाने में लाकर रखी गईं और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया न अभिगृहीत सामग्री को विनष्ट करने के बारे में कोई सूचना दी गई और न मालखाना रजिस्टर पेश किया गया तो अधिनियम के कानूनी उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है, उनके अननुपालन से अभियोजन पक्षकथन दूषित है ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – उपधारा 20(ख)(ii)(ग), 22(ग), 42(1) और 42(2) – तस्करी के लिए गांजा का अवैध कब्जे में होना – जहां मामले में बिना वारंट या प्राधिकरण के तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई हो और छापामार अधिकारी द्वारा इत्तिलाकर्ता से प्राप्त सूचना लिखित में अभिलिखित की जानी चाहिए और उसे निकटस्थ वरिष्ठ अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, वहां उपरोक्त कार्यवाही नहीं किए जाने पर आज्ञापक कानूनी उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित नहीं है ।

अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभिकथन किया गया है कि तारीख 15 जुलाई, 2011 को लगभग 8-05 बजे पूर्वाह्न थाना गृह अधिकारी मुफस्सिल पुलिस थाना श्री सुबोध कुमार मिश्रा ने पुलिस थाने पर एक गुप्त सूचना प्राप्त की कि मुहल्ला हेम नगर पर हरे राम राय के मकान में दो व्यक्ति किराएदार के रूप में रह रहे हैं, और गांजा के कारोबार में लगे हुए हैं और उन्होंने तस्करी के प्रयोजन के लिए उक्त मकान में गांजा को छुपा रखा है । इसके पश्चात् इत्तिला देने वाले ने मुफस्सिल पुलिस थाना में सान्हा अभिलिखित किया और पुलिस दल जिसमें आनंद कुमार (अभि.

सा. 4) नीरज कुमार (अभि. सा. 3), अनिल कुमार (अभि. सा. 1) तथा नीलमणि रंजन (अभि. सा. 2) सम्मिलित हैं, के साथ घटनास्थल की ओर अग्रसर हुए और लगभग 8.15 बजे पूर्वाह्न दो स्थानीय स्वतंत्र साक्षी हरे राम राय (अभिग्रहण सूची साक्षी) और संतोष मिस्त्री (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) के साथ हेम नगर पहुंचे और हरे राम राय के मकान पर छापा मारा जिसे उसने किराएदारी पर दिया था । आगे मामला इस प्रकार है कि पुलिस दल को देखकर एक व्यक्ति ने कमरे से भागने की कोशिश की परंतु उसे पकड़ लिया गया और उसने अपना नाम राकेश सिंह बताया तथा उसकी मौजूदगी में कमरे की तलाशी ली गई । कोरा लाइट कंपनी का एक इधर-उधर ले जाने वाला थैला जिसमें गांजा के तीन थैले रखे गए थे और प्रत्येक में पांच किलो गांजा था तथा प्लास्टिक थैले में गांजा के दो पैकेट रखे गए थे । प्रत्येक में लगभग पांच किलो भार रखा हुआ था और इस तरह सभी प्रकार लगभग 25 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था । वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसने यह बताया कि वह तस्करी के लिए चकिया मोतिहारी से गांजा लाया है और उक्त गांजा सुनियोजित तरीके से झारखंड भेजा जाना था । उसने यह भी बताया है कि उसके कारोबार में चन्द्रावती देवी जो उसकी भाभी है उसी मकान में रहती है और वह भी उसके साथ शामिल है । चारपाई की तलाशी लेने पर तकिए के नीचे से 39,000/- रुपए भी बरामद किए गए थे और उक्त पैसे के बारे में पूछताछ करने पर राकेश सिंह ने यह बताया कि उक्त पैसा पूर्व में बेचे गए गांजे के फल से मिला है । दोनों स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष अभिग्रहण सूची तैयार की गई थी और उन दोनों ने उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए थे । उक्त अभिग्रहण की सूची की प्रति राकेश सिंह और उक्त चन्द्रावती देवी को सौंपी गई थी तथा उन्होंने अभिग्रहण सूची पर अपने-अपने हस्ताक्षर भी किए । उक्त राकेश सिंह को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था जबकि चन्द्रावती को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस थाने पर महिला चौकीदार को भेजने के लिए फोन कॉल किया गया था तथा महिला चौकीदार सोनी कुमारी के पहुंचने के पश्चात् उक्त चन्द्रावती को गिरफ्तार किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उक्त राकेश सिंह और चन्द्रावती देवी गांजा के तस्करी में सम्मिलित थे और उन्होंने अपने किराए के मकान में गांजा की बड़ी मात्रा रखी हुई थी तथा ऐसा करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था जो मामला स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20/22 के अधीन संज्ञेय अपराध है । गांजा की बरामदगी करने के पश्चात् अभिग्रहण सूची तैयार की गई,

अभिगृहीत वस्तुओं को घटना के स्थान पर मुहरबंद किया गया था तथा गांजा के फटे पैकेट पर मुहर लगाने के पूर्व सौ ग्राम गांजा नमूने के रूप में लिया गया था । अभिगृहीत वस्तुएं पुलिस थाने में लाई गईं थीं और उन्हें मालखाने में रखा गया । इसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् अन्वेषण कार्रवाई की गई । अन्वेषण के दौरान इत्तिला देने वाले के कथन भी अभिलिखित किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अभिग्रहण सूची के स्वतंत्र साक्षियों का कथन अभिलिखित किया गया तथा रासायनिक परीक्षा के लिए तारीख 31 जुलाई, 2011 को न्यायालयिक प्रयोगशाला नमूने भेजे । न्यायालयिक प्रयोगशाला से प्राप्त ड्राफ्ट आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया । आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् मामले में संज्ञान लिया गया था तथा आरोप विरचित करने के पश्चात् विचारण की कार्रवाई की गई । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा सात साक्षियों की परीक्षा की गई । अभि. सा. 1 अनिल कुमार है जो पुलिस का परिवीक्षाधीन सहायक उपनिरीक्षक है, अभि. सा. 2 नीलमणि रंजन सिन्हा जो सार्जेंट है तथा छापेमार दल का सदस्य है । अभि. सा. 3 नीरज कुमार पुलिस का सहायक उपनिरीक्षक है और वह भी छापेमार दल का सदस्य है, अभि. सा. 4 आनंद कुमार पुलिस का सहायक उपनिरीक्षक है और वह भी छापेमार दल का सदस्य है, अभि. सा. 5 सुबोध कुमार मिश्रा जो इत्तिलाकर्ता है, अभि. सा. 6 सुजीता दास मामले का अन्वेषक अधिकारी है तथा अभि. सा. 7 हरे राम राय अभिग्रहण सूची का साक्षी है । प्रतिरक्षा पक्ष ने दो साक्षी को भी पेश किया जो प्रतिरक्षा साक्षी 1 बाबन बाड़ी तथा प्रतिरक्षा साक्षी 2 बृजमोहन सिंह हैं । प्रतिरक्षा साक्षी 1 ने यह अभिसाक्ष्य किया कि राकेश सिंह के मकान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था और तारीख 15 जुलाई, 2011 को वह चन्द्रावती देवी के साथ छपरा पहुंचा और वह राकेश सिंह के कमरे पर रुका हुआ था । उसने यह भी कथन किया कि वह राकेश सिंह के साथ डा. राम इकबाल प्रसाद के क्लीनिक पर गया था जहां उसने अपना नम्बर दर्ज कराया और पचास के क्रम पर उसका नम्बर था तथा लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न वापस लौटा तथा पुलिस ने कृष्णा प्रसाद के दुकान पर राकेश सिंह को पकड़ा था । प्रतिरक्षा साक्षी 2 बृजमोहन सिंह ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि वह हरे राम राय के मकान पर किराएदार है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न पुलिस ने हरे राम के मकान को घेर रखा था तथा हरे राम राय के मकान की तलाशी चल रही थी परंतु वहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था । केवल एक वृद्ध आदमी

और महिला मौजूद थे जो चिकित्सा उपचार के लिए पहुंचे थे तथा राकेश सिंह के कमरे पर रुके हुए थे । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि राकेश सिंह को उसके मकान पर गिरफ्तार नहीं किया गया था और न उसके कमरे से कोई वस्तु अभिगृहीत की गई थी । विचारण न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य को विचार में लेने के पश्चात् अपीलार्थियों को दोषसिद्ध ठहराकर दंडादिष्ट किया । अपीलार्थियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा मामले में अपनी आलोचनाएं दी गईं हैं कि यद्यपि साक्षी अभि. सा. 2, 3 और 4 ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है कि गांजा अभिगृहीत किया गया था और नमूना लेने के पश्चात् घटनास्थल पर उन्हें मुहरबंद किया गया था परंतु इत्तिला देने वाले ने अपने कथन में यह कहा है कि तोले जाने का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और केवल तोलने की बात मोटे रूप से की गई है । इत्तिला देने वाले ने आगे यह भी साक्ष्य दिया है कि गांजा और अभियुक्त व्यक्ति पुलिस थाने पर लाए गए थे और उन्हें पुलिस थाने पर रखा गया था । वस्तुओं को मालखाने में रखा गया था और उसने अभिगृहीत वस्तुओं को पेश किया था । तथापि, यह भी कथन किया गया है कि मालखाना रजिस्टर अभिलेख पर नहीं लाया गया है परंतु जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य की अभिगृहीत वस्तुएं मुहरबंद की गईं थीं तथा घटनास्थल पर लगभग सौ ग्राम गांजा का नमूना लिया गया था और उन्हें मालखाना में रखने के लिए लाया गया था तथा पुलिस के समक्ष मुहरबंद कवर में मालखाने से उसे पेश किया गया था । तथापि, यह भी स्वीकार किया गया है कि अभिगृहीत वस्तुएं मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं की गईं थीं जैसाकि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क में उपबंधित है और यह भी निवेदन किया गया कि ऐसा करके स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क का अतिक्रमण हुआ है कि अभिगृहीत वस्तुओं का प्रमाणन को पेश नहीं किया गया और न उनको विनिर्दिष्ट किया गया तथा और न मालखाना रजिस्टर पेश किया गया । तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क और 57 के अतिक्रमण का जहां तक संबंध है यह लाभदायक होगा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क और 57 आज्ञापक नहीं है तथा यह केवल निदेशात्मक है और जहां तक इस प्रश्न के विचार का संबंध है कि क्या स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क

और 57 का अननुपालन अभियुक्त के प्रतिकूल जाता है । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के अतिक्रमण के बारे में अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, तथापि, साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि इत्तिलाकर्ता ने पुलिस थाने पर सूचना प्राप्त की और इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 5 ने यह अभिकथन किया है कि उसने सान्हा प्रविष्टि के रूप में केस डायरी में उक्त कथन अभिलिखित किया था, तथापि, उसने न तो सान्हा प्रविष्टि की संख्या दी और न सान्हा प्रविष्टि को साबित किया है । उसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को उसे भेजा था तथापि, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 पर विचार करने पर जिसमें यह उपबंधित किया गया है कि अधिकारी जिसे किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, वह संबंधित रजिस्टर में लिखित में उसके अभिलेख पर रखेगा और जिसकी एक प्रति अपने निकटतम वरिष्ठ पदधारी को भेजेगा जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) में उपबंधित है । धारा 42(1) में विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंधित किया गया है कि किसी वस्तु के कब्जे के बारे में सूचना की प्राप्ति पर प्राधिकृत कोई अधिकारी अपनी वैयक्तिक जानकारी के विश्वास के कारण या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को लिखेगा और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(2) में यह उपबंधित किया गया है कि ऐसा जांच अधिकारी जो उपधारा (1) के अधीन लिखित में ऐसी सूचना को लिखेगा या अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करेगा वह तत्काल 72 घंटे के भीतर अपने निकटतम वरिष्ठ पदधारी को उसकी प्रति भेजेगा । (पैरा 18 और 19)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील (एस.जे.) सं. 53.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री राजेश रॉय और रघुवेन्द्र कुमार,

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री विनोद बिहारी सिंह, सहायक लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति गोपाल प्रसाद – ये अपीलें 2011 के छपरा मुफस्सिल पुलिस थाना मामला सं. 139, 2011 की जी. आर. सं. 2688 में से उद्भूत 2011 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी प्रदार्थ मामला सं. 07 से संबंधित

श्री बलराम सिंह प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश सारण, छपरा द्वारा तारीख 3 सितम्बर, 2014 को पारित किए गए निर्णय और आदेश से उद्भूत दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करके एक ही आदेश से निपटारा किया जा रहा है जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थियों को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी प्रदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एन.डी.पी.एस." अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ख(ii)(ग) तथा धारा 22(ग) के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उन्हें तीन वर्ष के कठोर कारावास भोगने का भी निदेश दिया गया । तथापि, यह आदेश दिया गया कि दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

2. अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभिकथन किया गया है कि तारीख 15 जुलाई, 2011 को लगभग 8.05 बजे पूर्वाह्न थाना गृह अधिकारी मुफस्सिल पुलिस थाना श्री सुबोध कुमार मिश्रा ने पुलिस थाने पर एक गुप्त सूचना प्राप्त की कि मुहल्ला हेम नगर पर हरे राम राय के मकान में दो व्यक्ति किराएदार के रूप में रह रहे हैं, और गांजा के कारोबार में लगे हुए हैं और उन्होंने तस्करी के प्रयोजन के लिए उक्त मकान में गांजा को छुपा रखा है । इसके पश्चात् इत्तिला देने वाले ने मुफस्सिल पुलिस थाना में सान्हा अभिलिखित किया और पुलिस दल जिसमें आनंद कुमार (अभि. सा. 4) नीरज कुमार (अभि. सा. 3), अनिल कुमार (अभि. सा. 1) तथा नीलमणि रंजन (अभि. सा. 2) सम्मिलित हैं, के साथ घटनास्थल की ओर अग्रसर हुए और लगभग 8.15 बजे पूर्वाह्न दो स्थानीय स्वतंत्र साक्षी हरे राम राय (अभिग्रहण सूची साक्षी) और संतोष मिस्त्री (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) के साथ हेम नगर पहुंचे और हरे राम राय के मकान पर छापा मारा जिसे उसने किराएदारी पर दिया था । आगे मामला इस प्रकार है कि पुलिस दल को देखकर एक व्यक्ति ने कमरे से भागने की कोशिश की परंतु उसे पकड़ लिया गया और उसने अपना नाम राकेश सिंह बताया तथा उसकी मौजूदगी में कमरे की तलाशी ली गई । कोरा लाइट कंपनी का एक इधर-उधर ले जाने वाला थैला जिसमें गांजा के तीन थैले रखे गए थे और प्रत्येक में पांच किलो गांजा था तथा प्लास्टिक थैले में गांजा के दो पैकेट रखे गए थे । प्रत्येक में लगभग पांच किलो भार रखा हुआ था और इस तरह सभी प्रकार लगभग 25 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था । वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसने यह बताया कि वह

तस्करी के लिए चकिया मोतिहारी से गांजा लाया है और उक्त गांजा सुनियोजित तरीके से झारखंड भेजा जाना था । उसने यह भी बताया है कि उसके कारोबार में चन्द्रावती देवी जो उसकी भाभी है उसी मकान में रहती है और वह भी उसके साथ शामिल है । चारपाई की तलाशी लेने पर तकिए के नीचे से 39,000/- रुपए भी बरामद किए गए थे और उक्त पैसे के बारे में पूछताछ करने पर राकेश सिंह ने यह बताया कि उक्त पैसा पूर्व में बेचे गए गांजे के फल से मिला है । दोनों स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष अभिग्रहण सूची तैयार की गई थी और उन दोनों ने उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए थे । उक्त अभिग्रहण की सूची की प्रति राकेश सिंह और उक्त चन्द्रावती देवी को सौंपी गई थी तथा उन्होंने अभिग्रहण सूची पर अपने-अपने हस्ताक्षर भी किए । उक्त राकेश सिंह को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था जबकि चन्द्रावती को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस थाने पर महिला चौकीदार को भेजने के लिए फोन कॉल किया गया था तथा महिला चौकीदार सोनी कुमारी के पहुंचने के पश्चात् उक्त चन्द्रावती को गिरफ्तार किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उक्त राकेश सिंह और चन्द्रावती देवी गांजा के तस्करी में सम्मिलित थे और उन्होंने अपने किराए के मकान में गांजा की बड़ी मात्रा रखी हुई थी तथा ऐसा करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था जो मामला स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20/22 के अधीन संज्ञेय अपराध है ।

3. गांजा की बरामदगी करने के पश्चात् अभिग्रहण सूची तैयार की गई, अभिगृहीत वस्तुओं को घटना के स्थान पर मुहरबंद किया गया था तथा गांजा के फटे पैकेट पर मुहर लगाने के पूर्व सौ ग्राम गांजा नमूने के रूप में लिया गया था । अभिगृहीत वस्तुएं पुलिस थाने में लाई गईं थीं और उन्हें मालखाने में रखा गया । इसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् अन्वेषण कार्रवाई की गई ।

4. अन्वेषण के दौरान इत्तिला देने वाले का कथन भी अभिलिखित किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्वतंत्र अभिग्रहण सूची के साक्षियों का कथन अभिलिखित किया गया तथा रासायनिक परीक्षा के लिए तारीख 31 जुलाई, 2011 को न्यायालयिक प्रयोगशाला नमूने भेजे गए । न्यायालयिक प्रयोगशाला से प्राप्त ड्राफ्ट आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया । आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् मामले में संज्ञान लिया गया था तथा आरोप विरचित करने के पश्चात् विचारण की कार्रवाई की गई । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा सात साक्षियों

की परीक्षा की गई ।

5. अभि. सा. 1 अनिल कुमार है जो पुलिस का परिवीक्षाधीन सहायक उपनिरीक्षक है, अभि. सा. 2 नीलमणि रंजन सिन्हा जो सार्जेंट है तथा छापेमार दल का सदस्य है । अभि. सा. 3 नीरज कुमार पुलिस का सहायक उपनिरीक्षक है और वह भी छापेमार दल का सदस्य है, अभि. सा. 4 आनंद कुमार पुलिस का सहायक उपनिरीक्षक है और वह भी छापेमार दल का सदस्य है, अभि. सा. 5 सुबोध कुमार मिश्रा जो इत्तिलाकर्ता है, अभि. सा. 6 सुजीता दास मामले का अन्वेषक अधिकारी है तथा अभि. सा. 7 हरे राम राय अभिग्रहण सूची का साक्षी है ।

6. प्रतिरक्षा पक्ष ने दो साक्षी को भी पेश किया जो प्रतिरक्षा साक्षी 1 बाबन बाड़ी तथा प्रतिरक्षा साक्षी 2 बृजमोहन सिंह हैं । प्रतिरक्षा साक्षी 1 ने यह अभिसाक्ष्य किया कि राकेश सिंह के मकान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था और तारीख 15 जुलाई, 2011 को वह चन्द्रावती देवी के साथ छपरा पहुंचा और वह राकेश सिंह के कमरे पर रुका हुआ था । उसने यह भी कथन किया कि वह राकेश सिंह के साथ डा. राम इकबाल प्रसाद के क्लीनिक पर गया था जहां उसने अपना नम्बर दर्ज कराया और पचास के क्रम पर उसका नम्बर था तथा लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न वापस लौटा तथा पुलिस ने कृष्णा प्रसाद के दुकान पर राकेश सिंह को पकड़ा था ।

7. प्रतिरक्षा साक्षी 2 बृजमोहन सिंह ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि वह हरे राम राय के मकान पर किराएदार है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न पुलिस ने हरे राम के मकान को घेर रखा था तथा हरे राम राय के मकान की तलाशी चल रही थी परंतु वहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था । केवल एक वृद्ध आदमी और महिला मौजूद थे जो चिकित्सा उपचार के लिए पहुंचे थे तथा राकेश सिंह के कमरे पर रुके हुए थे । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि राकेश सिंह को उसके मकान पर गिरफ्तार नहीं किया गया था और न उसके कमरे से कोई वस्तु अभिगृहीत की गई थी ।

8. विचारण न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य को विचार में लेने के पश्चात् अपीलार्थियों को दोषसिद्ध ठहराकर दंडादिष्ट किया । अभियुक्त व्यक्तियों ने यह प्रतिरक्षा की है कि न तो कोई घटना घटी और न अभियुक्त व्यक्तियों से कोई बरामदगी हुई थी और उन्हें केवल संदेह के आधार पर इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया ।

9. तथापि, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने इस आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और दंड के आदेश को चुनौती दी है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1)(2) में अन्तर्विष्ट आज्ञापक उपबंध का अननुपालन हुआ है । प्राप्त की गई सूचना को न तो अभिलिखित किया गया है और न ज्येष्ठ अधिकारियों को उस सूचना को भेजा गया था । यह भी दलील दी गई कि विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिगृहीत वस्तुएं पेश नहीं की गई थीं तथा अभिगृहीत वस्तु का नमूना विद्वान् मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में नहीं लिया गया था और न इसे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुहर से मुहरबंद किया गया तथा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क, 55 और 57 का अतिक्रमण हुआ है । इसलिए इस अधिनियम के उक्त उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया । और यह भी दलील दी गई कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का अननुपालन से गंभीर परिणाम प्रकट हुआ है और इसलिए अधिनियम के अधीन उपबंधित रक्षोपाय का अनुपालन नहीं हुआ है और इससे अन्वेषण के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है तथा अपीलार्थी संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है, इसलिए, दोषसिद्ध को अपास्त किया जाए और दोषमुक्ति किए जाने का उचित आधार है ।

10. तथापि, राज्य के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई के लिए अग्रसर हुई और हरे राम राय के मकान में छापा डाला और उसके कमरे से वस्तुएं अभिगृहीत कीं जिस मकान में अपीलार्थी किराएदार था और अभिगृहीत वस्तुओं पर नमूना लेने के पश्चात् उन्हें मुहरबंद किया गया जिन्हें सम्यक् रूप से मुहरबंद करके मालखाना में रख दिया गया और, इसलिए, अधिनियम के उपबंधों का अननुपालन अभियुक्त के मामले में नहीं हुआ है और कोई प्रतिकूलता नहीं बरती गई और, इसलिए, दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश कायम रखे जाने योग्य है ।

11. अभिलेख पर प्रकट सामग्रियों को विचार में लेने के पश्चात् और पक्षकारों के क्रमशः दलीलों पर विचार करने पर इस बारे में प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे आरोप साबित करने में समर्थ हुआ है ।

12. तथापि, लिखित कथन में किए गए प्रकथन पर विचार किया गया जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई और विशिष्ट रूप

से यह अभिकथन किया गया कि तारीख 15 जुलाई, 2011 को लगभग 8.05 बजे प्रातः उसने एक गुप्त सूचना प्राप्त की थी कि दो व्यक्ति जो मुहल्ला हेम नगर के हरे राम राय के मकान में किराएदार के रूप में रह रहे थे, और गांजा के तस्करी का कारोबार चला रहे थे और उन्होंने कमरे में गांजा छुपा कर रखा था और जिस कमरे को उन्होंने किराए पर लिया था । यह भी अभिकथन किया गया कि उसने पुलिस थाने की डायरी में अपनी सान्ना प्रविष्टि अभिलिखित की थी और तब पुलिस दल जो वहां साक्षी थे उनके साथ कार्रवाई के लिए अग्रसर हुआ और हेम नगर पहुंचा तथा दो स्वतंत्र साक्षी हरे राम राय और संतोष मिस्त्री के साथ हरे राम राय के मकान में छापा डाला तथा पुलिस को देखकर एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश की और जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने अपना नाम राकेश सिंह बताया तथा कमरे से गांजा बरामद किया गया था । तीन पैकेट इधर-उधर ले जाने वाले कोरा लाइट कंपनी के थैले में रखे हुए थे तथा और चन्द्रावती के कमरे से जिसके बारे में उक्त राकेश सिंह की भाभी होना कहा गया है प्लास्टिक के जूट के थैलों में से लिए गए दो थैलों में प्रत्येक में पांच किलोग्राम गांजा रखा हुआ था तथा अभिग्रहण सूची तैयार की गई थी ।

13. अभि. सा. 5 सुबोध कुमार मिश्रा इत्तिलाकर्ता है और उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पुलिस थाने पर गुप्त सूचना प्राप्त की थी जहां पर वह मुफस्सिल छपरा पुलिस थाना में भारसाधक अधिकारी के पद पर तैनात था और उसने पुलिस थाने की डायरी में सान्ना प्रविष्टि अभिलिखित की । तथापि, उक्त सूचना को साबित नहीं किया गया है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि दो स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में गांजा बरामद किया गया था और चारपाई के तकिए के नीचे 39,000/- रुपए भी बरामद किए गए थे । उसने यह भी कथन किया है कि उसने घटना के स्थान पर अभिगृहीत वस्तुओं को मुहरबंद किया । उसने यह भी कथन किया कि उसने प्रत्येक पैकेट से अभिगृहीत की गईं वस्तुओं से नमूने के रूप में गांजा की सौ ग्राम मात्रा निकाली थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने गांजा के उक्त पांच पैकेटों को साबित किया है जिन्हें मुहरबंद करके प्रदर्श I, II और III से चिन्हित किया गया था जिनमें अभिगृहीत थैला, प्लास्टिक के जूट के थैले और पैसा रखा गया था तथा यह भी कथन किया गया कि अभिगृहीत वस्तुएं पुलिस थाना के मालखाने में रखी गईं थीं । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसने इसी मजिस्ट्रेट को इस बारे में सूचना नहीं दी तथा उसने अन्वेषक अधिकारी सुजीता दास (अभि. सा. 6) को अन्वेषण सौंपा था, इसलिए, उसने

घटनास्थल का निरीक्षण किया ।

14. अभि. सा. 6 सुजीता दास ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अन्वेषण के दौरान उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभिग्रहण सूची का परिशीलन किया तथा इत्तिला देने वाले का कथन अभिलिखित किया और मुहल्ला हेम नगर कॉलोनी पर अवस्थित हरे राम राय के मकान के घटनास्थल का निरीक्षण किया । इसके पश्चात् उसने अभिग्रहण सूची साक्षी अर्थात् हरे राम राय और संतोष मिश्रा के कथन अभिलिखित किए । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 31 जुलाई, 2011 को वह जिला और सेशन न्यायाधीश से अनुज्ञा लेने के पश्चात् न्यायालयिक प्रयोगशाला के पास रासायनिक परीक्षा के लिए नमूनों को भेजा, जिसे प्रदर्श 4 से चिन्हित किया गया है । इसलिए, उसके साक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि नमूनों को मुहरबंद के लिए लिया गया था और उक्त मुहर पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का हस्ताक्षर था । तथापि, अनिल कुमार अभि. सा. 1 जो पुलिस का परिवीक्षाधीन सहायक उपनिरीक्षक है, वह छापामार दल का भी सदस्य था और उसने हरे राम राय के मकान में डाले गए छापे के बारे में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है तथा वस्तुओं की बरामदगी जिन्हें तोला गया था और प्रत्येक पैकेट में पांच किलोग्राम गांजा पाया गया था और कुल गांजा 25 किलोग्राम पाया गया था । इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि रासायनिक परीक्षा के लिए नमूने के तौर पर सौ ग्राम गांजा लिया गया था और बाकी बरामद किया गया गांजा को मुहरबंद किया गया तथा लिए गए नमूनों को टिन के बक्से में मुहरबंद किया गया था जिस पर दोनों स्वतंत्र अभिग्रहण सूची के साक्षी ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए थे ।

15. अभि. सा. 2 नीलमणि रंजन सार्जेंट भी छापामार दल का सदस्य था और उसने यह अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । उसने यह भी कथन किया है कि सौ ग्राम नमूना लेने के पश्चात् गांजा को मुहरबंद किया गया था तथा इसके पश्चात् नमूने को भी मुहरबंद किया गया और अभियुक्त व्यक्तियों के साथ अभिगृहीत गांजा को पुलिस थाने पर लाया गया ।

16. अभि. सा. 3 नीरज कुमार जो पुलिस का उपनिरीक्षक है और वह भी छापामार दल का सदस्य है । उसने भी अभिग्रहण के बारे में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि अभिगृहीत वस्तुएं मुहरबंद की गईं थीं तथा नमूना भी मुहरबंद किया गया

था ।

17. अभि. सा. 4 आनंद कुमार जो पुलिस का परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षक है वह भी छापामार दल का सदस्य था और उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि वहां पर गांजा को तोला गया था ।

18. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा मामले में अपनी आलोचनाएं दी गईं हैं कि यद्यपि साक्षी अभि. सा. 2, 3 और 4 ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है कि गांजा अभिगृहीत किया गया था और नमूना लेने के पश्चात् घटनास्थल पर उन्हें मुहरबंद किया गया था परंतु इत्तिला देने वाले ने अपने कथन में यह कहा है कि तोले जाने का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और केवल तोलने की बात मोटे रूप से की गई है । इत्तिला देने वाले ने आगे यह भी साक्ष्य दिया है कि गांजा और अभियुक्त व्यक्ति पुलिस थाने पर लाए गए थे और उन्हें पुलिस थाने पर रखा गया था । वस्तुओं को मालखाने में रखा गया था और उसने अभिगृहीत वस्तुओं को पेश किया था । तथापि, यह भी कथन किया गया है कि मालखाना रजिस्टर अभिलेख पर नहीं लाया गया है परंतु जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य की अभिगृहीत वस्तुएं मुहरबंद की गईं थीं तथा घटनास्थल पर लगभग सौ ग्राम गांजा का नमूना लिया गया था और उन्हें मालखाना में रखने के लिए लाया गया था तथा पुलिस के समक्ष मुहरबंद कवर में मालखाने से उसे पेश किया गया था । तथापि, यह भी स्वीकार किया गया है कि अभिगृहीत वस्तुएं मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं की गईं थीं जैसाकि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क में उपबंधित है और यह भी निवेदन किया गया कि ऐसा करके स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क का अतिक्रमण हुआ है कि अभिगृहीत वस्तुओं का प्रमाणन को पेश नहीं किया गया और न उनको विनिर्दिष्ट किया गया तथा और न मालखाना रजिस्टर पेश किया गया । तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क और 57 के अतिक्रमण का जहां तक संबंध है यह लाभदायक होगा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क और 57 आज्ञापक नहीं हैं तथा यह केवल निदेशात्मक है और जहां तक इस प्रश्न के विचार का संबंध है कि क्या स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क और 57 का अननुपालन अभियुक्त के प्रतिकूल जाता है ।

19. स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के अतिक्रमण के बारे में अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, तथापि, साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि इत्तिलाकर्ता ने पुलिस थाने पर सूचना प्राप्त की और इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 5 ने यह अभिकथन किया है कि उसने सान्हा प्रविष्टि के रूप में केस डायरी में उक्त कथन अभिलिखित किया था, तथापि, उसने न तो सान्हा प्रविष्टि की संख्या दी और न सान्हा प्रविष्टि को साबित किया है । उसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को उसे भेजा था तथापि, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 पर विचार करने पर जिसमें यह उपबंधित किया गया है कि अधिकारी जिसे किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, वह संबंधित रजिस्टर में लिखित में उसके अभिलेख पर रखेगा और जिसकी एक प्रति अपने निकटतम वरिष्ठ पदधारी को भेजेगा जैसाकि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) में उपबंधित है । धारा 42(1) में विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंधित किया गया है कि किसी वस्तु के कब्जे के बारे में सूचना की प्राप्ति पर प्राधिकृत कोई अधिकारी अपनी वैयक्तिक जानकारी के विश्वास के कारण या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को लिखेगा और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(2) में यह उपबंधित किया गया है कि ऐसा जांच अधिकारी जो उपधारा (1) के अधीन लिखित में ऐसी सूचना को लिखेगा या अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करेगा वह तत्काल 72 घंटे के भीतर अपने निकटतम वरिष्ठ पदधारी को उसकी प्रति भेजेगा ।

20. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इत्तिलाकर्ता से प्राप्त की गई सूचना पर उसकी सच्चाई पर विश्वास करते हुए उक्त सूचना पर कार्रवाई की गई, अभियुक्त व्यक्ति के मकान में छापा डाला । इसलिए, उसके लिए यह लाजमी था कि धारा 42(1) और (2) के उपबंधों का अनुपालन करे अर्थात् लिखित में सूचना को अभिलिखित करे और धारा 42(1) और (2) के अधीन आज्ञापक उपबंधों के अनुपालन में ऐसी सूचना को वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजे । इसलिए, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और (2) का प्रकटतः अतिक्रमण हुआ है और, इसलिए, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(2) का स्वीकृततः अनुपालन नहीं किया गया और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(2) का पूरी

तरह अतिक्रमण हुआ है । अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए भी कुछ नहीं है कि इत्तिलाकर्ता या जांच अधिकारी को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(2) के उपबंधों के अधीन अनुबंधित समय के भीतर अभिलिखित कथन की प्रति को नहीं भेजने में क्यों रुकावट डाली गई । यह भी सुस्थिर है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(2) में अंतर्विष्ट उपबंध प्रकृति में आज्ञापक है और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(2) में उपबंध का अननुपालन विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश सहित संपूर्ण विचारों को दूषित करता है । यह भी सुस्थिर है कि जांच अधिकारी जिसने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) के अधीन लिखित में सूचना को लिखा था, उसे उसकी एक प्रति अपने नजदीकी वरिष्ठ पदधारी को तत्काल भेजना चाहिए था और यदि इस उपबंधों का अननुपालन हुआ है तो इससे अभियोजन पक्षकथन प्रभावित होता है और जो उसकी विश्वास की सीमा तक है । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) लिखित में ऐसी सूचना को अभिलिखित करने पर तलाशी करने के कार्रवाई से पूर्व जांच अधिकारी को सुधारने का मौका देती है और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे अभिलिखित सूचना को अनुबंधित समय के भीतर वरिष्ठ पदधारी को भेजी जानी चाहिए और यदि इन आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है तब विचारण दूषित होता है । यह उपबंध मामले को विचार में लेने के लिए रक्षोपाय के उपाय में ही बनाया गया है जिससे कि अधिनियम के अधीन अनुध्यात दंड के निवारक प्रभाव पर विचार किया जा सकता है । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और (2) में अंतर्विष्ट उपबंध का अनुपालन किया जाना अपरिहार्य रूप से अपेक्षित होगा । तथापि, यह मामला मकान के अन्दर बरामदगी से संबंधित है न कि संयोग की बरामदगी का बल्कि यह एक ऐसा मामला है जो अभियोजन का यह विनिर्दिष्ट मामला है कि पुलिस थाने पर इत्तिलाकर्ता से प्राप्त की गई सूचना और उसका कार्रवाई के अग्रसर होना तथा भवन में तलाशी ली जानी जिसके बारे में अपीलार्थियों के किराए का कमरा होना अभिकथित है और, इसलिए, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) का अननुपालन खासतौर पर धारा 42(2) का अननुपालन विचारण को दूषित

करता है । तथापि, अभि. सा. 5 इत्तिलाकर्ता का साक्ष्य यह है कि उसने कथन अभिलिखित किया और सान्हा प्रविष्टि बनाई परंतु उसे न तो पेश किया गया और न सान्हा प्रविष्टि का उल्लेख किया गया है और न ऐसा कोई साक्ष्य है कि उक्त लिखित रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई थी । इसलिए, इन तथ्यों का अवलोकन करने पर यह प्रकट हुआ है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(2) का अननुपालन या भंग हुआ है जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) की प्रकृति में आज्ञापक है, इस बात को साबित नहीं किया गया है और जो कुछ भी अभिलिखित किया गया है न तो उसको रखा गया है और न पेश किया गया है ।

21. इसलिए, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है चूंकि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अननुपालन करने से संपूर्ण विचारण दूषित है । अतः मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि उस पर यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने में समर्थ नहीं हुआ है और छपरा मुफस्सिल पुलिस थाना मामला सं. 139/2011, जी. आर. सं. 2688/2011 से उद्भूत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ मामला सं. 07/2011 के संबंध में श्री बलराम सिंह विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश सारण, छपरा द्वारा तारीख 3 सितम्बर, 2014 को पारित किए गए दोषसिद्धि का निर्णय और तारीख 9 सितम्बर, 2014 को पारित किए गए दंड का आदेश अपास्त किया जाता है और दोनों अपीलों को मंजूर किया जाता है । 2014 की दांडिक अपील (एस.जे.) सं. 565 के अपीलार्थी अर्थात् राकेश सिंह **उर्फ** राकेश कुमार सिंह जो अभिरक्षा में है यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

केदार तुरहा

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

तारीख 4 अगस्त, 2016

मुख्य न्यायमूर्ति आई. ए. अंसारी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 173(2) और धारा 190(1)(ख) – मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान – जहां इत्तिला देने वाले द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नौ व्यक्तियों के नाम वर्णित हों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट या आरोप पत्र में केवल सात व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हों, वहां मजिस्ट्रेट को केवल सात व्यक्तियों के विरुद्ध ही संज्ञान लेने के पूर्व इत्तिला देने वाले को संज्ञान के संबंध में सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे मजिस्ट्रेट आगे अन्वेषण करने या शेष दो व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही बंद करने का आदेश दे सके और न्याय का कोई दुरुपयोग न हो ।

ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं जिसके कारण यह रिट याचिका फाइल की गई । वर्तमान याची अर्थात् इत्तिलाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई फर्द बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/307/506 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अधीन 2014 का मैरवां पुलिस स्टेशन मामला सं. 184 नौ व्यक्तियों अर्थात् मंटू साही **उर्फ** विजय प्रताप साही, दीपक साही, त्रिभुवन साही, लल्लन सिंह, विनोद सिंह, पप्पू कुमार, रुदल सिंह, बंटी सिंह और गुड्डू सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया । अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं : तारीख 6 सितंबर, 2014 को रात्रि 10.15 बजे, जब इत्तिलाकर्ता अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ रात्रि के भोजन के पश्चात् बैठे हुए थे, उक्त नौ अभियुक्त व्यक्ति इत्तिलाकर्ता के घर पर आए और अंधाधुंध फायरिंग आरंभ कर दी । जब अभियुक्त मंटू साही **उर्फ** विजय प्रताप साही द्वारा अपनी देशी पिस्तौल से चलाई गई गोली से दो छर्रे इत्तिलाकर्ता की भाभी, राजकुमारी देवी को उसके दाहिने पेट की पसली, अभियुक्त दीपक साही द्वारा अपनी देशी पिस्तौल से चलाई गई एक गोली भी राजकुमारी देवी को उसके दाहिने पेट की पसली में लगी और अभियुक्त त्रिभुवन साही द्वारा अपनी

देशी पिस्तौल से फायरिंग किए जाने पर पूनम कुमारी को उसके दाहिने हाथ में लगी और दो गोली नीतू देवी के नितंब पर लगी । यथापूर्वोक्त, फायरिंग करते हुए, उक्त नौ अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल से भाग गए । इत्तिलाकर्ता के पड़ोसी, जो घटनास्थल पर उपस्थित हुए, इत्तिलाकर्ता के साथ सभी क्षतिग्रस्त पीड़ितों को रिफरल अस्पताल मैरवां गए वहां से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को सदर अस्पताल, सिवान भेजा गया । इसके पश्चात्, उनकी नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राजकुमारी देवी और नीतू देवी को पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, पटना भेजा गया किंतु दोनों की उपचार के दौरान उनकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । यद्यपि, इत्तिलाकर्ता ने मंटू साही **उर्फ** विजय प्रताप साही, अभियुक्त सं. 1 और दीपक साही अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन किए किंतु साक्षी अर्थात् राम नगीगा तुरहा, उषा देवी, सुमन् देवी, वीर प्रकाश प्रसाद के कथनों की और ऐसे क्षतिग्रस्त पीड़ित जिनकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई, के कथन की भी उपेक्षा करते हुए, पुलिस ने इस आधार पर कि उक्त दो अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं हो सकते क्योंकि उनमें से एक अस्पताल में भर्ती था और दूसरा कोचिंग इंस्टिट्यूट में अध्ययन कर रहा था, दो अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् मंटू साही **उर्फ** विजय प्रताप साही और दीपक साही को छोड़कर अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें मुक्त करते हुए केवल सात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । याची के अनुसार अन्वेषण के परिणाम को पुलिस विनिर्दिष्टतः अन्वेषण अधिकारी और उपखंड पुलिस अधिकारी, सदर, सिवान द्वारा छेड़छाड़ किया गया । याची द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन यह रिट याचिका फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – अन्वेषण पूरा होने पर पुलिस थाने के भारसाधक को क्या करना अपेक्षित है, धारा 173 में उपवर्णित है । धारा 173 की उपधारा (2)(i) में यह उपबंध है कि जैसे ही वह पूरा होता है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें यह कि क्या अधिकारी की राय में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है यदि हां तो किसके द्वारा, सहित विभिन्न विशिष्टियां उपवर्णित होंगी । अब यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 173 की उपधारा (2)(ii) में यह उल्लेख है कि वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो,

जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तिला दी उस रीति से देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए । आगे धारा 190 की उपधारा (1) में यह अधिनियमित किया गया है कि धारा 190 की उपधारा (2) के अधीन इस बाबत विशेष रूप से सशक्त कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ; (क) ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो अपराध गठित करे, या (ख) ऐसे तथ्यों के "पुलिस रिपोर्ट" पर या (ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या उसकी अपनी जानकारी से कि ऐसा अपराध किया गया है, किसी अपराध का "संज्ञान" ले सकेगा । इस मामले में मुझे केवल खंड (ख) पर विचार करना है क्योंकि मैं इस प्रश्न का यहां परिशीलन कर रहा हूं ; क्या कोई मजिस्ट्रेट प्रथम इत्तिलाकर्ता या क्षतिग्रस्त या मृतक के किसी नातेदार को नोटिस जारी करने के लिए आबद्ध है जब मजिस्ट्रेट धारा 173(2)(i) के अधीन पेश की गई पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर रहा है, चाहे, जब पुलिस रिपोर्ट में यह उपदर्शित है कि अन्वेषण से यह पता चला है कि किसी या कुछ अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपराध किया गया है । दूसरे शब्दों में, क्या कोई मजिस्ट्रेट प्रथम इत्तिलाकर्ता या क्षतिग्रस्त या मृतक के किसी नातेदार को नोटिस जारी करने लिए आबद्ध है जब मजिस्ट्रेट ऐसी पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर रहा है, जिसके द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय, पुलिस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपराधियों के रूप में नामित कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भी आरोप पत्र प्रस्तुत करता है । अतः, प्रश्न यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर पुलिस थाने के भारसाधक द्वारा की गई कार्रवाई को रिपोर्ट के साथ संसूचित करने की इत्तिला देने वाले को क्यों अपेक्षा है जो धारा 173(2)(i) के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई है । कारण स्पष्ट है और भगवंत सिंह वाले मामले में उल्लेख के अनुसार कारण यह है कि इत्तिला देने वाला जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल कर अन्वेषण की मशीनरी को सक्रिय करता है, को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो उसने दर्ज कराई है, के आधार पर आरंभ किए गए अन्वेषण का क्या परिणाम है ? इत्तिला देने वाला यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या कोई अपराध किया गया है, यदि हां, तो किस के द्वारा, पुलिस द्वारा अन्वेषण आरंभ करने की दृष्टि से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने की आरंभिक कार्यवाही करने के कारण वह प्रमुखतः अन्वेषण के परिणाम से हितबद्ध है अतः, विधि की यह अपेक्षा है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर पुलिस थाने के भारसाधक द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना

इत्तिला देने वाले को भी जाए । इसके अलावा, ऐसे अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा (2)(i) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट अग्रेषित किए जाने पर भी इसकी प्रति इत्तिला देने वाले को भी दी जाए । किंतु यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि आगे कार्यवाही चलाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है और कार्यवाही बंद करता है या यह मत व्यक्त करता है कि यद्यपि कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही चलाने का पर्याप्त आधार है किंतु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित अन्य लोगों के विरुद्ध कार्यवाही चलाने का पर्याप्त आधार नहीं है तो भगवंत सिंह वाले मामले में किए गए उल्लेख के अनुसार निश्चित ही इत्तिला देने वाले के विरुद्ध प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का पूर्णतः या भागतः उसका प्रयोजन असफल हो जाएगा । तथापि, जब उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का इत्तिला देने वाले के हित को स्पष्टतः धारा 154 की उपधारा (2), धारा 157 की उपधारा (2) और धारा 173 की उपधारा (2)(ii) में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है तो यह उपधारित किया जाना चाहिए कि इत्तिला देने वाले की समानतः यह रुचि होगी कि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले और उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके नाम उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए हैं, आदेशिका जारी करे क्योंकि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की यही पराकाष्ठा होगी । भगवंत सिंह वाले मामले में आगे यह स्पष्ट किया गया है और प्राधिकृत रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में जहां ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे धारा 173 की उपधारा (2)(i) के अधीन रिपोर्ट अग्रेषित की गई है, अपराध का संज्ञान न लेने और कार्यवाही को बंद करने का विनिश्चय करता है और यह मत व्यक्त करता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करने का पर्याप्त आधार नहीं है तो मजिस्ट्रेट को इत्तिला देने वाले को नोटिस देनी चाहिए और रिपोर्ट के विचार के समय उसे सुने जाने का अवसर देना चाहिए कि क्यों मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपराधियों के रूप में नामित व्यक्तियों में से सभी के विरुद्ध न कि केवल कुछ लोगों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करे । यथा उपरोक्त उपदर्शित अभिनिर्धारित करते हुए अब यह इंगित करने का समय है कि इत्तिला देने वाले ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/307/506 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराधों के किए जाने में अंतर्वलित

अभियुक्त के रूप में कुल 9 व्यक्तियों को नामित किया था और जब अन्वेषण करने पर पुलिस ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित सात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 173(2)(i) के अधीन पुलिस रिपोर्ट (अर्थात् आरोप पत्र) प्रस्तुत किया तो विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इत्तिला देने वाले को यह नोटिस दिए बिना कि उसे इस बात पर क्या कहना है कि पुलिस द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट को क्यों न स्वीकार किया जाए, ऐसी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए । स्वीकार्यतः इत्तिला देने वाले को ऐसी कोई नोटिस नहीं दी गई है । इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि इत्तिला देने वाले को अब भी ऐसे आदेश, जिसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में नामित दो व्यक्तियों के विरुद्ध आदेशिका जारी करने का निदेश नहीं दिया गया है, को चुनौती देने का अधिकार है, यदि वह ऐसा आवश्यक समझता है । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्याय हित में, यह निदेश दिया जाता है कि विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2)(i) के अधीन पेश की गई पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति पर इत्तिला देने वाले (अर्थात्, इसमें याची) को मामले में अपना कथन प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए नोटिस जारी करेगा और तब विधि के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगा । विद्वान् मजिस्ट्रेट मामला डायरी में अंतर्विष्ट सामग्री द्वारा यदि ऐसी अपेक्षा हो तो आगे अन्वेषण करने का भी निदेश दे सकेगा जिससे कि न्याय का कोई दुरुपयोग न हो । (पैरा 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 32, 33 और 35)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[1985] 1985 क्रिमिनल ला जर्नल 1521 =
ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1285 :
भगवंत सिंह बनाम **पुलिस आयुक्त** । 18

निर्दिष्ट निर्णय

[2008] ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1052 :
आंध्र प्रदेश राज्य बनाम **ए. एस. पीटर** ; 31

[1955] 1955 क्रिमिनल ला जर्नल 526 =
ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 196 :
एच. एन. रिसबुद बनाम **दिल्ली राज्य** । 29

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक रिट अधिकारिता मामला सं. 572.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री अक्षय लाल पंडित

प्रत्यर्थी की ओर से श्री विनय कीर्ति सिंह

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन की गई इस रिट याचिका की सहायता से इसमें याची, जो 2014 के मैरवां पुलिस स्टेशन मामला सं. 184 का इत्तिलाकर्ता है, मनु साही **उर्फ** विजय प्रताप साही और दीपक साही जिन्हें सात अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था, के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए निदेश जारी किए जाने की ईप्सा की किंतु न केवल प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों बल्कि क्षतिग्रस्त व्यक्तियों द्वारा भी उनके विरुद्ध किए गए विनिर्दिष्ट अभियोगों के बावजूद तारीख 30 नवंबर, 2014 को पुलिस रिपोर्ट (आरोप पत्र) सं. 193/2014 प्रस्तुत करते समय उनके विरुद्ध विचारण नहीं चलाया गया । याची आगे यह ईप्सा करता है कि ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के कथन जिनकी बाद में क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई, को प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् पुलिस महानिदेशक, बिहार को निदेश देते हुए मामले की नई सिरे से जांच करने के लिए मृत्युकालिक कथन माना जाए ।

2. हमें ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए जिसके कारण यह रिट याचिका फाइल की गई । वर्तमान याची अर्थात् इत्तिलाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई फर्द बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/307/506 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अधीन 2014 का मैरवां पुलिस स्टेशन मामला सं. 184 नौ व्यक्तियों अर्थात् मंटू साही **उर्फ** विजय प्रताप साही, दीपक साही, त्रिभुवन साही, लल्लन सिंह, विनोद सिंह, पप्पू कुमार, रुदल सिंह, बंटी सिंह और गुड्डू सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया । अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :–

(i) तारीख 6 सितंबर, 2014 को रात्रि 10.15 बजे, जब इत्तिलाकर्ता अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ रात्रि के भोजन के पश्चात् बैठे हुए थे, उक्त नौ अभियुक्त व्यक्ति इत्तिलाकर्ता के घर पर आए और

अंधाधुंध फायरिंग आरंभ कर दी । जब अभियुक्त मंटू साही **उर्फ** विजय प्रताप साही द्वारा अपनी देशी पिस्तौल से चलाई गई गोली से दो छर्रे इत्तिलाकर्ता की भाभी, राजकुमारी देवी को उसके दाहिने पेट की पसली, अभियुक्त दीपक साही द्वारा अपनी देशी पिस्तौल से चलाई गई एक गोली भी राजकुमारी देवी को उसके दाहिने पेट की पसली में लगी और अभियुक्त त्रिभुवन साही द्वारा अपनी देशी पिस्तौल से फायरिंग किए जाने पर पूनम कुमारी को उसके दाहिने हाथ में लगी और दो गोली नीतू देवी के नितंब पर लगी ।

(ii) यथापूर्वोक्त, फायरिंग करते हुए, उक्त नौ अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल से भाग गए । इत्तिलाकर्ता के पड़ोसी, जो घटनास्थल पर उपस्थित हुए, इत्तिलाकर्ता के साथ सभी क्षतिग्रस्त पीड़ितों को रिफरल अस्पताल मैरवां गए वहां से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को सदर अस्पताल, सिवान भेजा गया ।

(iii) इसके पश्चात्, उनकी नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राजकुमारी देवी और नीतू देवी को पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, पटना भेजा गया किंतु दोनों की उपचार के दौरान उनकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई ।

3. यद्यपि, इत्तिलाकर्ता ने मंटू साही **उर्फ** विजय प्रताप साही, अभियुक्त सं. 1 और दीपक साही अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन किए किंतु साक्षी अर्थात् राम नगीना तुरहा, उषा देवी, सुमन देवी, वीर प्रकाश प्रसाद के कथनों की और ऐसे क्षतिग्रस्त पीड़ित जिनकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई, के कथन की भी उपेक्षा करते हुए, पुलिस ने इस आधार पर कि उक्त दो अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि उनमें से एक अस्पताल में भर्ती था और दूसरा कोचिंग इंस्टिट्यूट में अध्ययन कर रहा था, दो अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् मंटू साही **उर्फ** विजय प्रताप साही और दीपक साही को छोड़कर अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें मुक्त करते हुए केवल सात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया ।

4. याची के अनुसार अन्वेषण के परिणाम को पुलिस विनिर्दिष्टतः अन्वेषण अधिकारी और उपखंड पुलिस अधिकारी, सदर, सिवान द्वारा छेड़छाड़ किया गया ।

5. उपरोक्त अभिकथनों के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226

के अधीन यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थियों को अन्वेषक अधिकारी और उपखंड पुलिस अधिकारी, सदर, सिवान के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए प्रत्यर्थियों को परमादेश रिट जारी करने के लिए फाइल की जिन्होंने राजकुमारी देवी द्वारा की गई मृत्युकालिक कथन की उपेक्षा की जो रिट याची के अनुसार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के अधीन ग्राह्य है ।

6. मैंने याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री अक्षय लाल पंडित और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् सरकारी अधिवक्ता सं. 3, श्री विनय कीर्ति सिंह को सुना ।

7. संहिता का अध्याय 12 पुलिस को सूचना और अन्वेषण करने की पुलिस की शक्ति के बारे में है । साधारणतः, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से विधि की मशीनरी सक्रिय होती है ।

8. अतः हम सर्वप्रथम संहिता की धारा 154 के उपबंधों पर विचार करते हैं । धारा 154 की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और धारा 154 की उपधारा (2) में यह अपेक्षा है कि ऐसी इत्तिला की प्रति इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी ।

9. धारा 156 की उपधारा (1) प्रत्येक पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की शक्ति प्रदान करती है और उस धारा की उपधारा (3), धारा 190 के अधीन सशक्त मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (1) में यथावर्णित अन्वेषण करने का आदेश करने को प्राधिकृत करती है ।

10. असंज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में ऐसे पुलिस थाने की सीमा के भीतर पुलिस थाने के भारसाधक को दी गई सूचना के संबंध में ऐसे अधिकारी का यह कर्तव्य है कि ऐसे प्ररूप में जो राज्य सरकार इस बाबत विहित करे, ऐसे अधिकारी द्वारा रखे गए रजिस्टर में सूचना का सार प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा और सूचना मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट करेगा किंतु वह धारा 155(2) के आलोक में ऐसे मामले का विचारण की शक्ति

रखने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे मामले का अन्वेषण नहीं कर सकता या विचारण के लिए मामले को सुपुर्द करेगा । तथापि, जब कोई पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करता है तो धारा 155(3) के अनुसार अन्वेषण करने की उसकी शक्तियां वही होंगी जो संज्ञेय मामले की दशा में हैं ।

11. उपरोक्त उपदर्शित को मिलाकर पढ़ने से किसी भी व्यक्ति के विवेक में यह आएगा कि धारा 157 की उपधारा (1) में यह अधिकथन है कि यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, इत्तिला प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा ।

12. तथापि, धारा 157 की उपधारा (1) के दो परंतुक हैं । परंतुक (ख) में यह उल्लेख है कि यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा ; किंतु ऐसे मामले में धारा 157 की उपधारा (2) की यह अपेक्षा है कि अधिकारी तत्काल तथ्य का इत्तिला देने वाले को यह सूचित करेगा कि वह मामले का अन्वेषण नहीं करेगा या अन्वेषण नहीं कराएगा ।

13. इस प्रकार, इस मामले में, धारा 157 की उपधारा (1) के परंतुक (ख) के आलोक में पुलिस अधिकारी को ऐसे मामले का अन्वेषण नहीं करने का विकल्प है यदि किसी अपराध के किए जाने के संबंध में इत्तिला नाम लेकर किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई है, बशर्ते कि मामला गंभीर प्रकृति का न हो और यदि पुलिस थाने के भारसाधक को यह प्रतीत होता है कि मामले में अन्वेषण करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है । धारा 158, धारा 157 में यथा परिकल्पित मजिस्ट्रेट को ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस बाबत नियत करे, रिपोर्ट भेजने का अनुध्यात करती है और ऐसे वरिष्ठ पुलिस

अधिकारी को ऐसे अनुदेश देने की शक्ति है जैसा वह ठीक समझे और ऐसा अनुदेश भी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा ।

14. इस तथ्य के होते हुए भी कि धारा 157 पुलिस को किसी मामले का अन्वेषण न करने की शक्ति प्रदान करती है किंतु धारा 158 के साथ पठित धारा 157 में यथा अनुध्यात रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को अन्वेषण करने का निदेश देने की शक्ति है या यदि वह ठीक समझता है तो वह तत्काल प्रारंभिक जांच करने के लिए वहां जाएगा या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को तैनात करेगा या अन्यथा संहिता में यथा उपबंधित रीति से मामले का निपटान करेगा ।

15. अन्वेषण पूरा होने पर पुलिस थाने के भारसाधक को क्या करना अपेक्षित है, धारा 173 में उपवर्णित है । धारा 173 की उपधारा (2)(i) में यह उपबंध है कि जैसे ही वह पूरा होता है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें यह कि क्या अधिकारी की राय में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है यदि हां तो किसके द्वारा, सहित विभिन्न विशिष्टियां उपवर्णित होंगी ।

16. अब यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 173 की उपधारा (2)(ii) में यह उल्लेख है कि वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तिला दी उस रीति से देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए । आगे धारा 190 की उपधारा (1) में यह अधिनियमित किया गया है कि धारा 190 की उपधारा (2) के अधीन इस बाबत विशेष रूप से सशक्त कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ; (क) ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो अपराध गठित करे, या (ख) ऐसे तथ्यों के "पुलिस रिपोर्ट" पर या (ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या उसकी अपनी जानकारी से कि ऐसा अपराध किया गया है, किसी अपराध का "संज्ञान" ले सकेगा ।

17. इस मामले में मुझे केवल खंड (ख) पर विचार करना है क्योंकि मैं इस प्रश्न का यहां परिशीलन कर रहा हूं ;

क्या कोई मजिस्ट्रेट प्रथम इत्तिलाकर्ता या क्षतिग्रस्त या मृतक के किसी नातेदार को नोटिस जारी करने के लिए आबद्ध है जब मजिस्ट्रेट

धारा 173(2)(i) के अधीन पेश की गई पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर रहा है, चाहे, जब पुलिस रिपोर्ट में यह उपदर्शित है कि अन्वेषण से यह पता चला है कि किसी या कुछ अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपराध किया गया है । दूसरे शब्दों में, क्या कोई मजिस्ट्रेट प्रथम इत्तिलाकर्ता या क्षतिग्रस्त या मृतक के किसी नातेदार को नोटिस जारी करने लिए आबद्ध है जब मजिस्ट्रेट ऐसी पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर रहा है, जिसके द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय, पुलिस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपराधियों के रूप में नामित कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भी आरोप पत्र प्रस्तुत करता है ।

18. उच्चतम न्यायालय ने **भगवंत सिंह** बनाम **पुलिस आयुक्त**[1] वाले मामले में यह इंगित किया कि जब कोई इत्तिला देने वाला पुलिस थाने के भारसाधक के पास प्रथम इत्तिला दर्ज कराता है तो वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने पर शिथिल नहीं हो जाता बल्कि उसे इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाने के भारसाधक द्वारा क्या कार्रवाई आरंभ की जाए । जैसे ही वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करता है, उसे इसकी एक प्रति धारा 154 की उपधारा (2) के अधीन निःशुल्क उसे देनी चाहिए ।

19. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के होते हुए भी, यदि पुलिस थाने का भारसाधक इस आधार पर मामले का अन्वेषण न करने का विनिश्चय करता है कि अन्वेषण आरंभ करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो धारा 157 की उपधारा (2) के अधीन उससे यह अपेक्षा है कि वह इस तथ्य की इत्तिला देने वाले को सूचित करे कि वह मामले का अन्वेषण नहीं कर रहा है या अन्वेषण नहीं करवा रहा है । इसके अलावा, धारा 173 की उपधारा (2)(ii) के अधीन पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इत्तिला देने वाले को यह संसूचित करने के लिए आबद्ध है कि पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण से क्या प्रकट हुआ है । तथापि, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पुलिस रिपोर्ट की प्रति इत्तिला देने वाले को देने की भी अपेक्षा है जो उसने धारा 173(2)(i) के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया है । [**भगवंत सिंह** (उपरोक्त) वाला मामला देखिए]

20. अतः, प्रश्न यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर पुलिस थाने के भारसाधक द्वारा की गई कार्रवाई को रिपोर्ट के साथ संसूचित करने की इत्तिला देने वाले को क्यों अपेक्षा है जो धारा 173(2)(i) के अधीन

---

[1] 1985 क्रिमिनल ला जर्नल 1521 = ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1285.

मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई है । कारण स्पष्ट है और **भगवंत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में उल्लेख के अनुसार कारण यह है कि इत्तिला देने वाला जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल कर अन्वेषण की मशीनरी को सक्रिय करता है, को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो उसने दर्ज कराई है, के आधार पर आरंभ किए गए अन्वेषण का क्या परिणाम है ?

21. इत्तिला देने वाला यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या कोई अपराध किया गया है, यदि हां, तो किस के द्वारा, पुलिस द्वारा अन्वेषण आरंभ करने की दृष्टि से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने की आरंभिक कार्यवाही करने के कारण वह प्रमुखतः अन्वेषण के परिणाम से हितबद्ध है अतः, विधि की यह अपेक्षा है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर पुलिस थाने के भारसाधक द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना इत्तिला देने वाले को भी जाए । इसके अलावा, ऐसे अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा (2)(i) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट अग्रेषित किए जाने पर भी इसकी प्रति इत्तिला देने वाले को भी दी जाए । [**भगवंत सिंह** (उपरोक्त) वाला मामला देखिए]

22. अब, जब धारा 173 की उपधारा (2)(i) के अधीन पुलिस थाने के भारसाधक द्वारा मजिस्ट्रेट को अग्रेषित रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत की जाती है तो **भगवंत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में किए गए उल्लेख के अनुसार दो भिन्न-भिन्न स्थितियों में से एक स्थिति पैदा होती है । रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि यह प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अपराध किया गया है और ऐसी दशा में, मजिस्ट्रेट तीन बातों में से कोई एक कार्रवाई कर सकेगा ; (i) वह रिपोर्ट स्वीकार करेगा और अपराध का संज्ञान देगा तथा आदेशिका जारी करेगा या (ii) वह रिपोर्ट से असहमत होगा और कार्यवाही को रोक देगा या (iii) वह धारा 156 की उपधारा (3) के अधीन आगे अन्वेषण करने का निदेश दे सकेगा और पुलिस से आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।

23. दूसरी ओर, धारा 173(2)(i) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट में यह उल्लेख हो सकता है कि पुलिस की राय में कोई अपराध किया गया प्रतीत नहीं होता और जहां ऐसी रिपोर्ट की गई है वहां **भगवंत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुसार, मजिस्ट्रेट को पुनः तीन

विकल्पों में से एक विकल्प स्वीकार करने का वर्णाधिकार है ; (i) वह रिपोर्ट स्वीकार कर सकेगा और कार्यवाही रोक देगा या (ii) वह रिपोर्ट से असहमत होगा और यह मत व्यक्त करते हुए कि आगे कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है, अपराध का संज्ञान देगा और आदेशिका जारी करेगा या (iii) वह धारा 156 की उपधारा (3) के अधीन पुलिस द्वारा आगे अन्वेषण किए जाने का निदेश दे सकेगा । जहां, इन दो स्थितियों में से, मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने का विनिश्चय करता है और आदेशिका जारी करता है वहां इत्तिला देने वाले या क्षतिग्रस्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता या मृत्यु की दशा में, मृतक का कोई नातेदार वस्तुतः व्यथित महसूस करता है क्योंकि अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया है और यह मजिस्ट्रेट द्वारा विनिश्चित किया जाता है कि मामले में आगे कार्यवाही की जाएगी ।

24. किंतु यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि आगे कार्यवाही चलाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है और कार्यवाही बंद करता है या यह मत व्यक्त करता है कि यद्यपि कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही चलाने का पर्याप्त आधार है किंतु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित अन्य लोगों के विरुद्ध कार्यवाही चलाने का पर्याप्त आधार नहीं है तो **भगवंत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में किए गए उल्लेख के अनुसार निश्चित ही इत्तिला देने वाले के विरुद्ध प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का पूर्णतः या भागतः उसका प्रयोजन असफल हो जाएगा । तथापि, जब उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का इत्तिला देने वाले के हित को स्पष्टतः धारा 154 की उपधारा (2), धारा 157 की उपधारा (2) और धारा 173 की उपधारा (2)(ii) में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है तो यह उपधारित किया जाना चाहिए कि इत्तिला देने वाले की समानतः यह रुचि होगी कि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले और उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके नाम उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए हैं, आदेशिका जारी करे क्योंकि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की यही पराकाष्ठा होगी ।

25. अतः, **भगवंत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में किए गए अभिनिर्धारण के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जब धारा 173 की उपधारा (2)(i) के अधीन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी

द्वारा की गई रिपोर्ट के विचार पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने और आदेशिका जारी करने के लिए सहमत नहीं है तो इत्तिला देने वाले को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि वह मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने और आदेशिका जारी करने के लिए मनाने हेतु अपने निवेदन प्रस्तुत कर सके ।

26. **भगवंत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में आगे यह स्पष्ट किया गया है और प्राधिकृत रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में जहां ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे धारा 173 की उपधारा (2)(i) के अधीन रिपोर्ट अग्रेषित की गई है, अपराध का संज्ञान न लेने और कार्यवाही को बंद करने का विनिश्चय करता है और यह मत व्यक्त करता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करने का पर्याप्त आधार नहीं है तो मजिस्ट्रेट को इत्तिला देने वाले को नोटिस देनी चाहिए और रिपोर्ट के विचार के समय उसे सुने जाने का अवसर देना चाहिए कि क्यों मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपराधियों के रूप में नामित व्यक्तियों में से सभी के विरुद्ध न कि केवल कुछ लोगों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करे ।

27. जब संहिता की धारा 2 (द) के अर्थान्तर्गत "पुलिस रिपोर्ट" मजिस्ट्रेट के समक्ष "संज्ञान" लेने के लिए प्रस्तुत की जाती है तो मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 190(1) के खंड (ख) के निबंधनानुसार, संज्ञान ले सकेगा, यदि पुलिस रिपोर्ट अपराध के किए जाने का प्रकटन करती है । ऐसे मामले में, मजिस्ट्रेट "संज्ञान" लेने के बजाय **भगवंत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में किए गए अभिनिर्धारण के अनुसार 'आगे अन्वेषण' करने का निदेश भी दे सकेगा ।

28. अब हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं ; कब "आगे अन्वेषण" किया जाना संभव है ? कब मजिस्ट्रेट "आगे अन्वेषण" करने का निदेश दे सकता है ? परिणामतः इन प्रश्नों से यह प्रश्न निकलता है कि "अन्वेषण" क्या है, "पुनः अन्वेषण" "आगे अन्वेषण" से किस प्रकार भिन्न है ?

29. यह उल्लेखनीय है कि "अन्वेषण" को संहिता की धारा 2(ज) में परिभाषित किया गया है । उच्चतम न्यायालय ने **एच. एन. रिसबुद** बनाम

दिल्ली राज्य[1] वाले मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन "अन्वेषण" की परिभाषा पर विचार किया, जो नई संहिता के अधीन एक जैसी है और उस संहिता के अध्याय 4 (जो नई संहिता के अध्याय 12 के तत्समान है) के उपबंधों का विश्लेषण करने के पश्चात् "अन्वेषण" का इस प्रकार वर्णन किया :–

> "....... संहिता के अधीन अन्वेषण में सामान्यतः निम्नलिखित चरण होते हैं ; (1) पता लगाने की कार्यवाही, (2) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सुनिश्चयीकरण, (3) खोज और संदिग्ध अपराधियों की गिरफ्तारी, (4) अपराध के किए जाने से संबंधित साक्ष्य का संग्रहण, जिसमें (क) (अभियुक्त सहित) विभिन्न व्यक्तियों की परीक्षा और यदि अधिकारी ठीक समझता है तो उनके कथनों का लेखबद्ध किया जाना, (ख) अन्वेषण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले और विचारण के लिए पेश किए जाने वाले स्थानों की तलाशी या वस्तुओं का अभिग्रहण, और (5) राय की सूचना कि क्या एकत्र की गई सामग्री पर विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को प्रस्तुत करने का मामला बनता है और यदि हां तो धारा 173 के अधीन आरोप पत्र फाइल कर इसके लिए आवश्यक कदम उठाया जाना ।"

30. आगे विचार करने के पूर्व यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अन्वेषण पूरा होने पर, जब पुलिस मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए, धारा 173(2)(i) के निबंधनानुसार पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति के विरुद्ध फंसाने वाली कोई सामग्री नहीं पाई गई है या अन्वेषण के दौरान पता चली सामग्रियों से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति पर अभियोजन चलाना अपर्याप्त है, ऐसी रिपोर्ट को आम तौर पर "अंतिम रिपोर्ट" जाना जाता है ; ऐसी रिपोर्ट जो पुलिस धारा 173(2)(i) के उपबंधों के निबंधनानुसार इस आशय का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करती है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित सभी या कुछ व्यक्तियों के अभियोजन की अपेक्षा करते हुए सामग्रियों का अन्वेषण करने पर पता चला तो अभियुक्त के रूप में किसी व्यक्ति के अभियोजन को इंगित करने वाली रिपोर्ट को सामान्यतः "आरोप पत्र" माना जाता है ।

---

[1] 1955 क्रिमिनल ला जर्नल 526 = ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 196.

31. पुलिस या किसी अन्य अभिकरण द्वारा किए गए अन्वेषण के पूरा होने पर जब या तो कोई अभिशंसी सामग्री किसी व्यक्ति के विरुद्ध पाई जाती है या इस प्रकार किया गया अन्वेषण असंतोषजनक या अंकित है और ऐसी दशा में जब कोई अन्वेषण किसी अभिकरण द्वारा निदेशित किया जाता है या आरंभ किया जाता है जो न केवल अभिकरण से भिन्न और अलग है जिसमें पहले यह अन्वेषण किया था किंतु ऐसा अभिकरण भी है जो पहले वाले से भिन्न किसी प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन है जिसने पहले अन्वेषण किया था तो यह "पुनः अन्वेषण" का मामला हो जाता है । उदाहरणार्थ जब स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण के परिणामस्वरूप अंतिम रिपोर्ट या आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और कुछ अभिकथन किए गए हैं कि किया गया अन्वेषण सही नहीं था और जब ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार अपनी किसी अन्य या वरिष्ठ अभिकरण जैसे आपराधिक अन्वेषण विभाग (संक्षेप में "सी. आई. डी.") को अन्वेषण के लिए मामला सौंपती है तो ऐसे अन्वेषण को "पुनः अन्वेषण" माना जा सकता है न कि "पुनः अन्वेषण" क्योंकि पुलिस और सी. आई. डी. एक और उसी विभाग के अधीन आती है ; किंतु स्थानीय पुलिस या सी. आई. डी. द्वारा अन्वेषण पूरा होने पर या उसके पूरा हुए बिना, कोई अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अर्थात् सी. बी. आई.) द्वारा आरंभ की जाती है जो ऐसे प्राधिकारी के अधीन आती है जो राज्य सरकार से भिन्न और अलग है तो यह "पुनः अन्वेषण" का मामला बनता है । (**आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **ए. एस. पीटर**[1] वाला मामला देखिए)

32. यथा उपरोक्त उपदर्शित अभिनिर्धारित करते हुए अब यह इंगित करने का समय है कि इत्तिला देने वाले ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/307/506 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराधों के किए जाने में अंतर्वलित अभियुक्त के रूप में कुल 9 व्यक्तियों को नामित किया था और जब अन्वेषण करने पर पुलिस ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित सात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 173(2)(i) के अधीन पुलिस रिपोर्ट (अर्थात् आरोप पत्र) प्रस्तुत किया तो विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इत्तिला देने वाले को यह नोटिस दिए बिना कि उसे इस बात पर क्या कहना है कि पुलिस द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट को क्यों न स्वीकार किया जाए, ऐसी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए । स्वीकार्यतः इत्तिला देने वाले को ऐसी कोई नोटिस नहीं दी

[1] ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1052.

गई है ।

33. इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि इत्तिला देने वाले को अब भी ऐसे आदेश, जिसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में नामित दो व्यक्तियों के विरुद्ध आदेशिका जारी करने का निदेश नहीं दिया गया है, को चुनौती देने का अधिकार है, यदि वह ऐसा आवश्यक समझता है ।

34. क्योंकि याची ने न तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अधीन प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को और न ही मामले के वर्तमान प्रक्रम पर, इस दांडिक रिट याचिका को अभिलेख पर लाया, इसलिए यह न्यायालय अंतिम प्ररूप स्वीकार करते समय, इत्तिला देने वाले को नोटिस देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित विधिक विवाद्यक तक स्वयं को सीमित रखता है, जब अन्वेषणकारी अभिकरण ने कुछ अभियुक्तों के नाम नहीं भेजे हैं जिनके नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लिए गए हैं ।

35. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्याय हित में, यह निदेश दिया जाता है कि विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2)(i) के अधीन पेश की गई पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति पर इत्तिला देने वाले (अर्थात्, इसमें याची) को मामले में अपना कथन प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए नोटिस जारी करेगा और तब विधि के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगा । विद्वान् मजिस्ट्रेट मामला डायरी में अंतर्विष्ट सामग्री द्वारा यदि ऐसी अपेक्षा हो तो आगे अन्वेषण करने का भी निदेश दे सकेगा जिससे कि न्याय का कोई दुरुपयोग न हो ।

36. तथापि, यदि विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेने के पश्चात् पहले ही मामला सेशन न्यायाधीश को सुपुर्द कर दिया हो तो विद्वान् विचारण न्यायालय यहां उपरोक्त दिए गए निदेशों और व्यक्त की गई मताभिव्यक्तियों के आलोक में विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करेगा ।

37. उपरोक्त मताभिव्यक्तियों और निदेशों के साथ इस रिट याचिका का निपटान किया जाता है ।

रिट याचिका निपटाई गई ।

पां.

शिव सुन्दर भारती

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

तारीख 4 अगस्त, 2016

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 504 – अपमानित करने के आशय से गाली देना – गाली के शब्दों का शिकायत या लिखित पत्र में उल्लेख नहीं करना – वस्तुतः गाली के लिए प्रयुक्त शब्दों को साबित नहीं करना – अभिकथित अपराध के लिए अवयव का अभाव होना – यदि अभिकथित अपराध के अवयवों को अभिलेख पर साबित नहीं किया जाता है तो ऐसे अपराध के लिए पारित कोई भी आदेश और उन कार्यवाहियों को, जिनके दौरान ऐसा आदेश पारित किया गया, कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वे विधि में दूषित होते हैं ।

वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि विरोधी पक्षकार संख्या 2 नन्द लाल ऋषिदेव ने शक्ति पुलिस थाना के थानाध्यक्ष के समक्ष तारीख 19 सितम्बर, 2011 को एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, यह अभिकथन करते हुए कि उसने मोहम्मद वसीम के साथ मछली पकड़ने के लिए मत्स्य विभाग से मसुन्दा में स्थित तालाब संख्या 3 का संयुक्त रूप से बंदोबस्त लिया था । उसने 10,000/- रुपए का निवेश किया था । तारीख 15 सितम्बर, 2011 को पूर्वाह्न लगभग 10.00 बजे सिया राम सादा 10 अन्य लोगों के साथ जिसमें आवेदक सम्मिलित था, वहां आया और इत्तिलाकर्ता को गाली देते हुए 15,000/- रुपए मूल्य के डेढ़ क्विंटल मछलियां लूट लीं और विरोध करने पर अभियुक्त सिया राम सादा 6,000/- रुपए मूल्य की मछली पकड़ने का जाल भी लेकर भाग गया । सभी अभियुक्तों ने इत्तिलाकर्ता को धक्का दे दिया और उसे तालाब छोड़ने की धमकी दी अन्यथा वे उसे मार देंगे । यह भी कथित है कि पंचायत भी बुलाई गई थी जिसकी बैठक नहीं हो सकी । घटना के बारे में, जो तारीख 15 सितम्बर, 2011 को घटित हुई थी, उपर्युक्त अभिकथित कथनों के आधार पर तारीख 19 सितम्बर, 2011 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 447, 341, 342, 323, 504 और 379/34 के अधीन सिया राम सादा और 7 अन्यों,

जिसमें आवेदक सम्मिलित था, के विरुद्ध 2011 की शक्ति पुलिस थाना वाद संख्या 88 दर्ज की गई थी । पुलिस ने अन्वेषण किया और अन्वेषण की समाप्ति पर मछली या मछली के जाल को लेकर भागने के बारे में अभिकथन को सही नहीं पाया और पुलिस रिपोर्ट में यह कथन किया कि सभी अभिकथन सिवाय गाली देने के गलत हैं अतएव, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(2) के अधीन पुलिस रिपोर्ट मात्र भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ही प्रस्तुत की गई थी । पुलिस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, अररिया ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध तारीख 29 सितम्बर, 2012 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन अपराध का संज्ञान लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि केस डायरी के परिशीलन से प्रथमदृष्ट्या मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन बनता है । ग्राम कचहरी की अधिकारिता रद्द होने के पश्चात् मामले का निपटारा करने के लिए अन्तरित कर दिया गया और अभियुक्त व्यक्तियों की हाजिरी के लिए तारीख 27 नवम्बर, 2012 नियत करते हुए, समन जारी करने का आदेश दिया गया । इससे व्यथित होकर वर्तमान आवेदन फाइल किया गया । न्यायालय द्वारा आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अपराध के आवश्यक अवयव निम्नलिखित हैं – (1) कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया, (2) कि उसने ऐसा सआशय किया, (3) कि वह तद्द्वारा उस व्यक्ति को प्रकोपित किया, (4) कि वह सआशय या जानता था कि उसने इस प्रकार प्रकोपित किया है कि उससे व्यक्ति शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध करेगा । मात्र शांति भंग करने या जानकारी होने के आशय से दी गई एकमात्र गाली जिससे कि इस प्रकार शांति भंग होती है जिससे कि ऐसे प्रकोपन से वह व्यक्ति शांति भंग करता है या कोई अन्य अपराध कारित करता है तो यह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन यथापरिभाषित अपराध के भीतर नहीं आता है । एक अस्पष्ट अभिकथन कि अभियुक्त व्यक्ति ने विरोधी पक्षकार के प्रति अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अवयवों को लागू होने के लिए पर्याप्त नहीं है । भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन अपराध के अवयवों को लागू करने के लिए यह आवश्यक होता है कि शिकायत/

लिखित रिपोर्ट में वस्तुतः प्रयुक्त शब्दों या तात्पर्यित शब्दों को उल्लिखित किया जाना चाहिए अन्यथा न्यायालय के लिए यह विनिश्चय करना अत्यंत कठिन होता है कि क्या प्रयुक्त शब्द सआशय अपमानित करने की कोटि में आता है या नहीं । यह भी कि प्रयुक्त शब्दों, जो सआशय अपमानित करने की कोटि में आते हैं, ऐसे होने चाहिए कि उसका आशय शांति भंग करना हो । वर्तमान मामले में, आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह सही ही निवेदन किया है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि इत्तिलाकर्ता ने अपने लिखित रिपोर्ट में वस्तुतः अपमानित करने के शब्दों का उल्लेख नहीं किया है और इत्तिलाकर्ता ने कहीं भी यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त अपमानित शब्दों ने उसे प्रकोपित किया था या यह कि अभियुक्त आशयित या यह जानता था कि प्रकोपन इत्तिलाकर्ता को या तो शांति भंग करने या अपराध करने के समान है । (पैरा 11, 12 और 13)

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक प्रकीर्ण सं. 33181.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से	श्री अरुण प्रसाद अम्बास्था, विद्वान् काउंसेल
प्रत्यर्थी की ओर से	डा. मायानन्द झा, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सी. आर. पी. सी.") की धारा 482 के अधीन यह आवेदन विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अररिया द्वारा 2011 की जी. आर. सं. 2182 में पारित तारीख 29 सितम्बर, 2012 के संज्ञान लेने के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आई. पी. सी.") की धारा 504 के अधीन 2011 की शक्ति पुलिस थाना, वाद सं. 88 और पूर्वोक्त उल्लिखित मामले के संपूर्ण कार्यवाहियों से उद्भूत हुई थी ।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन यह है कि विरोधी पक्षकार संख्या 2 नन्द लाल ऋषिदेव ने शक्ति पुलिस थाना के थानाध्यक्ष के समक्ष तारीख 19 सितम्बर, 2011 को एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, यह अभिकथन करते हुए कि उसने मोहम्मद वसीम के साथ मछली पकड़ने के लिए मत्स्य विभाग से मसुन्दा में स्थित तालाब संख्या 3 का संयुक्त रूप से बंदोबस्त लिया था । उसने 10,000/- रुपए का निवेश किया था । तारीख 15

सितम्बर, 2011 को पूर्वाह्न लगभग 10.00 बजे सिया राम सादा 10 अन्य लोगों के साथ जिसमें आवेदक सम्मिलित था, वहां आया और इत्तिलाकर्ता को गाली देते हुए 15,000/- रुपए मूल्य के डेढ़ क्विंटल मछलियां लूट लीं और विरोध करने पर अभियुक्त सिया राम सादा 6,000/- रुपए मूल्य की मछली पकड़ने का जाल भी लेकर भाग गया । सभी अभियुक्तों ने इत्तिलाकर्ता को धक्का दे दिया और उसे तालाब छोड़ने की धमकी दी अन्यथा वे उसे मार देंगे । यह भी कथित है कि पंचायत भी बुलाई गई थी जिसकी बैठक नहीं हो सकी ।

3. घटना के बारे में, जो तारीख 15 सितम्बर, 2011 को घटित हुई थी, उपर्युक्त अभिकथित कथनों के आधार पर तारीख 19 सितम्बर, 2011 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 447, 341, 342, 323, 504 और 379/34 के अधीन सिया राम सादा और 7 अन्यों, जिसमें आवेदक सम्मिलित था, के विरुद्ध 2011 की शक्ति पुलिस थाना वाद संख्या 88 दर्ज की गई थी ।

4. पुलिस ने अन्वेषण किया और अन्वेषण की समाप्ति पर मछली या मछली के जाल को लेकर भागने के बारे में अभिकथन को सही नहीं पाया और पुलिस रिपोर्ट में यह कथन किया कि सभी अभिकथन सिवाय गाली देने के गलत हैं अतएव, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 (2) के अधीन पुलिस रिपोर्ट मात्र भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ही प्रस्तुत की गई थी ।

5. पुलिस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, अररिया ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध तारीख 29 सितम्बर, 2012 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन अपराध का संज्ञान लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि केस डायरी के परिशीलन से प्रथमदृष्ट्या मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन बनता है । ग्राम कचहरी की अधिकारिता रद्द होने के पश्चात् मामले का निपटारा करने के लिए अन्तरित कर दिया गया और अभियुक्त व्यक्तियों की हाजिरी के लिए तारीख 27 नवम्बर, 2012 नियत करते हुए, समन जारी करने का आदेश दिया गया ।

6. आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री अरुण प्रसाद अम्बास्था ने यह निवेदन किया कि अपराध का संज्ञान लेने के लिए आक्षेपित आदेश विधि और तथ्यों में भी दूषित है । उन्होंने यह निवेदन किया कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए यह

अपेक्षित है कि शिकायतकर्ता/इत्तिलाकर्ता को वस्तुतः उस गाली के शब्दों का उल्लेख करना चाहिए जो अभियुक्त द्वारा प्रयोग किया गया था और जिसका आशय उसे अपमानित करना हो । उन्होंने यह निवेदन किया कि यह भी अपेक्षित है कि इत्तिलाकर्ता को अपनी शिकायत/लिखित रिपोर्ट में यह दर्ज कराना चाहिए कि अभियुक्त का यह आशय था या यह जानता था कि उसके द्वारा प्रयोग किए गए अपमानजनक शब्द या तो इत्तिलाकर्ता की शांति भंग करता है या कोई अन्य अपराध कारित करने के समान है ।

7. उन्होंने यह निवेदन किया कि लिखित रिपोर्ट में मात्र यह अभिकथन है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने इत्तिलाकर्ता को गाली दी है । इत्तिलाकर्ता ने अपनी लिखित रिपोर्ट में वस्तुतः, गाली के शब्दों को नहीं दिया है, जिन्हें अभियुक्त द्वारा प्रयोग किया जाना अभिकथित है । न केवल यह अपितु इत्तिलाकर्ता ने लिखित रिपोर्ट में यह कथन नहीं किया है कि उसे गाली द्वारा प्रकोपित किया गया था ।

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान् अपर लोक अभियोजक डा. माया नन्द झा ने यह निवेदन किया कि यद्यपि वस्तुतः गाली के शब्दों का लिखित रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है तो भी मात्र इससे ही अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियोजित करने से छूट नहीं मिल सकती है । उन्होंने यह निवेदन किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने गाली की भाषा का प्रयोग किया था । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के समक्ष यह साबित कर दिया है कि गाली के शब्दों का प्रयोग किया गया था, जैसा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित है, जो इत्तिलाकर्ता को अपमानित करने के लिए आशयित था । अतएव, इस प्रक्रम पर यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश विधि में दूषित है ।

9. मैंने, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया ।

10. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 जिसके अधीन विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया था, इस प्रकार है :–

> "धारा 504. **लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान** – जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह

संभाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।"

11. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अपराध के आवश्यक अवयव निम्नलिखित हैं :–

(1) कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,

(2) कि उसने ऐसा सआशय किया,

(3) कि वह तद्द्वारा उस व्यक्ति को प्रकोपित किया,

(4) कि वह सआशय या जानता था कि उसने इस प्रकार प्रकोपित किया है कि उससे व्यक्ति शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध करेगा ।

12. मात्र शांति भंग करने या जानकारी होने के आशय से दी गई एकमात्र गाली जिससे कि इस प्रकार शांति भंग होती है जिससे कि ऐसे प्रकोपन से वह व्यक्ति शांति भंग करता है या कोई अन्य अपराध कारित करता है तो यह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन यथापरिभाषित अपराध के भीतर नहीं आता है । एक अस्पष्ट अभिकथन कि अभियुक्त व्यक्ति ने विरोधी पक्षकार के प्रति अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अवयवों को लागू होने के लिए पर्याप्त नहीं है । भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन अपराध के अवयवों को लागू करने के लिए यह आवश्यक होता है कि शिकायत/लिखित रिपोर्ट में वस्तुतः प्रयुक्त शब्दों या तात्पर्यित शब्दों को उल्लिखित किया जाना चाहिए अन्यथा न्यायालय के लिए यह विनिश्चय करना अत्यंत कठिन होता है कि क्या प्रयुक्त शब्द सआशय अपमानित करने की कोटि में आता है या नहीं । यह भी कि प्रयुक्त शब्दों, जो सआशय अपमानित करने की कोटि में आते हैं, ऐसे होने चाहिए कि उसका आशय शांति भंग करना हो ।

13. वर्तमान मामले में, आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह सही ही निवेदन किया है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि इत्तिलाकर्ता ने अपने लिखित रिपोर्ट में वस्तुतः अपमानित करने के शब्दों का उल्लेख नहीं किया है और इत्तिलाकर्ता ने कहीं भी यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त

अपमानित शब्दों ने उसे प्रकोपित किया था या यह कि अभियुक्त आशयित या यह जानता था कि प्रकोपन इत्तिलाकर्ता को या तो शांति भंग करने या अपराध करने के समान है ।

14. इसमें उपर्युक्त की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अररिया द्वारा 2011 की जी. आर. सं. 2182 में पारित तारीख 29 सितम्बर, 2012 का आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है । तद्नुसार, इसे अपास्त किया जाता है । तारीख 29 सितम्बर, 2012 के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित करने के परिणामस्वरूप पूर्वोक्त उल्लिखित मामले की सम्पूर्ण कार्यवाहियां भी अभिखंडित की जाती हैं ।

15. आवेदन मंजूर किया जाता है ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

क.

(2017) 1 दा. नि. प. 68 **मद्रास**

राज्य

बनाम

मनोहरण

तारीख 7 जून, 2016

न्यायमूर्ति आर. सुबइय्या

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) – धारा 7 और 13 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145] – अवैध परितोषण – अभियुक्त को जाल बिछा कर अवैध परितोषण लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाना – शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य परीक्षा में अवैध परितोषण की मांग किए जाने और उसको प्राप्त किए जाने के आरोप की पुष्टि किया जाना किन्तु चार वर्ष पश्चात् प्रतिपरीक्षा में पूर्व कथन के विपरीत कथन किया जाना जिस कारणवश अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया – यदि प्रतिपरीक्षा में विलंब के बावजूद अभियोजन की ओर से पेश अन्य साक्ष्य न्यायालय के विवेक में कोई ऐसा विश्वास उत्पन्न नहीं करते जिसके आधार पर न्यायालय समय के दूरस्थ बिंदु पर दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में

मध्यक्षेप करने के लिए प्रेरित हो तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित नहीं है ।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 – धारा 7 और 13 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145] – अवैध परितोषण – अभियुक्त को जाल बिछा कर अवैध परितोषण लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाना – शिकायत दर्ज कराए जाने की तारीख के संबंध में अभियोजन के पक्षकथन में असंगतताएं – साधारणतया दोषमुक्ति के आदेश में मध्यक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा को उसकी दोषमुक्ति से बल मिलता है – दोषमुक्ति के निर्णय में मध्यक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए विवशकारी और सारभूत कारण मौजूद हों ।

संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त जिला वेल्लोर के कट्पठी, थरपडवेद में तमिलनाडु बिजली बोर्ड में कनिष्ठ इंजीनियर के पद पर कार्यरत था । वास्तविक शिकायकर्ता, जिसका परीक्षण विचारण न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 2 के रूप में किया गया, ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त से तारीख 25 मई, 2005 को अपने विपणन केंद्र (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) के लिए बिजली सेवा का कनेक्शन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ 50/- रुपए की फीस के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए, जिसकी रसीद भी जारी की गई थी, संपर्क किया । इसके पश्चात् तारीख 27 मई, 2015 को जब वास्तविक शिकायकर्ता ने अभियुक्त से पुनः संपर्क किया तो अभियुक्त ने 500/- रुपए के अवैध परितोषण (रिश्वत) की मांग की । अतः वास्तविक शिकायकर्ता ने वेल्लोर के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध विंग के पुलिस निरीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई । अभि. सा. 15 ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के संबंध में तारीख 31 मई, 2005 को अपराह्न 6.30 बजे 2005 के अपराध सं. 3 के रूप में मामला रजिस्ट्रीकृत कर लिया । क्योंकि वास्तविक, शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जाल बिछाने के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार था, वेल्लोर के सतर्कता और भ्रष्टचार निरोध विंग के पुलिस निरीक्षक ने अपेक्षित औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात् जाल बिछाया । उक्त जाल के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने वास्तविक शिकायतकर्ता से पूर्वाह्न लगभग 10.30 बजे अधिकारिक साक्षियों अर्थात् वेल्लोर के स्थानीय लेखा विभाग के उप निरीक्षक श्री सी. कार्तिकेयन और वेल्लोर के संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय के कृषि अधिकारी श्री एस.

आर. बालाजी की उपस्थिति में रिश्वत के रूप में 500/- रुपए मांगे और प्राप्त किए । तत्पश्चात् प्रत्यर्थी/अभियुक्त को उसी दिन अपराह्न लगभग 12.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया । अन्वेषण अधिकारी ने विस्तारपूर्वक किए गए अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(2) सपठित धारा 13(1)(घ)(ii) के अधीन अभिकथित अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल किया । विचारण न्यायालय द्वारा 2006 के विशेष मामला सं. 1 (2005 का अपराध सं. 3) में आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट फाइल पर स्वीकार की गई । विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के निवेदनों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् प्रत्यर्थी/अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने दोषमुक्ति के उपरोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए यह अपील फाइल की है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल का निवेदन कठिन प्रकृति का है । जैसी कि दलील विद्वान् अपर लोक अभियोजन द्वारा दी गई है, अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा में चार वर्ष का विलम्ब हुआ । तत्समय, न्यायालय का यह विचार है कि अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा में विलम्ब के बावजूद अभियोजन की ओर से पेश किए गए अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस न्यायालय में विवेक में ऐसा कोई विश्वास उत्पन्न नहीं करते जिनके आधार पर यह न्यायालय समय के इस दूरस्थ बिंदु पर दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में मध्यक्षेप करने के लिए प्रेरित हो सकता है । वास्तव में, शिकायत दर्ज कराए जाने की तारीख के संबंध में अभियोजन के पक्षकथन में असंगतताएं हैं । अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दलील दी गई है कि शिकायत का रजिस्ट्रीकरण तारीख 31 मई, 2005 है । किन्तु अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में प्रतिपरीक्षा के समय अभिकथित किया कि उसने बिजली बोर्ड प्राधिकारियों को तारीख 22 मई, 2005 को और सतर्कता पुलिस को तारीख 27 मई, 2005 को शिकायत दी थी । किन्तु यह अभि. सा. 2 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को 500/- रुपए की राशि दिए जाने के अत्यधिक पहले हो चुका था चूंकि अभिकथित अवैध परितोषण तारीख 31 मई, 2005 को दे दिया गया था । यद्यपि अपील न्यायालय पर उस साक्ष्य, जिसके आधार पर दोषमुक्ति का कोई आदेश पारित किया गया है, का पुनर्विलोकन

किए जाने के बाबत कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी साधारणतया दोषमुक्ति के आदेश में मध्यक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा को उसी दोषमुक्ति से बल मिलता है और इसके अतिरिक्त दोषमुक्ति के निर्णय में मध्यक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए विवशकारी और सारभूत् कारण मौजूद हों । उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि स्वर्णिम नियम जो दांडिक मामलों में न्याय प्रशासन की संपूर्ण प्रणाली को शासित करता है, यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर दो मत संभव हो, एक अभियुक्त की दोषिता की ओर संकेत करता हो और दूसरा उसकी निर्दोषिता की ओर, तो उस मत को अंगीकृत किया जाना चाहिए जो अभियुक्त के अनुकूल हो और न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि इस बात पर विचार करना चाहिए कि न्याय की हत्या को रोका जाए । न्यायालय के समक्ष उपस्थित मामले में वह विचार जो अपीलार्थी/अभियुक्त के पक्ष में है, उसको दोषमुक्त करने के प्रयोजनार्थ अंगीकृत किया जाना चाहिए अर्थात् अभि. सा. 2 के साक्ष्य में प्रतिकूल कथन को जो अपीलार्थी/अभियुक्त के पक्ष में है । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में अभि. सा. 2 द्वारा अधिशेष ऋण की रकम के संदाय के संबंध में विभिन्न असंगतताओं पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने ठीक निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन 500/- रुपए की रिश्वत की रकम की मांग किए जाने और उसको स्वीकार किए जाने को साबित कर पाने में पूर्णतया विफल रहा है । जैसी कि दलील अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई है और जैसी कि मताभिव्यक्ति ऊपर की गई है, चूंकि अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य इस न्यायालय का विश्वास बढ़ाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, न्यायालय इस दूरस्थ समयबिंदु पर इस न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप किए जाने योग्य कोई भी विवशकारी परिस्थितियां नहीं पाता । इसलिए, मैं विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में कोई शिथिलता या अवैधता नहीं पाता । (पैरा 13, 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015] (2015) 2 एस. सी. सी. 220 =
ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 1206 :
विनोद कुमार बनाम **पंजाब राज्य ;** 7, 11

[2003] (2003) 12 एस. सी. सी. 606 =
ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1053 :
रामानंद यादव बनाम **प्रभू नाथ झा** । 14

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील संख्या 275.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वेल्लोर के निर्णय तारीख 9 जून, 2014 के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री पी. गोविंदराजन, अपर लोक अभियोजक

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. हारुन अल रशीद और मैसर्स टी. एस. गोपालन एंड कंपनी

निर्णय

यह दांडिक अपील वेल्लोर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा 2015 के विशेष वाद संख्या 1 में पारित तारीख 9 जून, 2014 के निर्णय, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया, के विरुद्ध फाइल की गई है । प्रत्यर्थी/अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(2) सपठित धारा 13(1)(घ)(ii) के अधीन अभिकथित अपराधों के लिए उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(1) के अधीन विरचित आरोपों के संबंध में दोषमुक्त कर दिया गया है ।

2. मैं, साक्ष्य पर विस्तारपूर्वक विचार करने के पूर्व अभियोजन के पक्षकथन पर विचार करूंगा, जो संक्षेप में निम्नलिखित है :—

> प्रत्यर्थी/अभियुक्त जिला वेल्लोर के कट्पडी, थरपडवेद में तमिलनाडु बिजली बोर्ड में कनिष्ठ इंजीनियर के पद पर कार्यरत था । वास्तविक शिकायतकर्ता (जिसका परीक्षण विचारण न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 2 के रूप में किया गया) ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त से तारीख 25 मई, 2005 को अपने विपणन केंद्र (शॉपिंग काम्प्लेक्स) के लिए बिजली सेवा का कनेक्शन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ 50/- रुपए की फीस के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए, जिसकी रसीद भी जारी की गई थी, संपर्क किया था । इसके पश्चात् तारीख 27 मई, 2015 को वास्तविक शिकायतकर्ता ने अभियुक्त से पुनः वही अनुरोध करते हुए संपर्क किया जिसके बाबत अभियुक्त ने 500/- रुपए के

अवैध परितोषण (रिश्वत) की मांग की । अतः वास्तविक शिकायतकर्ता ने वेल्लोर के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध विंग पुलिस निरीक्षक (जिसका परीक्षण अभि. सा. 15 के रूप में किया गया), के समक्ष शिकायत दर्ज कराई । अभि. सा. 15 ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के संबंध में तारीख 31 मई, 2005 को अपराह्न 6.30 बजे 2005 के अपराध संख्या 3 के रूप में मामला रजिस्ट्रीकृत कर लिया । क्योंकि वास्तविक शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जाल बिछाने के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हो गया था, वेल्लोर के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध विंग के पुलिस निरीक्षक ने अपेक्षित औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात् जाल बिछा दिया । उक्त जाल का जो परिणाम सामने आया, यह था कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने वास्तविक शिकायतकर्ता से पूर्वाह्न लगभग 10.30 बजे अधिकारिक साक्षियों अर्थात् वेल्लोर के स्थानीय लेखा विभाग के उप निरीक्षक श्री सी. कार्तिकेयन और वेल्लोर के संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय के कृषि अधिकारी श्री एस. आर. बालाजी की उपस्थिति में रिश्वत के रूप में 500/- रुपए मांगे और प्राप्त किए । तत्पश्चात् प्रत्यर्थी/अभियुक्त को उसी दिन अपराह्न लगभग 12.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया । अन्वेषण अधिकारी ने विस्तारपूर्वक अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(2) सपठित धारा 13(1)(घ)(ii) के अधीन अभिकथित अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल कर दिया । विचारण न्यायालय द्वारा 2006 के विशेष मामला संख्या 1 (2005 का अपराध संख्या 3) में आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट फाइल पर स्वीकार कर ली गई ।

3. अभियोजन के विचारण के दौरान अपने मामले को साबित करने के लिए 16 साक्षियों का परीक्षण कराया, 21 दस्तावेजों को चिह्नित कराया और 7 तात्विक वस्तुओं को प्रदर्शित कराया ।

4. जब प्रत्यर्थी/अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पूछताछ की गई, तो उसने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया । उसने किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया बल्कि मात्र प्रदर्श को चिह्नित कराया ।

5. विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के निवेदनों को सुनने और

अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् प्रत्यर्थी/अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने दोषमुक्ति के उपरोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए यह अपील फाइल की है ।

6. अपीलार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभि. सा. 2/वास्तविक शिकायतकर्ता ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त, जो कनिष्ठ इंजीनियर के पद पर कार्यरत था, से अपने विपणन केंद्र के लिए बिजली सेवा का संयोजन प्राप्त करने के लिए संपर्क किया था जिसके बाबत अभियुक्त ने 500/- रुपए के अवैध परितोषण (रिश्वत) की मांग की थी जिसके परिणामस्वरूप अभि. सा. 2/वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा अभि. सा. 15/तत्कालीन पुलिस निरीक्षक के समक्ष शिकायत/प्रदर्श पी-2 फाइल किया गया था जिसको अपराह्न लगभग 6.30 बजे 2005 के अपराध संख्या 3 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था । क्योंकि वास्तविक शिकायतकर्ता जाल बिछाने में सहयोग करने के लिए सहमत हो गया था, तारीख 31 मई, 2005 को जाल बिछाया गया और उस समय प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने शासकीय साक्षियों की उपस्थिति में पूर्वाह्न लगभग 10.30 बजे 500/- रुपए की रिश्वत की मांग की, जिस कारणवश प्रत्यर्थी/अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था ।

7. अपीलार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने दलील दी कि अभि. सा. 2 (वास्तविक शिकायतकर्ता) ने अपनी मुख्य परीक्षा में तारीख 31 मई, 2005 को बिछाए गए जाल में शासकीय साक्षियों अर्थात् कार्तिकेयन और बालाजी की उपस्थिति में रिश्वत मांगे जाने और उसको प्राप्त किए जाने के बारे में सुस्पष्टतः अभिकथित किया गया है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने आगे अभिकथित किया कि यद्यपि अभि. सा. 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है, किंतु अपनी प्रतिपरीक्षा के समय उसने यह अभिकथित करते हुए भिन्न पक्षकथन किया कि उसके द्वारा दी गई 500/- रुपए की राशि/अभियुक्त द्वारा अधिशेष ऋण की रकम के पुनर्संदाय के बाबत प्राप्त की गई थी । इस संबंध में विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने आगे निवेदन किया कि अभि. सा. 2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिया गया विरोधात्मक कथन अधिसंभाव्य रूप से उसकी प्रतिपरीक्षा किए जाने में चार वर्ष के विलंब के कारणवश है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह निवेदन भी किया कि अभि. सा. 2 और प्रत्यर्थी/अभियुक्त की पत्नी

सहपाठी थे और इसलिए इस बात की पूरी संभाव्यता है कि उसको प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा मुख्य परीक्षा की तारीख से चार वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् पक्षद्रोही बना दिया गया हो । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने इस न्यायालय का ध्यान **विनोद कुमार** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले की ओर आकर्षित किया और निवेदन किया कि इस निर्णय में अधिकथित इतिरोक्ति से स्पष्टतः दर्शित होता है कि यदि प्रतिपरीक्षा लंबी अवधि के पश्चात् कराई जाती है, तो साक्षी पर दबाव बनाए जाने और उसको पक्षद्रोही बनाए जाने के लिए सभी प्रकार की युक्तियां अपनाए जाने की प्रत्येक संभाव्यता होती है । इस मामले में भी अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा चार वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् कराई गई और इसलिए प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसको पक्षद्रोही बनाए जाने की प्रत्येक संभाव्यता थी जिससे साधारणतः इनकार नहीं किया जा सकता । अतः, विचारण न्यायालय को इन पहलुओं पर विचार करते हुए मात्र अभि. सा. 2 की मुख्य परीक्षा और साथ ही अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अन्वेषण अधिकारी अभि. सा. 15, जिन सभी लोगों ने जाल बिछाए जाने और प्रत्यर्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने और उसको प्राप्त किए जाने की बात को सुस्पष्टतया अभिकथित किया है, के साक्ष्य का अवलंब लेना चाहिए था । इसलिए विचारण न्यायालय को अभियुक्त को ऊपर अभिकथित अपराधों के लिए दोषसिद्ध करना चाहिए था ।

8. विचारण न्यायालय ने प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 2 के विपरीत पक्षकथन का अवलंब लेते हुए और अभि. सा. 3 और 4 के साक्ष्य पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार न करते हुए प्रत्यर्थी/अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषपूर्ण ढंग से दोषमुक्त कर दिया और इसलिए विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना की कि प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करते हुए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में उसको दोषसिद्ध किया जाए ।

9. प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने उपरोक्त निवेदनों का खंडन करते हुए यह निवेदन किया कि अभि. सा. 3 और 4 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया है कि जब प्रत्यर्थी/अभियुक्त का परीक्षण अन्वेषण अधिकारी/अभि. सा. 15 द्वारा अन्वेषण के सामान्य अनुक्रम के दौरान किया गया तो प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने अन्वेषण अधिकारी/अभि. सा. 15 को स्पष्ट कर दिया था कि उसने केवल ऋण की अधिशेष रकम को अभि.

---

[1] (2015) 2 एस. सी. सी. 220 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 1206.

सा. 2 से तारीख 31 मई, 2005 को वापस प्राप्त किया था । अन्वेषण अधिकारी/अभि. सा. 15 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया है कि जब वह अन्वेषण के सामान्य अनुक्रम के दौरान प्रत्यर्थी/अभियुक्त का परीक्षण कर रहा था तो अभियुक्त ने अभिकथित किया था कि उसने अभि. सा. 2 से केवल ऋण की अधिशेष रकम वापस प्राप्त की थी । इसलिए, अभि. सा. 2 के साक्ष्य में यह पहली बार नहीं आया है कि 500/- रुपए की रकम अभियुक्त को ऋण की अधिशेष रकम के रूप में दी गई थी । वास्तव में अभि. सा. 2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में की गई स्वीकारोक्ति मात्र उस कथन के सामंजस्य में है जो प्रत्यर्थी/अभियुक्त द्वारा अन्वेषण अधिकारी/ अभि. सा. 15 के समक्ष अन्वेषण के सामान्य अनुक्रम के दौरान अभि. सा. 3 और 4 की उपस्थिति में किया गया था । इसलिए अन्वेषण अधिकारी/ अभि. सा. 15 के साक्ष्य और अभि. सा. 3 और 4 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई 500/- रुपए की रकम मात्र अधिशेष ऋण की रकम है । इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि अभि. सा. 2 के साक्ष्य में शिकायत/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दर्ज कराए जाने और उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख के संबंध में अनेक असंगतताएं हैं । अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया कि उसने तारीख 22 मई, 2005 को बिजली बोर्ड प्राधिकारियों और सतर्कता पुलिस से शिकायत की थी । किंतु शिकायत प्रदर्श पी-2 से ज्ञात होता है कि शिकायत तारीख 31 मई, 2005 की है जिसको पुलिस द्वारा तारीख 31 मई, 2005 को ही रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

10. प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह भी अभिकथित किया है कि चूंकि अभि. सा. 2 के साक्ष्य में 500/- रुपए की ऋण की रकम के संदाय/प्राप्ति के संबंध में और उसकी प्रतिपरीक्षा में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत के दर्ज कराए जाने/रजिस्ट्रीकरण की तारीख के संबंध में असंगतताएं हैं, यह अनुमान सुविधापूर्वक लगाया जा सकता है कि अभियोजन ने अपने मामले को उचित रीति में साबित नहीं किया है, जैसाकि उनके द्वारा पहले मामले को प्रस्तुत किया गया था । अतः, विद्वान् काउंसेल ने उपरोक्त कारणोंवश अपील को खारिज किए जाने की प्रार्थना की है ।

11. दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के

पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यद्यपि अभि. सा. 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है, किंतु प्रतिपरीक्षा में अपने स्वयं के द्वारा दिए गए कथन का खंडन किया है और अभिकथित किया है कि उसने अपीलार्थी/अभियुक्त को 500/- रुपए की राशि का संदाय मात्र अधिशेष ऋण की रकम की बाबत किया था । विद्वान् अपर लोक अभियोजक का निवेदन है कि अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा की तारीख से चार वर्षों के पश्चात् की गई थी । अभि. सा. 2/वास्तविक शिकायतकर्ता और अपीलार्थी/अभियुक्त की पत्नी सहपाठी थे और इसलिए इस बात की संभाव्यता है कि उसको अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा पक्षद्रोही कर दिया गया होगा । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने इस संबंध में **विनोद कुमार** बनाम **पंजाब राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया और निवेदन किया कि चूंकि वास्तविक शिकायतकर्ता/अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा कराए जाने में लंबा विलंब हुआ था, अभि. सा. 2 द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा में किए गए असंगत कथन को अस्वीकार किए जाने और उसकी मुख्य परीक्षा और साथ ही अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 15 (अन्वेषण अधिकारी) के साक्ष्य का अवलंब लिए जाने के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराधों के बाबत दोषसिद्ध किया जा सकता है और इसलिए उसने दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की है ।

12. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल का उत्तर है कि अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उसने यह अभिकथित किया हो कि अपीलार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा दी गई 500/- रुपए की राशि अधिशेष ऋण की रकम मात्र थी जो अपीलार्थी/अभियुक्त को संदेय थी । वास्तव में जब अपीलार्थी/अभियुक्त का परीक्षण अन्वेषण अधिकारी/अभि. सा. 15 द्वारा किया गया था, तो उसने अन्वेषण अधिकारी को स्पष्ट कर दिया था कि उसने अभि. सा. 2 से 500/- रुपए की रकम अधिशेष ऋण की रकम के बाबत वापस प्राप्त की थी जो उसके द्वारा संदेय थी । अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अन्वेषण अधिकारी अभि. सा. 15 ने अपने साक्ष्य में सुस्पष्टतया अभिकथित किया है कि जब अभियुक्त का परीक्षण अन्वेषण अधिकारी अभि. सा. 15 द्वारा किया गया, तो उसने अभिकथित किया था कि उसने अभि. सा. 2 से केवल अधिशेष ऋण की रकम वापस प्राप्त की है । इसलिए, प्रत्यर्थी/अभियुक्त के

विद्वान् काउंसेल के अनुसार, अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से प्राप्त की गई रिश्वत की मांग किए जाने और उसको स्वीकार किए जाने को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

13. दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा किए गए निवेदनों को विचार में लाए बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल का निवेदन कठिन प्रकृति का है । जैसाकि दलील विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा दी गई है, अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा में चार वर्ष का विलंब हुआ । तत्समय, मेरा विचार है कि अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा में विलंब के बावजूद अभियोजन की ओर से पेश किए गए अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस न्यायालय में विवेक में ऐसा कोई विश्वास उत्पन्न नहीं करते जिनके आधार पर यह न्यायालय समय के इस दूरस्थ बिंदु पर दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में मध्यक्षेप करने के लिए प्रेरित हो सकता है । वास्तव में, शिकायत दर्ज कराए जाने की तारीख के संबंध में अभियोजन के पक्षकथन में असंगतताएं हैं । अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दलील दी गई है कि शिकायत प्रदर्श पी-2 से यह देखा गया है कि शिकायत की तारीख और शिकायत का रजिस्ट्रीकरण तारीख 31 मई, 2005 है । किंतु अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में प्रतिपरीक्षा के समय अभिकथित किया कि उसने बिजली बोर्ड प्राधिकारियों को तारीख 22 मई, 2005 को और सतर्कता पुलिस को तारीख 27 मई, 2005 को शिकायत दी थी । किंतु यह अभि. सा. 2 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को 500/- रुपए की राशि दिए जाने के अत्यधिक पहले हो चुका था चूंकि अभिकथित अवैध परितोषण तारीख 31 मई, 2005 को दे दिया गया था ।

14. इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने **रामानंद यादव** बनाम **प्रभु नाथ झा**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय, जिसका अवलंब विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा लिया गया, में इस विषय पर उपलब्ध अनेक पूर्व विनिश्चयों पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि अपील न्यायालय पर उस साक्ष्य, जिसके आधार पर दोषमुक्ति का कोई आदेश पारित किया गया है, का पुनर्विलोकन किए जाने के बाबत कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी साधारणतया दोषमुक्ति के आदेश में मध्यक्षेप नहीं किया

[1] (2003) 12 एस. सी. सी. 606 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1053.

जाएगा क्योंकि अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा को उसकी दोषमुक्ति से बल मिलता है और इसके अतिरिक्त दोषमुक्ति के निर्णय में मध्यक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए विवशकारी और सारभूत कारण मौजूद हों । उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि स्वर्णिम नियम जो दांडिक मामलों में न्याय प्रशासन की संपूर्ण प्रणाली को शासित करता है, यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर दो मत संभव हों, एक अभियुक्त की दोषिता की ओर संकेत करता हो और दूसरा उसकी निर्दोषिता की ओर, तो उस मत को अंगीकृत किया जाना चाहिए जो अभियुक्त के अनुकूल हो और न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि इस बात पर विचार करना चाहिए कि न्याय की हत्या को रोका जाए । मेरे समक्ष उपस्थित मामले में वह विचार जो अपीलार्थी/अभियुक्त के पक्ष में है, उसको दोषमुक्त करने के प्रयोजनार्थ अंगीकृत किया जाना चाहिए अर्थात् अभि. सा. 2 के साक्ष्य में प्रतिकूल कथन को, जो अपीलार्थी/अभियुक्त के पक्ष में है ।

15. अतः, जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में अभि. सा. 2 द्वारा अधिशेष ऋण की रकम के संदाय के संबंध में विभिन्न असंगतताओं पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने ठीक निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन 500/- रुपए की रिश्वत की रकम की मांग किए जाने और उसको स्वीकार किए जाने को साबित कर पाने में पूर्णतया विफल रहा है । जैसाकि दलील अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई है और जैसाकि मताभिव्यक्ति ऊपर की गई है, चूंकि अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य इस न्यायालय का विश्वास बढ़ाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस दूरस्थ समयबिंदु पर इस न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप किए जाने योग्य कोई भी विवशकारी परिस्थितियां नहीं पाता । इसलिए, मैं विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में कोई शिथिलता या अवैधता नहीं पाता । तदनुसार, दांडिक अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय की पुष्टि करते हुए खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

शु.

गोपाल सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 11 अगस्त, 2016

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 – हत्या का प्रयत्न – आशय – सबूत – यह अभिकथन किया जाना कि परिवादी ने अभियुक्त-छात्र की विद्यालय की उपस्थिति को उपान्तरित करने से इनकार कर दिया, फलस्वरूप छात्र द्वारा परिवादी के वक्ष और पेट पर खंजर से कई घाव किए गए – यदि अभियुक्त-छात्र द्वारा विद्यालय की उपस्थिति के संबंध में परिवादी को क्षतियां पहुंचाई गईं, क्षतियों को चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है तो क्षतियां कारित करके हत्या किए जाने का प्रयत्न किया गया है तो अभियुक्त-छात्र की दोषसिद्धि उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 – हत्या – दंड – दंड का उपान्तरण – घटना के समय अभियुक्त-छात्र की आयु 22 वर्ष थी और मामला-पूर्व सुनियोजित नहीं था – जहां अभियुक्त छात्र ने परीक्षा में बैठने से विरत होने पर हताश और क्रोधित होकर क्षतियां कारित कीं वहां पर अभियुक्त-छात्र द्वारा सलाखों के पीछे 5 वर्ष से अधिक समय तक पहले ही दंड भोग लिया गया है, इसलिए पहले भोगी गई सजा को मूल दंड से घटाया जाना उचित है ।

अभियुक्त-छात्र द्वारा अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – चिकित्सा रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि शिकायतकर्ता को कुल मिलाकर छिन्न घाव कारित हुए थे । ये घाव मुख्य रूप से वक्ष पर और उनमें से कुछ घाव उदर के ऊपरी भाग में कारित हुए थे । वेधकर कारित किए गए घावों की अत्यधिक संख्या तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये घाव वक्ष में कारित किए गए हैं, स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी का आशय शिकायतकर्ता की हत्या करने का था । किए गए हमले की प्रकृति हत्यात्मक ही थी किंतु

सौभाग्यवश शिकायतकर्ता गंभीर क्षतियों के बावजूद बच गया । अभियुक्त/अपीलार्थी को भी दो क्षतियां पहुंची थीं । इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि उसे ये क्षतियां किस प्रकार पहुंचीं । किंतु, शिकायतकर्ता को पहुंची क्षतियों की प्रकृति और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण कि उसने छूरा और अभियुक्त/अपीलार्थी को दबोच लिया था, को दृष्टिगत करते हुए यह हो सकता है कि ये क्षतियां अभियुक्त/अपीलार्थी को इस कारण पहुंची हैं कि उन्होंने एक-दूसरे को पकड़ रखा था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है । स्थिति कुछ भी हो, छात्र द्वारा निर्देशक पर अनुपस्थिति जैसे तुच्छ मुद्दे पर किए गए हमले को कुछ और नहीं कहा जा सकता सिवाय इसके कि यह हत्या करने का प्रयास है, अत:, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दोषसिद्धि कायम रखी जाए । (पैरा 10)

सामान्यतः इन सभी कारकों पर विचार करने पर इस मामले में 7-10 वर्ष का दंड अधिरोपित करना हमारे लिए न्यायोचित हो सकता है । हम ऐसा करने के लिए आनत हो सकते थे किन्तु वर्तमान मामले में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने कारावास में पांच वर्ष से अधिक समय बिताया है । उसकी तारीख 12 जुलाई, 2004 को जमानत मंजूर की गई थी । वह 12 वर्ष से अधिक समय से जमानत पर है । किन्तु अब उसकी आयु 34 वर्ष हो गई, और उसका विवाह भी हो गया है तथा उसके पास बच्चे भी हो सकते हैं । यदि हम उसे जेल भेज देते हैं, तब इस अपराध के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को भी दंड मिलेगा जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं । न्यायिक प्रक्रिया में जो विलंब हुआ है उसका प्रयोग अभियुक्त के परिवार के सदस्यों को दंडित करने में नहीं किया जा सकता है । (पैरा 13)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2000 की दांडिक अपील सं. 1002.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री डी. एन. प्रजापति

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री मधु निशा सिंह

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने दिया ।

मु. न्या. गुप्ता – यह अपील दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से, द्वितीय

अपर सेशन न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा 1999 के सेशन विचारण मामला सं. 91 में तारीख 29 मार्च, 2000 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया तथा उसे आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया ।

2. इस मामले के निर्विवादित तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता आत्मा राम आई. टी. आई., सारंगढ़ में निर्देशक के रूप में कार्य करता था । वह अपने परिवार के साथ छविलाल यादव के मकान में किराए पर रहता था । सुसंगत समय के दौरान अपीलार्थी उक्त आई. टी. आई. में विद्युत व्यापार में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था । अपीलार्थी ने आई. टी. आई. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी । वह उस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और वह द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं था क्योंकि परीक्षा में उपस्थित होने के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति न्यूनतम रूप से आवश्यक थी ।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को उपस्थिति के संबंध में समझाया और उसे न्यूनतम किसी प्रकार अनिवार्य उपस्थिति 80 प्रतिशत दे दी जाए और उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र बना दिया गया । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, शिकायतकर्ता उसे आई. टी. आई. प्राचार्य के पास ले गया और अभियुक्त ने उसे 2,000/- रुपए देने का प्रस्ताव रखा और प्राचार्य से यह अभिवाक् किया कि उसकी उपस्थिति बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दी जाए । ऐसा नहीं किया गया है कि इसके पश्चात्, अपीलार्थी शिकायतकर्ता के घर आया और उसने शिकायतकर्ता से किसी भी प्रकार से उपस्थिति बढ़ाने को कहा । उसने उसे 2,000/- रुपए रिश्वत के रूप में संदाय करने का प्रस्ताव भी रखा । जब शिकायतकर्ता सहमत नहीं हुआ और उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को बताया कि उसका उपस्थिति पत्र पहले ही उच्चाधिकारियों को भेजा जा चुका है और अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता और उसे 6 मास के पश्चात् परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए, अभियुक्त/अपीलार्थी हिंसक हो गया और उसने शिकायतकर्ता के वक्ष और उदर तथा शरीर के अन्य अंगों पर हत्या करने के आशय से छूरे से हमला किया । इस घटना के तत्काल पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । घटनास्थल से छूरा बरामद किया गया । शिकायतकर्ता को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उसकी परीक्षा की और चिकित्सा विधिक

प्रमाणपत्र तैयार किया । अभियुक्त/अपीलार्थी की भी चिकित्सा परीक्षा कराई गई । हमले में प्रयोग किए गए छूरे को चिकित्सक के समक्ष परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण के पश्चात् उसे ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है इसीलिए वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

4. इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मुख्य रूप से यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी के शरीर पर कारित हुई दो क्षतियों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सका है । यह भी दलील दी गई है कि संभवत: छूरे का प्रयोग दोनों ओर से किया गया है या अर्थात् स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया है । अंत में, यह अभिवाक् किया गया है कि अभियुक्त का आशय हत्या करने का नहीं था क्योंकि कारित की गई क्षतियों में से कोई भी क्षति स्वयं में ऐसी नहीं है जो आहत की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो । अनुकल्पतः, अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि अधिरोपित दंडादेश अत्यधिक है और यदि दोषसिद्धि कायम रखी जाती है, तब भी दंडादेश की अवधि को घटाकर पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितना किया जाना चाहिए ।

5. हमने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । हमने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) पर विचार किया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिलिखित कहानी अभियोजन वृत्तांत के पूर्णतया अनुरूप है ।

6. आत्मा राम (अभि. सा. 1) साक्षी कठघरे में उपस्थित हुआ । उसका कथन कुल मिलाकर अभियोजन वृत्तांत के साथ संगत है और जो कुछ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कहा गया है उसकी संपुष्टि होती है । हमें दोहराना पड़ रहा है कि यह कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने अपने कथन में सशपथ यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं था क्योंकि उसकी उपस्थिति 80 प्रतिशत नहीं थी । इस घटना के एक सप्ताह पूर्व अभियुक्त/अपीलार्थी शिकायतकर्ता से मिलने गया और उसके कहने पर शिकायतकर्ता अभियुक्त/अपीलार्थी को प्राचार्य के कार्यालय पर ले गया किन्तु प्राचार्य ने अभियुक्त/अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार नहीं किया । निस्संदेह, अभियोजन साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए कथनों में थोड़ा-बहुत अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी

ने प्राचार्य के कार्यालय में यह धमकी दी थी कि वह अपना काम गुंडागर्दी से करवा लेगा और उसने हत्या कर दी । इन तथ्यों की संपुष्टि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से नहीं होती है । किन्तु, मूल मुद्दों को लेकर कथन स्पष्ट है । आत्मा राम (अभि. सा. 1) ने यह भी कथन किया है कि 11 जून, 1999 को लगभग 8.30-9.00 बजे अपराह्न अभियुक्त/अपीलार्थी उसके घर पर आया । जब अभियुक्त/अपीलार्थी ने दरवाजा खटखटाया तो इन्द्रजीत वरिक (अभि. सा. 3) द्वारा दरवाजा खोला गया और उसने शिकायतकर्ता को बुलाया । अभियुक्त/अपीलार्थी ने पुनः यह मांग की कि उसकी उपस्थिति में अनुकूल रूप से उपांतरण कर दिया जाए । तथापि, जब शिकायतकर्ता ने ऐसा करने से इनकार किया, अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता पर पीछे से हमला कर दिया और उसके वक्ष और पेट आदि अंगों पर छुरा घोंप कर वार किया और उसकी हत्या करने का प्रयास किया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने हमले में प्रयोग किए गए इस छुरे को पकड़ लिया था और तब उसने इन्द्रजीत वरिक अभि. सा. 3 को बुलाया । आत्मा राम की पत्नी और भतीजी घटनास्थल पर आ गए । शिकायतकर्ता आत्मा राम अभि. सा. 1 ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दबोच लिया साथ ही उसके छुरे को भी पकड़ लिया । पत्नी ने छुरा छीनकर इन्द्रजीत वरिक अभि. सा. 3 को सौंप दिया । आत्मा राम अभि. सा. 1 की विस्तार से प्रतिपरीक्षा कराई गई है । किन्तु उसे ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है कि शिकायतकर्ता हमलावर था और उसने अभियुक्त/अपीलार्थी पर हमला किया था ।

7. जनहवी (अभि. सा. 2), शिकायतकर्ता आत्मा राम (अभि. सा. 1) की पत्नी है । उसने यह कथन किया है कि जब घटना घटित हुई थी तब वह अपने घर पर थी । वह घर के आंगन में बर्तन रखने के लिए आई थी और इसके पश्चात् उसने देखा कि दरवाजे के निकट अभियुक्त/अपीलार्थी उसके पति को छुरा घोंप रहा है और उसने उसकी मौजूदगी में छुरा घोंप कर कई क्षतियां कारित कीं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने किसी प्रकार छुरे पर काबू कर लिया था और उसने वह छुरा इन्द्रजीत वरिक को दे दिया था । इसके पश्चात् उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को रस्सी से बांधने के लिए अपने घर में रस्सी तलाश की, किन्तु इसी दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी वहां से भाग गया । इसके पश्चात् पत्नी ने वह छुरा पुलिस को सौंप दिया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसकी मौजूदगी में उसके पति को 4-5 बार छुरा घोंप कर क्षति पहुंचाई । तथापि, वह कोई भी स्पष्टीकरण

नहीं दे सकी कि अभियुक्त/अपीलार्थी को क्षतियां कैसे पहुंचीं ।

8. इन्द्रजीत वरिक पड़ोसी है । उसने भी ऐसा ही कथन किया है । इस साक्षी के अनुसार उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी थी और जब उसने दरवाजा खोला तब उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को देखा जिसने यह कथन किया है कि वह शिकायतकर्ता आत्मा राम से मिलना चाहता है । तब उसने आत्मा राम को बुलाया । थोड़ी देर बाद उसने आत्मा राम के चिल्लाने की आवाज सुनी और इसके पश्चात् वह अपने मकान के बाहर आया और देखा कि शिकायतकर्ता आत्मा राम खून से लथपथ है और उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को दबोचकर काबू कर लिया और उसने चीख कर कहा कि कोई छुरा ले ले । इन्द्रजीत ने अभियुक्त/अपीलार्थी का हाथ पकड़ लिया और इसी दौरान जनहवी (अभि. सा. 2) ने छुरा ले लिया । इसके पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी बचकर भाग गया ।

9. अब हम चिकित्सीय साक्ष्य पर विचार करेंगे । डा. जे. आर. धृट लहारे (अभि. सा. 8) ने अभियुक्त/अपीलार्थी और शिकायतकर्ता दोनों की चिकित्सा परीक्षा की है । शिकायतकर्ता की परीक्षा से संबंधित रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 निम्न प्रकार है :–

> "1. नितंब के ऊपर मध्य वक्ष पर 2.5 से. मी. × 1 से. मी. का छिन्न घाव ;
>
> 2. कक्षीय भाग के अग्र दिशा में बाईं ओर 1.5 से. मी. × 1 से. मी. माप का छिन्न घाव जिसकी दिशा तिरछी है ;
>
> 3. कक्षीय मध्य भाग में बाईं ओर पांचवीं और छठी पसली के बीच 3.5 से. मी. × 1.5 से. मी. माप का छिन्न घाव ।
>
> 4. कक्षीय भाग के मध्य में बाईं ओर 1.5 से. मी. × 1 से. मी. माप का छिन्न घाव ।
>
> 5. कक्षीय भाग के बाईं ओर सातवीं तथा आठवीं पसली के बीच 2.5 से. मी. × 1 से. मी. माप का छिन्न घाव ।
>
> 6. उदर के ऊपरी भाग के बाईं ओर 10 से. मी. × 2.5 से. मी. माप का छिन्न घाव है जिसकी दिशा तिरछी है ।
>
> 7. उदर के बाईं ओर नाभि के नीचे 3.5 से. मी. × 2 से. मी. माप का छिन्न घाव है ।

8. बाएं कंधे पर 8 से. मी. × 0.3 से. मी. माप का रेखीय छिन्न घाव है ।

9. कक्षीय भाग के भीतर की ओर 5 से. मी. × 0.3 से. मी. माप का छिन्न घाव है ।

10. चेहरे के बाईं ओर 5 से. मी. × 0.2 से. मी. माप का रेखीय छिन्न घाव जिसकी दिशा तिरछी है ।

11. दाईं हथेली पर कनिष्ठा के निकट 2.5 से. मी. × 0.3 से. मी. माप का छिन्न घाव और मध्यमा पर 1.5 से. मी. × 0.3 से. मी. माप का छिन्न घाव है ।"

10. चिकित्सा रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि शिकायतकर्ता को कुल मिलाकर छिन्न घाव कारित हुए थे । ये घाव मुख्य रूप से वक्ष पर और उनमें से कुछ घाव उदर के ऊपरी भाग में कारित हुए थे । वेध कर कारित किए गए घावों की अत्यधिक संख्या तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये घाव वक्ष में कारित किए गए हैं, स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी का आशय शिकायतकर्ता की हत्या करने का था । किए गए हमले की प्रकृति हत्यात्मक ही थी किंतु सौभाग्यवश शिकायतकर्ता गंभीर क्षतियों के बावजूद बच गया । अभियुक्त/अपीलार्थी को भी दो क्षतियां पहुंची थीं । इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि उसे ये क्षतियां किस प्रकार पहुंचीं । किंतु, शिकायतकर्ता को पहुंची क्षतियों की प्रकृति और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण कि उसने छूरा और अभियुक्त/अपीलार्थी को दबोच लिया था, को दृष्टिगत करते हुए यह हो सकता है कि ये क्षतियां अभियुक्त/अपीलार्थी को इस कारण पहुंची हैं कि उन्होंने एक-दूसरे को पकड़ रखा था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है । स्थिति कुछ भी हो, छात्र द्वारा निर्देशक पर अनुपस्थिति जैसे तुच्छ मुद्दे पर किए गए हमले को कुछ और नहीं कहा जा सकता सिवाय इसके कि यह हत्या करने का प्रयास है, अतः, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कि कोई संकोच नहीं है कि दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दोषसिद्धि कायम रखी जाए ।

11. जहां तक, दंडादेश का संबंध है, विचारण न्यायालय ने बहुत से कारकों पर विचार नहीं किया है । अभियुक्त-अपीलार्थी घटना के दौरान एक छात्र था । उस समय उसकी आयु मात्र 22 वर्ष थी जब यह घटना

घटित हुई । हत्या का प्रयास करने का यह पूर्व नियोजित मामला नहीं है । यह हताश हुए एक ऐसे छात्र द्वारा किया गया प्रयास है जिसे किसी प्रकार अपनी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति बनाना था और जब शिकायतकर्ता इसके लिए सहमत नहीं हुआ, तब अभियुक्त/अपीलार्थी ने क्रुद्ध होकर क्षतियां कारित कीं । अभियुक्त/अपीलार्थी को दंडादिष्ट करते समय कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए । जब दंडादेश पारित किया जाए तब न्यायालय को गुरुताकारी तथा न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए । विधान मंडल ने अपने विवेकानुसार यह उपबंध किया है कि हत्या का प्रयास करने के मामले में जब कोई व्यक्ति ऐसे आशय या ज्ञान के साथ कृत्य करता है कि यदि वह ऐसे कृत्य से मृत्यु कारित कर देता है तब वह हत्या का दोषी होगा, और वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए तो वह अपराधी आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा, जैसा एतस्मिन्पूर्व वर्णित है । अतः, विधान मंडल के विवेकानुसार हत्या करने के प्रयत्न के मामले में न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह एक दिन से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड अधिरोपित कर सकता है । जब इतना व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायात्मक रीति में किया जाना चाहिए । इस संबंध में कारण दिए जाने चाहिएं कि अधिकतम दंडादेश क्यों दिया गया है और क्यों ही न्यूनतम दंड अधिरोपित किया गया है । मामले को विनिश्चित करने के लिए दंडादेश का सुनिश्चित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

12. विद्वान् विचारण न्यायालय ने न्यूनकारी परिस्थितियों विशेषकर अभियुक्त/अपीलार्थी की कम आयु को ध्यान में नहीं रखा है और न ही इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि उसने आवेश में आकर शिकायतकर्ता पर हमला किया है, इस तथ्य को भी दृष्टिगत नहीं किया गया है कि अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच पहले से कोई भी शत्रुता नहीं थी । अभियुक्त/अपीलार्थी को दंडादिष्ट करते समय न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अभियुक्त/अपीलार्थी में सुधार की गुंजाइश नहीं है कि यदि अभियुक्त के सुधरने की संभावना दिखाई देती है कि तब दंडादेश ऐसे व्यक्ति में सुधार लाने के लिए कम से कम दिया जाना चाहिए ।

साथ ही अभियुक्त के व्यवहार को माफ नहीं किया जा सकता है । वर्तमान मामले में, अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपने अध्यापक पर हमला किया है । हमला क्रूरतापूर्ण था और कुल मिलाकर 11 वेधित घाव कारित किए गए हैं ।

13. सामान्यतः इन सभी कारकों पर विचार करने पर इस मामले में 7-10 वर्ष का दंड अधिरोपित करना हमारे लिए न्यायोचित हो सकता है । हम ऐसा करने के लिए आनत हो सकते थे किन्तु वर्तमान मामले में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने कारावास में पांच वर्ष से अधिक समय बिताया है । उसे तारीख 12 जुलाई, 2004 को जमानत मंजूर की गई थी । वह 12 वर्ष से अधिक समय से जमानत पर है । किन्तु अब उसकी आयु 34 वर्ष हो गई, और उसका विवाह भी हो गया है तथा उसके पास बच्चे भी हो सकते हैं । यदि हम उसे जेल भेज देते हैं, तब इस अपराध के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को भी दंड मिलेगा जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं । न्यायिक प्रक्रिया में जो विलंब हुआ है उसका प्रयोग अभियुक्त के परिवार के सदस्यों को दंडित करने में नहीं किया जा सकता है ।

14. मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए कि हम सामान्य से अधिक उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं, अतः न्यायहित में इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दोषसिद्धि कायम रखते हुए अभियुक्त को अधिरोपित सारभूत दंडादेश उसके द्वारा पहले से भोगे गए दंडादेश जितना कम कर रहे हैं ।

15. परिणामतः दांडिक अपील ऊपर उपदर्शित सीमा तक भागतः मंजूर की जाती है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस.

राजस्थान राज्य

बनाम

प्रह्लाद कमारू मीना

तारीख 1 सितम्बर, 2016

न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायमूर्ति जी. आर. मूलचंदानी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपठित लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की उपधारा 3 और 4 तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अप्राप्तवय बच्ची की हत्या और शीलभंग किया जाना – पारिस्थितिक साक्ष्य – अंतिम बार देखा जाना – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसने अप्राप्तवय बच्ची का शीलभंग किया और उसके पश्चात् उसकी हत्या कर दी – यदि अभियुक्त और मृतका को अंतिम बार एक साथ देखे जाने के बारे में दो साक्षियों के कथनों से यह सिद्ध हुआ कि अभियुक्त और मृतका के कुटुंब के सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध रहे और मृतका अभियुक्त को मामा कहती थी और उपरोक्त घनिष्ठ संबंध की वजह से चाकलेट लेने के लिए वह अभियुक्त के साथ चली गई और अगले दिन मृत पाई गई तो अभियुक्त मृतका के शीलभंग और हत्या किए जाने का दोषी है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 300 [सपठित लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की उपधारा 3 और 4] – चिकित्सा साक्ष्य में मृतका के शव पर क्षतियां तथा रक्तस्राव पाया जाना जिसके कारण आघात से मृत्यु होना प्रकट है तथा न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में मृतका के साथ मैथुन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है तथा अंतिम बार देखे जाने के पारिस्थितिक साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थन मिला हो और अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध साबित हुआ हो तो अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 और लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की उपधारा 3 और 4] – मृत्यु दंड – आठ वर्ष की अप्राप्तवय बच्ची के साथ कामवासना के आशय से बलात्संग किया जाना और पत्थर से उसके सिर को कुचलकर वीभत्स रूप से हत्या किया जाना

– यह मामला विरल से विरलतम मामले के प्रवर्ग में आता है अतः मृत्यु दंड के अधिनिर्णय का पुष्टि किया जाना उचित है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 6 जुलाई, 2013 को लगभग 1 बजे अपराह्न परिवादी प्रभुलाल ने यह अभिकथन करते हुए अपने अंगूठे का निशान लगाकर लिखित परिवाद फाइल किया था कि उसकी पुत्री (एक्स), जिसकी आयु लगभग आठ वर्ष थी, अपने घर पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, उस समय अभियुक्त प्रह्लाद पुत्र कमारू मीना निवासी भटौदिया वहां पर आया और लगभग 4 बजे शाम को उसकी पुत्री को ले गया और उसे दुकान से चाकलेट दिलवाई थी परन्तु उसकी पुत्री (एक्स) वापस नहीं लौटी । परिवाद में यह कथन किया गया है कि जब अभियुक्त प्रह्लाद द्वारा उसकी पुत्री (एक्स) को ले जाया गया था, वह और उसका भाई भंवरलाल और अन्य कुटुंब के सदस्य शाम के वक्त घर में मौजूद नहीं थे, जब वे घर वापस लौटे तो उसकी भतीजी लाली ने यह बताया कि अभियुक्त प्रह्लाद वहां आया था और उसकी पुत्री (एक्स) को चाकलेट दिलाने के लिए अपने साथ ले गया । परिवादी ने विनिर्दिष्ट रूप से परिवाद में यह उल्लेख किया है कि पूरी रात्रि उन्होंने उसको ढूंढा परन्तु वह वहां नहीं मिली, और प्रातः जब वे उसको ढूंढ रहे थे, ढूंढते समय नगाजी पुत्र गौतम मीना के मकान के नजदीक उसका शव (एक्स) मिला था । परिवादी ने विनिर्दिष्ट रूप से भी कथन किया है कि अभियुक्त प्रह्लाद ने उसकी पुत्री से बलात्संग करने के पश्चात् उसकी हत्या कर दी इसलिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए । पूर्वोक्त टंकित परिवाद (प्रदर्श पी. 1) के आधार पर दंड संहिता की धारा 376 ए. जैड. एच. और धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए पुलिस थाना अरनोड पर प्रथम इत्तिला सं. 193/2013 दर्ज की गई थी और सर्किल निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 14) को अन्वेषण सौंपा गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण प्रारंभ किया और तत्काल घटनास्थल पर गया और घटना के स्थान का निरीक्षण किया । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी. 4) तैयार किया जिस पर साक्षीगण भंवरलाल तौरी और रूपलाल ने उस पर अपने-अपने अंगूठे की छाप लगाई थी । मृतका (एक्स) के शव का पंचनामा, राजपाल, रतनलाल, रमेश और जगदीश की मौजूदगी में तैयार किया गया था । इसलिए, उन्होंने साक्षियों के रूप में अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं । इसी तरह परिवादी प्रभुलाल फौरी ने पंचनामे पर अपने अंगूठे की छाप भी लगाई थी । मृतका (एक्स) के फोटो भी लिए गए थे । पंचनामा को तैयार करने के पश्चात्

मृतका का शव, शवपरीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया था । तारीख 6 जुलाई, 2013 को 5.30 बजे अपराह्न चिकित्सा बोर्ड द्वारा जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में शवपरीक्षण किया गया था और चिकित्सा बोर्ड द्वारा शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 15) अन्वेषण अधिकारी को सौंपी गई थी जिसमें डाक्टर्स द्वारा अपनी-अपनी राय दी गई थी कि मृत्यु का कारण रक्तस्राव आघात बताया गया था । तारीख 7 जुलाई, 2013 को 5.15 बजे अपराह्न अन्वेषण के दौरान अभियुक्त प्रह्लाद गिरफ्तार किया गया था (देखिए प्रदर्श पी. 24) और उसका कपड़ा जीन्स (पैंट) भी कब्जे में ली गई थी और घटनास्थल पर उसे मोहरबंद किया गया था । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त प्रह्लाद द्वारा दी गई सूचना (प्रदर्श पी. 26) के आधार पर मृतका (एक्स) को क्षति कारित करने के लिए प्रयुक्त किया गया पत्थर दो साक्षी जगदीश और दशरथ के सामने तारीख 10 जुलाई, 2013 को 4.30 बजे अपराह्न प्रदर्श पी. 15 के माध्यम से बरामद किया गया था । शवपरीक्षण के दौरान मृतका (एक्स) की योनि से वीर्य रासायनिक परीक्षा के लिए लिया गया था (देखिए प्रदर्श पी. 16) । अभियुक्त प्रह्लाद की जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में तारीख 8 जुलाई, 2013 को 12.30 बजे अपराह्न मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा चिकित्सीय रूप से परीक्षा भी की गई थी जिसमें मेडिकल ज्यूरिस्ट ने अपनी यह राय दी कि इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि जिस व्यक्ति की परीक्षा की गई वह मैथुन कार्य करने में असमर्थ था । इस तथ्य को साबित करने के लिए कि मृतका की आयु 8 वर्ष थी, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, भटौदिया से प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. 18) अन्वेषण अधिकारी द्वारा लिया गया था जिसमें मृतका (एक्स) की जन्मतिथि तारीख 15 अप्रैल, 2005 लिखी गई थी । मृतका (एक्स) का ब्लाउज (पोल्का) और लहंगे को सरकारी अस्पताल के शवगृह में तारीख 6 जुलाई, 2013 प्रदर्श पी. 23 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था और उन्हें दो स्वतंत्र साक्षी जगदीश और राजपाल के सामने मोहरबंद करके रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । अभिगृहीत वस्तुएं ब्लाउज, लहंगा,पैंट, योनि से लिया गया वीर्य, रक्त और लार को तारीख 24 जुलाई, 2013 को प्राप्ति रसीद (प्रदर्श पी. 27) के अधीन न्यायालयिक प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय को रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 14) सुरेन्द्र सिंह ने सभी अभियोजन साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 376(2)(i), 376क,

302 और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 की धारा 3 और 4 के अधीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोड के न्यायालय में अभियुक्त प्रह्लाद के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था जहां से मामले को विचारण के लिए न्यायालय, सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया । विचारण के दौरान न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 28) तारीख 28 अप्रैल 2015 तथा रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 29) तारीख 28 मई, 2015 प्राप्त की गई थी और उन्हें न्यायालय के समक्ष रखा गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 376(2)(i), 376क और लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन विरचित किए गए आरोप पर अभियुक्त प्रह्लाद को सुनवाई का अवसर दिया गया परन्तु अभियुक्त प्रह्लाद ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का अनुरोध किया । विचारण में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 अभियोजन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे और 31 दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले गए थे । इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त प्रह्लाद का कथन लेखबद्ध किया गया था जिसमें उसने अभियोजन साक्षियों की ओर से दिए गए सभी कथनों से इनकार किया है और यह कहा है कि घटना की तारीख को वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल के मकान में था जहां से पुलिस उसे और उसकी पत्नी को अरनोड पुलिस थाने पर ले गई थी और साक्षी और मेरे हस्ताक्षर लिए थे । आगे उसने यह भी कथन किया है कि मैंने जांघिया पहन रखी थी । अभियुक्त प्रह्लाद ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अंतिम दलीलों को सुनने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद को दंड संहिता की धारा 360, 376(2)(i) और 376(क) के अधीन लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया परन्तु दंड संहिता की धारा 302 और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन अपराध के लिए उसे दोषसिद्ध ठहराया, देखिए तारीख 18 सितंबर, 2015 का निर्णय तथा मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अधीन निदेश किया गया था जबकि अभियुक्त प्रह्लाद ने दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी की अपील व जेल अपील अपास्त की गई और मृत्यु दंड की पुष्टि करते हुए,

अभिनिर्धारित – अंतिम बार देखे जाने के दोनों साक्षियों के कथन और अन्य साक्षियों के कथनों का परिशीलन करने पर हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विश्वासयोग्य पारिस्थितिक साक्ष्य को देखते हुए अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को सिद्ध किया है कि मृतका के कुटुंब से अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना की घनिष्टता थी और मृतका की आयु 8 वर्ष थी जो अभियुक्त को मामा कहती थी, अतः वह उस पर विश्वास के कारण अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ गई । जब अभियुक्त ने मृतका को चाकलेट और टाफी दी थी । दोनों साक्षी अभि. सा. 2 सुश्री लाली और अभि. सा. 4 चमेली का परिसाक्ष्य अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विश्वासयोग्य नहीं हैं इसके अतिरिक्त इन साक्षियों के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि जब अभियुक्त-अपीलार्थी अपने साथ मृतका को ले लिया तो वे वहां पर मौजूद थे और अंततोगत्वा घटना के दूसरे दिन नागजी मीना के मकान के नजदीक वह मृत पाई गई थी । अभि. सा. 10 डा. ओ. पी. देयाम ने शपथ पर यह कथन किया है कि तारीख 6 जुलाई, 2013 को जब मैं सरकारी अस्पताल प्रतापगढ़ में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्य कर रहा था और मैं डा. पार्टिहर और डा. नीलम शुक्ला के साथ मेडिकल बोर्ड का सदस्य था और शिकायतकर्ता प्रभुलाल की पुत्री जिसकी आयु 8 वर्ष थी उसके शव की परीक्षा की और मृतक लड़की की योनि से धब्बों को सुरक्षित रखकर स्लाइड तैयार की गई और उन्हें मोहरबंद करने के पश्चात् परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि चिकित्सा परीक्षा करने पर मृतका लड़की के शव के थाई, नाक और दाहिने हाथ की कलाई पर पांच क्षतियां पाई गई थीं । परीक्षा करने के पश्चात् शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 15) पर यह राय दी गई थी कि "मेरी राय में मृत्यु का कारण रक्तस्राव और आघात है" । साक्षी अभि. सा. 10 डा. ओ. पी. देयाम द्वारा निम्नलिखित कथन किया गया था जो मेडिकल बोर्ड का एक सदस्य था तथा सरकारी अस्पताल प्रतापगढ़ में चिकित्सा ज्यूरिस्ट के पद पर कार्य कर रहा था जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है – "शपथ दिलाई गई – मैं दिनांक 6-7-13 को जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर तैनात था । उस दिन थानाधिकारी अरनोड से मृतका सुश्री शीला पुत्री प्रभुलाल फौरी उम्र 8 वर्ष निवासी भटौदिया थाना अरनोड के शवपरीक्षण हेतु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ को मेडिकल बोर्ड गठन हेतु

आवेदन किया था, जिस पर पीएमओ डा. प्रतिहार ने मेरे साथ डा. नीलम शुक्ला महिला चिकित्सक को सदस्य नामित कर मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, तहरीर प्रदर्श पी. 14 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । तथा सी से डी डा. शंकरलाल प्रतिहार के हस्ताक्षर हैं । दिनांक 6-7-13 को ही सुश्री शीला का शवपरीक्षण किया गया । शव ही पहचान प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल फौरी पिता ने की थी । शव को निर्भय सिंह एचसी नं. 414 थाना अरनोड लेकर आए थे । शवपरीक्षण के समय मृत्यु लगभग 12 से 24 घंटे के अन्दर की थी । शवपरीक्षण शवग्रह जिला चिकित्सालय में किया गया था । शव की योनि से स्वाब लेकर स्लाइड तैयार कर सील कर एफएसएल जांच हेतु पुलिस को मय पत्र के सुपुर्द किया था । पुलिस तहरीर के अनुसार प्रकरण 193/13 376 ए/302 में मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीएस करावे सूचना दी थी । मृतका का शरीर कीचड़ व धूल के कणों से सना हुआ था, शरीर पर मृत्यु पश्चात् की अकड़न मौजूद थी । मृतकों की दोनों आंखों की कन्जेक्टीवा लाल थी । शव पर निम्न खरोंचें जो मृत्यु पूर्व की थीं :–

"3 × 1 से. मी. बायीं जांघ पर बाएं घुटने पर सामने की तरफ

6 × 1 से. मी. दायें पैर पर खरोंच

2 × 1 से. मी. खरोंच दायीं जांघ पर

1 × 1.5 से. मी. नाक पर खरोंच

1 × 1 से. मी. खरोंच दायें हाथ की कलाई पर ।"

ये सभी चोटें मृत्यु पूर्व कारित की गईं थीं । दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुईं थीं । सिर दिमाग की झिल्ली व दिमाग सही थे । सीना खोलने पर बायीं तरफ से खून से भरा हुआ था । बायीं ओर की 10-11 नम्बर की पसली सामने की तरफ से टूटी हुई थी । श्वसन नली ठीक थी । दायां फेफड़ा सही था, बायां फेफड़ा फटा हुआ था, 2 × 1 × 1 से. मी. नीचे की तरफ सामने की तरफ हृदय बायां खाली था, दायां आधा भरा हुआ था (आधा भरा हुआ अर्थात् आंशिक भरा हुआ था) बड़ी खून की नलियां खून से भरी हुईं थीं । पेट की दीवार सही थी । मुंह, गला सही था । परन्तु नाक पर खून जमा हुआ था । ऊपरी होंठ 1 × 1 × 0.5 से. मी. फटा हुआ था । आमाशय में अधपचा भोजन मौजूद था । छोटी आंत में अधपचा भोजन मौजूद था । बड़ी आंत में विस्टा था, लिवर, तिल्ली, सही थे । सफेदी लिए हुए थे । किडनी सही थी । यूरिनल ब्लेडर खाली था । जननांग सही थे ।

मेडिकल बोर्ड की राय में मृतका की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्त्राव से मृत्यु होना पाया था । पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 है । जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । सी से डी बोर्ड की राय अंकित है । योनि की स्लाइड पुलिस को जिस पत्र के माध्यम से सुपुर्द की थी, उस पत्र की फोटो प्रदर्श पी. 16 है । जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है । दिनांक 8-7-13 को पुलिस उपअधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा एक लिखित तहरीर वास्ते अभियुक्त प्रह्लाद मीना पिता कमारू मीना के पुरुषत्व संबंधी मेडिकल कराने बाबत प्राप्त हुई थी, जो प्रदर्श पी. 17 है जिस पर ए से बी मेरे प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं मैंने अभियुक्त प्रह्लाद पुत्र कमारू मीना 23 वर्ष को पुरुषत्व परीक्षण जांच की थी, जांच हेतु चिमनलाल एएसआई व डिवाईएसपी प्रतापगढ़ लेकर आए थे जो साधारण कद काठी का 160 से.मी. लम्बाई बजन 45 किलो था, लिंग खतना किया हुआ नहीं था, कोई पूर्व व जन्मजात बीमारी नहीं थी । कोई चोट के निशान लिंग पर नहीं थे । स्कूटर रिफलेक्स पाजीटिव था । कन्ट्रोल खून थूक के नमूने लिए जाकर पुलिस को सुपुर्द किए, मेरी राय में मैं ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त संभोग करने के लिए अयोग्य हो । पुरुषत्व संबंधी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 18 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर प्रह्लाद की निशाली अगुस्त है सी से डी मेरी राय है । जिस पत्र से पुलिस को अभियुक्त के खून, थूक के नमूने सुपुर्द किए थे, वह प्रदर्श पी. 19 है जिस पर ए से बीच मेरे हस्ताक्षर हैं ।

जिरह द्वारा बचाव पक्ष

पीएम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 अंकित चोट सं. 1 से 15 साधारण प्रकृति की थी और गिरने से आना संभव है । पीएम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 में अंकित बायीं तरफ जो अस्थि भंग पसली नं. 10-11 ऊंचाई से पत्थरों पर गिरने से हो सकता है । नाक पर जो चोट है वह भी गिरने से आ सकती है, होंठ की चोट भी गिरने से आ सकती है । लड़की के जननांग भी स्वस्थ (हेल्दी) थे । लड़की के गुप्तांग पर कोई चोट के निशान नहीं थे । लड़की जननांग के आसपास बाहरी तौर पर कोई वीर्य का स्खलन नहीं था । मृतका के सिर व जननांग पर कोई चोट नहीं थी । साधारणतया सरलता से जब तक कोई सहमति नहीं दे दे या उसे कन्ट्रोल नहीं कर ले तब तक संभोग संभव नहीं है । पीए रिपोर्ट के अनुसार मृतका की उम्र 8 वर्ष थी । यह सही है कि छोटी बच्ची के साथ संभोग जबरन होने पर उसकी योनि रेपचर होकर ब्लडींक होने की संभावना होती है । पीएम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 में ऐसा कोई अंकन नहीं है । मैंने मृतका की चिकित्सकीय रिपोर्ट

बनाई । मृतका को आई हुई चोटों से रक्तस्त्राव हुआ है और उससे मृत्यु संभव है । जब कि सिर सही था । पोस्टमार्टम में तकरीबन एक घंटे का समय लगा था । शवपरीक्षण के समय शव पर कपड़े थे या नहीं इस संबंध में आज नहीं कह सकता हूं । हमने मृतका की योनि की जांच कर स्वाब लेक स्लाइड तैयार कर एफएसएल जांच हेतु भिजवाई थी, पीएम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 में बलात्कार के संबंध में कोई अंकन नहीं है । पुनःपरीक्षण शून्य" । अभि. सा. 11 डा. नीलम गुप्ता ने शवपरीक्षण के कार्रवाइयों को दोहराया और अपनी राय व्यक्त की । अभि. सा. 12 सत्येन्द्र शर्मा और अभि. सा. 13 भंवरलाल सरकारी प्राइमरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक भोटियाल ने मृतका की जन्म तिथि 15 जुलाई, 2005 की पुष्टि की है । अभि. सा. 14 भगवत सिंह अन्वेषक अधिकारी ने संपूर्ण अन्वेषण को साबित किया और यह कहा कि अंतिम बार देखे जाने के पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थन मिला है, दंड संहिता की धारा 302 और पास्को अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध बनता है । विचारण न्यायालय के निष्कर्षों सहित उपरोक्त चर्चा पर हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 302 और पास्को अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध किए जाने की बात को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है । अभि. सा. 2 सुश्री लाली **उर्फ** ललिता और अभि. सा. 4 चमेली द्वारा वर्णित अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप से विचार किया गया और जिस पर यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषी है क्योंकि मृतका लड़की की आयु 8 वर्ष है और उसका शव नागजी नामक व्यक्ति के मकान के नजदीक किसी खेत में पाया गया और न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार मृतका के साथ लैंगिक उत्पीड़न के साक्ष्य की पुष्टि हुई है जो पास्को अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दंडनीय है । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने में कोई गलती नहीं की गई है कि अभियुक्त-अपीलार्थी 8 वर्ष की आयु की लड़की के साथ उस पर मैथुन हमला किए जाने और उसकी हत्या किए जाने के अपराध का दोषी है । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि आठ वर्ष की आयु की लड़की के शव पर तथा शव के भिन्न-भिन्न भागों पर पाई कई क्षतियां देखीं गईं परंतु यह न्यायालय इस तथ्य का अनदेखा नहीं कर सकता कि मृतका के शव से लिए गए स्लाइड पर प्रयोगशाला रिपोर्ट में कोई वीर्य पाया गया था जो 8 वर्ष की आयु की थी और यह तथ्य अभियोजन पक्षकथन को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त

है कि अभियुक्त द्वारा मृतका को चाकलेट देने के लिए ले जाया गया था जिस पर उसके साथ उसने बलात्संग किया । अतः अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत निर्णय इस मामले के तथ्यों और साक्ष्य पर लागू नहीं होता । अभियुक्त-अपीलार्थी ने आठ वर्ष की आयु की युवा लड़की को चाकलेट दिया और जिसने अभियुक्त-अपीलार्थी पर विश्वास किया क्योंकि वह उसे मामा के रूप में मानती थी और उसके साथ चली गई । परंतु अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतका की न केवल लज्जा भंग करने का घृणित अपराध किया बल्कि पत्थर से उसके सिर पर क्षति भी पहुंचाई जो बात चिकित्सीय बोर्ड द्वारा शवपरीक्षण रिपोर्ट में दी गई राय से प्रकट है । यह भी सुस्पष्ट है कि मृतका ने विरोध करने की कोशिश की परंतु वह असहाय लड़की थी जिसकी अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा हत्या कर दी गई थी, इसलिए यह मामला न केवल आठ वर्ष की एक युवा लड़की की हत्या और मैथुन रूप से उत्पीड़न करने का मामला नहीं है बल्कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा विश्वास की सभी परिधियों को कुचल दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी शारीरिक इच्छा की संतुष्टि के लिए असहाय अप्राप्तवय लड़की की हत्या कर दी । संपूर्ण साक्ष्य और तथ्य पर विचार करने पर कि अभियुक्त ने विश्वास की सभी सीमाओं को कुचल दिया और दंड संहिता की धारा 302 और पास्को अधिनियम के उपबंधों के अधिनियम अपराध किया इसलिए अपने विधिक कर्तव्य का पालन करते हुए हम इस मामले को विरल से विरलतम मामले के प्रवर्ग में समझते हैं जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया दंड को कम नहीं किया जा सकता और कम दंड को अधिरोपित नहीं किया जा सकता और इसलिए हम विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत मृत्यु दंड की पुष्टि करते हैं । (पैरा 19, 26, 27, 28, 35, 36 और 37)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 1 एस. सी. सी. 253 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 14 : **बसंत संपत्त दुपारा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	32
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 37 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1377 : **राजेन्द्र प्रह्लादो वासनिक** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	31

[1980] (1980) 2 एस. सी. सी. 684 =
ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 898 :
बच्चन सिंह बनाम **पंजाब राज्य** । 30

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2015 की डी. बी. आपराधिक हत्या (मृत्यु) निर्देश सं. 1.

राजस्थान राज्य द्वारा विद्वान् सेशन जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के तारीख 18 सितंबर, 2015 को पारित किए गए निर्णय के संदर्भ में अधिनिर्णीत मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए 2015 की डी. बी. आपराधिक हत्या (मृत्यु) निर्देश सं. 1 फाइल किया गया ।

राज्य की ओर से श्री विष्णु कछावा, लोक अभियोजक

अभियुक्त की ओर से सर्वश्री शंभु सिंह और भरत सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास ने दिया ।

न्या. व्यास – 2013 के सेशन मामला सं. 149 में तारीख 18 सितंबर, 2015 को विद्वान् जिला और सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा पारित किए गए निर्णय में अधिनिर्णीत मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए राजस्थान राज्य द्वारा 2015 की डी. बी. आपराधिक हत्या (मृत्यु) निर्देश सं. 1 फाइल किया गया है जिसमें अभियुक्त प्रह्लाद ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन तथा लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन अपराध किया था ।

2. अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद द्वारा 2013 के सेशन मामला सं. 149 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ की ओर से तारीख 18 सितंबर, 2015 को पारित किए गए निर्णय को आक्षेपित करने के लिए 2015 की डी. बी. दांडिक अपील सं. 970 और 2015 की डी. बी. दांडिक कारागार अपील सं. 1011 फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध दंड पारित किया गया था, जो इस प्रकार है :–

दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मृत्यु दंड

लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा

3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 10,000/- रुपए जुर्माना और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंड ।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 6 जुलाई, 2013 को लगभग 1 बजे अपराह्न परिवादी प्रभुलाल ने यह अभिकथन करते हुए अपने अंगूठे का निशान लगाकर लिखित परिवाद फाइल किया था कि उसकी पुत्री (एक्स), जिसकी आयु लगभग आठ वर्ष थी, अपने घर पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, उस समय अभियुक्त प्रह्लाद पुत्र कमारू मीना निवासी भटौदिया वहां पर आया और लगभग 4 बजे शाम को उसकी पुत्री को ले गया और उसे दुकान से चाकलेट दिलवाई थी परन्तु उसकी पुत्री (एक्स) वापस नहीं लौटी ।

4. परिवाद में यह कथन किया गया है कि जब अभियुक्त प्रह्लाद द्वारा उसकी पुत्री (एक्स) को ले जाया गया था, वह और उसका भाई भंवरलाल और अन्य कुटुंब के सदस्य शाम के वक्त घर में मौजूद नहीं थे, जब वे घर वापस लौटे तो उसकी भतीजी लाली ने यह बताया कि अभियुक्त प्रह्लाद वहां आया था और उसकी पुत्री (एक्स) को चाकलेट दिलाने के लिए अपने साथ ले गया । परिवादी ने विनिर्दिष्ट रूप से परिवाद में यह उल्लेख किया है कि पूरी रात्रि उन्होंने उसको ढूंढा परन्तु वह वहां नहीं मिली, और प्रातः जब वे उसको ढूंढ रहे थे, ढूंढते समय नागजी पुत्र गौतम मीना के मकान के नजदीक उसका शव (एक्स) मिला था । परिवादी ने विनिर्दिष्ट रूप से भी कथन किया है कि अभियुक्त प्रह्लाद ने उसकी पुत्री से बलात्संग करने के पश्चात् उसकी हत्या कर दी इसलिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए ।

5. पूर्वोक्त टंकित परिवाद (प्रदर्श पी. 1) के आधार पर दंड संहिता की धारा 376 ए. जैड. एच. और धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए पुलिस थाना अरनोड पर प्रथम इत्तिला सं. 193/2013 दर्ज की गई थी और सर्किल निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 14) को अन्वेषण सौंपा गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण प्रारंभ किया और तत्काल घटनास्थल पर गया और घटना के स्थान का निरीक्षण किया । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी. 4) तैयार किया जिस पर साक्षीगण भंवरलाल तौरी और रूपलाल ने उस पर अपने-अपने अंगूठे की छाप लगाई थी । मृतका (एक्स) के शव का पंचनामा, राजपाल, रतनलाल, रमेश और

जगदीश की मौजूदगी में तैयार किया गया था । इसलिए, उन्होंने साक्षियों के रूप में अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं । इसी तरह परिवादी प्रभुलाल फौरी ने पंचनामे पर अपने अंगूठे की छाप भी लगाई थी । मृतका (एक्स) के फोटो भी लिए गए थे । पंचनामा को तैयार करने के पश्चात् मृतका का शव शवपरीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया था । तारीख 6 जुलाई, 2013 को 5.30 बजे अपराह्न चिकित्सा बोर्ड द्वारा जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में शवपरीक्षण किया गया था और चिकित्सा बोर्ड द्वारा शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 15) अन्वेषण अधिकारी को सौंपी गई थी जिसमें डाक्टर्स द्वारा अपनी-अपनी राय दी गई थी कि मृत्यु का कारण रक्तस्राव आघात बताया गया था ।

6. तारीख 7 जुलाई, 2013 को 5.15 बजे अपराह्न अन्वेषण के दौरान अभियुक्त प्रह्लाद गिरफ्तार किया गया था (देखिए प्रदर्श पी. 24) और उसका कपड़ा जीन्स (पैंट) भी कब्जे में ली गई थी और घटनास्थल पर उसे मोहरबंद किया गया था । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त प्रह्लाद द्वारा दी गई सूचना (प्रदर्श पी. 26) के आधार पर मृतका (एक्स) को क्षति कारित करने के लिए प्रयुक्त किया गया पत्थर दो साक्षी जगदीश और दशरथ के सामने तारीख 10 जुलाई, 2013 को 4.30 बजे अपराह्न प्रदर्श पी. 15 के माध्यम से बरामद किया गया था । शवपरीक्षण के दौरान मृतका (एक्स) की योनि से वीर्य रासायनिक परीक्षा के लिए लिया गया था (देखिए प्रदर्श पी. 16) । अभियुक्त प्रह्लाद की जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में तारीख 8 जुलाई, 2013 को 12.30 बजे अपराह्न मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा चिकित्सीय रूप से परीक्षा भी की गई थी जिसमें मेडिकल ज्यूरिस्ट ने अपनी यह राय दी कि इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि जिस व्यक्ति की परीक्षा की गई वह मैथुन कार्य करने में असमर्थ था । इस तथ्य को साबित करने के लिए कि मृतका की आयु 8 वर्ष थी, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, भटौदिया से प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. 18) अन्वेषण अधिकारी द्वारा लिया गया था जिसमें मृतका (एक्स) की जन्मतिथि तारीख 15 अप्रैल, 2005 लिखी गई थी । मृतका (एक्स) का ब्लाउज (पोल्का) और लहंगे को सरकारी अस्पताल के शवगृह में तारीख 6 जुलाई, 2013 प्रदर्श पी. 23 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था और उन्हें दो स्वतंत्र साक्षी जगदीश और राजपाल के सामने मोहरबंद करके रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । अभिगृहीत वस्तुएं ब्लाउज, लहंगा, पैंट, योनि से लिया गया वीर्य, रक्त और लार को तारीख 24 जुलाई, 2013 को

प्राप्ति रसीद (प्रदर्श पी. 27) के अधीन न्यायालयिक प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय को रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 14) सुरेन्द्र सिंह ने सभी अभियोजन साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 376(2)(झ), 376क, 302 और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 और 4 के अधीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोड के न्यायालय में अभियुक्त प्रह्लाद के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था जहां से मामले को विचारण के लिए न्यायालय, सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया ।

7. विचारण के दौरान न्यायालयिक प्रयोगशाला. रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 28) तारीख 28 अप्रैल 2015 तथा रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 29) तारीख 28 मई, 2015 प्राप्त की गई थी और उन्हें न्यायालय के समक्ष रखा गया था ।

विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 376(2)(i), 376क और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन विरचित किए गए आरोप पर अभियुक्त प्रह्लाद को सुनवाई का अवसर दिया गया परन्तु अभियुक्त प्रह्लाद ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का अनुरोध किया । विचारण में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 अभियोजन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे और 31 दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले गए थे । इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त प्रह्लाद का कथन लेखबद्ध किया गया था जिसमें उसने अभियोजन साक्षियों की ओर से दिए गए सभी कथनों से इनकार किया है और यह कहा है कि घटना की तारीख को वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल के मकान में था जहां से पुलिस उसे और उसकी पत्नी को अरनोड पुलिस थाने पर ले गई थी और साक्षी और मेरे हस्ताक्षर लिए थे । आगे उसने यह भी कथन किया है कि मैंने जांघिया पहन रखी थी । अभियुक्त प्रह्लाद ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया ।

8. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अंतिम दलीलों को सुनने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद को दंड संहिता की धारा 360, 376(2) (i) और 376(क) के अधीन लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया परन्तु दंड संहिता की धारा 302 और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का

अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन अपराध के लिए उसे दोषसिद्ध ठहराया, देखिए तारीख 18 सितंबर, 2015 का निर्णय तथा मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अधीन निदेश किया गया था जबकि अभियुक्त प्रह्लाद ने दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल की ।

9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में अभियोजन साक्षियों के कथन का मूल्यांकन करने में विफल हुआ है । जबकि अभि. सा. 1 प्रभुलाल (परिवादी) के कथन की ओर ध्यान देते हुए यह निवेदन किया गया कि उक्त साक्षी ने अपने कथन को स्वीकार किया है जो कथन टंकित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी.1) में उसके द्वारा दर्ज किया गया था । इसलिए यह सुस्पष्ट है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब के इस स्पष्टीकरण के साथ परामर्श करके फाइल की गई थी, जिसका प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में स्पष्टीकरण दिया गया । अंतिम बार देखे जाने के पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को विश्वसनीय रूप से नहीं माना जा सकता है जिस पर अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया ।

10. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की यह दलील है कि संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अंतिम बार देखे जाने की प्रथम परिस्थिति को निगमित किया गया है कि दो साक्षी अभि. सा. 2 सुश्री लाली **उर्फ** ललिता और अभि. सा. 4 चमेली ने मृतका के पिता परिवादी को इस बात की सूचना दी थी कि घटना की तारीख को अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना परिवादी प्रभुलाल की पुत्री मृतका को ले गया था और उसने उसे चाकलेट दी । मृतका की आयु आठ वर्ष थी और मृतका की माता प्रह्लाद मीना को अपने भाई के रूप में मानती थी । प्रह्लाद मीना प्रायः उनके मकान पर आया जाया करता था इसलिए अभि. सा. 2 सुश्री लीला **उर्फ** ललिता और अभि. सा. 4 चमेली ने यह सोचा कि वह चाकलेट दिलाने के बहाने मृतका को ले जा सकता है ।

11. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि अंतिम बार देखे जाने की पूर्वोक्त परिस्थिति अस्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि यदि 8 वर्ष की लड़की को अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उनके सामने ले जाया गया था तब इन साक्षियों ने आपत्ति क्यों नहीं की । इसलिए अभि. सा. 2

सुश्री लाली **उर्फ** ललिता और अभि. सा. 4 चमेली का परिसाक्ष्य अस्वीकार किए जाने योग्य है ।

12. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने पुरजोर यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने अन्य साक्षी अभि. सा. 1 प्रभुलाल (परिवादी), अभि. सा. 2 श्रीमती नारंगी, अभि. सा. 5 श्रीमती सत्तु, अभि. सा. 6 नागजी, अभि. सा. 7 श्यामलाल और अभि. सा. 9 दशरथ के कथनों का अवलंब लेकर गलत किया है क्योंकि इन साक्षियों में से कोई भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, इससे भी अधिक अधिकांश साक्षी सुने-सुनाए साक्षी हैं, इसलिए विचारण न्यायालय का निष्कर्ष दंड संहिता की धारा 302 और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना विधि में कायम नहीं है । चिकित्सा साक्ष्य को आक्षेपित करते हुए यह निवेदन किया गया है कि अभि. सा. 10 डा. ओ. पी. देयाम, जिन्होंने शवपरीक्षण किया था, मृतका के शरीर पर साधारण क्षति पाई थी और उनकी राय में मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त बहना था । डाक्टर ने न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया और शवपरीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि मृतका के प्राइवेट भाग पर कोई क्षति नहीं पाई गई थी परन्तु वीर्य की स्लाइड बलात्संग का निष्कर्ष निकालने के लिए लिए गए थे । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा बलात्संग किए जाने के कारण दर्शित नहीं हुए थे और न ही कोई शारीरिक क्षति की भी पुष्टि हुई थी, इसलिए, विचारण न्यायालय पर सही परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने की बाध्यता थी परन्तु वह चिकित्सा शास्त्र पर विचार करने में विफल हुआ और दोषिता के निष्कर्ष पर पहुंचा है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के अनुसार विचारण न्यायालय के निष्कर्ष प्रतिकूल हैं और विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है । लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन अपराध के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने अभिकथित अपराध किए जाने के लिए अपीलार्थी के हेतु को साबित नहीं किया है, अतः हेतु के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका की हत्या करने के लिए अपीलार्थी के पास कोई कारण रहा था जबकि इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया कि मृतका के शव के प्राइवेट भाग पर कोई क्षति नहीं थी, और यह निवेदन किया गया कि किसी चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में ऐसा कुछ भी सुझाव नहीं दिया जा सकता

कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतका के साथ बलात्संग किया है या कोई अपराध जिसके लिए लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 के उपबंध लागू हो सकते हैं । विचारण न्यायालय का निष्कर्ष धारणा और उपधारणा पर आधारित है इसलिए केवल यह तथ्य प्रकट होता है कि अप्राप्तवय लड़की की हत्या किए जाने पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है । अपीलार्थी न तो बलात्संग किया और न मृतका की हत्या की । परन्तु साक्षियों के साक्ष्य की उचित रूप से परीक्षा किए बिना विचारण न्यायालय ने दोषिता का निष्कर्ष लिया है जो कि पूर्णतया गलत है क्योंकि यदि संपूर्ण साक्ष्य को स्वीकार कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अभिकथित अपराध किए जाने के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित किया है ।

13. यह भी दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन में अभियुक्त-अपीलार्थी रामनगर पर ठाकुर का सेवक है और घटना के एक दिन पूर्व वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गया था और घटना के पश्चात् उसे उसकी पत्नी के साथ पुलिस द्वारा उसके ससुराल के मकान से पुलिस थाना अरनोड पर लाया गया था । परन्तु विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर अविश्वास किया है और उसे दोषी ठहराया है । अतः आक्षेपित निर्णय अभिखंडित किए जाने योग्य है । पूर्वोक्त बहस के प्रतिकूल हुए बिना अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा यह निवेदन किया गया कि अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अधिरोपित मृत्यु दंड पूर्णतया अवैध है, और इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रगणित आधारभूत विधि के सिद्धांतों से दूर है कि मृत्यु दंड अत्यधिक दंड की श्रेणी में आता है जिसे विरल से विरलतम मामलों में अधिरोपित किया जा सकता है । वर्तमान मामला केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए, यह मामला विरल से विरलतम मामले के प्रवर्ग में नहीं आता है जिसमें मृत्यु दंड अधिरोपित किया जा सकता है । अतः, यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी ठहराता है तो यह न्यायसंगत है, तब भी अभियुक्त-अपीलार्थी के लिए अधिरोपित किए गए मृत्यु दंड की पुष्टि नहीं की जा सकती और इसे आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलीलों के समर्थन में यह निवेदन किया है कि निम्नलिखित निर्णयों के अनुसार यदि अभियोक्त्री और अभियुक्त के प्राइवेट

भाग पर कोई क्षति नहीं है या वीर्य के धब्बों का मिलान नहीं होता है तब पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है । उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों की ओर ध्यान दिलाया है :–

....

निम्नलिखित निर्णयों के उद्धरणों को देखते हुए यह निवेदन किया गया है कि यह मामला विरल से विरलतम मामला नहीं है जिसमें मृत्यु की शास्ति को अधिरोपित किया जाना अपेक्षित हो ।

....

इसके प्रतिकूल लोक अभियोजक ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि व्यापक विश्वसनीय पारिस्थितिक साक्ष्य, जो अभिलेख पर है, इस तथ्य को साबित करता है कि तारीख 5 जुलाई, 2013 को 3 बजे अपराह्न अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना परिवादी के मकान पर पहुंचा और सबसे पहले उसने मृतका से यह प्रश्न पूछा कि तुम्हारे माता और पिता कहां हैं, मृतका ने यह उत्तर दिया कि वे घर पर नहीं हैं और वे गेहूं लेने के लिए गए हैं । तब अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना चाकलेट और मिरज खरीदने के लिए दुकान पर गया । कुछ समय पश्चात् वह वापस पहुंचा और मृतका की उंगलियां पकड़कर अपने साथ ले गया । बालक साक्षी अभि. सा. 2 सुश्री लीला **उर्फ** ललिता ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उस समय जब मृतका को अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपने साथ ले जाया गया था तो मैं वहां पर मौजूद थी । इसी तरह अभि. सा. 4 श्रीमती चमेली जो अपने मकान के सामने बैठी हुई थी उसने अभि. सा. 2 लीला **उर्फ** ललिता के कथन को दोहराया है और विनिर्दिष्ट रूप से यह कहा है कि मृतका के पिता और माता ग्राम खरखड़ा पर गेहूं लेने के लिए गए हुए थे, उस समय परिवादी प्रभुलाल के बच्चे घर पर थे और सभी घर के बाहर खेल रहे थे । उस समय लगभग 3 बजे अपराह्न अभियुक्त-अपीलार्थी वहां पहुंचा और परिवादी की पुत्री (एक्स) को चाकलेट और टाफी देने के लिए ले गया । उस तारीख को प्रह्लाद मीना दो बार घटनास्थल पर पहुंचा, पहली बार उसने मृतका से पूछा कि तुम्हारी माता और पिता कहां हैं और दूसरी बार वह वापस आया और उसे चाकलेट और टाफी देने के लिए ले गया । तदुपरि, इसी बीच में अंतिम बार देखे जाने के दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का विश्वसनीय साक्ष्य प्रकट हुआ है और ये दोनों साक्षी ने प्रभुलाल, परिवादी को उस तथ्य के बारे में बताया कि परिवादी की मृतका पुत्री को

अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा 3-4 बजे अपराह्न के बीच ले जाया गया था। मृतका का पिता पहले प्रह्लाद मीना के घर पर गया और वहां उसने उसको ढूंढा परन्तु अभियुक्त अपने मकान पर नहीं था। इसके पश्चात् उसने अपनी पुत्री को प्रत्येक स्थान पर ढूंढा परन्तु तारीख 5 जुलाई, 2013 की रात्रि तक वह अपनी पुत्री का पता नहीं लगा पाया था। अगले दिन प्रातः जब वे लगभग 8-9 बजे पूर्वाह्न नागजी मीना के कृषि खेत के नजदीक उसे ढूंढ रहे थे तो परिवादी की पुत्री का शव वहां पड़ा हुआ था और एक रक्तरंजित पत्थर भी शव के नजदीक पड़ा हुआ था।

14. शवपरीक्षण के दौरान योनि धब्बे और स्लाइड लिए गए थे और उन्हें रासायनिक परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था और मृतका के शव की शव-परीक्षा की गई। उसके शव पर छह क्षतियां पाई गई थीं। डाक्टर ओ. पी. देयाम (अभि. सा. 10) के कथन के अनुसार मृतका के शव पर छह क्षतियां पाई गई थीं। तारीख 28 अप्रैल, 2015 की न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 28) में यह भी उल्लेख किया गया कि मृतका के लहंगे और अभियुक्त की पैंट और योनिक धब्बे में मानव वीर्य का पता लगा था परन्तु ब्लाउज पर किसी वीर्य के धब्बे नहीं पाए गए थे। इससे यह अभिप्रेत है कि यदि मृतका के लहंगे और अभियुक्त-अपीलार्थी की पैंट पर वीर्य का पता लगा तभी मृतका के शव से योनिक धब्बे लिए गए थे और इस बात पर विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने में सुस्पष्ट रूप से कोई गलती नहीं की गई है कि अभियुक्त-अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन दोषी है जबकि रक्त की रिपोर्ट के बारे में न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 29) की ओर ध्यान दिलाते हुए यह निवेदन किया गया कि मृतका के ब्लाउज और लहंगे पर तथा अभियुक्त की पैंट पर रक्त पाया गया था, तथापि, रक्त ग्रुप के बारे में अनिश्चितता की रिपोर्ट दी गई। परन्तु, इस तथ्य को साबित किया गया है कि मृतका के कपड़ों पर तथा अभियुक्त-अपीलार्थी की पैंट और मृतका के योनिक धब्बे पर भी रक्त पाया गया था।

15. विद्वान् लोक अभियोजक के अनुसार विचारण न्यायालय न केवल अभि. सा. 2 सुश्री लीला **उर्फ** ललिता और अभि. सा. 4 चमेली के अंतिम बार देखे जाने के साक्षियों के कथन पर ही विचार नहीं किया है बल्कि

चिकित्सा साक्ष्य पर भी स्पष्ट रूप से विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मृतका की अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा हत्या की । विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण साक्ष्य को बारीकी से निर्धारित किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन हत्या के अपराध को कारित करने के लिए दोषी है और यह विरल से विरलतम मामला है जिसमें केवल मृत्यु की शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए क्योंकि मृतका आठ वर्ष आयु की असहाय लड़की थी जो अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना के साथ गई जिसे वह मामा कहा करती थी परन्तु अभियुक्त ने अपने संबंधों की सभी सीमाओं को लांघ दिया और उसके साथ अपराध किया जो दंड संहिता की धारा 302 और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध है इसलिए अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील को खारिज किया जा सकता है और विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत मृत्यु दंड की पुष्टि की जा सकती है ।

16. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हमने संपूर्ण साक्ष्यों की जांच की है । निःसंदेह इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है परन्तु अभि. सा. 1 प्रभुलाल, जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को लिखने वाला है, अभि. सा. 2 सुश्री लाली **उर्फ** ललिता, अभि. सा. 3 नारंगी और अभि. सा. 4 चमेली, इन सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को साबित किया है कि मृतका की माता के साथ अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना का उसके भाई के रूप में व्यवहार था और राखी के त्यौहार पर मृतका की माता उसे राखी बांधती थी इसलिए परिवादी प्रभुलाल के बच्चे अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना को मामा के रूप में मानते थे और यह तथ्य सभी गांववासियों की जानकारी में था क्योंकि अभियुक्त-अपीलार्थी परिवादी अभि. सा. 1 प्रभुलाल के निवास स्थान पर आया जाया करता था क्योंकि वह उसे साले के रूप में मानता था और उनके कुटुंब के सदस्य उस पर विश्वास करते थे ।

17. अभि. सा. 1 प्रभुलाल ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया है कि उसके बच्चों में से मृतका सबसे बड़ी पुत्री थी और तारीख 5 जुलाई, 2013 की शाम को जब मैं अपनी पत्नी के साथ अपने निवास स्थान पर

वापस पहुंचा तब मेरी मृतका पुत्री घर से गायब थी और अपनी भतीजी अभि. सा. 2 सुश्री लीला **उर्फ** ललिता से पूछताछ करने पर उसने यह बताया कि अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना उनकी अनुपस्थिति में आया था और अपने साथ उनकी पुत्री को ले गया । यह सूचना पाने पर परिवादी ने अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ अपनी पुत्री को ढूंढा परन्तु देर रात तक उसका पता नहीं लग पाया था । उसने फोन काल अपने नातेदारों को भी किए थे परन्तु पूरी रात्रि उसको अपनी पुत्री के अते-पते के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई तथा अगले दिन उसने यह पाया कि जब वह नागजी मीना के नजदीक अपनी पुत्री को ढूंढ रहा था तब मृतका का शव पाया गया था और शव के नजदीक एक रक्तरंजित पत्थर भी पड़ा हुआ था । परिवादी ने सूचना (प्रदर्श पी. 1) दी जिसके आधार पर पुलिस थाना अरनोड पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 2) दर्ज की गई थी । परिवादी अभि. सा. 1 प्रभुलाल ने यह भी कहा है कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल से बालों की क्लिप, चप्पलें सहित कुछ वस्तुएं अभिगृहीत की गईं थीं और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया तथा शवपरीक्षण के पश्चात् मृतका के शव को उसे सौंपा गया था ।

प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि मृतका उसके चार बच्चों में से सबसे बड़ी पुत्री थी और घटना की तारीख को उसकी भतीजी अभि. सा. 2 सुश्री लीला **उर्फ** ललिता ने इस तथ्य के साथ उसे यह सूचना दी कि अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना चाकलेट और टाफी देने के बहाने उसकी पुत्री मृतका को अपने साथ ले गया । इस साक्षी अभि. सा. 2 सुश्री लीला **उर्फ** ललिता ने विचारण न्यायालय के समक्ष शपथपत्र में निम्नलिखित कथन किए हैं जिनका परिशीलन करने पर इस प्रकार हैं :–

शपथ दिलाई गई –

प्रभु मेरा काका लगता है । दोनों के मकान पास-पास हैं । चमेली मेरी काकी लगती है । करीब सालभर पहले की बात है । मैं मेरे घर पर थी । चमेली भी घर पर थी । बच्चे-बच्ची मकान के बाहर खेल रहे थे । करीब 3 बजे हाजिर अदालत मुलजिम प्रह्लाद एक बार आया । जिसको मैं जानती हूं । राखी डोरा होने से यह हमारे काकी के यहां आता जाता है । प्रह्लाद ने आकर के शीला से पूछा कि तेरे माता-पिता कहां हैं, तो शीला ने कहा कि मेरे पापा मम्मी घर पर नहीं हैं, गेहूं लेने गए हैं । फिर प्रह्लाद दुकान से गोलियां और मिराज

लेकर आया था । फिर शीला को उंगली पकड़ कर ले गया था । जिसको मैंने देखा था ।

शीला प्रह्लाद को मामा कहती थी । जब प्रह्लाद तीन चार बजे शीला को ले गया, उसके बाद शीला घर पर नहीं आई । मेरे काका प्रभुलाल, काकी नारंगी दोनों खरखड़ा से शाम को आए थे । तब तक भी शीला घर पर नहीं आई थी । फिर शीला को सभी परिवार वालों ने इधर उधर काफी तलाश किया, फिर दूसरे दिन सुबह 8 बजे पता चला कि शीला नागजी के खेत में मरी हुई मिली थी । शीला की उम्र उस समय 8 साल की थी शीला को प्रह्लाद ने बलात्कार करके मार दिया था ।

जिरह द्वारा बचाव पक्ष –

यह सही है कि मेरे पिता का मकान और प्रभुलाल मेरे काका का मकान अलग-अलग हैं पर पास-पास हैं । हमारा मकान प्रभुलाल के मकान के नजदीक है पर थोड़ा साइड में आ गया है । प्रभुलाल के चार बच्चे हैं, जो सभी साथ रहते हैं । प्रभुलाल मेरे काका और काकी कहीं आते जाते हैं तो हमें पता चलता है, घर तो पास ही है ।

किरण, कमलेश, शीला तीनों खेल रहे । किरण ने टी-शर्ट पहन रखी थी, कमलेश ने राते कलर का शर्ट पहन रखा था, शीला ने घाघरी ब्लाउज पहन रखा था । साड़ी का घघरा बनाया हुआ था, जिस पर चमक थी, ब्लाउज पीले रंग का था, घाघरी काले रंग की थी । यह मैं नहीं बता सकती कि प्रह्लाद घर पर दारू पीकर आया हो । जब प्रह्लाद आया तब उसके हाथ में गोलियां जो मीठी थीं, जेब में अन्दर मिराज थी । प्रह्लाद के कपड़े का कलर ध्यान नहीं है, प्रह्लाद ने आकर शीला को उठाया नहीं था । मेरी प्रह्लाद से कोई बात नहीं हुई । इस घटना से पहले कभी प्रह्लाद शीला को नहीं ले गया ।

यह कहना गलत है कि प्रह्लाद जब आया हो तब उसके साथ एक और आदमी हो । यह सही है कि जब बच्ची नहीं मिली तो उसके मम्मी-पापा सत्तु की दुकान पर गए थे । तो वहां पर दुकान पर सत्तु ने कहा था कि दिन में प्रह्लाद आया था और गोली, बिस्कुट ले गया था, उससे मालूम पड़ी कि प्रह्लाद आया था, यह कहना गलत है कि सत्तु की दुकान से मेरे काका-काकी को शीला के बारे में पता

चला हो, बल्कि पहले मैंने बताया था, कि प्रह्लाद आया था । यह सही है कि उन दिनों बारिश का मौसम था, उस दिन पूरे दिन हल्का-हल्का पानी गिर रहा था, कीचड़ हो गया था ।

यह कहना गलत है कि मैंने प्रह्लाद को मेरी आंखों से शीला को ले जाते हुए नहीं देखा हो और मुझे बाद में इस तरह से कहना सिखाया हो । यह कहना भी गलत है कि प्रभुलाल के कहने से ऐसे बयान दे रही हो । बल्कि मैंने प्रह्लाद को आंखों से देखा था, मुझे किसी ने बयान देना नहीं समझाया था । मुझसे डिप्टी साहब ने पूछताछ की थी ।

"पुनः परीक्षण शून्य"

18. साक्षी अभि. सा. 4 श्रीमती चमेली अंतिम बार देखे जाने की साक्षी है, उसने घटना को साबित करने के लिए निम्नलिखित कथन दिया है जो निम्न प्रकार है :–

"शपथ दिलाई गई" –

प्रभुलाल मेरे जेठ लगते हैं । नारंगी मेरी जिठानी लगती है । और प्रभुलाल जी मेरे जीजाजी भी लगते हैं । करीब एक साल होने आया है । प्रभुलाल और उसकी पत्नी खरखड़ा गेहूं लेने गए थे । ये लोग सुबह की समय गेहूं लेने गए थे । और इनके बच्चे बच्ची घर पर खेल रहे थे । उस दिन शीला, किरण, कमलेश घर पर थे, शीला प्रभुलाल की लड़की है, जो 8 साल की थी । मेरा घर इनके मकान के पास ही है ।

सभी बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, शीला भी उनके साथ ही खेल रही थी । दिन में तीन बजे प्रह्लाद हाजिर अदालत मुलजिम आया था, मैं और लल्ली दोनों पास-पास बैठे थे, प्रह्लाद ने शीला को कहा कि तुझे गोली और चाकलेट खिलाता हूं, उस दिन प्रह्लाद दो बार आया था । जब पहली बार 3 बजे प्रह्लाद आया तो उसने शीला से पूछा कि, तेरे मम्मी-पापा कहां गए हैं, तो नानी ने कहा कि वह तो खरखड़ा गए हैं । तो पूछ कर शीला को ले गया । उस समय पूछ कर चला गया,

फिर, दूसरी बार प्रह्लाद चार बजे आया । और कहा कि शीला तेरे पापा-मम्मी बुला रहे हैं और उसको चाकलेट बिस्कुट दिलाने का

बहाना करके शीला को ले गया । प्रह्लाद को शीला मामा कहती थी, प्रह्लाद और प्रभुलाल की पत्नी के बीच राखी डोरे का व्यवहार था, उस दिन शाम को शीला घर पर नहीं आई थी । फिर मेरे जेठ जेठानी शाम को 5-6 बजे घर पर आए थे । उन्होंने पूछा कि शीला कहां है तो मैंने और लल्ली ने बताया कि शीला को प्रह्लाद ले गया है । जो चाकलेट गोली दिलाने का बहाना करके शीला को ले गया ।

फिर शीला के नहीं आने पर रात भर हम सभी परिवार वालों ने तलाश की तो रात में शीला कहीं पर नहीं मिली, मेरा जेठ प्रभुलाल के घर पर पूछने गए तो प्रह्लाद घर पर नहीं मिला । फिर सुबह में शीला मरी हुई अवस्था में नागजी के खेत में मिली थी । प्रह्लाद ने शीला के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया ।

जिरह द्वारा बचाव पक्ष –

मेरे जेठ और जेठानी कितनी बजे सुबह घर से गए थे समय याद नहीं । सभी बच्चों-बच्चियों में कमलेश ने टी-शर्ट, शीला ने घाघरी और ब्लाउज पहन रखा था, उसका रंग आज पता नहीं । उस समय बारिश का मौसम था । उस दिन भी बारिश हुई थी । लेकिन कीचड़ नहीं हुआ था । जब मम्मी-पापा का बहाना करके प्रह्लाद बच्ची को ले गया, तो हमने इसलिए मना नहीं किया और आपत्ति नहीं की, क्योंकि शीला की मां और प्रह्लाद के बीच राखी डोरे का व्यवहार था ।

यह सही है कि प्रभुलाल और नारंगी ने सत्तुबाई दुकान वाली से बच्ची के बारे में पूछा था, मेरे पुलिस में बयान हुए थे, डिप्टी साहब आए थे । दूसरे दिन सुबह पुलिस 10-10.30 बजे आई थी, पूछताछ उसी दिन हो गई थी । पुलिस बयान प्रदर्श डी. 2 में प्रह्लाद द्वारा शीला को यह बात मैंने पुलिस को बता दी थी, पुलिस ने क्यों नहीं लिखी पता नहीं । मेरे सामने प्रह्लाद ने शीला को चाकलेट दी थी, और ले गया था । प्रह्लाद ने मुठ्ठी भर के चाकलेट दी थी यह बात मैंने पुलिस को बता दी थी, पुलिस ने बयान प्रदर्श डी. 2 में क्यों नहीं लिखी पता नहीं ।

मैंने और लल्ली दोनों ने प्रह्लाद द्वारा शीला को ले जाने की बात प्रभुलाल व उसकी पत्नी को बता दी थी, लेकिन पुलिस बयान प्रदर्श डी. 2 में केवल लल्ली द्वारा बताए जाने की बात ही लिखी है,

पुलिस ने क्यों नहीं लिखा पता नहीं इस घटना से पहले प्रह्लाद ने कभी भी बच्चों को चाकलेट नहीं दी, इससे पहले भी प्रह्लाद कभी शीला को नहीं ले गया । मेरे परिवार वालों से ही पता चला था कि प्रह्लाद ने शीला के साथ बलात्कार किया और उसको मार दिया ।

जहां बच्ची शीला की लाश मिली वह स्थान मेरे घर से करीब 500-700 फीट दूरी पर होगा ।

"पुनः परीक्षण शून्य" ।

19. अंतिम बार देखे जाने के दोनों साक्षियों के कथन और अन्य साक्षियों के कथनों का परिशीलन करने पर हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विश्वासयोग्य पारिस्थितिक साक्ष्य को देखते हुए अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को सिद्ध किया है कि मृतका के कुटुंब से अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना की घनिष्टता थी और मृतका की आयु 8 वर्ष थी जो अभियुक्त को मामा कहती थी, अतः वह उस पर विश्वास के कारण अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ गई । जब अभियुक्त ने मृतका को चाकलेट और टाफी दी थी । दोनों साक्षी अभि. सा. 2 सुश्री लाली और अभि. सा. 4 चमेली का परिसाक्ष्य अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विश्वासयोग्य नहीं हैं इसके अतिरिक्त इन साक्षियों के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि जब अभियुक्त-अपीलार्थी अपने साथ मृतका को ले लिया तो वे वहां पर मौजूद थे और अंततोगत्वा घटना के दूसरे दिन नागजी मीना के मकान के नजदीक वह मृत पाई गई थी ।

20. अभि. सा. 1 की पत्नी अभि. सा. 3 श्रीमती नारंगी और मृतका की माता ने शपथ पर स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह प्रह्लाद मीना को अपने भाई के रूप में मानती थी और घटना की तारीख को वह और उसका पति गेहूं लेने के लिए गया था और उसके सभी बच्चे अन्य कुटुंब के सदस्य के साथ घर में थे ।

21. अभि. सा. 5 श्रीमती सत्तु दुकानदार है जहां से अभियुक्त-अपीलार्थी ने चाकलेट बिस्कुट और मिराज खरीदा था । उक्त साक्षी ने निम्नलिखित कथन दिया है जो निम्न प्रकार है :–

"शपथ दिलाई गई –

करीब साल भर पहले की बात है । मेरे मकान के पास शंकर,

नागजी, व थोरी जाति के लोगों के मकान हैं । मैं खेती का काम करती हूं और घर पर चाकलेट बिस्कुट, मिराज बेचने की छोटी दुकान है । दिन में 3-4 बजे प्रह्लाद आया । जो महुड़िया का रहने वाला है इसको मैं जानती । उसने कहा कि मुझे मिराज व 7-8 चाकलेट दो, एक रुपए की गोलियां ली थीं, और वापिस चला गया । रात को 8-9 बजे नारंगी पत्नी प्रभु मेरे घर आई और पूछा कि मेरी बच्ची शीला आई क्या उसे देखा क्या मैंने कहा कि मैंने नहीं देखा ।

मुझे सवेरे पता चला कि नागजी के खेत के पास जंगल में शीला को मार कर फेंक दिया । और कुछ नहीं सुना । और सुना कि प्रह्लाद ने खोटा काम किया । मैंने कुछ नहीं सुना ।

जिरह द्वारा बचाव पक्ष –

मेरी दुकान पर 10-20 से कम ग्राहक आते हैं । प्रह्लाद ने मिराज की छोटी पुड़िया ली थी । यह सही है कि नागजी के खेत पर जाने का रास्ता मेरी दुकान के आगे से होकर जाता है । यह सही है कि नागजी के खेत के पास बस्ती है, कई मकान बने हुए हैं, कई लोग बच्चे, बच्ची, आदमी-औरत रहते हैं । नारंगीबाई 7-8-9 बजे आई होगी । आज से परसों मेरी दुकान पर कौन-कौन ग्राहक क्या-क्या समान ले गया इसका मुझे पता नहीं ।

पुनः परीक्षण शून्य" ।

22. अभि. सा. 6 नागजी को यद्यपि पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया परंतु उसने यह स्वीकार किया है कि मृतका का शव कृषि भूमि में उसके मकान के नजदीक पाया गया था । परंतु वह इस बात को नहीं जानता है कि उक्त घटना कब घटी ।

23. अभि. सा. 7 श्यामलाल ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तारीख को लगभग 3-4 बजे अपराह्न अभियुक्त-अपीलार्थी उसके निवास स्थान पर पहुंचा और मेरी बहन अंशु से यह कहा कि दुकान से मिराज लाना है परंतु मैंने कहा कि संभवतः बारिश आ सकती है अतः इसलिए वह नहीं जा पाई थी । अभियुक्त प्रह्लाद मिराज लेने के लिए स्वयं चला गया और शाम को 6-7 बजे अपराह्न शिकायतकर्ता प्रभुलाल पहुंचा और उसने अपनी पुत्री के बारे में पूछताछ की परंतु मुझे यह पता नहीं था कि उसके साथ वह गई है, और वह अपनी

पुत्री को ढूंढे । अभि. सा 7 श्याम लाल द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभि. सा. 2 लाली ने यह बताया कि प्रह्लाद वहां पर पहुंचा था और शिकायतकर्ता की पुत्री को चाकलेट देने के लिए अपने साथ ले गया था । उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मैंने शिकायतकर्ता और अन्य कुटुंब के सदस्यों के साथ पूरी रात्रि शिकायतकर्ता की पुत्री को ढूंढा और अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान पर भी पूछताछ की । परंतु अभियुक्त मकान में नहीं था और अगले दिन परिवादी की पुत्री मृतका का शव नागजी (अभि. सा. 6) के कृषि खेत में उसके मकान के नजदीक पाया गया । तदुपरि इससे यह अभिप्रेत है कि स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का भी समर्थन किया ।

24. अभि. सा. 8 रूप लाल ने यह कथन किया है कि घटना की तारीख को मैंने लगभग 10-11 बजे अपराह्न शिकायतकर्ता प्रभु लाल के बड़े भाई दशरथ से काल प्राप्त की जिसने यह सूचना दी कि प्रभु लाल की पुत्री गायब हुई है और इस बारे में पूछताछ की कि वह आपके निवास स्थान पर तो नहीं पहुंची है । अगले दिन पुनः लगभग 5-6 बजे पूर्वाह्न मैंने दशरथ (अभि. सा. 9) से काल प्राप्त की और यह सूचना प्राप्त की कि मेरे भाई प्रभुलाल की पुत्री का अभी तक पता नहीं चला । उक्त साक्षी ने इस तथ्य को साबित किया है कि ज्ञापन प्रदर्श पी. 7, पी. 8, पी. 9, पी. 10, पी. 11 और पी. 12 में मेरे अंगूठे के निशान हैं क्योंकि घटना के स्थान पर सभी ज्ञापन और फोटो मेरे समक्ष तैयार की गई थी । यद्यपि यह साक्षी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी या घटना को अंतिम बार देखे जाने का साक्षी नहीं है परंतु उसने संपूर्ण अन्वेषण का समर्थन किया है और यह तथ्य कि शिकायतकर्ता और उसके कुटुंब के सदस्य ने घटना की तारीख को उसकी पुत्री को ढूंढा था परंतु अगले दिन मृतका का शव पाया गया था ।

25. शिकायतकर्ता प्रभुलाल का बड़ा भाई अभि. सा. 9 दशरथ है । उसने इस तथ्य को दोहराया है कि मेरी पुत्री अभि. सा. 2 सुश्री लाली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कि प्रह्लाद लगभग 3-4 बजे अपराह्न प्रभुलाल के मकान पर पहुंचा था और प्रभु लाल की पुत्री को चाकलेट खिलाने के लिए अपने साथ ले गया था । इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने शिकायतकर्ता के साथ उसकी पुत्री को ढूंढने के सभी प्रयास किए थे परंतु उसकी पुत्री का शव नागजी के कृषि खेत में पाया गया था । इससे यह अभिप्रेत होता है कि

सभी साक्षियों ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन और उसके विरुद्ध दिए गए अभिकथन का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है ।

26. अभि. सा. 10 डा. ओ. पी. देयाम ने शपथ पर यह कथन किया है कि तारीख 6 जुलाई, 2013 को जब मैं सरकारी अस्पताल प्रतापगढ़ में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्य कर रहा था और मैं डा. प्रतिहार और डा. नीलम शुक्ला के साथ मेडिकल बोर्ड का सदस्य था और शिकायतकर्ता प्रभु लाल की पुत्री जिसकी आयु 8 वर्ष थी उसके शव की परीक्षा की और मृतका लड़की की योनि से धब्बों को सुरक्षित रखकर स्लाइड तैयार की गई और उन्हें मोहरबंद करने के पश्चात् परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि चिकित्सा परीक्षा करने पर मृतका लड़की के शव के थाई, नाक और दाहिने हाथ की कलाई पर पांच क्षतियां पाई गईं थीं । परीक्षा करने के पश्चात् शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 15) पर यह राय दी गई थी कि "मेरी राय में मृत्यु का कारण रक्तस्राव और आघात है" । साक्षी अभि. सा. 10 डा. ओ. पी. दयाम द्वारा निम्नलिखित कथन किया गया था जो मेडिकल बोर्ड का एक सदस्य था तथा सरकारी अस्पताल प्रतापगढ़ में चिकित्सा ज्यूरिस्ट के पद पर कार्य कर रहा था जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

"शपथ दिलाई गई –

मैं दिनांक 6-7-13 को जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर तैनात था । उस दिन थानाधिकारी अरनोद से मृतका सुश्री शीला पुत्री प्रभुलाल थोरी उम्र 8 वर्ष निवासी भटौदिया थाना अरनोद के शवपरीक्षण हेतु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ को मेडिकल बोर्ड गठन हेतु आवेदन किया था, जिस पर पीएमओ डा. प्रतिहार ने मेरे साथ डा. नीलम शुक्ला महिला चिकित्सक को सदस्य नामित कर मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, तहरीर प्रदर्श पी. 14 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । तथा सी से डी डा. शंकरलाल प्रतिहार के हस्ताक्ष्र हैं । दिनांक 6-7-13 को ही सुश्री शीला का शवपरीक्षण किया गया । शव की पहचान प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल थोरी पिता ने की थी । शव को निर्भय सिंह एचसी नं. 414 थाना अरनोद लेकर आए थे । शवपरीक्षण के समय मृत्यु लगभग 12 से 24 घंटे के अन्दर की थी । शवपरीक्षण शवगृह जिला चिकित्सालय में किया गया था ।

शव की योनि से स्वाब लेकर स्लाइड तैयार कर सील चिट कर एफएसएल जांच हेतु पुलिस को मय पत्र के सुपुर्द किया था। पुलिस तहरीर के अनुसार प्रकरण 193/13, 376ए/302 में मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीएम करावे सूचना दी थी। मृतका का शरीर कीचड़ व धूल के कणों से सना हुआ था, शरीर पर मृत्यु पश्चात् की अकड़न मौजूद थी। मृतकों की दोनों आंखों की कन्जेक्टीवा लाल थी। शव पर निम्न खरोंचें जो मृत्यु पूर्व की थीं :–

3 × 1 से.मी. बाईं जांघ पर बाएं घुटने पर सामने की तरफ

6 × 1 से.मी. दाएं पैर पर खरोंच

2 × 1 से.मी. खरोंच दाईं जांघ पर

1 × 1.5 से.मी. नाक पर खरोंच

1 × 1 से.मी. खरोंच दाएं हाथ की कलाई पर

यह सभी चोटें मृत्यु पूर्व कारित की गईं थीं। दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुईं वह फिक्स थीं। सिर दिमाग की झिल्ली व दिमाग सही थे। सीना खोलने पर बाईं तरफ से खून से भरा हुआ था। बाएं ओर की 10-11 नम्बर की पसली सामने की तरफ से टूटी हुई थी। श्वसन नली ठीक थी। दायां फेफड़ा सही था, बायां फेफड़ा फटा हुआ था, 2 × 1 × 1 से.मी. नीचे की तरफ सामने की तरफ हृदय बायां खाली था, दायां आधा भरा हुआ था (आधा भरा हुआ अर्थात् आंशिक भरा हुआ था) बड़ी खून की नलियां खून से भरी हुईं थीं। पेट की दीवार सही थी। मुंह, गला सही था। परन्तु नाक पर खून जमा हुआ था। ऊपरी होंठ 1 × 1 × 0.5 से. मी. फटा हुआ था। आमाशय में अधपचा भोजन मौजूद था। छोटी आंत में अधपचा भोजन मौजूद था। बड़ी आंत में विस्टा था, लिवर, तिल्ली सही थे। सफेदी लिए हुए थे। किडनी सही थी। यूरिनल ब्लेडर खाली था। जननांग सही थे। मेडिकल बोर्ड की राय में मृतका की मृत्यु अत्यधिक रक्त स्राव से मृत्यु होना पाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। सी से डी बोर्ड की राय अंकित है।

योनि की स्लाइड पुलिस को जिस पत्र के माध्यम से सुपुर्द की थी, उस पत्र की फोटो प्रदर्श पी. 16 है। जिस पर ए से बी मेरे

हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है । दिनांक 8-7-2013 को पुलिस उप अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा एक लिखित तहरीर वास्ते अभियुक्त प्रह्लाद मीना पिता कमारू मीना के पुरुषत्व संबंधी मेडिकल कराने बाबत प्राप्त हुई थी, जो प्रदर्श पी. 17 है जिस पर ए से बी मेरे प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं मैंने अभियुक्त प्रह्लाद पुत्र कमारू मीना 23 वर्ष को पुरुषत्व परीक्षण जांच की थी, जांच हेतु चिमनलाल एएसआई व डिवाई एसपी, प्रतापगढ़ लेकर आए थे जो साधारण कद काठी का 160 से.मी. लम्बाई वजन 45 किलो था, लिंग खतना किया हुआ नहीं था, कोई पूर्व व जन्मजात बीमारी नहीं थी । कोई चोट के निशान लिंग पर नहीं थे । स्कूटर रिफलेक्स पोजिटीव था । खून, थूक के नमूने लिए जाकर पुलिस को सुपुर्द किए, मेरी राय में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त संभोग करने के लिए अयोग्य हो । पुरुषत्व संबंधी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 18 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर प्रह्लाद की निशानी अंगुष्ठ है सी से डी मेरी राय है । जिस पत्र से पुलिस को अभियुक्त के खून, थूक के नमूने सुपुर्द किए थे, वह प्रदर्श पी. 19 है जिस पर ए से बीच मेरे हस्ताक्षर हैं ।

जिरह द्वारा बचाव पक्ष –

पीएम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 अंकित चोट सं. 1 से 15 साधारण प्रकृति की थीं और गिरने से आना संभव हैं । पीएम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 में अंकित बाएं तरफ जो अस्थि भंग पसली नं. 10-11 ऊंचाई से पत्थरों पर गिरने से हो सकता है । नाक पर जो चोट है वह भी गिरने से आ सकती है, होंठ की चोट भी गिरने से आ सकती है । लड़की के जननांग भी स्वस्थ (हेल्दी) थे । लड़की के गुप्तांग पर कोई चोट के निशान नहीं थे । लड़की के जननांग के आस-पास बाहरी तौर पर कोई वीर्य का स्खलन नहीं था । मृतका के सिर व जननांग पर कोई चोट नहीं थी । साधारणतया सरलता से जब तक कोई सहमति नहीं दे दे या उसे कन्ट्रोल नहीं कर ले तब तक संभोग संभव नहीं है । पीएम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की उम्र 8 वर्ष थी । यह सही है कि छोटी बच्ची के साथ संभोग जबरन होने पर उसकी योनि रेपचर होकर ब्लीडिंग होने की संभावना होती है । पीएम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 में ऐसा कोई अंकन नहीं है । मैंने मृतका की चिकित्सीय रिपोर्ट बनाई ।

मृतका को आई हुईं चोटों से रक्तस्राव हुआ है और उससे मृत्यु संभव है । जब कि सिर सही था । पोस्टमार्टम में तकरीबन एक घंटे का समय लगा था । शवपरीक्षण के समय शव पर कपड़े थे या नहीं इस संबंध में आज नहीं कह सकता हूं । हमने मृतका की योनि की जांच कर स्वाब लेकर स्लाइड तैयार कर एफएसएल जांच हेतु, भेजे थे पीएम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 में बलात्कार के संबंध में कोई अंकन नहीं है ।

"पुनः परीक्षण शून्य"

27. अभि. सा. 11 डा. नीलम गुप्ता ने शवपरीक्षण की कार्रवाइयों को दोहराया और अपनी राय व्यक्त की । अभि. सा. 12 सत्येन्द्र शर्मा और अभि. सा. 13 भंवर लाल सरकारी प्राइमरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक भोटियाल ने मृतका की जन्मतिथि 15 जुलाई, 2005 की पुष्टि की है । अभि. सा. 14 भगवत सिंह अन्वेषक अधिकारी ने संपूर्ण अन्वेषण को साबित किया और यह कहा कि अंतिम बार देखे जाने के पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थन मिला है, दंड संहिता की धारा 302 और पास्को अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध बनता है ।

28. विचारण न्यायालय के निष्कर्षों सहित उपरोक्त चर्चा पर हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने दंड सहिता की धारा 302 और पास्को अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध किए जाने की बात को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है । अभि. सा. 2 सुश्री लाली **उर्फ** ललिता और अभि. सा. 4 चमेली द्वारा वर्णित अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप से विचार किया गया और जिस पर यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषी है क्योंकि मृतका लड़की की आयु 8 वर्ष है और उसका शव नागजी नामक व्यक्ति के मकान के नजदीक किसी खेत में पाया गया और न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार मृतका के साथ लैंगिक उत्पीड़न के साक्ष्य की पुष्टि हुई है जो पास्को अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दंडनीय है । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने में कोई गलती नहीं की गई है कि अभियुक्त-अपीलार्थी 8 वर्ष की आयु की लड़की के साथ उस पर मैथुन हमला किए जाने और उसकी हत्या किए जाने के अपराध का दोषी है ।

29. मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए हमने अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील पर विचार किया ।

30. **बच्चन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अधिनिर्णय का सामान्य नियम यह है कि हत्या के अपराध तो आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जाएगा, परंतु न्यायालय इस नियम से हट सकती है और केवल मृत्यु दंड तब अधिरोपित कर सकती है यदि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हों । उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि मृत्यु दंड अधिरोपित करने से पूर्व ऐसे कारण को लिखित में लेखबद्ध किया जाना चाहिए । यह भी मत व्यक्त किया गया है कि यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि अपराध के किए जाने के षड्यंत्र और उसकी रीति के लक्षण में आपवादिक घृणित अपराध किया गया है तो इसका निष्पादन किया जाना चाहिए और समाज के लिए गंभीर खतरे के होने पर न्यायालय मृत्यु दंड अधिरोपित कर सकती है ।

31. **राजेन्द्र प्रह्लादो वासनिक** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामले में उच्च न्यायालय ने तीन वर्ष आयु की अप्राप्तवय बच्ची के साथ बलात्संग करने के लिए मृत्यु दंड की पुष्टि की थी जिसमें अप्राप्तवय बच्ची को उसके लिए बिस्कुट खरीदने के बहाने से ले जाया गया था और उसके साथ बलात्संग किया गया था तथा उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अधिनिर्णय किया जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "जब न्यायालय यह निर्धारण के प्रयोजन के लिए परिस्थितियों को एकत्रित करने और कम करने के संतुलन के बीच निष्कर्ष निकालना चाहता है कि क्या मृत्यु के लिए अत्यधिक दंड अभियुक्त पर अधिरोपित किया जाना चाहिए या नहीं, तब न्याय के पैमाना का केवल अभियुक्त के विरुद्ध निर्धारण किया जाना चाहिए, न्यायालय के अभिलेख से सुस्पष्ट गंभीर एकत्रित परिस्थितियों को देखने के अलावा कुछ भी नहीं है । वास्तव में अभियुक्त के पक्ष में जाने वाली गंभीर कम करने वाली कोई परिस्थिति के बीच वास्तविक संघर्ष पर निष्कर्ष

---

[1] (1980) 2 एस. सी. सी. 684 = ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 898.

[2] (2012) 4 एस. सी. सी. 37 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1377.

निकालना चाहिए । मामले का दूसरा पहलू यह है कि अप्राप्तवय बच्ची अभियुक्त के क्रूरता के व्यवहार के समक्ष असहाय थी । अभियुक्त ने विश्वास के संबंधों के आधार पर बच्ची को पकड़ा था जिसमें वह अभि. सा. 2 के मकान से बच्ची को ले गया था । दूसरे शब्दों में अभियुक्त ने अपने आचरण से विश्वास के मानवीय संबंध को झुठलाया है । अभियुक्त ने खुले स्थान में नग्न अवस्था में मृतका को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया था । इससे अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात प्रकट होती है और जो मानव आचरण के बिल्कुल प्रतिकूल जाती है जिसके लिए अभियुक्त को अपने सिवाय किसी दूसरे व्यक्ति को दोषारोपित नहीं करना चाहिए ।

32. **बसंत संपत्त दुपारा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले के नवीनतम निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को अधिनिर्णीत किए गए मृत्यु दंड की पुष्टि की है जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थी एक जवान लड़की को चाकलेट देने का लालच देकर मृतका को ले गया था । अभियुक्त-अपीलार्थी साइकिल पर घटना के स्थान पर मृतका को ले गया, वीभत्स रीति में उसने उससे बलात्संग किया । उक्त निर्णय का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

"58. इस मामले में हमने यह निष्कर्ष निकाला कि न केवल वीभत्स रीति में बलात्संग किया गया था बल्कि क्रूर रीति में हत्या भी की थी । अप्राप्तवय बच्ची से बलात्संग इसके अलावा कुछ भी नहीं था जो उसके साथ अंधेरे में उसकी प्रतिष्ठा को बुरी तरह दफन कर दिया गया । और यह एक पवित्र बच्ची के विरुद्ध और समाज के आत्मा के विरुद्ध अपराध है और ऐसा अपराध जिससे ऐसे घृणित रीति में कारित किया गया । अपराध की प्रकृति और उसे किए जाने का तरीका जिसमें असामान्यता को प्रकट किया गया है । यह अपराध दुर्दशा और असामान्यता को प्रकट करता है और यह क्रूरता का परिचायक है और यह अपराध अमानवीय रीति में किया गया था । सुनिश्चित रूप से परिस्थितियों को साबित करने के लिए लंबा रास्ता तय करता है ।

59. हम पूर्णतया इस बात से सचेत हैं कि घटाने वाली परिस्थितियों को विचार में लिया जाना चाहिए । अपीलार्थी के विद्वान्

---

[1] (2015) 1 एस. सी. सी. 253 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 14.

काउंसेल ने गंभीरता को घटाने वाली परिस्थितियों की ओर इंगित किया है और यह निवेदन किया कि अपीलार्थी पचास वर्ष के आयु के बीच में है और उसमें सुधार की संभावना है । यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी की आयु अपराध किए जाने के समय पर लगभग 47 वर्ष थी । क्योंकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी की ओर से कोई पछतावा नहीं हुआ । ऐसे भी मामले हैं इस न्यायालय ने मृत्यु दंड को आजीवन कारावास पर यह निष्कर्ष देते हुए लघुकृत किया है कि अभियुक्त ने पछताने की अभिव्यक्ति की है या अपराध पूर्व चिंतन नहीं था । परंतु ऐसे तथ्यों को भी विचार में लेते हैं जब परत-दर-परत से यह प्रकट होता है और ऐसे अपराध में पूर्व चिंतन और वांछा की प्रवृत्ति दिखाई देती है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी का कोई पूर्व आपराधिक चरित्र नहीं रहा है परंतु हमने यह निष्कर्ष निकाला कि वह कुख्यात अपराधी था और उसके विरुद्ध कई मामले लंबित थे । केवल यह मामला ही पर्याप्त नहीं हो सकता था । अप्राप्तवय बच्ची के साथ उसके द्वारा की गई क्रूरता अत्यधिक आघात पहुंचाने वाली थी और जब हम उसकी आयु को विचार में लेते हैं तब इस बात को बल मिलता है । यह अपराध किसी मानसिक दबाव या भावनात्मक अव्यवस्था के अधीन नहीं किया गया था । इसको समझना कठिन है कि वह ऐसा अपराध नहीं करता और उसमें सुधार हो जाएगा । क्योंकि परिस्थितियों से जो चित्रित होता है अभियुक्त समाज के लिए जोखिम भरा था क्योंकि उसने ऐसी बच्ची जो अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकती उसकी मासूमियत का गलत इस्तेमाल किया । हमारी विचारित राय यह है कि मामले में दंड को कम करने वाली कोई परिस्थिति नहीं है ।

60. हमारी समझ में यह मामला विरल से विरलतम मामलों के प्रवर्ग में आता है । समाज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कार्य अकल्पित हैं कि कोई शादी-शुदा व्यक्ति जो लगभग 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो अपनी कामुकता के लिए 4 वर्ष की अप्राप्तवय निर्दोष बच्ची को अपनी कामुकता का शिकार बनाया और जानबूझकर उसकी हत्या कर दी । एक असहाय अपनी रक्षा में असमर्थ बच्ची के साथ बलात्संग करे और उसकी हत्या कर दे । समाज के लोगों के समक्ष ऐसे अपीलार्थी की हत्यारे के रूप में पहचान हो । ऐसा व्यक्ति न केवल वैयक्तिक विश्वास का सर्वनाश करने वाला ही नहीं है बल्कि

समाजिक विश्वास का भी विनाश करने वाला है और ऐसा व्यक्ति महापातक, विकृत और घृणा का पात्र है और इस तरह का व्यक्ति अत्यधिक घृणा को जन्म देता है जिससे सामूहिक क्रोध पैदा होता है और समाजिक संतुलन को बनाए रखने में अभिशाप के रूप में है। हमारा यह मत है कि यह मामला विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता है और हम बिना हिचकिचाहट के यह अभिनिर्धारित करते हैं।"

33. राजस्थान राज्य **बनाम** मनोज प्रताप सिंह (डीबी आपराधिक हत्या निर्देश सं. 3/2013) वाले मामले में समरूप परिस्थितियां प्रकट होती हैं। इस मामले का तारीख 29 मई, 2015 को विनिश्चय किया गया था, समन्वित पीठ ने विरल से विरलतम मामले के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के भिन्न-भिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यदि बलात्संग 8 वर्ष की बच्ची के साथ उसे चाकलेट देने के बहाने उसके साथ बलात्संग किया गया और उसकी मृत्यु कारित की गई तब ऐसा कार्य घृणित अपराध माना जाएगा। समन्वित पीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायनिर्णयन किया गया है जो इस प्रकार है :–

"32. वर्तमान मामले में दंड को कम करने के अधिनिर्णय में कोई गंभीर परिस्थितियां या कम करने वाली परिस्थितियां नहीं हैं जिस बारे में सेशन न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है। अभियुक्त ने एक युवा बच्ची को जिसकी आयु आठ वर्ष थी चाकलेट देने के पश्चात् जो 70 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता में नहीं थी परंतु उसकी विवेकशीलता भी 50 प्रतिशत भी रही थी और उसका अपहरण कर लिया गया और उसे मोटरसाइकिल पर ले जाया गया था। इसके पश्चात् अभियुक्त ने न केवल उसके साथ वीभत्स तरीके से बलात्संग करके घृणित अपराध किया बल्कि अभियुक्त ने मोटरसाइकिल के साइलेंसर से तथा पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। डाक्टर द्वारा किए गए कथन से यह सुस्पष्ट है कि जिन्होंने उसका शवपरीक्षण किया था कि युवा मृतका ने बलात्संग का विरोध करने की कोशिश की परन्तु उसके प्रति तनिक भी सहृदयता नहीं बरती गई। अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह अभिवाक् किया गया कि अभियुक्त के प्रति उदारता दिखाई जानी चाहिए क्योंकि अभियुक्त

अपने कुटुंब में एक जवान व्यक्ति था, इस दलील पर तनिक भी अपराध को घटना वाली परिस्थिति प्रकट नहीं हो सकती । अभियुक्त ने वीभत्स रूप से मृतका से बलात्संग करने के पश्चात् मोटरसाइकिल से उसके सिर को कुचल दिया और उसके सिर को और कुचलने के लिए पत्थर का भी प्रयोग किया और भागने की कोशिश की क्योंकि उस वक्त काफी अंधेरा था । एक असहाय युवा लड़की के साथ वीभत्स रूप से करने का घृणित अपराध जो नृशंस हत्या की कोटि में आता है और उक्त घटना की गणना करते हुए इस न्यायालय की आत्मा और समुदाय को आघात पहुंचा है और कई निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा गणित सुस्थापित सिद्धांतों को अवलंब लेकर इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह मामला विरल से विरलतम मामलों के प्रवर्ग में आता है और सेशन न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को कायम रखा जाता है । हमारी यह राय है कि सेशन न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय में कोई गलती नहीं है ।"

34. पूर्वोक्त निर्णय के प्रकाश में संपूर्ण साक्ष्य की तथा वर्तमान मामले के तथ्यों की परीक्षा करने के पश्चात् हम अलबर्ड आइंस्टिन द्वारा वर्णित संदेश की अनदेखा नहीं कर सकते हैं जिसमें उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि :–

"संसार एक जोखिम भरा स्थान है, उनके कारण नहीं जो दुष्टता करते हैं बल्कि उनके कारण जो देखते हैं और करते कुछ नहीं ।"

35. अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि आठ वर्ष की आयु की लड़की के शव पर तथा शव के भिन्न-भिन्न भागों पर पाई कई क्षतियां देखीं गईं परंतु यह न्यायालय इस तथ्य की अनदेखा नहीं कर सकता कि मृतका के शव से लिए गए स्लाइड पर प्रयोगशाला रिपोर्ट में कोई वीर्य पाया गया था जो 8 वर्ष की आयु की थी और यह तथ्य अभियोजन पक्षकथन को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त द्वारा मृतका को चाकलेट देने के लिए ले जाया गया था जिस पर उसके साथ उसने बलात्संग किया । अतः अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत निर्णय इस मामले के तथ्यों और साक्ष्य पर लागू नहीं होता ।

36. अभियुक्त-अपीलार्थी ने आठ वर्ष की आयु की युवा लड़की को चाकलेट दिया और जिसने अभियुक्त-अपीलार्थी पर विश्वास किया क्योंकि वह उसे मामा के रूप में मानती थी और उसके साथ चली गई । परंतु अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतका की न केवल लज्जा भंग करने का घृणित अपराध किया बल्कि पत्थर से उसके सिर पर क्षति भी पहुंचाई जो बात चिकित्सीय बोर्ड द्वारा शवपरीक्षण रिपोर्ट में दी गई राय से प्रकट है । यह भी सुस्पष्ट है कि मृतका ने विरोध करने की कोशिश की परंतु वह असहाय लड़की थी जिसकी अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा हत्या कर दी गई थी, इसलिए यह मामला न केवल आठ वर्ष की एक युवा लड़की की हत्या और मैथुन रूप से उत्पीड़न करने का मामला नहीं है बल्कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा विश्वास की सभी परिधियों को कुचल दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी शारीरिक इच्छा की संतुष्टि के लिए असहाय अप्राप्तवय लड़की की हत्या कर दी ।

37. संपूर्ण साक्ष्य और तथ्य पर विचार करने पर कि अभियुक्त ने विश्वास की सभी सीमाओं को कुचल दिया और दंड संहिता की धारा 302 और पास्को अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध किया इसलिए अपने विधिक कर्तव्य का पालन करते हुए हम इस मामले को विरल से विरलतम मामले के प्रवर्ग में समझते हैं जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया दंड को कम नहीं किया जा सकता और कम दंड को अधिरोपित नहीं किया जा सकता और इसलिए हम विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत मृत्यु दंड की पुष्टि करते हैं ।

38. परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट डीबी आपराधिक हत्या (मृत्यु) निर्देश सं. 1/2015 को मंजूर करते हैं और सेशन मामला सं. 149/2013 में तारीख 18 सितम्बर, 2015 के निर्णय के माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित मृत्यु दंड की शास्ति की पुष्टि करते हैं । अभियुक्त-अपीलार्थी प्रह्लाद मीना द्वारा फाइल की गई डीबी दांडिक अपील सं. 970/2015 तथा अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा कारागार से भेजी गई डीबी दांडिक कारागार अपील सं. 1011/2015 को खारिज करते हैं ।

मृत्यु दंड की पुष्टि की गई ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

ज्ञानचंद

तारीख 18 अप्रैल, 2015

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क और 306 – क्रूरता – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – यदि साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त या उसके नातेदारों द्वारा मृतका के साथ क्रूरता नहीं बरती गई और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल हुआ है कि अभियुक्त ने आत्महत्या करने के लिए मृतका को दुष्प्रेरित किया और मृतका को मानसिक या शारीरिक क्रूरता पहुंचाई तो अभियुक्त की दोषमुक्ति न्यायसंगत है ।

शिकायतकर्ता श्री दूनीचंद (अभि. सा. 1) की पुत्री प्रीति देवी का तारीख 7 मार्च, 1995 को अभियुक्त के साथ विवाह हुआ था । अभियुक्त हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में नियोजित था । प्रीति देवी तारीख 22 अगस्त, 2003 को घास काटने के लिए गई थी, परन्तु वह घर वापस नहीं लौटी । तारीख 25 अगस्त, 2003 को दूनीचंद (अभि. सा. 1) ने पुलिस चौकी धरमपुर के भारसाधक को यह शिकायत दी जिसमें उसने यह निवेदन किया कि उसकी पुत्री श्रीमती प्रीति देवी जो अभियुक्त की पत्नी है, तारीख 22 अगस्त, 2003 से गायब है । शिकायत में यह भी कथन किया गया था कि ज्ञानचंद, उसके माता-पिता और भतीजी प्रीति देवी को परेशान और प्रताड़ित किया करते थे और वे उसे पीटा भी करते थे । लिखित शिकायत के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी और मामले में अन्वेषण किया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् सभी औपचारिकताएं पूरी करके चालान फाइल किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई थी । उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जैसा कि इसमें ऊपर उल्लिखित है । इसलिए राज्य की ओर यह अपील फाइल की गई है ।

अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – साक्ष्यों के कथनों का मूल्यांकन करने से जो कुछ प्रकट हुआ है इसमें ऊपर चर्चा की गई, जो इस प्रकार है कि अभियुक्त का प्रीति देवी से विवाह तारीख 7 मार्च, 1995 को अनुष्ठापित हुआ था । श्री दूनी चन्द (अभि. सा. 1) ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने कोई भी दहेज स्वीकार नहीं किया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रीति देवी की पिटाई के बारे में अभियुक्त की माता को बताया था । उसने इस तथ्य के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताया था । सुश्री मधु (अभि. सा. 2) ने भी यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने किसी प्रकार का दहेज लेने से इनकार कर दिया था । उसके अनुसार, कि उसने पुलिस के समक्ष यह कथन किया कि प्रीति ने उसे यह बताया था कि उसे पर्याप्त दहेज न लाने के कारण पीटा जाता है । तथापि, उसने अपने पूर्ववर्ती कथन से विभेद प्रकट किया है । जिसमें इसे अभिलिखित भी नहीं किया गया । श्रीमती जसवंती देवी (अभि. सा. 3) जो मृतका प्रीति देवी की सौतेली माता है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने प्रीति से विवाह करने के समय पर दहेज लेने से इनकार कर दिया था । श्री जयसिंह अभि. सा. 6 और ओम प्रकाश अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त प्रीति देवी के साथ सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था । उसने कभी भी अभियुक्त द्वारा पीटे जाने, परेशान किए जाने या प्रताड़ित किए जाने के बारे में उनसे कोई शिकायत नहीं की । श्रीमती सुनीता देवी, अभि. सा. 10 जो मृतका की बहन है । उसने भी यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ज्ञानचंद ने विवाह से पूर्व यह कहा था कि वह किसी भी तरह का दहेज लेने की आवश्यकता नहीं समझता । (पैरा 15)

अभिलेख पर यह बात प्रकट हुई है कि श्री दूनीचन्द अभि. सा. 1 का कथन, जिसे तारीख 23 अगस्त, 2003 को अभिलिखित किया गया था परन्तु इसे अभिलेख पर नहीं रखा गया । सहायक उप-निरीक्षक अर्जुन दास अभि. सा. 11 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि तारीख 23 अगस्त, 2003 के शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल हुआ है कि अभियुक्त ने आत्महत्या करने के लिए मृतका को दुष्प्रेरित किया था । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल हुआ है कि अभियुक्त के कार्यों से मृतका को मानसिक या शारीरिक क्रूरता

पहुंची थी । (पैरा 16)

विचारण न्यायालय ने यह मत प्रकट किया है कि हो सकता है कि मृतका आकस्मिक रूप से व्यास नदी में फिसल गई हो, इसे प्रतिकूल रूप में नहीं लिया जा सकता । श्री जयसिंह अभि. सा. 6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मृतका ने उससे अपने साथ घास काटने के लिए चलने के लिए भी कहा था । तथापि, यदि उसे आत्महत्या ही करनी थी तो वह जयसिंह अभि. सा. 6 से घास काटने के लिए साथ चलने को कहने के बजाय व्यास नदी की ओर शीघ्रता से जाती । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल हुआ है । (पैरा 17)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 575.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री एम. ए. खान, अपर महाधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री सुरेन्द्र सकलानी, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – यह अपील 2004 के सेशन विचारण सं. 31 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, मंडी, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 13 मई, 2008 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) जिसे दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया और उसका विचारण किया गया । उसे दोषमुक्त कर दिया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री दूनीचंद (अभि. सा. 1) की पुत्री प्रीति देवी का तारीख 7 मार्च, 1995 को अभियुक्त के साथ विवाह हुआ था । अभियुक्त हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में नियोजित था । प्रीति देवी तारीख 22 अगस्त, 2003 को घास काटने के लिए गई थी परन्तु वह घर वापस नहीं लौटी । तारीख 25 अगस्त, 2003 को दूनीचंद (अभि. सा. 1) ने पुलिस चौकी धरमपुर के भारसाधक को यह शिकायत दी जिसमें उसने यह निवेदन किया कि उसकी पुत्री श्रीमती प्रीति देवी जो अभियुक्त की पत्नी है, तारीख 22

अगस्त, 2003 से गायब है । शिकायत में यह भी कथन किया गया था कि ज्ञानचंद, उसके माता-पिता और भतीजी प्रीति देवी को परेशान और प्रताड़ित किया करते थे और वे उसे पीटा भी करते थे । लिखित शिकायत के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी और मामले में अन्वेषण किया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् सभी औपचारिकताएं पूरी करके चालान फाइल किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई थी । उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जैसा कि इसमें ऊपर उल्लिखित है । इसलिए राज्य की ओर यह अपील फाइल की गई है ।

4. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री एम. ए. खान ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने मामले को साबित किया है । दूसरी ओर, अभियुक्त की ओर से श्री सुरेन्द्र सकलानी, अधिवक्ता ने तारीख 13 मई, 2008 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का समर्थन किया ।

5. हमने दोनों ओर के विद्वान् काउंसेल को सुना और मामले के अभिलेखों का बारीकी से विश्लेषण किया ।

6. श्री दुनीचंद, अभि. सा. 1, मृतका प्रीति देवी का पिता है । उनके अनुसार कि अभियुक्त ने यह कहा था कि वह कोई दहेज नहीं चाहता है और वह स्वास्थ्य विभाग में नियोजित था । अभियुक्त ने अपने विवाह के एक मास पूरा होने पर ही प्रीति देवी की पिटाई करना शुरू कर दिया था । उसकी दूसरी पुत्री सुनीता देवी ने उसे यह बताया कि प्रीति देवी की पिटाई की जाती थी । वह अभियुक्त के मकान पर गया । उसने प्रीति देवी की बाईं भुजा और बाएं पैर पर क्षतियां भी देखी थीं । उसने उसे बताया कि अभियुक्त द्वारा उसे "लाठी" से पीटा गया था । किसी व्यक्ति ने उसे यह बताया कि प्रीति देवी तारीख 22 अगस्त, 2003 से गायब है । उसने प्रीति देवी के शव की पहचान की और उसे अभियुक्त पर यह संदेह है कि उसने प्रीति देवी की हत्या की है क्योंकि वह उसे पीटा करता था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त की माता से प्रीति देवी को पीटे जाने के बारे में कहा था । तथापि, उसने इस तथ्य के बारे में

किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताया । उसने किसी भी प्राधिकारी को प्रीति देवी को पीटे जाने के मामले में कोई रिपोर्ट नहीं की कि अभियुक्त अपने व्यवहार में भविष्य में सुधार ला सकता है और उसने उसकी मृत्यु तक किसी प्राधिकारी को इस बारे में नहीं बताया ।

7. सुश्री मधु (अभि. सा. 2) मृतका प्रीति देवी की बहन है । उसके अनुसार तारीख 20 अगस्त, 2003 को प्रीति उसके घर पर आई थी । उसने यह बताया कि उसका पति मादक पदार्थों का सेवन करता है । उसने उससे यह भी कहा कि अभियुक्त अपर्याप्त दहेज लाने के लिए डंडे से उसकी पिटाई भी करता है । अभियुक्त उस दिन उसके मकान पर प्रीति के साथ था और अगले ही प्रातः अभियुक्त और प्रीति 6 बजे पूर्वाह्न चले गए थे । उसने प्रीति और अभियुक्त से उस दिन अपने मकान पर रुकने के लिए कहा था और इस विश्वास से किसी भी व्यक्ति को इस तथ्य के बारे में नहीं बताया कि अभियुक्त अपने व्यवहार में सुधार करेगा । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने कोई भी दहेज प्राप्त करने से इनकार किया है । उसने पुलिस के समक्ष यह कथन किया है कि प्रीति ने उसे यह बताया कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उसे दहेज न लाने के कारण पीटा जा रहा था (जबकि इस बात का अभिलेख के चिह्न "सी" में कोई उल्लेख नहीं है) ।

8. श्रीमती जसवंती (अभि. सा. 3) मृतका की सौतेली माता है । उसने भी यह कथन किया है कि अभियुक्त ने प्रीति से विवाह के समय दहेज लेने से इनकार कर दिया था । जब कभी प्रीति उसके मकान पर जाया करती तो वह उसे यह कहा करती थी कि उसे अभियुक्त द्वारा अधिक दहेज न लाने के कारण परेशान किया जा रहा है और पीटा जाता है तथा वह यह भी कहा करती थी कि उसे प्रताड़ित और अपमानित किया जाता रहा है ।

9. डा. नवनीत चौहान ने तारीख 28 अगस्त, 2003 को शवपरीक्षण परीक्षा की थी । शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4-ग है । उसकी राय के अनुसार मृत्यु डूबने के कारण हुई थी ।

10. श्री जय सिंह (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 22 अगस्त, 2003 को लगभग 5.30 बजे अपराह्न वह रीरा के मंदिर में बैठा हुआ था जब प्रीति देवी अपने हाथ में दंराती और प्लास्टिक का लिफाफा लेकर आई थी । वह घास काटने के लिए जा रही थी । उसने

उससे यह कहा कि वह भी घास काटने के लिए जाना चाहता है और तब उसने उससे कहा कि वह भी घास काटने और उसे लाने के लिए जा सकता है । दंराती प्रदर्श पी-1 है और प्लास्टिक थैला प्रदर्श पी.-2 है । उसी दिन लगभग 7-7.30 बजे अपराह्न वह अपने मकान पर अंकु देवी से मिला जो अभियुक्त की माता है । उसने उसे बताया कि प्रीति देवी घर वापस नहीं आई जो घास काटने के लिए गई थी । उसने अंकु देवी से यह कहा कि उसने लगभग 5.30 बजे अपराह्न व्यास नदी की ओर प्रीति देवी को जाते हुए देखा था । इसके पश्चात् वह अन्य गांववासियों के साथ व्यास नदी के किनारे प्रीति देवी को ढूंढने के लिए गया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि जब तक प्रीति देवी अभियुक्त के साथ रही, उन्होंने कभी भी अभियुक्त द्वारा उसकी पिटाई, परेशान और प्रताड़ित करने के बारे में नहीं सुना और न प्रीति ने इस बारे में बताया कि उसकी पिटाई की जाती है और उसे प्रताड़ित किया जाता है । वह अभियुक्त के साथ सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी ।

11. श्री ओम प्रकाश (अभि. सा. 7) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उनकी जानकारी में यह बात आई है कि प्रीति घास काटने के लिए गई थी और वह अपने घर वापस नहीं लौटी । वह गांववासियों के साथ जंगल में और नदी के किनारे प्रीति देवी को ढूंढने के लिए गया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि प्रीति देवी ने कभी भी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपने पीटे जाने के बारे में, परेशान किए जाने या प्रताड़ित किए जाने के बारे में किसी भी गांववासी से कोई शिकायत नहीं की थी । प्रीति देवी और ज्ञानचंद सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे और ज्ञानचंद ने गांव में नए मकान का भी निर्माण किया था ।

12. श्रीमती सुनीता देवी (अभि. सा. 10) मृतका प्रीति देवी की बहन है । उसने भी यह कथन किया है कि ज्ञानचंद ने विवाह से पूर्व उससे यह कहा था कि उसे किसी भी दहेज की आवश्यकता नहीं है ।

13. सहायक उप-निरीक्षक अर्जुन दास (अभि. सा. 11) ने यह साक्ष्य दिया है कि वह व्यास नदी के किनारे घटनास्थल पर गया था जहां उसने नदी के किनारे दुपट्टा, चप्पल का जोड़ा और कान की कुन्डली का जोड़ा पाया था । मृतका प्रीति देवी का पिता दूनीचंद कई गांववासियों के साथ घटनास्थल पर नहीं गया था । ज्ञानचंद वहां पर मौजूद था जिसने अपनी पत्नी प्रीति देवी के दुपट्टा आदि की पहचान की थी । उसने तारीख 25

अगस्त, 2003 को दूनीचंद का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क अभिलिखित किया । प्रीति देवी का शव निचला बेरी गांव पर व्यास नदी के किनारे पाया गया था । उसने घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके द्वारा तारीख 23 अगस्त, 2003 को दूनीचन्द का कथन अभिलिखित किया गया था परन्तु, इसे न्यायालय में नहीं दिखाया गया । उसने केस फाइल पर उसके कथन को रखा था । उसे यह याद नहीं है कि दुनी चन्द द्वारा क्या कथन किया गया था । उसके अनुसार, दूनीचन्द के कथन के आधार पर कोई मामला नहीं बनता ।

14. उप-निरीक्षक अनिल वर्मा (अभि. सा. 12) ने यह कथन किया है कि तारीख 25 अगस्त, 2003 को दिए गए आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के आधार पर तारीख 25 अगस्त, 2003 को आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क रजिस्ट्रीकृत की गई थी ।

15. साक्ष्यों के कथनों का मूल्यांकन करने से जो कुछ प्रकट हुआ है इसमें ऊपर चर्चा की गई, जो इस प्रकार है कि अभियुक्त का प्रीति देवी से विवाह तारीख 7 मार्च, 1995 को अनुष्ठापित हुआ था । श्री दूनीचंद (अभि. सा. 1) ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने कोई भी दहेज स्वीकार नहीं किया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रीति देवी की पिटाई के बारे में अभियुक्त की माता को बताया था । उसने इस तथ्य के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताया था । सुश्री मधु (अभि. सा. 2) ने भी यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने किसी प्रकार का दहेज लेने से इनकार कर दिया था । उसके अनुसार, कि उसने पुलिस के समक्ष यह कथन किया कि प्रीति ने उसे यह बताया था कि उसे पर्याप्त दहेज न लाने के कारण पीटा जाता है । तथापि, उसने अपने पूर्ववर्ती कथन से विभेद प्रकट किया है । जिसमें इसे अभिलिखित भी नहीं किया गया । श्रीमती जसवंती देवी (अभि. सा. 3) जो मृतका प्रीति देवी की सौतेली माता है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने प्रीति से विवाह करने के समय पर दहेज लेने से इनकार कर दिया था । श्री जयसिंह अभि. सा. 6 और ओम प्रकाश अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त प्रीति देवी के साथ सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था । उसने कभी भी अभियुक्त द्वारा पीटे जाने, परेशान किए जाने या प्रताड़ित किए जाने के बारे में उनसे कोई शिकायत नहीं

की । श्रीमती सुनीता देवी, अभि. सा. 10 जो मृतका की बहन है । उसने भी यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ज्ञानचंद ने विवाह से पूर्व यह कहा था कि वह किसी भी तरह का दहेज लेने की आवश्यकता नहीं समझता ।

16. अभिलेख पर यह बात प्रकट हुई है कि श्री दूनीचन्द अभि. सा. 1 का कथन, जिसे तारीख 23 अगस्त, 2003 को अभिलिखित किया गया था परन्तु इसे अभिलेख पर नहीं रखा गया । सहायक उप-निरीक्षक अर्जुन दास अभि. सा. 11 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि तारीख 23 अगस्त, 2003 के शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल हुआ है कि अभियुक्त ने आत्महत्या करने के लिए मृतका को दुष्प्रेरित किया था । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल हुआ है कि अभियुक्त के कार्यों से मृतका को मानसिक या शारीरिक क्रूरता पहुंची थी ।

17. विचारण न्यायालय ने यह मत प्रकट किया है कि हो सकता है कि मृतका आकस्मिक रूप से व्यास नदी में फिसल गई हो, इसे प्रतिकूल रूप में नहीं लिया जा सकता । श्री जयसिंह अभि. सा. 6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मृतका ने उससे अपने साथ घास काटने के लिए चलने के लिए भी कहा था । तथापि, यदि उसे आत्महत्या ही करनी थी तो वह जयसिंह अभि. सा. 6 से घास काटने के लिए साथ चलने को कहने के बजाय व्यास नदी की ओर शीघ्रता से जाती । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल हुआ है ।

18. तद्नुसार, इस अपील में कोई गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जाता है और इस न्यायालय के पास ऐसा कोई अवसर नहीं है कि विचारण न्यायालय के 13 मई, 2008 के कारण युक्त निर्णय में हस्तक्षेप करें ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

संजीव कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 4 जनवरी, 2016

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 15 – अभियुक्त के कब्जे में अफीम का भूसा पाया जाना – यदि मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को सहबद्ध नहीं किया गया है और इस बारे में संदेह प्रकट हो कि क्या वाद संपत्ति जिसे न्यायालय में पेश किया गया था, वही थी जिसे अभियुक्त से बरामद किया गया था तथा मालखाने से न्यायालय में वाद संपत्ति को कौन लाया था और किसके द्वारा इसे वापस लिया गया कोई उल्लेख न हो तो अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 15 – अफीम का भूसा पाया जाना – जहां अभियुक्त को पकड़े जाने और मामले में बरामदगी और मोहरबंद की कार्यवाहियां संदेहपूर्ण हो तो ऐसी कार्यवाहियां अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रतिकूलता को दर्शाती हैं और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं कि तारीख 17 फरवरी, 2014 को पुलिस दल जिसका उपनिरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी हरजीत सिंह (अभि. सा. 18) का मुखिया था, उसके साथ सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह, सहायक उपनिरीक्षक पारस राम आदि सरकारी यान में स्वान पुल पर नाका डालने के लिए संतोषगढ़ थालीवाल की ओर अग्रसर हुए । लगभग 11.40 बजे अपराह्न पुलिस दल ने नाका डाला और लगभग 12.40 बजे अपराह्न एक यान संतोषगढ़ की ओर से पहुंचा । सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने टार्च के प्रकाश की सहायता से यान को रोकने के लिए ड्राइवर को संकेत दिया । ट्रक ड्राइवर ने यान को रोक दिया और दरवाजे से बाहर कूदने का प्रयास किया परन्तु उसे पकड़ लिया गया था । उसने अपना नाम संजीव कुमार बताया । टार्च के प्रकाश की सहायता से ट्रक की जांच की गई थी और आठ प्लास्टिक के सफेद रंग के

थैले, जो बंधे हुए थे, उन्हें बरामद किया गया था । बरामद किए गए प्लास्टिक के थैले ट्रक के टूल बाक्स से बाहर निकाले गए थे और उन्हें खोला गया था । थैलों में अफीम का भूसा पाया गया था और पहचान ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14-क) तैयार किया गया था । अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नंदन को इलैक्ट्रानिक मापने की मशीन की व्यवस्था करने के लिए तैनात किया गया था । वह एक घन्टे पश्चात् उसे लाया । थैलों को इलैक्ट्रानिक मापने की मशीन से तौला गया था । पांच थैलों में से प्रत्येक में 29.500 किलोग्राम अफीम भूसा पाया गया था और एक थैले में 25 किलोग्राम अफीम का भूसा पाया गया था और दूसरे थैले में 27.500 ग्राम पाया गया था और अन्तिम बैग में 26 किलोग्राम अफीम का भूसा पाया गया था । थैलों को एस-1 से एस-8 के रूप में चिह्नित किया गया था और बरामद किए गए भूसे का कुल वजन 226 किलोग्राम था । अन्वेषक अधिकारी ने प्रत्येक थैले से नमूने अर्थात् 500 ग्राम अफीम का भूसा लिया और आठ अलग-अलग पालिथीन बैग बनाए गए तथा उन नमूनों को बांधा गया था और आठ कपड़े के पार्सल को मोहरबंद किया गया तथा उन पर टी-1 से टी-8 चिह्न लगाया गया । प्लास्टिक थैलों को "आर" मोहर से मोहरबंद किया गया था । मोहर "आर" के नमूने की छाप कपड़ों के टुकड़े (देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14-घ) पर लिया गया था । एन.सी.बी. प्ररूप भी भरा गया था । घटनास्थल पर कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं हुआ था तथा केवल पुलिस पदधारी साक्षियों के रूप में सहबद्ध किए गए थे । रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 18-क अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नंदन के माध्यम से पुलिस थाना हरौली भेजा गया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17-क रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । अभि. सा. 17 सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार द्वारा वाद संपत्ति पर "के" मोहर की छाप से पुनः मोहरबंद किया गया । वाद संपत्ति को ट्रक, दस्तावेज तथा चाबी सहित मोहर के नमूने "आर" और "के" मोहर्रिर हैड कांस्टेबल सुभाषचंद को सौंपे गए थे तथा अभि. सा. 17 सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार ने पुनः मोहरबंद करने का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17-घ जारी किया था । वाद संपत्ति रसायनिक परीक्षा के लिए आर. सी. सं. 37/17 के माध्यम से भेजा गया था । अन्वेषण पूरा किया गया था तथा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 18 साक्षियों की परीक्षा । अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई । अभियुक्त ने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है । इसलिए यह अपील फाइल की गई है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वाद संपत्ति उस समय पेश की गई थी जब विचारण न्यायालय में अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नन्दन का कथन अभिलिखित किया गया था । मालखाना रजिस्टर की प्रति का उद्धरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6-क और पी. डब्ल्यू. 6-ख है । विनिषिद्ध माल की जमा करने की प्रविष्टि तारीख 18 फरवरी, 2014 को की गई तथा जब इसे न्यायालयिक प्रयोगशाला, जूंगा से वापस प्राप्त किया गया था, उस वक्त कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी जब वाद संपत्ति को मालखाना से लाया गया था और न्यायालय में पेश किया गया था । ऐसा कोई डी.डी.आर. को अभिलिखित नहीं किया गया है जब वाद संपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी । इसी तरह, ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है जब विचारण न्यायालय में वाद संपत्ति को पेश करने के पश्चात् मालखाना रजिस्टर में पुनः जमा करने के बारे में कोई प्रविष्टि नहीं है । अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि न्यायालय में पेश करने के लिए वाद संपत्ति को मालखाने से लिया गया था तथा इस प्रभाव का डी.डी.आर. भी तैयार किया गया और यह प्रक्रिया उस समय चल रही थी जब न्यायालय में वाद संपत्ति को पेश करने के पश्चात् इसे वापस लिया गया और माल खाने में जमा की गई । इसकी मालखाने रजिस्टर में प्रविष्टि होनी चाहिए थी जब इसे पुनः जमा किया गया और इसका डी.डी.आर. भी तैयार किया गया था । न्यायालय में वाद संपत्ति को पेश करना आज्ञापक है । इस बारे में संदेह है कि क्या वाद संपत्ति जिसे न्यायालय में पेश किया गया था वही थी जिसे अभियुक्त से बरामद किया गया था तथा वाद संपत्ति को लेने के समय पर किसी समरूप प्रविष्टि के अभाव में न्यायालयिक प्रयोगशाला जूंगा भेज दिया गया और मालखाना रजिस्टर में इसे पुनः जमा कर दिया गया और यह किसी अन्य मामले से संबंधित वाद संपत्ति थी और ऐसा करना अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रतिकूलता को दर्शाती है । अभियुक्त को पकड़ा जाना और वर्तमान मामले में बरामदगी और मोहरबंद की कार्रवाइयां संदेहपूर्ण हैं । जब वाद संपत्ति न्यायालय में पेश की गई थी तब इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि मालखाने से न्यायालय में वाद संपत्ति को कौन लाया था और किसके द्वारा इसे वापस लिया गया था ।

एन.डी.पी.एस. मामलों में वाद संपत्ति को अभिग्रहण की तारीख से न्यायालय में पेश करने की तारीख तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना आवश्यक है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 15 के अधीन अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित करने में विफल हुआ है । (पैरा 19 और 20)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 525.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री संजीव कुमार सूरी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री उमेश ठाकुर, सहायक महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – यह अपील 2014 के सेशन मामला सं. 31 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश-1, ऊना, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 16 अक्तूबर, 2015 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त (इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसमें इसके पश्चात् "एन.डी.पी.एस." अधिनियम कहा गया है) की धारा के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था और उसका उस पर विचारण किया गया था तथा उसे 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया तथा एक लाख रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने का भी आदेश दिया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं कि तारीख 17 फरवरी, 2014 को पुलिस दल जिसका उपनिरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी हरजीत सिंह (अभि. सा. 18) का मुखिया था, उसके साथ सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह, सहायक उपनिरीक्षक पारस राम आदि सरकारी यान में स्वान पुल पर नाका डालने के लिए संतोषगढ़ थालीवाल की ओर अग्रसर हुए । लगभग 11.40 बजे अपराह्न पुलिस दल ने नाका डाला और लगभग 12.40 बजे अपराह्न एक यान संतोषगढ़ की ओर से पहुंचा । सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने टार्च के प्रकाश की सहायता से यान को रोकने के लिए ड्राइवर को संकेत दिया । ट्रक ड्राइवर ने यान

को रोक दिया और दरवाजे से बाहर कूदने का प्रयास किया परन्तु उसे पकड़ लिया गया था । उसने अपना नाम संजीव कुमार बताया । टार्च के प्रकाश की सहायता से ट्रक की जांच की गई थी और आठ प्लास्टिक के सफेद रंग के थैले, जो बंधे हुए थे, उन्हें बरामद किया गया था । बरामद किए गए प्लास्टिक के थैले ट्रक के टूल बाक्स से बाहर निकाले गए थे और उन्हें खोला गया था । थैलों में अफीम का भूसा पाया गया था और पहचान ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14-क) तैयार किया गया था । अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नंदन को इलैक्ट्रानिक मापने की मशीन की व्यवस्था करने के लिए तैनात किया गया था । वह एक घन्टे पश्चात् उसे लाया । थैलों को इलैक्ट्रानिक मापने की मशीन से तौला गया था । पांच थैलों में से प्रत्येक में 29.500 किलोग्राम अफीम भूसा पाया गया था और एक थैले में 25 किलोग्राम अफीम का भूसा पाया गया था और दूसरे थैले में 27.500 ग्राम पाया गया था और अन्तिम बैग में 26 किलोग्राम अफीम का भूसा पाया गया था । थैलों को एस-1 से एस-8 के रूप में चिह्नित किया गया था और बरामद किए गए भूसे का कुल वजन 226 किलोग्राम था । अन्वेषक अधिकारी ने प्रत्येक थैले से नमूने अर्थात् 500 ग्राम अफीम का भूसा लिया और आठ अलग-अलग पालिथीन बैग बनाए गए तथा उन नमूनों को बांधा गया था और आठ कपड़े के पार्सल को मोहरबंद किया गया तथा उन पर टी-1 से टी-8 चिह्न लगाया गया । प्लास्टिक थैलों को "आर" मोहर से मोहरबंद किया गया था । मोहर "आर" के नमूने की छाप कपड़ों के टुकड़े (देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14-घ) पर लिया गया था । एन.सी.बी. प्ररूप भी भरा गया था । घटनास्थल पर कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं हुआ था तथा केवल पुलिस पदधारी साक्षियों के रूप में सहबद्ध किए गए थे । रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 18-क अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नंदन के माध्यम से पुलिस थाना हरौली भेजा गया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17-क रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । अभि. सा. 17 सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार द्वारा वाद संपत्ति पर "के" मोहर की छाप से पुनः मोहरबंद किया गया । वाद संपत्ति को ट्रक, दस्तावेज तथा चाबी सहित मोहर के नमूने "आर" और "के" मोहर्रिर हैड कांस्टेबल सुभाषचंद को सौंपे गए थे तथा अभि. सा. 17 सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार ने पुनः मोहरबंद करने का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17-घ जारी किया था । वाद संपत्ति रसायनिक परीक्षा के लिए आर.

सी. सं. 37/17 के माध्यम से भेजा गया था । अन्वेषण पूरा किया गया था तथा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 18 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई । अभियुक्त ने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है । इसलिए यह अपील फाइल की गई है ।

4. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले अधिवक्ता श्री संजीव कुमार सूरी ने पुरजोर यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल हुआ है । दूसरी ओर, राज्य की ओर से सहायक महाधिवक्ता श्री उमेश ठाकुर ने विचारण न्यायालय के तारीख 16 अक्तूबर, 2015 के निर्णय का समर्थन किया है ।

5. हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और सावधानीपूर्वक निर्णय और अभिलेखों का परिशीलन किया ।

6. अभि. सा. 2 एच. एस. सी. मुखवंत सिंह ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 20 फरवरी, 2014 को मोहर्रिर हैड कांस्टेबल पुलिस थाना हरौली ने उसे आठ मोहरबंद पार्सल सौंपे थे जिनमें अलग-अलग 500 ग्राम अफीम हस्क होना कहा गया था और उन पर मोहर "आर" और "के" की अलग-अलग पांच छाप लगी हुई थीं । इन पार्सलों को टी-1 से टी-8 से चिह्नित किया गया था । वाद संपत्ति उसे आर. सी. सं. 37/14 के माध्यम से सौंपा गया था जिसे न्यायालयिक प्रयोगशाला, जूंगा पर परिदत्त किया जाना था । उसने इन दस्तावेजों के साथ सभी तीनों पार्सल तारीख 20 फरवरी, 2014 को न्यायालयिक प्रयोगशाला, जूंगा पर जमा कर दिया था ।

7. अभि. सा. 3 कांस्टेबल संजय कुमार ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 21 फरवरी, 2014 को मोहर्रिर हैड कांस्टेबल, पुलिस थाना हरौली ने उसे आठ मोहरबंद पार्सल सौंपे थे जो पी-1 से पी-8 से चिह्नित किए गए थे और उन पर न्यायालय की मोहर अलग-अलग तीन मोहर की छाप लगी हुई थी जिनके बारे में यह कहा गया था कि इनमें अलग-अलग 500 ग्राम अफीम हस्क रखी हुई है । उसने उसी तारीख को न्यायालयिक प्रयोगशाला, जूंगा पर दस्तावेजों के साथ उन पार्सलों को जमा किया । वह

तारीख 22 फरवरी, 2014 को शाम के समय विलंब से ऊना लौटकर वापस आया और तारीख 23 फरवरी, 2014 को मोहर्रिर हैड कांस्टेबल को आर. सी. सौंपी थी ।

8. अभि. सा. 5 एच. एस. सी. सुरेश कुमार न्यायालयिक प्रयोगशाला, जूंगा से दो लिफाफे सहित 16 पार्सलों को वापस लाया और तारीख 23 मई, 2014 को पुलिस थाना हरौली पर उन्हें जमा कर दिया ।

9. अभि. सा. 6 मोहर्रिर हैड कांस्टेबल सुभाषचंद ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार ने आठ प्लास्टिक मोहरबंद थैले, जिन पर एस-1 से एस-8 की चिह्न डाले गए थे, उसके पास जमा किए थे और प्रत्येक पर मोहर "के" और "आर" की अलग-अलग छाप लगी हुई थी । आठ मोहरबंद पार्सल में टी-1 से टी-8 से चिह्नित किए गए थे और जिन पर "आर" और "के" की अलग-अलग मोहरों की पांच मोहर छाप थी जिनके बारे में अफीम हस्क के अलग-अलग 500 ग्राम की मात्रा होने का कथन किया गया है और "आर" और "के" नमूने मोहर की छाप, एन.सी.बी. प्ररूप आदि तीन प्रतियों आदि में थे । उसने रजिस्टर सं. 19 में क्रम सं. 498/14 पर प्रविष्टि की है । उसने रजिस्टर के सार को साबित किया है । देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क (दो पृष्ठ) । तारीख 20 फरवरी, 2014 को थाना भारसाधक अधिकारी ने पौप्पी हस्क का नमूना आठ मोहरबंद थैलों में जमा किया जिनमें न्यायालय मोहर छापें लगी हुई थीं और अन्य 16 मोहरबंद पार्सलों में न्यायालय मोहर की अलग-अलग तीन मोहर की छाप लगी हुई थीं जिन्हें पी-1 से पी-8 और पी-1क से पी-8ख चिह्न डाले गए थे तथा न्यायालय की तीन मोहरों के साथ मोहरबंद पार्सल पर एक सील लगी हुई थी । उसने मालखाना रजिस्टर में क्रम सं. 501 की प्रविष्टि की है ।

10. अभि. सा. 12 हरनाम सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 17 फरवरी, 2014 को शाम को विलंब से एक पुलिस पदधारी उसकी दुकान पर आया था और उसने इलैक्ट्रानिक माप की मशीन के बारे में पूछा था । उसने उसे नापने की इलैक्ट्रानिक मशीन दी जिसे उसने अगले दिन वापस किया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि पुलिस पदधारी इलैक्ट्रानिक माप की मशीन ले गया था जब वह 8 बजे के आसपास दुकान को बंद करने में व्यस्त था ।

11. अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नंदन ने इस रीति में

अभिसाक्ष्य दिया कि ट्रक को 12.40 बजे पूर्वाह्न पकड़ा गया था और विनिषिद्ध माल उसके कब्जे में रखा गया था । वह सरकारी यान में माप की इलैक्ट्रानिक मशीन की व्यवस्था करने गया था और एक घन्टे में पहुंचा और इन थैलों को इलैक्ट्रानिक मापने की मशीनों में तौला गया था । भारसाधक अधिकारी उपनिरीक्षक हरजीत सिंह ने रसायनिक विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक थैले से 500 ग्राम अफीम हस्क निकाला था और उन्हें अलग-अलग आठ पालिथीन थैलों में रखा गया था । इन पालिथीन बैगों को बांध दिया गया था और इसके पश्चात् आठ कपड़ों के पार्सलों में मोहर लगाई थी जिन्हें टी-1 से टी-8 से भी चिह्नित किया गया था । "आर" के एक मोहर अलग-अलग प्लास्टिक थैलों पर लगाई गई थीं जिन्हें एस-1 से एस-8 के रूप में चिह्नित किया गया है जबकि उसमें पांच मोहरों की छाप लगाई गई थीं और उन सभी आठ छोटे पैकेटों पर टी-1 से टी-8 के चिह्न लगाए गए थे । अन्वेषक अधिकारी द्वारा एन.सी.बी. प्ररूप तीन प्रतियों में भरा गया था । इसके पश्चात् उपनिरीक्षक हरजीत सिंह, भारसाधक अधिकारी नें उसे रुक्का जिसे एक्स-1 से चिह्नित किया गया है, सौंपा था तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाना हरौली पर उसे प्रदत्त करना था । पुलिस थाना हरौली पर पहुंचकर उसने रुक्का जिसे एक्स-1 से चिंह्नित किया गया था, मोहर्रिर हैड कांस्टेबल सुभाषचंद को सौंपा था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वहां "ख्वाजा" मंदिर है और संतोषगढ़ की ओर संवाग पुल के नजदीक दाह संस्कार की जमीन है । उसने यह भी स्वीकार किया कि थालीवाल बाजार के नजदीक ड्रीमलैंड पैलेस है उस स्थान से जहां नाका डाला गया था, से इसकी दूरी का उसे पता नहीं है । उन्होंने नाका के दौरान एक घन्टे में लगभग 5-6 यानों की जांच की । उन्होंने कोई बैरिकेड नहीं लगाए थे । जब ट्रक को रोका गया तो 45 मिनट बीत जाने के बाद नापने की इलैक्ट्रानिक मशीन की व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था । उसने ताहिलवाल बाजार में इलैक्ट्रानिक मापने की मशीन की व्यवस्था करने का प्रयास किया परंतु सभी दुकानें विषम घंटों की वजह से बंद पाई गई थीं और इसलिए वह आगे की ओर अग्रसर हुआ तथा सामनल से उसकी व्यवस्था की । उसने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस थाना हरौली रास्ते में पड़ता है जबकि वह सामनल की ओर जा रहा था । उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस थाना हरौली के सामने गुरूनाम की हार्डवेयर की दुकान है ।

12. अभि. सा. 14 उपनिरीक्षक पारसराम ने भी इस रीति में साक्ष्य दिया है कि जिसमें ट्रक का ड्राइवर 12.40 बजे पूर्वाह्न पकड़ा गया था तथा तलाशी, अभिग्रहण और मोहरबंद करने की कार्यवाहियां घटनास्थल पर पूरी की गई । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि नाके के स्थान पर कोई बैरीकेड नहीं लगाए गए थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस थाना हरौली के रास्ते पर तीन बाजार हैं जो खालीवाल पलखवा और हरौली के नाम से जाने जाते हैं ।

13. अभि. सा. 17 सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार ने भी इस रीति में अभिसाक्ष्य दिया है जिसमें ट्रक का ड्राइवर 12.40 बजे पूर्वाह्न पकड़ा गया था और तलाशी अभिग्रहण और मोहरबंद करने की कार्यवाही घटनास्थल पर पूरी की गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसका कथन अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था और उसी दिन अर्थात् तारीख 18 फरवरी, 2014 को 11.45 बजे पूर्वाह्न साक्षियों का ध्यान फाइल की ओर दिलाया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षी का कोई कथन फाइल पर नहीं था और उसने न्यायालय में मोहर पेश नहीं की क्योंकि वह उसे खो चुका था । उसने कोई रिपोर्ट नहीं की कि मोहर खो गई है ।

14. अभि. सा. 18 उपनिरीक्षक हरजीत सिंह इस मामले में अन्वेषक अधिकारी है, उसने इस रीति में अभिसाक्ष्य दिया जिसमें ट्रक का ड्राइवर 12.40 बजे अपराह्न पकड़ा गया था और तलाशी, अभिग्रहण तथा मोहरबंद करने की कार्रवाइयां घटनास्थल पर पूरी की गई थीं । उसने रुक्का तैयार किया और अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नन्दन को पुलिस थाने पर ले जाने के लिए उसे सौंप दिया जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने अभिलेख पर टी-1 से टी-8 के नमूने चिह्न को रेखांकित करने से पूर्व एकरूप विनिषिद्ध माल को तैयार करने का कोई उल्लेख नहीं था ।

15. इसमें ऊपर उल्लिखित साक्ष्य की चर्चा से जो कुछ प्रकट हुआ है यह है कि अभियुक्त तारीख 18 फरवरी, 2014 को 12.40 बजे पूर्वाह्न गिरफ्तार किया गया था । विनिषिद्ध माल ट्रक से बरामद किया गया था । अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नन्दन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वहां पर "ख्वाजा" मंदिर है और संतोषगढ़ की ओर सवाल पुल के नजदीक दाह संस्कार की भूमि है । उसने यह भी स्वीकार

किया है कि ताहिलवाल बाजार के नजदीक ड्रीमलैंड पैलेस है परन्तु उसे इस स्थान से उसकी दूरी का पता नहीं है जहां नाका डाला गया था । उन्होंने नाके के दौरान लगभग 5-6 यानों की जांच की थी । उन्होंने कोई बैरीकेड नहीं लगाया था । यह भी तथ्य है कि नाका डाला गया था कि वह सड़क बहुत व्यस्त थी तथा सड़क पर अत्यधिक यातायात का आवागमन था । अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नंदन ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि नाके के दौरान 5-6 यानों की जांच की गई थी, तथापि, यह भी तथ्य है कि अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल पर तलाशी लेने, अभिग्रहण की विश्वसनीयता के बारे में तथा बरामद माल पर मोहर लगाने की कार्यवाहियों के बारे में कोई स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित नहीं किया गया । यह स्थान न तो कोई एकान्त स्थान था । "ख्वाजा" मंदिर और ड्रीमलैंड पैलेस एक दूसरे के नजदीक थे । अन्वेषक अधिकारी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिससे कि स्वतंत्र साक्षियों को सहबद्ध किया जाए । अन्वेषक अधिकारी सड़क पर चल रहे वाहनों में मौजूद लोगों से अनुरोध करके उन्हें स्वतंत्र साक्षियों के रूप में आसानी से सम्मिलित कर सकता था ।

16. अभि. सा. 17 सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा तारीख 18 फरवरी, 2014 को 11.45 बजे पूर्वाह्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया था । तथापि, यह कथन अभिलेख पर नहीं है । इसे फाइल पर होना चाहिए था । अभि. सा. 18 उपनिरीक्षक हरजीत सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभिलेख पर नमूने के चिह्न टी-1 से टी-8 खींचने से पूर्व विनिषिद्ध सदृश्य माल का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।

17. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अभियुक्त तारीख 18 फरवरी, 2014 को 12.40 बजे पूर्वाह्न गिरफ्तार किया गया था और अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नंदन इलैक्ट्रानिक माप की मशीन लेने के लिए अग्रसर हुआ । वह एक घंटे के पश्चात् वापस लौटा । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि उसने थाइलवाल बाजार में माप की इलैक्ट्रानिक मशीन की व्यवस्था करने का प्रयास किया परन्तु सभी दुकानें वहां पर विषम घन्टों के कारण बंद पाई गई थी । अतः, वह आगे की ओर अग्रसर हुआ तथा सामनल से उसने उसकी व्यवस्था की । उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस थाना हरौली सामनल जाते हुए रास्ते में पड़ता है । उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस थाना हरौली के सामने

गुरूनाम की हार्डवेयर की दुकान है । वह घटनास्थल पर इलैक्ट्रानिक मापने की मशीन के साथ अपने वापस होने का ठीक-ठीक समय स्मरण नहीं कर सकता है ।

18. अभि. सा. 12 हरनाम सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 17 फरवरी, 2014 को देर शाम एक पुलिस पदधारी उसकी दुकान पर पहुंचा और उसने मापने की इलैक्ट्रानिक मशीन के बारे में उससे पूछा । उसने उसे मापने की मशीन दी जिसे उसने अगले दिन वापस कर दिया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि पुलिस पदधारी मापने की इलैक्ट्रानिक मशीन ले गया था जब वह 8 बजे के आस-पास दुकान बंद करने में व्यस्त था । अभियुक्त ने तारीख 18 फरवरी, 2014 को 12.40 बजे पूर्वाह्न गिरफ्तार किया गया था । इस प्रकार अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नंदन 12.40 बजे पूर्वाह्न के पश्चात् इलैक्ट्रानिक मापने की मशीन लाने के लिए गया था । परन्तु अभि. सा. 12 हरनाम सिंह ने यह कथन किया कि पुलिस पदधारी उसकी दुकान पर गया जब वह 8 बजे के आस-पास दुकान बंद करने में व्यस्त था ।

19. वाद संपत्ति उस समय पेश की गई थी जब विचारण न्यायालय में अभि. सा. 13 हैड कांस्टेबल शक्ति नन्दन का कथन अभिलिखित किया गया था । मालखाना रजिस्टर की प्रति का उद्धरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6-क और पी. डब्ल्यू. 6-ख है । विनिषिद्ध माल की जमा करने की प्रविष्टि तारीख 18 फरवरी, 2014 को की गई तथा जब इसे न्यायालयिक प्रयोगशाला, जूंगा से वापस प्राप्त किया गया था, उस वक्त कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी जब वाद संपत्ति को मालखाना से लाया गया था और न्यायालय में पेश किया गया था । ऐसा कोई डी.डी.आर. को अभिलिखित नहीं किया गया है जब वाद संपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी । इसी तरह, ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है जब विचारण न्यायालय में वाद संपत्ति को पेश करने के पश्चात् मालखाना रजिस्टर में पुनः जमा करने के बारे में कोई प्रविष्टि नहीं है । अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि न्यायालय में पेश करने के लिए वाद संपत्ति को मालखाने से लिया गया था तथा इस प्रभाव का डी.डी.आर. भी तैयार किया गया और यह प्रक्रिया उस समय चल रही थी जब न्यायालय में वाद संपत्ति को पेश करने के पश्चात् इसे वापस लिया गया और मालखाने में जमा की गई । इसकी मालखाने रजिस्टर में प्रविष्टि होनी चाहिए थी जब इसे पुनः जमा किया गया और इसका डी.डी.आर. भी तैयार किया गया था । न्यायालय में

वाद संपत्ति को पेश करना आज्ञापक है । इस बारे में संदेह है कि क्या वाद संपत्ति जिसे न्यायालय में पेश किया गया था वही थी जिसे अभियुक्त से बरामद किया गया था तथा वाद संपत्ति को लेने के समय पर किसी समरूप प्रविष्टि के अभाव में न्यायालयिक प्रयोगशाला जूंगा भेज दिया गया और मालखाना रजिस्टर में इसे पुनः जमा कर दिया गया और यह किसी अन्य मामले से संबंधित वाद संपत्ति थी और ऐसा करना अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रतिकूलता को दर्शाती है । अभियुक्त को पकड़ा जाना और वर्तमान मामले में बरामदगी और मोहरबंद की कार्रवाइयां संदेहपूर्ण हैं । जब वाद संपत्ति न्यायालय में पेश की गई थी तब इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि मालखाने से न्यायालय में वाद संपत्ति को कौन लाया था और किसके द्वारा इसे वापस लिया गया था । एन.डी.पी.एस. मामलों में वाद संपत्ति को अभिग्रहण की तारीख से न्यायालय में पेश करने की तारीख तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना आवश्यक है ।

20. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 15 के अधीन अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित करने में विफल हुआ है ।

21. तद्नुसार, इसमें ऊपर उल्लिखित विश्लेषण और चर्चा को ध्यान में रखते हुए अपील मंजूर की जाती है । 2014 के सेशन मामला सं. 31 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश संख्या 1, ऊना द्वारा तारीख 16 अक्तूबर, 2015 को पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को अपास्त किया जाता है और अभियुक्त को संदेह का फायदा देकर उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त द्वारा, यदि जुर्माने की कोई रकम जमा की गई है तो उसे वापस करने का आदेश दिया जाता है । चूंकि अभियुक्त कारागार में है, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाता है ।

22. कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि अभियुक्त के लिए निर्मुक्ति वारंट तैयार करे और उसे इस निर्णय के अनुरूप तत्काल संबंधित कारागार अधीक्षक के पास भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

होत्तम राम

तारीख 9 सितम्बर, 2016

न्यायमूर्ति संजय करौल और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20(ख)(iii)(ग) – चरस का अवैध कब्जा – सबूत – अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर चरस की तलाशी और उसे अभिग्रहण करते समय किसी स्वतंत्र साक्षी को सहबद्ध नहीं किया जाना – पुलिस दल द्वारा 15-20 मिनट के अन्दर आर्ट गैलरी के पास अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना जहां पर कई पर्यटकों का मौजूद होना गिरफ्तारी के स्थान के बारे में एकांत स्थान होना नहीं कहा गया है जहां पर कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बुलाया जा सकता – यदि मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा एक पुलिस कांस्टेबल अधिकारी के सिवाय पुलिस दल के किसी अन्य सदस्य की परीक्षा नहीं की गई और इस बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और साक्षियों के कथनों में बहुत बड़े विभेद हैं तो अभियोजन पक्षकथन अत्यधिक संदेहपूर्ण हो जाता है, इसलिए अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 4 जुलाई, 2010 को लगभग 5 बजे अपराह्न ओंकार सिंह अन्य पुलिस पदधारियों के साथ पैट्रोलिंग ड्यूटी पर पैदल नागर सड़क से सारन गांव की ओर जा रहे थे । जब वे पैट्रोलिंग ड्यूटी पर थे तब पुलिस दल ने ग्राम सारन से नागर की ओर जाते हुए एक व्यक्ति को देखा और इस एकान्त जगह पर वह पैदल जा रहा था । इस व्यक्ति ने जैसे ही पुलिस दल को देखा, भागना प्रारंभ कर दिया । वह अपने हाथ में एक लाल गुलाबी रंग का थैला ले जा रहा था । संदेह के आधार पर इस व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम होत्तम राम बताया । उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने अभियुक्त की तलाशी लेने से पूर्व कुछ स्थानीय व्यक्तियों को सहबद्ध करने की कोशिश की, तथापि, कोई स्थानीय व्यक्ति उस स्थल पर उपलब्ध नहीं हुआ था क्योंकि अभियुक्त को एकान्त स्थान

पर पकड़ा गया था । ऐसी स्थिति को देखते हुए उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने सहायक उपनिरीक्षक लालचंद और कांस्टेबल हीरालाल को साक्षियों के रूप में सहबद्ध किया । इसके पश्चात् उन्होंने अभियुक्त को अपनी वैयक्तिक तलाशी दी और उन्होंने बैग की तलाशी ली थी जिसे अभियुक्त द्वारा ले जाया जा रहा था । पुलिस दल ने थैले के अन्दर एक पोलिथीन लिफाफा पाया था जिसे अभियुक्त द्वारा ले जाया जा रहा था । इस पोलिथीन लिफाफे में पान केक और आयताकार रूप में चरस रखी गई थी और पारंपरिक तराजू की मदद से उक्त चरस को तौला गया था और यह एक किलो पांच सौ ग्राम पाई गई थी । इसके पश्चात् चरस को उसी लिफाफे में वापस रख दिया गया और लिफाफे को उसी थैले में वापस रख दिया गया और कपड़े के टुकड़े में लपेट दिया गया । इस पार्सल को छह स्थानों पर मोहर की 'क' छाप से मोहरबंद किया गया था और इसके पश्चात् उपनिरीक्षक ओंकार सिंह द्वारा तीन प्रतियों में एन. सी. बी. 1 प्ररूप भरा गया था । मोहर का नमूना एन. सी. बी. 1 प्ररूप पर तथा कपड़े के टुकड़े को लिया गया था । इसके पश्चात् मोहर सहायक उपनिरीक्षक लालचंद को सौंपी गई थी । बरामदगी और अभिग्रहण ज्ञापन भी तैयार किया गया था जिस पर अभियुक्त और साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । एक रुक्का पुलिस थाने पर भेजा गया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए । अभियुक्त को सारन गांव के नजदीक लगभग 8 बजे अपराह्न गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया था और अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में सूचना उसके पुत्र को दी गई थी । इसके पश्चात् उपनिरीक्षक ओंकार सिंह अभियुक्त के साथ पुलिस थाने पर पहुंचा और उपनिरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी के समक्ष वाद संपत्ति पेश की गई थी जिन्होंने मोहर से उसे पुनः मोहरबंद किया था । उपनिरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी ने कपड़े के टुकड़ों पर मोहर 'क' नमूने लिए और एन. सी. बी. 1 प्ररूप के सुसंगत स्तंभ भी भरे गए थे । वाद संपत्ति को एन. सी. बी. प्ररूप और मोहरों के नमूनों के साथ मुहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास जमा किया गया था । इसके पश्चात् अन्य दस्तावेजों के साथ वाद संपत्ति को न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा को भेजा गया था । उसकी रासायनिक परीक्षा करने पर यह प्रकट हुआ है कि अभिगृहीत संपत्ति चरस थी । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायालय में चालान फाइल किया गया

था क्योंकि प्रथमदृष्ट्या मामला अभियुक्त के विरुद्ध पाया गया था, उसे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया । राज्य द्वारा दोषमुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का परिशीलन करने पर यह इंगित होता है कि मामले के सभी पहलुओं का विचारण न्यायालय द्वारा गहराई से परिशीलन किया गया और इसके पश्चात् विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ नहीं हुआ है । विचारण न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्षकथन में प्रकट हुए विभेदों से दो मत प्रकट होते हैं जिसमें एक मत अभियुक्त के पक्ष में जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा इन आधारों पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब दो मत संभव होते हैं तब अभियुक्त के पक्ष में जाने वाला मत को विचार में लिया जाना चाहिए । इन आधारों पर अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था । हमारा विचारित मत यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सुस्थापित हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखी गई सामग्री के मूल्यांकन से उक्त बातों को लिया गया है । साक्ष्य जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक तथा दस्तावेजी दोनों रूप में अभिलेख पर पेश किया गया है, उन्हें युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है कि वास्तव में अभियुक्त को पुलिस दल द्वारा किस रीति में ग्राम सारन पर तारीख 4 जुलाई, 2010 को गिरफ्तार किया गया था जिस रीति के बारे में अभियोजन पक्ष इस न्यायालय को विश्वास दिलाना चाहता है और न अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध करने में समर्थ हुआ है कि एक किलो पांच सौ ग्राम चरस युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के अनन्य कब्जे से बरामद की गई जब वह सचेतावस्था में था । अतः विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को कायम रखते हुए हम वर्तमान अपील को खारिज करते हैं क्योंकि उसमें कोई गुणागुण नहीं है । यदि कोई जमानत बंधपत्र अभियुक्त द्वारा दिए गए हैं तो उन्हें उन्मोचित किया जाता है । (पैरा 24 और 25)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 27.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री वी. एस. चौहान, अपर महाधिवक्ता, विक्रम ठाकुर और पुनीत रज्जत, उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अजय चंदेल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय करौल ने दिया ।

न्या. करौल – राज्य द्वारा इस अपील के माध्यम से 2010 के सेशन विचारण सं. 63 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा तारीख 30 सितंबर, 2011 को पारित किए गए निर्णय को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित किए जाने के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया था ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 4 जुलाई, 2010 को लगभग 5 बजे अपराह्न ओंकार सिंह अन्य पुलिस पदधारियों के साथ पैट्रोलिंग ड्यूटी पर पैदल नागर सड़क से सारन गांव की ओर जा रहे थे । जब वे पैट्रोलिंग ड्यूटी पर थे तब पुलिस दल ने ग्राम सारन से नागर की ओर जाते हुए एक व्यक्ति को देखा और इस एकान्त जगह पर वह पैदल जा रहा था । इस व्यक्ति ने जैसे ही पुलिस दल को देखा, भागना प्रारंभ कर दिया । वह अपने हाथ में एक लाल गुलाबी रंग का थैला ले जा रहा था । संदेह के आधार पर इस व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम होत्तम राम बताया । उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने अभियुक्त की तलाशी लेने से पूर्व कुछ स्थानीय व्यक्तियों को सहबद्ध करने की कोशिश की, तथापि, कोई स्थानीय व्यक्ति उस स्थल पर उपलब्ध नहीं हुआ था क्योंकि अभियुक्त को एकान्त स्थान पर पकड़ा गया था । ऐसी स्थिति को देखते हुए उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने सहायक उपनिरीक्षक लालचंद और कांस्टेबल हीरालाल को साक्षियों के रूप में सहबद्ध किया । इसके पश्चात् उन्होंने अभियुक्त को अपनी वैयक्तिक तलाशी दी और उन्होंने बैग की तलाशी ली थी जिसे अभियुक्त द्वारा ले जाया जा रहा था । पुलिस दल ने थैले के अन्दर एक पालिथीन लिफाफा पाया था जिसे अभियुक्त द्वारा ले जाया जा रहा था । इस

पालिथीन लिफाफे में पान केक और आयताकार रूप में चरस रखी गई थी और पारंपरिक तराजू की मदद से उक्त चरस को तौला गया था और यह एक किलो पांच ग्राम पाई गई थी । इसके पश्चात् चरस को उसी लिफाफे में वापस रख दिया गया था और जिस लिफाफे को उसी थैले में वापस रख दिया गया और कपड़े के टुकड़े में लपेट दिया गया । इस पार्सल को छह स्थानों पर मोहर की 'क' छाप से मोहरबंद किया गया था और इसके पश्चात् उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने तीन प्रतियों में एन. सी. बी. 1 प्ररूप भरा गया था । मोहर का नमूना एन. सी. बी. 1 प्ररूप पर तथा कपड़े के टुकड़े को लिया गया था । इसके पश्चात् मोहर सहायक उपनिरीक्षक लालचंद को सौंपी गई थी । बरामदगी और अभिग्रहण ज्ञापन भी तैयार किया गया था जिस पर अभियुक्त और साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । एक रुक्का पुलिस थाने पर भेजा गया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए । अभियुक्त को सारन गांव के नजदीक लगभग 8 बजे अपराह्न गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया था और अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में सूचना उसके पुत्र को दी गई थी । इसके पश्चात् उपनिरीक्षक ओंकार सिंह अभियुक्त के साथ पुलिस थाने पर पहुंचा और उपनिरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी के समक्ष वाद संपत्ति पेश की गई थी जिन्होंने मोहर से उसे पुनः मोहरबंद किया था । उपनिरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी ने कपड़े के टुकड़ों पर मोहर 'क' नमूने लिए और एन. सी. बी. 1 प्ररूप के सुसंगत स्तंभ भी भरे गए थे । वाद संपत्ति को एन. सी. बी. प्ररूप और मोहरों के नमूनों के साथ मोहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास जमा किया गया था । इसके पश्चात् अन्य दस्तावेजों के साथ वाद संपत्ति को न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा को भेजा गया था । उसकी रासायनिक परीक्षा करने पर यह प्रकट हुआ है कि अभिगृहीत संपत्ति चरस थी ।

3. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायालय में चालान फाइल किया गया था क्योंकि प्रथमदृष्ट्या मामला अभियुक्त के विरुद्ध पाया गया था, उसे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा की ।

5. एल. सी. मीना कुमारी अभि. सा. 1 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ी हुई थी और उसने यह साक्ष्य दिया कि तारीख 6 जुलाई, 2010 को थाना अधिकारी ओंकार सिंह ने उसे इस निर्देश के साथ विशेष रिपोर्ट सौंपी थी कि उसे उप-पुलिस अधीक्षक, मनाली के पास ले जाएं और उस निदेश का उसके द्वारा पालन किया गया ।

6. अभि. सा. 2 एच. एस. सी. शेर सिंह ने अभिलेख पर विशेष रिपोर्ट की प्राप्त रसीद को साबित किया जो उप-पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा द्वारा उसे सौंपी गई थी ।

7. अभि. सा. 3 गौतम चंद ने अभिलेख पर यह साबित किया है कि तारीख 6 जुलाई, 2010 को मोहर्रिर हैड कांस्टेबल, मनाली ने एन. सी. बी. 1 और अन्य दस्तावेज, आर. सी. सं. 148/2010 सहित वाद संपत्ति उसे सौंपी थी और उसने तारीख 7 जुलाई, 2010 को संबंधित कर्मचारी, न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा को उक्त दस्तावेज सौंपे थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मोहर्रिर हैड कांस्टेबल द्वारा लगभग 9 बजे अपराह्न वाद संपत्ति उसे सौंपी गई थी और वह एच. आर. टी. सी. रात्रि बस सेवा पर चढ़ा और 9.30 बजे अपराह्न शिमला पहुंचा और अगले दिन प्रातः 10 बजे पूर्वाह्न प्रयोगशाला गया ।

8. मोहर्रिर हैड कांस्टेबल शेर सिंह (अभि. सा. 4) के रूप में पेश हुआ और उसने उपनिरीक्षक ओम प्रकाश से वाद संपत्ति प्राप्त किए जाने के तथ्य के बारे में अपना अभिसाक्ष्य दिया है और इसके पश्चात् अभि. सा. 3 के मार्फत न्यायालयिक प्रयोगशाला जुंगा भेज दिया ।

9. उपनिरीक्षक ओम प्रकाश अभि. सा. 5 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ा हुआ और उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 4 जुलाई, 2010 को उसने थाना भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना मनाली में अपनी ड्यूटी निभा रहा था जब 9.00 बजे अपराह्न उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने एन. सी. बी. 1 प्ररूप तीन प्रतियों के साथ मोहर 'ओ' की छह छाप के साथ एक मुहरबंद पार्सल सौंपा था और उसके द्वारा उन पर मुहर के चार छाप लगाकर उन्हें मुहरबंद किया । उसने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् मालखाना में जमा करने के लिए पार्सल, एन. सी. बी. 1 प्ररूप और मुहर के नमूने मोहर्रिर हैड कांस्टेबल को सौंपे थे ।

10. सहायक उपनिरीक्षक शिव सिंह अभि. सा. 6 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ा हुआ और यह कथन किया कि उसने उपनिरीक्षक ओंकार सिंह के स्थानांतरण के पश्चात् मामले में अन्वेषण किया था और मुहर्रिर हैड कांस्टेबल शेर सिंह, उपनिरीक्षक ओम प्रकाश, एच एस सी गौतम, एच एस सी शेर सिंह और एल सी मीना के कथनों को अभिलिखित किया था ।

11. एच एस सी गुरदयाल सिंह अभि. सा. 7 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ा हुआ और उसने यह कथन किया कि तारीख 4 जुलाई, 2010 को रपट सं. 21 इस बारे में पेश की जो नागर की ओर पेट्रोल ड्यूटी के प्रयोजन के लिए पुलिस दल के साथ प्रस्थान किया था । उसने यह भी कथन किया कि उसी दिन 11.00 बजे अपराह्न उसने रपट सं. 35 पेश की जब उपनिरीक्षक पुलिस चौकी पर वापस लौटा ।

12. कांस्टेबल हीरालाल अभि. सा. 8 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ा हुआ और उसने यह कथन किया कि तारीख 4 जुलाई, 2010 को वह सहायक उपनिरीक्षक लालसिंह, उपनिरीक्षक ओंकार सिंह, कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार, कांस्टेबल निखिल कुंडल के साथ पैदल नागर की ओर से ग्राम सारन की ओर जा रहे थे और उन्होंने सारन की ओर से नागर को जाते हुए एक व्यक्ति को देखा था जो अपने दाहिने हाथ में गुलाबी रंग का थैला ले जा रहा था । जब इस व्यक्ति ने पुलिस दल को देखा तो वह वापस लौट गया । पुलिस दल ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम होत्तम राम बताया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उन्होंने अभियुक्त को एकांत स्थान पर गिरफ्तार किया । उपनिरीक्षक ओंकार सिंह और सहायक उपनिरीक्षक लाल सिंह को साक्षियों के रूप में सहबद्ध किया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने अभियुक्त को अपने वैयक्तिक तलाशी और ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क तैयार किया गया था जिसमें उसने हस्ताक्षर किए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् ओंकार सिंह ने थैले की तलाशी ली जिसे अभियुक्त द्वारा ले जाया जा रहा था और थैले में एक पालिथीन का लिफाफा था जिसमें पान केक और आयताकार आकार की चरस पाई गई थी और उसे पारंपरिक तराजू की सहायता से तौला गया था जो अन्वेषक अधिकारी के किट में रखा हुआ था और उसका भार एक किलो पांच सौ ग्राम पाया गया था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि इसके पश्चात् चरस पालिथीन लिफाफे में रखकर थैले में वापस रख दी गई थी जिसे कपड़े के टुकड़े में

लपेटा गया था और पार्सल पर 'ओ' मुहर की छह स्थानों पर मुहर छाप लगाई गई थी । उपनिरीक्षक ने एन. सी. बी. प्ररूप भरे थे और पार्सल कब्जे में लिए गए थे, देखिए बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ख जिस पर उसने साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किया था । उसने यह कथन किया कि उस पर सहायक उपनिरीक्षक लालचंद और अभियुक्त द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया था । उसके अनुसार उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने रुक्का तैयार किया था जिसे इस निदेश के साथ उसे सौंपा गया था कि वह उसे पुलिस थाना मनाली ले जाए । अभि. सा. 8 ने यह भी कथन किया है कि उसने मोहर्रिर हैड कांस्टेबल शेर सिंह को रुक्का सौंपा था और घटनास्थल पर केस फाइल को वापस ले लिया था । इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि प्रदर्श डी. बी. कथन जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया गया था जो उसके हाथ की लिखत थी । उसने यह स्वीकार किया है कि ग्राम सारन और नागर रोरिक आर्ट गैलरी के समीपस्थ हैं । उसने यह कथन किया है कि पुलिस दल ने पीपी पातिलीखुल से 2.30 बजे अपराह्न चलना प्रारंभ किया और वे आर्ट गैलरी पर प्राइवेट यान से गए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह तीन व्यक्ति थे जब उन्होंने आर्ट गैलरी के नजदीक पीपी पातिलीखुल से चलना प्रारंभ किया और तब सहायक उपनिरीक्षक लालचंद और कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार उन्हें मिले थे । उसने यह भी कथन किया है कि वे लगभग पांच मिनट आगे बढ़ने के पश्चात् यान से उतरे थे और सहायक उपनिरीक्षक लालचंद और कांस्टेबल नरेन्द्र आर्ट गैलरी के नजदीक उन्हें मिले थे । उन्होंने यह स्वीकार किया कि अपने कथन प्रदर्श डी. बी. में इस बात को अभिलिखित नहीं किया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी उनकी मौजूदगी में हुई थी और ज्ञापन इस आशय का तैयार किया गया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा पुलिस थाने पर रुक्का लेने के पश्चात् प्रदर्श डी. बी. लिखा गया । उसने यह कथन किया कि रुक्का 6.15 बजे अपराह्न उसको सौंपा गया था और वह कुछ दूरी तक पैदल चला था तथा इसके पश्चात् उसे चौक पर ले जाया गया था तब वह एक दूसरे यान में पुलिस थाने मनाली की ओर गया जहां वह 7.20 बजे अपराह्न पहुंचा था । उसने यह कथन किया कि पुलिस थाना मनाली नागर से लगभग 24-25 किलोमीटर की दूरी पर था । उसने यह स्वीकार किया कि रोरिक आर्ट गैलरी और नागर चौक के बीच लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी थी । उसने यह कथन किया कि मोहर्रिर हैड कांस्टेबल ने उसे 7.35 बजे अपराह्न केस फाइल सौंपी थी और वह

8.00 बजे से 8.20 बजे अपराह्न प्राइवेट यान में चलकर मामले के फाइल के साथ घटनास्थल पर वापस लौटा । उसने यह बात सही होना स्वीकार किया है कि वह पुलिस थाने पर 7.50 बजे अपराह्न मौजूद था ।

13. उपनिरीक्षक ओंकार सिंह अभि. सा. 9 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ा हुआ और उसने तारीख 4 जुलाई, 2010 को अभियुक्त की गिरफ्तारी के तथ्य को दोहराया भी है जिससे चरस बरामद की गई थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त को एकांत जगह पर गिरफ्तार किया गया था और उसने स्थानीय साक्षियों को ढूंढने की कोशिश की परंतु वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला था । उसने यह कथन किया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सहायक उपनिरीक्षक लालचंद और कांस्टेबल हीरालाल को साक्षियों के रूप में सहबद्ध किया गया था । इसके पश्चात् तलाशी और अभिकरण की कार्यवाही की गई । इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसने कैरी बैग की जांच की जो अभियुक्त के हाथों में पाया गया था और उसमें एक पालिथीन थैला पाया गया था जिसमें पान केक और छड़ के आकार के चरस पाई गई थी । उसने चरस को तौला जो एक किलो पांच सौ ग्राम पाई गई थी । और चरस को पुनः पालिथीन थैले में रख दिया गया था और इसके पश्चात् गुलाबी रंग के थैले में रखा गया था जिसे सफेद रंग के कपड़े में लपेटा गया था । पार्सल को छह स्थानों पर मुहर 'क' की छापों से मुहरबंद किया गया था और एन. सी. बी. प्ररूप भी तीन प्रतियों में भरा गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने रुक्का तैयार किया और उसे कांस्टेबल हीरालाल को सौंप दिया गया जिसे वह पुलिस थाने ले गया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने कपड़े के टुकड़ों पर मुहर के नमूनों को लिया था । उसने यह भी कथन किया कि साक्षियों के कथन उनके वृत्तांत के अनुसार लेखबद्ध किए गए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथन किया है कि वे प्राइवेट यान में नागर चौक तक गए । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह यान का रजिस्ट्रीकरण संख्या, ड्राइवर का नाम या गाड़ी के मालिक का नाम नहीं बता सकता है । इस साक्षी ने यह अभिकथन किया है कि पुलिस दल नागर चौक से पैदल घटनास्थल पर गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वे कुछ मिनट आर्ट गैलरी पर रुके चूंकि वे पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे और कई पर्यटक आर्ट गैलरी पर मौजूद थे । उसने यह भी कथन किया कि वे लगभग 4.30 बजे अपराह्न तक आर्ट गैलरी पर रुके रहे और वहां से 4.45 बजे अपराह्न चले थे । उसने यह भी कथन

किया है कि उन्होंने गांव सारन की ओर से आ रहे अभियुक्त को लगभग 20 मीटर की दूरी पर रोका । इस साक्षी के अनुसार अभियुक्त वापस लौटा और 10 मीटर की दूरी पर अभियुक्त को उनके द्वारा पकड़ लिया गया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने उस स्थान के स्थानीय पंच साक्षी का पता लगाने और उन्हें सहबद्ध करने की कोशिश की परंतु वहां पर कोई नहीं मिला क्योंकि अभियुक्त को एकांत जगह पर पकड़ा गया था । उसके अनुसार अभियुक्त आर्ट गैलरी से 500 मीटर की दूरी पर गिरफ्तार किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि वह पंच साक्षियों को ढूंढने के लिए आर्ट गैलरी तक नहीं गया । उसके अनुसार चरस 5.10 बजे अपराह्न बरामद की गई थी और उसने 6.15 बजे अपराह्न कांस्टेबल हीरालाल को रुक्का सौंपा था और इस साक्षी ने यह भी बताया कि हीरालाल के कथन को उसके द्वारा लिखाया गया था और उस कथन को हीरालाल द्वारा स्वयं लिखा गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने केस फाइल करने के पश्चात् प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/डी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की संख्या को जोड़ा था ।

14. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश की गई सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल हुआ है कि एक किलो पांच सौ ग्राम चरस अभियुक्त के सचेत और अनन्य कब्जे से पाई गई थी । तद्नुसार विचारण न्यायालय ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन अपराध कारित किए जाने पर अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया ।

15. विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री वी. एस. चौहान ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के पक्ष में दोषमुक्ति का निर्णय प्रतिकूल है और विचारण न्यायालय द्वारा इस तरह के निकाले गए निष्कर्ष अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश की गई सामग्री के आधार पर नहीं है । श्री चौहान ने यह दलील दी कि यदि सामग्री से यह साबित समझा जाए कि उसे अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभिलेख पर रखा गया है जिसके आधार पर अभियुक्त के अनन्य और सचेत कब्जे में एक किलो पांच सौ ग्राम चरस पाई गई थी । तद्नुसार, श्री चौहान ने अभियुक्त को उक्त स्वापक के अधीन पकड़े जाने के तथ्य को अभियोजन साक्षी द्वारा सम्यक् रूप से सिद्ध किया गया था और विचारण न्यायालय के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि अभियोजन साक्षियों के

अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य पर अविश्वास करे । श्री चौहान द्वारा यह भी दलील दी गई कि विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त करने का अनुमान निकाला जाना कि कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा सहबद्ध नहीं किया गया था, कायम योग्य नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय मामले के इस पहलू का मूल्यांकन करने में विफल हुआ है कि अभियुक्त को एकांत स्थान पर पकड़ा गया था, इसलिए पुलिस के लिए यह संभव नहीं था कि किसी स्वतंत्र साक्षी को सहबद्ध करे । श्री चौहान ने आगे यह भी दलील दी कि अन्वेषक अधिकारी और हीरा-लाल के परिसाक्ष्य से यह भी सिद्ध हुआ है कि तलाशी और अभिग्रहण की कार्रवाई कड़ाई के साथ की गई थी जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार है । श्री चौहान ने यह भी दलील दी कि विचारण न्यायालय ने इस बात का मूल्यांकन न करके गलती की है कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में कोई बड़े विभेद और विसंगतियां नहीं हैं यदि छोटी-मोटी विसंगतियां कोई हैं तो तब उक्त साक्षियों की विश्वसनीयता को आक्षेपित नहीं किया जाता है । इन आधारों पर श्री चौहान द्वारा यह दलील दी गई थी कि विचारण न्यायालय ने विधि में कायम रखे जाने योग्य कार्य नहीं किया है और इसलिए उसके निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए ।

16. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री अजय चंदेल ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के पक्ष में की गई दोषमुक्ति के निष्कर्षों में कोई प्रतिकूलता और न कोई दुर्बलता है । श्री चंदेल के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश की गई सामग्री युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हुई है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को वास्तव में चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था । श्री चंदेल ने यह दलील दी कि किसी स्वतंत्र साक्षी को अन्वेषक अधिकारी द्वारा सहबद्ध नहीं किए जाने का कारण यह था कि वास्तव में पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया था । उसके अनुसार अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन षड्यंत्र है और अभियुक्त मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । श्री चंदेल ने यह भी दलील दी कि अभियोजन साक्षियों का परिसाक्ष्य जिसमें केवल पुलिस साक्षी को सम्मिलित किया गया है न तो तर्कपूर्ण है और न विश्वासयोग्य । उन्होंने यह भी दलील दी कि मामले में बहुत बड़े विभेद और विसंगतियां हैं जिससे अभियोजन पक्षकथन की सच्चाई पर बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न होता है । तद्नुसार उन्होंने यह अनुरोध किया कि वर्तमान अपील में कोई गुणता नहीं है और उसे खारिज किया

जाना चाहिए ।

17. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और मामले के अभिलेख तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का भी परिशीलन किया ।

18. स्वीकृततः, वर्तमान मामले में अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर की गई तलाशी और अभिग्रहण में उसके द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को सहबद्ध नहीं किया गया । अन्वेषक अधिकारी और अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा इस पर वर्णित कारण यह है कि अभियुक्त को एकांत स्थान पर गिरफ्तार किया गया था और इस कारण से किसी स्वतंत्र साक्षी को सहबद्ध नहीं किया जा सका । हमारा विचारित मत यह है कि उक्त कारण जो अभियोजन पक्ष द्वारा हमारे समक्ष रखा गया है, उससे विश्वास प्रेरित नहीं होता है । अन्वेषक अधिकारी के परिसाक्ष्य में यह बात प्रकट हुई है कि वास्तव में पुलिस दल ने 4.30 बजे अपराह्न रोरिक आर्ट गैलरी पर वे रुके थे क्योंकि कई पर्यटक वहां पर थे और पुलिस दल ने 4.45 बजे अपराह्न उक्त स्थान से चल पड़ा था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी और तलाशी करने के पश्चात्, चरस 5.10 बजे अपराह्न बरामद की गई थी । इससे यह अभिप्रेत होता है कि पुलिस दल द्वारा 4.45 बजे अपराह्न और 5.10 बजे अपराह्न के बीच अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी । यदि पुलिस दल ने रोरिक आर्ट गैलरी छोड़ने के 15 से 25 मिनट के भीतर अभियुक्त को पकड़ा था तो यह बात समझ से परे है कि पुलिस पार्टी का किसी व्यक्ति को अन्वेषक अधिकारी द्वारा स्वतंत्र साक्षी ढूंढने के लिए क्यों नहीं भेजा गया । अभियोजन पक्षकथन में प्रकट भ्रांति अतिसंदेहपूर्ण प्रतीत होती है । हम इस तथ्य के प्रति भी स्पष्ट नहीं हैं कि प्रत्येक मामले में स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए सहबद्ध किया जाता हो । परंतु हमारी विचारित राय में और वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में स्वतंत्र साक्षियों को सहबद्ध नहीं किया जाना संपूर्ण कहानी के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है जिस कहानी का आवरण अभियोजन पक्ष द्वारा तैयार किया गया है ।

19. अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त से चरस की तलाशी और अभिग्रहण किए जाने को कांस्टेबल हीरालाल और सहायक उपनिरीक्षक लालचंद द्वारा देखा गया । यद्यपि कांस्टेबल हीरालाल अभि. सा. 8 के रूप

में साक्षी कठघरे में खड़ा हुआ, तथापि, सहायक उपनिरीक्षक लालचंद की अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में परीक्षा नहीं की गई थी । अभि. सा. 8 कांस्टेबल हीरालाल के अनुसार पुलिस दल जिसके द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था उसमें सहायक उपनिरीक्षक लालसिंह, उपनिरीक्षक ओंकार सिंह, कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार और कांस्टेबल निखिल कुंडल सम्मिलित थे । तथापि, कांस्टेबल अभि. सा. 8 हीरालाल और अन्वेषक अधिकारी ओंकार सिंह के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति जो पुलिस दल का सदस्य था उसकी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई है । अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए पुलिस दल के किसी अन्य सदस्य की परीक्षा क्यों नही की गई उस बात की अपीलार्थी/राज्य द्वारा कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका ।

20. कांस्टेबल हीरालाल के परिसाक्ष्य पर विचार करने पर जो अभि. सा. 8 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ा हुआ था, इस साक्षी ने यह कथन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया जो उसके स्वयं के हाथ का लिखा हुआ था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि कथन प्रदर्श जी. बी. में यह अभिलिखित नहीं किया गया कि अभियुक्त को उसकी मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया था और इस आशय का ज्ञापन भी तैयार किया गया था । इस साक्षी ने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह पुलिस थाने से रुक्का लेने के पश्चात् 8.00 बजे से 8.20 बजे अपराह्न के बीच मामले की फाइल के साथ वापस घटनास्थल पर पहुंचा । इस बारे में उसने इस सही बात को स्वीकार किया है कि वह 7.50 बजे अपराह्न पुलिस थाना मनाली में मौजूद था । दूसरे शब्दों में साक्षी ने न्यायालय को यह विश्वास दिलाना चाहा कि पुलिस थाना मनाली और नागर के बीच 24-25 किलोमीटर की दूरी है जिस दूरी को इस साक्षी द्वारा 10 से 20 मिनट के बीच दूरी तय बताया । अभि. सा. 9 उपनिरीक्षक ओंकार सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह स्वतंत्र साक्षियों को ढूंढने के लिए आर्ट गैलरी तक नहीं गया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त को आर्ट गैलरी से 500 मीटर की दूरी पर गिरफ्तार किया गया था । संयोग से अन्वेषक अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि हीरालाल का कथन उसके द्वारा लिखाया गया था और उसे हीरालाल ने स्वयं लिखा था । इसके अतिरिक्त हीरालाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह 8.00 बजे से 8.20 बजे अपराह्न के बीच मामले

की फाइल लेकर घटनास्थल पर वापस पहुंचा था जबकि अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने 8.00 बजे अपराह्न घटनास्थल से चलना प्रारंभ किया था ।

21. एन. सी. बी. प्ररूप को अभिलेख पर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/डी के रूप में रखा गया है । उसके परिशीलन करने से यह संकेत मिलता है कि मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या उसी हस्तलेख में पहले ही लिखी गई थी और उसी पेन के साथ उक्त प्ररूप के अन्य विषयवस्तु भी भरे गए थे । उक्त एन. सी. बी. प्ररूप में अभिग्रहण की तारीख और समय का ग्राम सारन के नजदीक तारीख 4 जुलाई, 2010, 6.00 बजे अपराह्न का उल्लेख किया गया है । उक्त प्ररूप में स्तंभ सं. 7 के संबंध में जो अधिकारी द्वारा पुलिस थाना को भेजे जाने की तारीख से संबंधित है उस पर तारीख 4 जुलाई, 2010 का उल्लेख है और निर्गत करने का समय 9.00 बजे अपराह्न के रूप में उल्लिखित है । तथापि, उक्त प्ररूप के स्तंभ सं. 10 का परिशीलन करने पर यह संकेत मिलता है कि मोहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास वाद संपत्ति को जमा करने की तारीख, समय और स्थान का पुलिस थाना मनाली पर तारीख 4 जुलाई, 2010, 9.00 बजे अपराह्न का उल्लेख किया गया है ।

22. हमारा विचारित मत यह है कि एन. सी. बी. प्ररूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या का उल्लेख किए जाने का तथ्य उसी स्याही और हाथ से भरा गया जिससे स्तंभ सं. 1 से 8 भरा गया था । इस तथ्य का सम्यक् रूप से परिशीलन करने पर मोहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास वाद संपत्ति को भेजने का समय और जमा करने का समय दोनों पर 9.00 बजे अपराह्न का उल्लेख है । इससे अभियोजन पक्षकथन अत्यधिक संदेहपूर्ण हो गया है । जैसाकि हमने पहले ही ऊपर ध्यान दिया है कि ग्राम नागर के स्थान की पुलिस थाना मनाली से 24-25 किलोमीटर की दूरी है और अभि. सा. 8 के अनुसार वह घटनास्थल से उस वक्त चला था जब पुलिस दल द्वारा 6.15 बजे अपराह्न रुक्का के साथ पुलिस थाना मनाली जाने के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना अभिकथित किया है और वह 7.20 बजे अपराह्न वहां पर पहुंचा । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह 8.00 से 8.20 बजे अपराह्न के बीच मामले की फाइल के साथ घटनास्थल पर वापस पहुंचा । अभि. सा. 8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मोहर्रिर हैड कांस्टेबल द्वारा 7.35 बजे अपराह्न उसे फाइल सौंपी गई थी । अभि. सा. 8 का यह परिसाक्ष्य तारीख 4 जुलाई,

2010 की दैनिक डायरी प्रविष्टियों के विपरीत है जहां पर पुलिस थाने पर अभि. सा. 8 का पहुंचना प्रविष्टि सं. 29 के विरुद्ध 7.20 बजे अपराह्न दिखाया गया और उसके प्रस्थान का समय प्रविष्टि सं. 31 पर 7.50 बजे अपराह्न दिखाया गया है । हमने यह तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र में 25 मिनट की अवधि के भीतर लगभग 24-25 किलोमीटर की दूरी को तय करना अत्यधिक अधिसंभाव्य और असंभव है ।

23. इस बात के अतिरिक्त अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 के कथनों में अन्य बड़े विभेद प्रकट हैं । अभि. सा. 8 कांस्टेबल हीरालाल के अनुसार कि वह प्राइवेट यान में घटनास्थल पर पहुंचा था और इसके पश्चात् उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन प्रदर्श डी. बी. लिखा था और उसने यह भी कथन किया है कि वह गिरफ्तारी ज्ञापन का साक्षी है । गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तारी के समय को परिवर्तित करने के तथ्य को अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 द्वारा स्वीकार किया गया है जिन्होंने यह कथन किया है कि वास्तव में हीरालाल घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को नहीं मिला था । उसका यह परिसाक्ष्य से दुर्बलता प्रकट होती है । अभियोजन का पक्षकथन जैसाकि अभि. सा. 8 के अनुसार है उसने घटनास्थल पर अपना कथन प्रदर्श डी. बी. लिखा था और अभियुक्त को घटनास्थल पर भी गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. 8 ने अपने कथन में यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि चरस जिसे अभियुक्त से बरामद किया गया था पान केक और आयताकार के आकार में थी । दूसरी ओर, अभि. सा. 9 ने अपने कथन में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि चरस जिसे अभियुक्त से बरामद किया गया था, वह पान केक और छड़ के आकार में थी । एन. सी. बी. प्ररूप का परीक्षण करने से यह इंगित होता है कि बरामद की गई चरस चपाती के आकार में थी । अभियोजन साक्षियों के कथनों में प्रकट हुए ये सभी विसंगतियां और विभेद से इस बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि क्या पुलिस द्वारा उस रीति में वास्तव में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया है और क्या अभियुक्त के अनन्य और सचेत कब्जे से वास्तव में चरस बरामद हुई थी जैसाकि अभियोजन पक्ष ने इस न्यायालय को विश्वास दिलाना चाहा ।

24. विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का परिशीलन करने पर यह इंगित होता है कि मामले के सभी पहलुओं का विचारण न्यायालय द्वारा गहराई से परिशीलन किया गया और इसके पश्चात्

विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ नहीं हुआ है । विचारण न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्षकथन में प्रकट हुए विभेदों से दो मत प्रकट होते हैं जिसमें एक मत अभियुक्त के पक्ष में जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा इन आधारों पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब दो मत संभव होते हैं तब अभियुक्त के पक्ष में जाने वाला मत को विचार में लिया जाना चाहिए । इन आधारों पर अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था ।

25. हमारा विचारित मत यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सुस्थापित हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखी गई सामग्री के मूल्यांकन से उक्त बातों को लिया गया है । साक्ष्य जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक तथा दस्तावेजी दोनों रूप में अभिलेख पर पेश किया गया है, उन्हें युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है कि वास्तव में अभियुक्त को पुलिस दल द्वारा किस रीति में ग्राम सारन पर तारीख 4 जुलाई, 2010 को गिरफ्तार किया गया था जिस रीति के बारे में अभियोजन पक्ष इस न्यायालय को विश्वास दिलाना चाहता है और न अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध करने में समर्थ हुआ है कि एक किलो पांच सौ ग्राम चरस युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के अनन्य कब्जे से बरामद की गई जब वह सचेतावस्था में था । अतः विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को कायम रखते हुए हम वर्तमान अपील को खारिज करते हैं क्योंकि उसमें कोई गुणागुण नहीं है । यदि कोई जमानत बंधपत्र अभियुक्त द्वारा दिए गए हैं तो उन्हें उन्मोचित किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

गतांक से आगे.........

अध्याय 16

मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना

204. आदेशिका का जारी किया जाना – (1) यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और –

(क) मामला समन-मामला प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करेगा ; अथवा

(ख) मामला वारंट-मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या (यदि उसकी अपनी अधिकारिता नहीं है तो) अधिकारिता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए वारंट, या यदि ठीक समझता है समन, जारी कर सकता है ।

(2) अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्षियों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती है ।

(3) लिखित परिवाद पर संस्थित कार्यवाही में उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन वारंट के साथ उस परिवाद की एक प्रतिलिपि होगी ।

(4) जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य फीस संदेय है तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दे दी जाती है और यदि ऐसी फीस उचित समय के अंदर नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है ।

(5) इस धारा की कोई बात धारा 87 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।

205. मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना – (1) जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(2) किंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट,

स्वविवेकानुसार, कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी का निदेश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकता है ।

206. छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन – (1) यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को [1][धारा 260 या धारा 261 के अधीन] संक्षेपतः निपटाया जा सकता है तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय जहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी प्रतिकूल राय है, अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए उसके लिए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा हाजिर हो या वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप में उक्त अभिवाक् और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेज दें या यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है और ऐसे प्लीडर द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो प्लीडर को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माने का संदाय करे :

परंतु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम [2][एक हजार रुपए] से अधिक न होगी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "छोटे अपराध" से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो केवल एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा अपराध नहीं है जो मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) के अधीन या किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन, जिसमें दोषी होने के अभिवाक् पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोषसिद्ध करने के लिए उपबंध है, इस प्रकार दंडनीय है ।

[3][(3) राज्य सरकार, किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए, जो धारा 320 के अधीन शमनीय है, या जो कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से अधिक नहीं है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है अधिसूचना द्वारा

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 20 द्वारा "धारा 260 के अधीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 20 द्वारा "एक सौ रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित ।

विशेष रूप से वहां सशक्त कर सकती है, जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे ।]

207. अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना – किसी ऐसे मामले में जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित की गई है, मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क देगा :–

(i) पुलिस रिपोर्ट ;

(ii) धारा 154 के अधीन लेखबद्ध की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ;

(iii) धारा 161 की उपधारा (3) के अधीन अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों के कथन, जिनकी अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, उनमें से किसी ऐसे भाग को छोड़कर जिनको ऐसे छोड़ने के लिए निवेदन धारा 173 की उपधारा (6) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है ;

(iv) धारा 164 के अधीन लेखबद्ध की गई संस्वीकृतियां या कथन, यदि कोई हों ;

(v) कोई अन्य दस्तावेज या उसका सुसंगत उद्धरण, जो धारा 173 की उपधारा (5) के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गई है :

परन्तु मजिस्ट्रेट खण्ड (iii) में निर्दिष्ट कथन के किसी ऐसे भाग का परिशीलन करने और ऐसे निवेदन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात् यह निदेश दे सकता है कि कथन के उस भाग की या उसके ऐसे प्रभाग की, जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे, एक प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाए :

परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि खंड (v) में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज विशालकाय है तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निदेश देगा कि उसे स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा ।

208. सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना – जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में, धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यतः

सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहां मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क देगा :–

(i) उन सभी व्यक्तियों के, जिनकी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जा चुकी है, धारा 200 या धारा 202 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन ;

(ii) धारा 161 या धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन, और संस्वीकृतियां, यदि कोई हों ;

(iii) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई कोई दस्तावेजें, जिन पर निर्भर रहने का अभियोजन का विचार है :

परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई दस्तावेज विशालकाय है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निदेश देगा कि उसे स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा ।

209. जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना – जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह –

[1][(क) यथास्थिति, धारा 207 या धारा 208 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती है ;]

(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त की अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा ;

(ग) मामले का अभिलेख तथा दस्तावेजें और वस्तुएं, यदि कोई हों, जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है, उस न्यायालय को भेजेगा ;

(घ) मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा ।

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 19 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

210. परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण – (1) जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवाद वाला मामला कहा गया है) मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण के दौरान उसके समक्ष यह प्रकट किया जाता है कि उस अपराध के बारे में जो उसके द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण का विषय है पुलिस द्वारा अन्वेषण हो रहा है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाहियों को रोक देगा और अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी से उस मामले की रिपोर्ट मांगेगा ।

(2) यदि अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान किया जाता है जो परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है तो, मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले की और पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले की जांच या विचारण साथ-साथ ऐसे करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हैं ।

(3) यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद वाले मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं करता है तो वह उस जांच या विचारण में जो उसके द्वारा रोक ली गई थी, इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

अध्याय 17
आरोप
क – आरोपों का प्ररूप

211. आरोप की अंतर्वस्तु – (1) इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है ।

(2) यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा ।

(3) यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है ।

(4) वह विधि और विधि की वह धारा, जिसके विरुद्ध अपराध किया

जाना कथित है, आरोप में उल्लिखित होगी ।

(5) यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई हैं ।

(6) आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा ।

(7) यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किए जाने पर किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोषसिद्धि के कारण वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आशयित है कि ऐसी पूर्व दोषसिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चात्वर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे तो पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे ; और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय भी उसे जोड़ सकेगा ।

दृष्टांत

(क) **क** पर **ख** की हत्या का आरोप है । यह बात इस कथन के समतुल्य है कि **क** का कार्य भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 299 और 300 में दी गई हत्या की परिभाषा के अंदर आता है और वह उसी संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंदर नहीं आता और वह धारा 300 के पांच अपवादों में से किसी के अंदर भी नहीं आता, या यदि वह अपवाद 1 के अंदर आता है तो उस अपवाद के तीन परंतुकों में से कोई न कोई परंतुक उसे लागू होता है ।

(ख) **क** पर असन के उपकरण द्वारा **ख** को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326 के अधीन आरोप है । यह इस कथन के समतुल्य है कि उस मामले के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 335 द्वारा उपबंध नहीं किया गया है और साधारण अपवाद उसको लागू नहीं होते हैं ।

(ग) **क** पर हत्या, छल, चोरी, उद्दीपन, जारकर्म या आपराधिक अभित्रास या मिथ्या संपत्ति चिह्न को उपयोग में लाने का अभियोग है । आरोप में उन अपराधों की भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना यह कथन हो सकता है कि **क** ने हत्या या छल या चोरी या उद्दीपन या जारकर्म या आपराधिक अभित्रास किया है या यह कि उसने मिथ्या संपत्ति चिह्न का उपयोग किया है ; किंतु प्रत्येक

दशा में वे धाराएं, जिनके अधीन अपराध दंडनीय है, आरोप में निर्दिष्ट करनी पड़ेंगी ।

(घ) **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 184 के अधीन यह आरोप है कि उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति के विक्रय में साशय बाधा डाली है । आरोप उन शब्दों में ही होना चाहिए ।

212. समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां – (1) अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में और जिस व्यक्ति के (यदि कोई हो) विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के (यदि कोई हो) विषय में वह अपराध किया गया उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियां, जैसी अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं आरोप में अंतर्विष्ट होंगी ।

(2) जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, या अपराध करने की ठीक-ठीक तारीखों का विनिर्देश किए बिना, यथास्थिति, उस सकल राशि का विनिर्देश या उस जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, और उन तारीखों का, जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है, विनिर्देश कर दिया जाता है और ऐसे विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा :

परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय एक वर्ष से अधिक का न होगा ।

213. कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए – जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211 और 212 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, पर्याप्त सूचना नहीं देती तब उस रीति की, जिसमें अभिकथित अपराध किया गया, ऐसी विशिष्टियां भी, जैसी उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्विष्ट होंगी ।

दृष्टांत

(क) **क** पर वस्तु-विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग है । यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति उपवर्णित

हो जिससे चोरी की गई ।

(ख) **क** पर **ख** के साथ कथित समय पर और कथित स्थान में छल करने का अभियोग है । आरोप में वह रीति, जिससे **क** ने **ख** के साथ छल किया, उपवर्णित करनी होगी ।

(ग) **क** पर कथित समय पर और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है । आरोप में **क** द्वारा किए गए साक्ष्य का वह भाग उपवर्णित करना होगा जिसका मिथ्या होना अभिकथित है ।

(घ) **क** पर लोक सेवक **ख** को उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में कथित समय पर और कथित स्थान में बाधित करने का अभियोग है । आरोप में वह रीति उपवर्णित करनी होगी जिससे **क** ने **ख** को उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधित किया ।

(ङ) **क** पर कथित समय पर और कथित स्थान में **ख** की हत्या करने का अभियोग है । यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति कथित हो जिससे **क** ने **ख** की हत्या की ।

(च) **क** पर **ख** को दंड से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा करने का अभियोग है । आरोपित अवज्ञा और अतिलंघित विधि का उपवर्णन आरोप में करना होगा ।

214. आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है – प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें उस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है ।

215. गलतियों का प्रभाव – अपराध के या उन विशिष्टियों के, जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप को मामले के किसी प्रक्रम में तब ही तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है अन्यथा नहीं ।

दृष्टान्त

(क) **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 242 के अधीन यह आरोप है कि "उसने कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है

जिसे वह उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह कूटकृत है" और आरोप में "कपटपूर्वक" शब्द छूट गया है । जब तक यह प्रतीत नहीं होता है कि **क** वास्तव में इस लोप से भुलावे में पड़ गया, इस गलती को तात्विक नहीं समझा जाएगा ।

(ख) **क** पर **ख** से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने **ख** के साथ छल किया है वह आरोप में उपवर्णित नहीं है या अशुद्ध रूप में उपवर्णित है । **क** अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्षियों को पेश करता है और संव्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है । न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप तात्विक नहीं है ।

(ग) **क** पर **ख** से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने **ख** से छल किया है वह आरोप में उपवर्णित नहीं है । **क** और **ख** के बीच अनेक संव्यवहार हुए हैं और क के पास यह जानने का कि आरोप का निर्देश उनमें से किसके प्रति है कोई साधन नहीं था और उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं की । न्यायालय ऐसे तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप उस मामले में तात्विक गलती थी ।

(घ) **क** पर 21 जनवरी, 1882 को खुदाबख्श की हत्या करने का आरोप है । वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदरबख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी, 1882 थी । **क** पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था जिसमें हैदरबख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था । न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि **क** उससे भुलावे में नहीं पड़ा था और आरोप में यह गलती तात्विक नहीं थी ।

(ङ) **क** पर 20 जनवरी, 1883 को हैदरबख्श की हत्या और 21 जनवरी, 1882 को ख़ुदाबख्श की (जिसने उसे हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था) हत्या करने का आरोप है । जब वह हैदरबख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ, तब उसका विचारण खुदाबख्श की हत्या के लिए हुआ । उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदरबख्श वाले मामले में साक्षी थे । न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि **क** भुलावे में पड़ गया था और यह गलती तात्विक थी ।

216. न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है – (1) कोई भी

न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है ।

(2) ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा ।

(3) यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात् स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है ।

(4) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नए विचारण का निदेश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, स्थगित कर सकता है ।

(5) यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है, जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित हैं, अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है ।

217. जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना – जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है तब अभियोजक और अभियुक्त को –

(क) किसी ऐसे साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाने की या पुनः समन करने की और उसकी ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार नहीं है कि, यथास्थिति, अभियोजक या अभियुक्त तंग करने के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से ऐसे साक्षी को पुनः बुलाना या उसकी पुनः परीक्षा करना चाहता है ।

(ख) किसी अन्य ऐसे साक्षी को भी, जिसे न्यायालय आवश्यक समझे, बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

ख – आरोपों का संयोजन

218. सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक् आरोप – (1) प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए, जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, पृथक् आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विवरण पृथक्तः किया जाएगा :

परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति, लिखित आवेदन द्वारा, ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 219, 220, 221 और 223 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

दृष्टांत

क पर एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे किसी अवसर पर घोर उपहति कारित करने का अभियोग है । चोरी के लिए और घोर उपहति कारित करने के लिए **क** पर पृथक्-पृथक् आरोप लगाने होंगे और उनका विचारण पृथक्तः करना होगा ।

219. एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा – (1) जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का अभियोग है जो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक बारह मास के अंदर ही किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों या नहीं, तब उस पर उनमें से तीन से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है ।

(2) अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं :

परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध है, और भारतीय दंड संहिता या किसी विशष या

स्थानीय विधि की किसी धारा के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का ऐसे अपराध करने का प्रयत्न है, जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो ।

220. एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण – (1) यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों के, जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है ।

(2) जब धारा 212 की उपधारा (2) में या धारा 219 की उपधारा (1) में उपबंधित रूप में, आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से सम्पत्ति के दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या अधिक अपराधों का अभियोग है, तब उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है ।

(3) यदि अभिकथित कार्यों से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की, जिससे अपराध परिभाषित या दंडनीय हों, दो या अधिक पृथक् परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है ।

(4) यदि कई कार्य, जिनमें से एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं, मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है ।

(5) इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 71 पर प्रभाव न डालेगी ।

उपधारा (1) के दृष्टांत

(क) **क** एक व्यक्ति **ख** को, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा में है, छुड़ाता है और ऐसा करने में कांस्टेबल **ग** को, जिसकी अभिरक्षा में **ख** है, घोर उपहति कारित करता है । **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 225 और 333 के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा

और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

(ख) **ख** दिन में गृहभेदन इस आशय से करता है कि जारकर्म करे और ऐसे प्रवेश किए गए गृह में **ख** की पत्नी से जारकर्म करता है । **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 454 और 497 के अधीन आरोपों के लिए पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

(ग) **क** इस आशय से **ख** को, जो **ग** की पत्नी है, फुसलाकर **ग** से अलग ले जाता है कि **ख** से जारकर्म करे और फिर वह उससे जारकर्म करता है । **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498 और 497 के अधीन अपराधों के लिए पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

(घ) **क** के कब्जे में कई मुद्राएं हैं जिन्हें वह जानता है कि वे कूटकृत हैं और जिनके संबंध में वह यह आशय रखता है कि भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 466 के अधीन दंडनीय कई कूट रचनाएं करने के प्रयोजन से उन्हें उपयोग में लाए । **क** पर प्रत्येक मुद्रा पर कब्जे के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 473 के अधीन पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

(ङ) **ख** को क्षति कारित करने के आशय से **क** उसके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही यह जानते हुए संस्थित करता है कि ऐसी कार्यवाही के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है और **ख** पर अपराध करने का मिथ्या अभियोग, यह जानते हुए लगाता है कि ऐसे आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है । **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 211 के अधीन दंडनीय दो अपराधों के लिए पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

(च) **ख** को क्षति कारित करने के आशय से **क** उस पर एक अपराध करने का अभियोग यह जानते हुए लगाता है कि ऐसे आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है । विचारण में **ख** के विरुद्ध **क** इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि उसके द्वारा **ख** को मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करवाए । **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 211 और 194 के अधीन अपराधों के लिए पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

(छ) **क** छह अन्य व्यक्तियों के सहित बल्वा करने, घोर उपहति करने

और ऐसे लोक सेवक पर, जो ऐसे बल्वे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कर रहा है, हमला करने का अपराध करता है । **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 147, 325 और 152 के अधीन अपराधों के लिए पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

(ज) **ख, ग** और **घ** के शरीर को क्षति की धमकी **क** इस आशय से एक ही समय देता है कि उन्हें संत्रास कारित किया जाए । **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 506 के अधीन तीनों अपराधों में से प्रत्येक के लिए पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

दृष्टांत (क) से लेकर (ज) तक में क्रमशः निर्दिष्ट पृथक् आरोपों का विचारण एक ही समय किया जा सकेगा ।

उपधारा (3) के दृष्टांत

(झ) **क** बेंत से **ख** पर सदोष आघात करता है । **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 352 और 323 के अधीन अपराधों के लिए पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

(ञ) चुराए हुए धान्य के कई बोरे **क** और **ख** को, जो यह जानते हैं कि वे चुराई हुई संपत्ति हैं, इस प्रयोजन से दे दिए जाते हैं कि वे उन्हें छिपा दें । तब **क** और **ख** उन बोरों को अनाज की खेती के तले में छिपाने में स्वेच्छया एक दूसरे की मदद करते हैं । **क** और **ख** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 411 और 414 के अधीन अपराधों के लिए पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वे दोषसिद्ध किए जा सकेंगे ।

(ट) **क** अपने बालक को यह जानते हुए आरक्षित डाल देती है कि यह संभाव्य है कि उससे वह उसकी मृत्यु कारित कर दे । बालक ऐसे अरक्षित डाले जाने के परिणामस्वरूप मर जाता है । **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 317 और 304 के अधीन अपराधों के लिए पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध की जा सकेगी ।

(ठ) **क** कूटरचित दस्तावेज को बेईमानी से असली साक्ष्य के रूप में इसलिए उपयोग में लाता है कि एक लोक सेवक **ख** को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 167 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करे । **क** पर भारतीय दंड संहिता की (धारा 466 के साथ पठित) धारा 471 के और धारा 196 के अधीन अपराधों के लिए पृथक्तः आरोप लगाया

जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

उपधारा (4) का दृष्टांत

(ङ) **ख** को **क** लूटता है और ऐसा करने में उसे स्वेच्छया उपहति कारित करता है । **क** पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 323, 392, और 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक्तः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

221. जहां इस बारे में संदेह है कि कौन-सा अपराध किया गया है – (1) यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से, जो सिद्ध किए जा सकते हैं, कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे आरोपों में से कितनों ही का एक साथ विचारण किया जा सकेगा ; या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पतः आरोप लगाया जा सकेगा ।

(2) यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है, जिसके लिए उस पर उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था ।

दृष्टांत

(क) **क** पर ऐसे कार्य का अभियोग है जो चोरी की, या चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने की, या आपराधिक न्यासभंग की, या छल की कोटि में आ सकता है । उस पर चोरी करने, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्यासभंग करने और छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा अथवा उस पर चोरी करने का या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का या आपराधिक न्यासभंग करने का या छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा ।

(ख) ऊपर वर्णित मामले में **क** पर केवल चोरी का आरोप है । यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग का या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का अपराध किया है । वह (यथास्थिति) आपराधिक न्यासभंग या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा, यद्यपि उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था ।

(ग) **क** मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर कहता है कि उसने देखा कि **ख** ने **ग** को लाठी मारी । सेशन न्यायालय के समक्ष **क** शपथ पर कहता है कि **ख** ने **ग** को कभी नहीं मारा । यद्यपि यह साबित नहीं किया जा सकता कि इन दो परस्पर विरुद्ध कथनों में से कौन सा मिथ्या है तथापि **क** पर साशय मिथ्या देने के लिए अनुकल्पतः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

222. जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अंतर्गत है – (1) जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियां हैं, जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है किन्तु शेष विशिष्टियां साबित नहीं होती हैं तब वह उस छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था ।

(2) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं तब वह छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था ।

(3) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक् आरोप न लगाया गया हो ।

(4) इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोषसिद्धि प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं ।

दृष्टांत

(क) **क** पर उस संपत्ति के बारे में, जो वाहक के नाते उसके पास न्यस्त है, आपराधिक न्यासभंग के लिए भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 407 के अधीन आरोप लगाया गया है । यह प्रतीत होता है कि उस संपत्ति के बारे में धारा 406 के अधीन उसने आपराधिक न्यायभंग तो किया है किन्तु वह उसे वाहक के रूप में न्यस्त नहीं की गई थी । वह धारा 406 के अधीन आपराधिक न्यासभंग के लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

(ख) **क** पर घोर उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 325 के अधीन आरोप है । वह साबित कर देता

है कि उसने घोर और आकस्मिक प्रकोपन पर कार्य किया था । वह उस संहिता की धारा 335 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकेगा ।

223. किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा – निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है ;

(ख) वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है ;

(ग) वे व्यक्ति जिन पर बारह मास की अवधि के अन्दर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है ;

(घ) वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में दिए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है ;

(ङ) वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का, जिसके अन्तर्गत चोरी, उद्दापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग भी है, अभियोग है और वे व्यक्ति, जिन पर ऐसी संपत्ति को, जिसका कब्जा प्रथम नामित व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध द्वारा अन्तरित किया जाना अभिकथित है, प्राप्त करने या रखे रखने या उसके व्ययन या छिपाने में सहायता करने का या किसी ऐसे अंतिम नामित अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है ;

(च) वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में, जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है, भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 411 और धारा 414 के, या उन धाराओं में से किसी के अधीन अपराधों का अभियोग है ;

(छ) वे व्यक्ति जिन पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 12 के अधीन कूटकृत सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर उसी सिक्के के संबंध में उक्त अध्याय के अधीन किसी भी अन्य अपराध का या किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है ; और इस अध्याय के

पूर्ववर्ती भाग के उपबंध सब ऐसे आरोपों को यथाशक्य लागू होंगे :

परन्तु जहां अनेक व्यक्तियों पर पृथक् अपराधों का आरोप लगाया जाता है और वे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी में नहीं आते हैं वहां [1][मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय] ऐसे सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहते हैं और [2][मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय] का समाधान हो जाता है कि उससे ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा करना समीचीन है ।

224. कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना – जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विरचित किया जाता है जिसमें एक से अधिक शीर्ष हैं और, जब उनमें से एक या अधिक के लिए, दोषसिद्धि कर दी जाती है तब परिवादी, या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है अथवा न्यायालय ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण स्वप्रेरणा से रोक सकता है और ऐसे वापस लेने का प्रभाव ऐसे आरोप या आरोपों से दोषमुक्ति होगा ; किन्तु यदि दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाती है तो उक्त न्यायालय (दोषसिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए) ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्यवाही कर सकता है ।

अध्याय 18
सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण

225. विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना – सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा ।

226. अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ – जब अभियुक्त धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब अभियोजक अपने मामले का कथन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए आरंभ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है ।

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 21 द्वारा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 21 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

227. उन्मोचन – यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

228. आरोप विरचित करना – (1) यदि पूर्वोक्त रूप से विचार, और सुनवाई के पश्चात् न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो –

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर सकता [1][या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे, अभियुक्त को, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निदेश दे सकेगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट] उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा ;

(ख) अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा ।

(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है वहां वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है ।

229. दोषी होने के अभिवचन – यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकता है ।

230. अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख – यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 22 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

जाने का दावा करता है या धारा 229 के अधीन सिद्धदोष नहीं किया जाता है तो न्यायाधीश साक्षियों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी कर सकता है ।

231. अभियोजन के लिए साक्ष्य – (1) ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए ।

(2) न्यायाधीश, स्वविवेकानुसार, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए, आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है ।

232. दोषमुक्ति – यदि सम्बद्ध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात् न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायाधीश दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा ।

233. प्रतिरक्षा आरंभ करना – (1) जहां अभियुक्त धारा 232 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता है वहां उससे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो पेश करे ।

(2) यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा ।

(3) यदि अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है ।

234. बहस – जब प्रतिरक्षा के साक्षियों की (यदि कोई हों) परीक्षा समाप्त हो जाती है तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और

अभियुक्त या उसका प्लीडर उत्तर देने का हकदार होगा :

परन्तु जहां अभियुक्त या उसका प्लीडर कोई विधि-प्रश्न उठाता है वहां अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से, ऐसे विधि-प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है ।

235. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय – (1) बहस और विधि-प्रश्न (यदि कोई हों) सुनने के पश्चात् न्यायाधीश मामले में निर्णय देगा ।

(2) यदि अभियुक्त दोषसिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश, उस दशा के सिवाय जिसमें वह धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करता है दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा ।

236. पूर्व दोषसिद्धि – ऐसे मामले में, जिसमें धारा 211 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन पूर्व दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोषसिद्ध किया गया था, न्यायाधीश उक्त अभियुक्त को धारा 229 या धारा 235 के अधीन दोषसिद्ध करने के पश्चात् अभिकथित पूर्व दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा :

परन्तु जब तक अभियुक्त धारा 229 या धारा 235 के अधीन दोषसिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक न तो ऐसा आरोप न्यायाधीश द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, न अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा और न पूर्व दोषसिद्धि का निर्देश अभियोजन द्वारा, या उसके द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य में, किया जाएगा ।

237. धारा 199(2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया – (1) धारा 199 की उपधारा (2) के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय मामले का विचारण, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा :

परन्तु जब तक सेशन न्यायालय उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अन्यथा निदेश नहीं देता है उस व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है अभियोजन के साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी ।

(2) यदि विचारण के दोनों पक्षकारों में से कोई ऐसी वांछा करता है या यदि न्यायालय ऐसा करना ठीक समझता है तो इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण बंद कमरे में किया जाएगा ।

(3) यदि ऐसे किसी मामले में न्यायालय सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोषमुक्त करता है और उसकी यह राय है कि उनके या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था तो वह उन्मोचन या दोषमुक्ति के अपने आदेश द्वारा (राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से भिन्न) उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित किया गया था यह निदेश दे सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक हैं तब उनमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकर क्यों न दे ।

(4) न्यायालय इस प्रकार निदिष्ट व्यक्ति द्वारा दर्शित किसी कारण को लेखबद्ध करेगा और उस पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो वह एक हजार रुपए से अनधिक इतनी रकम का, जितनी वह अवधारित करे, प्रतिकर उस व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या, उनमें से प्रत्येक को या किसी को, दिए जाने का आदेश, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, दे सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर ऐसे वसूल किया जाएगा मानो वह मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो ।

(6) उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है उसे ऐसे आदेश के कारण इस धारा के अधीन किए गए परिवाद के बारे में किसी सिविल या दांडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी :

परन्तु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम, उसी मामले से संबंधित किसी पश्चात्‌वर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय हिसाब में ली जाएगी ।

(7) उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है वह उस आदेश की अपील, जहां तक वह प्रतिकर के संदाय के संबंध में है, उच्च न्यायालय में कर सकता है ।

(8) जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने का आदेश किया जाता है, तब उसे ऐसा प्रतिकर, अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने के पूर्व, या यदि अपील पेश कर दी गई है तो अपील के विनिश्चित कर दिए जाने के पूर्व, नहीं दिया जाएगा ।

अध्याय 19
मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट-मामलों का विचारण

क – पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले

238. धारा 207 का अनुपालन – जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी वारण्ट-मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि उसने धारा 207 के उपबंधों का अनुपालन कर लिया है ।

239. अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा – यदि धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा, यदि कोई हो, जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा ।

240. आरोप विरचित करना – (1) यदि ऐसे विचार, परीक्षा, यदि कोई हो, और सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए, वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा ।

(2) तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवाक् करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है ।

241. दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि – यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा

और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकेगा ।

242. अभियोजन के लिए साक्ष्य – (1) यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 241 के अधीन दोषसिद्ध नहीं करता है तो वह मजिस्ट्रेट साक्षियों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा ।

[1][परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन अग्रिम रूप से प्रदाय करेगा ।]

(2) मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निदेश देने वाला समन जारी कर सकता है ।

(3) ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है :

परन्तु मजिस्ट्रेट किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा नहीं कर ली जाती है, आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकेगा या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकेगा ।

243. प्रतिरक्षा का साक्ष्य – (1) तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे ; और यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में फाइल करेगा ।

(2) यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट से आवेदन करता है कि वह परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के, या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के प्रयोजन से हाजिर होने के लिए किसी साक्षी को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करे तो, मजिस्ट्रेट ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका यह विचार न हो कि ऐसा आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है, और ऐसा कारण उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा :

परन्तु जब अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पूर्व अभियुक्त ने किसी

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित ।

साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर ली है या उसे प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल चुका है तब ऐसे साक्षी को हाजिर होने के लिए इस धारा के अधीन तब तक विवश नहीं किया जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है ।

(3) मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजन के लिए हाजिर होने में उस साक्षी द्वारा किए जाने वाले उचित व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएं ।

ख – पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले

244. अभियोजन का साक्ष्य – (1) जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारण्ट-मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए ।

(2) मजिस्ट्रेट, अभियोजन के आवेदन पर, उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निदेश देने वाला समन जारी कर सकता है ।

245. अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा – (1) यदि धारा 244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो अखंडित रहने पर उसकी दोषसिद्धि के लिए समुचित आधार हो तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा ।

(2) इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार करता है कि आरोप निराधार है ।

246. प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता – (1) यदि ऐसा साक्ष्य ले लिए जाने पर या मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है तो वह अभियुक्त

के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा ।

(2) तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है ।

(3) यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकेगा ।

(4) यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या यदि अभियुक्त को उपधारा (3) के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जाता है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह मामले की अगली सुनवाई के प्रारंभ में, या, यदि मजिस्ट्रेट उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा ठीक समझता है तो, तत्काल बताए कि क्या वह अभियोजन के उन साक्षियों में से, जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है, किसी की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और, यदि करना चाहता है तो किस की ।

(5) यदि वह कहता है कि वह ऐसा चाहता है तो उसके द्वारा नामित साक्षियों को पुनः बुलाया जाएगा और प्रतिपरीक्षा के और पुनःपरीक्षा (यदि कोई हो) के पश्चात् वे उन्मोचित कर दिए जाएंगे ।

(6) फिर अभियोजन के किन्हीं शेष साक्षियों का साक्ष्य लिया जाएगा और प्रतिपरीक्षा के और पुनःपरीक्षा (यदि कोई हो) के पश्चात् वे भी उन्मोचित कर दिए जाएंगे ।

247. प्रतिरक्षा का साक्ष्य – तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे और मामले को धारा 243 के उपबंध लागू होंगे ।

ग – विचारण की समाप्ति

248. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि – (1) यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में, जिसमें आरोप विरचित किया गया है, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा ।

(2) जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है किन्तु वह धारा 325 या धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है वहां वह दंड के प्रश्न

पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात् विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है ।

(3) जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में धारा 211 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन पूर्व दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोषसिद्ध किया गया था वहां मजिस्ट्रेट उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के पश्चात् अभिकथित पूर्व दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा :

परन्तु जब तक अभियुक्त उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक न तो ऐसा आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, न अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा, और न पूर्व दोषसिद्धि का निर्देश अभियोजन द्वारा, या उसके द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य में, किया जाएगा ।

249. परिवादी की अनुपस्थिति – जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है या वह संज्ञेय अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को, स्वविवेकानुसार, उन्मोचित कर सकेगा ।

250. उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर – (1) यदि परिवाद पर या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई इत्तिला पर संस्थित किसी मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक या अधिक व्यक्तियों पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी अपराध का अभियोग है और वह मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा मामले की सुनवाई होती है, तब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोषमुक्त कर देता है और उसकी यह राय है कि उनके या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो वह मजिस्ट्रेट उन्मोचन या दोषमुक्ति के अपने आदेश द्वारा, यदि वह व्यक्ति जिसके परिवाद या इत्तिला पर अभियोग लगाया गया था उपस्थित है तो उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह तत्काल कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को, या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक हैं तो उनमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकर क्यों न दे अथवा यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो हाजिर होने और उपर्युक्त रूप से कारण दर्शित

करने के लिए उसके नाम समन जारी किए जाने का निदेश दे सकेगा ।

(2) मजिस्ट्रेट ऐसा कोई कारण, जो ऐसा परिवादी या इत्तिला देने वाला दर्शित करता है, अभिलिखित करेगा और उस पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो जितनी रकम का जुर्माना करने के लिए वह सशक्त है, उससे अनधिक इतनी रकम का, जितनी वह अवधारित करे, प्रतिकर ऐसे परिवादी या इत्तिला देने वाले द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को या किसी को दिए जाने का आदेश, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, दे सकेगा ।

(3) मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर दिए जाने का निदेश देने वाले आदेश द्वारा यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति, जो ऐसा प्रतिकर देने के लिए आदिष्ट किया गया है, संदाय में व्यतिक्रम होने पर तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा ।

(4) जब किसी व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कारावास दिया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 68 और 69 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

(5) इस धारा के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, ऐसे आदेश के कारण उसे अपने द्वारा किए गए किसी परिवाद या दी गई किसी इत्तिला के बारे में किसी सिविल या दांडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी :

परन्तु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम उसी मामले से संबंधित किसी पश्चात्वर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय हिसाब में ली जाएगी ।

(6) कोई परिवादी या इत्तिला देने वाला, जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (2) के अधीन एक सौ रुपए से अधिक प्रतिकर देने के लिए आदिष्ट किया गया है, उस आदेश की अपील ऐसे कर सकेगा मानो वह परिवादी या इत्तिला देने वाला ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है ।

(7) जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे मामले में, जो उपधारा (6) के अधीन अपीलनीय है, प्रतिकर दिए जाने का आदेश किया जाता है तब उसे ऐसा प्रतिकर, अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने

के पूर्व या यदि अपील पेश कर दी गई है तो अपील के विनिश्चित कर दिए जाने के पूर्व न दिया जाएगा और जहां ऐसा आदेश ऐसे मामले में हुआ है, जो ऐसे अपीलनीय नहीं है, वहां ऐसा प्रतिकर आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति के पूर्व नहीं दिया जाएगा ।

(8) इस धारा के उपबंध समन-मामलों तथा वारण्ट-मामलों दोनों को लागू होंगे ।

अध्याय 20
मजिस्ट्रेट द्वारा समन-मामलों का विचारण

251. अभियोग का सारांश बताया जाना – जब समन-मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है ; किन्तु यथा रीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा ।

252. दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि – यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिवाक् यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकेगा ।

253. छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि – (1) जहां धारा 206 के अधीन समन जारी किया जाता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, वहां वह अपना अभिवाक् अन्तर्विष्ट करने वाला एक पत्र और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

(2) तब मजिस्ट्रेट, स्वविवेकानुसार, अभियुक्त को उसके दोषी होने के अभिवाक् के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में दोषसिद्ध करेगा और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माना देने के लिए दण्डादेश देगा और अभियुक्त द्वारा भेजी गई रकम उस जुर्माने में समायोजित की जाएगी या जहां अभियुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्लीडर अभियुक्त की ओर से उसके दोषी होने का अभिवचन करता है वहां मजिस्ट्रेट यथासंभव प्लीडर द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों में अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और स्वविवेकानुसार उस अभियुक्त को ऐसे अभिवाक् पर दोषसिद्ध कर सकेगा और उसे यथापूर्वोक्त

दण्डादेश दे सकेगा ।

254. प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए – (1) यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 252 या धारा 253 के अधीन दोषसिद्ध नहीं करता है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य, जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए, लेने के लिए और अभियुक्त को भी सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य, जो वह अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे, लेने के लिए, अग्रसर होगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है, तो वह किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज़ या अन्य चीज पेश करने का निदेश देने वाला समन जारी कर सकता है ।

(3) मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजनों के लिए हाजिर होने में किए जाने वाले उसके उचित व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएं ।

255. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि – (1) यदि मजिस्ट्रेट धारा 254 में निर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, जो वह स्वप्रेरणा से पेश करवाए, लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा ।

(2) जहां मजिस्ट्रेट धारा 325 या धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है वहां यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकेगा ।

(3) कोई मजिस्ट्रेट, धारा 252 या धारा 255 के अधीन, किसी अभियुक्त को, चाहे परिवाद या समन किसी भी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है, दोषसिद्ध कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

256. परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु – (1) यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्वर्ती किसी दिन, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है तो, मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा

जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे :

परन्तु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्यवाही कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, उन मामलों को भी लागू होंगे, जहां परिवादी के हाजिर न होने का कारण उसकी मृत्यु है ।

257. परिवाद को वापस लेना – यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध, या जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं वहां उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा और तब उस अभियुक्त को, जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है, दोषमुक्त कर देगा ।

258. कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति – परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन-मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात् इस प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती हैं वहां दोषमुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है और ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा ।

259. समन-मामलों को वारण्ट-मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति – जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन-मामले के विचारण के दौरान जो छह मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारण्ट-मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारण्ट-मामलों के विचारण के लिए इस संहिता

द्वारा उपबंधित रीति से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है ।

अध्याय 21
संक्षिप्त विचारण

260. संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति – (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि, –

(क) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ;

(ख) कोई महानगर मजिस्ट्रेट ;

(ग) कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया है, ठीक समझता है तो वह निम्नलिखित सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षेपतः विचारण कर सकता है, –

(i) वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं हैं ;

(ii) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 379, धारा 380 या धारा 381 के अधीन चोरी, जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य [1][दो हजार रुपए] से अधिक नहीं है ;

(iii) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 411 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या रखे रखना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य [1][दो हजार रुपए] से अधिक नहीं है ;

(iv) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 414 के अधीन चुराई हुई संपत्ति को छिपाने का उसका व्ययन करने में सहायता करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य [1][दो हजार रुपए] से अधिक नहीं है ;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 454 और 456 के अधीन अपराध ;

(vi) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 504 के

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 23 द्वारा "दो सौ रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अधीन लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान और धारा 506 के अधीन [2][आपराधिक अभित्रास, जो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।]

(vii) पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण ;

(viii) पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी को करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न, अपराध है ;

(ix) ऐसे कार्य से होने वाला कोई अपराध, जिसकी बाबत पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है ।

(2) जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला इस प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षेपतः किया जाना अवांछनीय है तो वह मजिस्ट्रेट किन्हीं साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और मामले को इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा ।

261. द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण – उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित हैं, किसी ऐसे अपराध का, जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित छह मास से अनधिक के कारावास से दंडनीय है और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न का संक्षेपतः विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है ।

262. संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया – (1) इस अध्याय के अधीन विचारणों में इसके पश्चात् इसमें जैसा वर्णित है उसके सिवाय, इस संहिता में समन-मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

(2) तीन मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन किसी दोषसिद्धि के मामले में न दिया जाएगा ।

263. संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख – संक्षेपतः विचारित प्रत्येक

---

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 23 द्वारा "आपराधिक अभित्रास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्ररूप में, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा, अर्थात् :–

(क) मामले का क्रम संख्यांक ;

(ख) अपराध किए जाने की तारीख ;

(ग) रिपोर्ट या परिवाद की तारीख ;

(घ) परिवादी का (यदि कोई हो) नाम ;

(ङ) अभियुक्त का नाम, उसके माता-पिता का नाम और उसका निवास ;

(च) वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है और वह अपराध जो साबित हुआ है (यदि कोई हो), और धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (ii), खंड (iii) या खंड (iv) के अधीन आने वाले मामलों में उस संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में अपराध किया गया है ;

(छ) अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो) ;

(ज) निष्कर्ष ;

(झ) दंडादेश या अन्य अन्तिम आदेश ;

(ञ) कार्यवाही समाप्त होने की तारीख ।

264. संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय – संक्षेपतः विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा ।

265. अभिलेख और निर्णय की भाषा – (1) ऐसा प्रत्येक अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा ।

(2) उच्च न्यायालय संक्षेपतः विचारण करने के लिए सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

[1][अध्याय 21क
सौदा अभिवाक्

265क. अध्याय का लागू होना – (1) यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध –

(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन यह अभिकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रेषित की गई है कि उसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन या सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है ; या

(ख) मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध का, संज्ञान ले लिया है जो उस अपराध से भिन्न है, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है और धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात् धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी की है,

किंतु यह अध्याय वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक दशा को प्रभावित करता है या किसी महिला अथवा चौदह वर्ष की आयु से कम के बालक के विरुद्ध किया गया है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वे अपराध अवधारित करेगी जो देश की सामाजिक-आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं ।

265ख. सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन – (1) किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति, सौदा अभिवाक् के लिए उस न्यायालय में आवेदन फाइल कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त वर्णन होगा जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया गया है, और उसमें उस अपराध का वर्णन भी होगा जिससे वह मामला संबंधित है तथा उसके साथ अभियुक्त का शपथ पत्र होगा जिसमें यह कथित होगा कि उसने विधि के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड की प्रकृति और सीमा को समझने के पश्चात् अपने मामले में स्वेच्छा से सौदा अभिवाक् दाखिल किया

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 2 की धारा 4 द्वारा (5.7.2006 से) अंत:स्थापित ।

है और यह कि उसे किसी न्यायालय ने इससे पूर्व किसी ऐसे मामले में, जिसमें उसे उसी अपराध से आरोपित किया गया था, यह कि सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है ।

(3) न्यायालय उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, यथास्थिति, लोक अभियोजक या परिवादी को और साथ ही अभियुक्त को मामले में नियत तारीख को हाजिर होने के लिए सूचना जारी करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन नियत तारीख को, यथास्थिति, लोक अभियोजक या मामले का परिवादी और अभियुक्त हाजिर होते हैं, वहां न्यायालय अपना समाधान करने के लिए कि अभियुक्त ने आवेदन स्वेच्छा से दाखिल किया है, अभियुक्त की बंद कमरे में परीक्षा करेगा, जहां मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा और जहां –

(क) न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल किया गया है, वहां वह, यथास्थिति, लोक अभियोजक या परिवादी और अभियुक्त को मामले के पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए समय देगा जिसमें अभियुक्त द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मामले के दौरान प्रतिकर और अन्य खर्च देना सम्मिलित है और तत्पश्चात् मामले की आगे सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा ;

(ख) न्यायालय को यह पता चलता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल नहीं किया गया है, या उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी मामले में जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप था, सिद्धदोष ठहराया गया है तो वह इस संहिता के उपबंधों के अनुसार, उस प्रक्रम से जहां उपधारा (1) के अधीन ऐसा आवेदन फाइल किया गया है, आगे कार्यवाही करेगा ।

265ग. पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत – धारा 265ख की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए, न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :–

(क) पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी मामले में, न्यायालय, लोक अभियोजक, पुलिस अधिकारी, जिसने मामले का अन्वेषण किया है, अभियुक्त और मामले में पीड़ित व्यक्ति को, उस मामले का संतोषप्रद निपटारा करने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए सूचना जारी करेगा :

परन्तु मामले के संतोषप्रद निपटारे की ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि सारी प्रक्रिया बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से पूर्ण की गई है :

परन्तु यह और कि अभियुक्त, यदि ऐसी वांछा करे तो, मामले में लगाए गए अपने अभिवक्ता, यदि कोई हो, के साथ इस बैठक में भाग ले सकेगा ;

(ख) पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले में, न्यायालय, अभियुक्त और उस मामले में पीड़ित व्यक्ति को मामले के संतोषप्रद निपटारे के लिए की जाने वाली बैठक में भाग लेने के लिए सूचना जारी करेगा :

परन्तु न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह मामले का संतोषप्रद निपटारा करने की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करे कि उसे बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से पूरा किया गया है :

परन्तु यह और कि यदि, यथास्थिति, मामले में, पीड़ित व्यक्ति या अभियुक्त, यदि ऐसी वांछा करे, तो वह उस मामले में लगाए गए अपने अभिवक्ता के साथ उस बैठक में भाग ले सकेगा ।

265घ. पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना – जहां धारा 265ग के अधीन बैठक में मामले का कोई संतोषप्रद निपटारा तैयार किया गया है, वहां न्यायालय ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और उन अन्य सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने बैठक में भाग लिया था और यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया जा सका है तो न्यायालय ऐसा संप्रेक्षण लेखबद्ध करेगा और इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा, जहां से उस मामले में धारा 265ख की उपधारा (1) के अधीन आवेदन फाइल किया गया है ।

265ङ. मामले का निपटारा – जहां धारा 265घ के अधीन मामले का कोई संतोषप्रद निपटारा तैयार किया गया है वहां न्यायालय मामले का निपटारा निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात् :–

(क) न्यायालय, पीड़ित व्यक्ति को धारा 265घ के अधीन

निपटारे के अनुसार प्रतिकर देगा और दंड की मात्रा, अभियुक्त को सदाचार की परिवीक्षा पर या धारा 360 के अधीन भर्त्सना के पश्चात्, छोड़ने अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियुक्त के संबंध में कार्रवाई करने के विषय में पक्षकारों की सुनवाई करेगा और अभियुक्त पर दंड अधिरोपित करने के लिए पश्चात्वर्ती खंडों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा ;

(ख) खंड (क) के अधीन पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् यदि न्यायालय का यह मत हो कि धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध अभियुक्त के मामले में आकर्षित होते हैं, तो वह, यथास्थिति, अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ सकेगा या ऐसी किसी विधि का लाभ दे सकेगा ;

(ग) खंड (ख) के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए विधि में न्यूनतम दंड उपबंधित किया गया है तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आधे का दंड दे सकेगा ;

(घ) खंड (ख) के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, यदि न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध खंड (ख) या खंड (ग) के अन्तर्गत नहीं आता है तो वह अभियुक्त को, यथास्थिति, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित या बढ़ाए जा सकने वाले दंड के एक-चौथाई का दंड दे सकेगा ।

265च. न्यायालय का निर्णय – न्यायालय, अपना निर्णय, धारा 276ङ के निबंधनों के अनुसार, खुले न्यायालय में देगा और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।

265छ. निर्णय का अंतिम होना – न्यायालय द्वारा धारा 265छ के अधीन दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उससे कोई अपील (संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत याचिका और अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय) ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं होगी ।

265ज. सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति – न्यायालय के पास, इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के

लिए जमानत, अपराधों के विचारण और इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय में किसी मामले के निपटारे से संबंधित अन्य विषयों के बारे में विहित सभी शक्तियां होंगी ।

265झ. अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना – इस अध्याय के अधीन अधिरोपित कारावास के दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का मुजरा किए जाने के लिए धारा 428 के उपबंध उसी रीति से लागू होंगे जैसे कि वह इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन कारावास के संबंध में लागू होते हैं ।

265ञ. व्यावृत्ति – इस अध्याय के उपबंध इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों में अन्तर्विष्ट उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे और ऐसे अन्य उपबंधों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अध्याय के किसी उपबंध के अर्थ को सीमित करती है ।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "लोक अभियोजक" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 2 के खंड (प) के अधीन उसका है और इसमें धारा 25 के अधीन नियुक्त सहायक लोक अभियोजक सम्मिलित है ।

265ट. अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना – तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अभियुक्त द्वारा धारा 265ख के अधीन फाइल किए गए सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन में कथित कथनों या तथ्यों का, इस अध्याय के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

265ठ. अध्याय का लागू न होना – इस अध्याय की कोई बात, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 2 के उपखंड (ट) में यथापरिभाषित किसी किशोर या बालक को लागू नहीं होगी ।]

क्रमशः....... (आगामी अंक देखें)

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	—	—	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. वी. परांजपे - 1990	40	—	—	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	—	—	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	—	—	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	—	—	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	—	—	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	—	—	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	—	—	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	—	—	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	—	—	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	—	—	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद - 2001	165	—	—	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	—	—	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	—	—	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	—	—	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	—	290	—
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	—	60	—

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105